झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

परिपत्र संग्रह

खण्ड 2 (उप खण्ड - ख)

झारखण्ड सरकार

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF JHARKHAND

हेमन्त सोरेन

मुख्यमंत्री

संदेश

लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अक्षुण्ण रखने एवं सुशासन की सुदृढ़ व्यवस्था हेतु नियमों/परिनियमों का संग्रहण करने की परम्परा रही है। यह अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि झारखण्ड गठन के पश्चात् पहली बार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा कार्मिक प्रबंधन संबंधी झारखण्ड राज्य में अद्यतन प्रभावी नियमों/आदेशों का विषयवार संकलन किया गया है।

उक्त संकलन में राजकीय कार्यों के लिए प्रतिदिन प्रयुक्त होने वाले विभिन्न नियमों/आदेशों का संकलन न केवल राज्यकर्मियों के लिए उपयोगी होगा वरन् यह सामान्य जनमानस के लिए भी उतना ही उपयोगी साबित होगा तथा ये आवश्यकतानुसार इसका लाभ उठा सकेंगे।

मैं विभाग के इस प्रयास के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के सभी पदाधिकारियों/कर्मियों की सराहना करता हूँ।

शुभकामनाओं सहित।

(हेमन्त सोरेन)

कांकें रोड, रांची - 834008 (झारखंड)

दूरभाष : 0651-2280886, 2280996, 2400233 फैक्स : 2280717, 2400232

ई-मेल : chiefminister.jharkhand19@gmail.com

सुखदेव सिंह, भा.प्र.से.
Sukhdev Singh, I.A.S.

सरकार के मुख्य सचिव
झारखण्ड सरकार
Chief Secretary to Government
Government of Jharkhand

संदेश

मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि झारखंड राज्य के गठन के पश्चात् पहली बार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा विभागीय नियमों/परिपत्रों/संकल्पों का एक विषयवार संकलन तैयार कर चार खण्डों में प्रकाशित किया जा रहा है। इस संकलन से विभागीय नियमों/परिपत्रों/संकल्पों की उपलब्धता सुलभ हो सकेगी तथा विभागीय निर्णय लेने में सुविधा होगी। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा अन्य विभागों को भी परामर्श दिया जाता है, इसलिए इस विभाग के द्वारा इस तरह का संकलन करना और भी जरूरी हो जाता है, ताकि परामर्श देने में कोई त्रुटि नहीं हो। इस कार्य के लिए मैं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव, श्रीमती वंदना दादेल तथा अन्य सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को बधाई देना चाहूँगा।

मुझे आशा है कि इस संकलन को नियमित अंतराल के पश्चात् अद्यतन भी किया जाएगा। झारखंड राज्य के अन्य विभागों के द्वारा भी इस तरह का प्रकाशन कराया जाना श्रेयस्कर होगा।

13/1/2020

(सुखदेव सिंह)

1st Floor, Project Building, Dhurwa, Ranchi, Jharkhand (INDIA), Pin-834004
• Phone : +91-651-2400240/250 (O)/ 2361334(R) • Fax: +91-651-2400255 (O)/ 2361336 (R) • E-mail: cs-jharkhand@nic.in

वंदना दादेल, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव

VANDANA DADEL, IAS
Principal Secretary

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची
Personnel, Administrative Reforms
& Rajbhasha Department
Government of Jharkhand
Project Bhawan, Dhurwa, Ranchi-834004
Phone : 0651-2400221
Fax : 0651-2400253
e-mail : dopjharkhand@gmail.com

प्रस्तावना

मानव संसाधनों के प्रबंधन यथा, कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति, आरक्षण, विभागीय कार्यवाही, अनुशासनात्मक कार्रवाई, आचार, सेवानिवृति आदि से संबंधित नीतियों के निर्माण एवं उसके कार्यान्वयन के संदर्भ में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है। यह विभाग प्रखण्ड स्तरीय कार्यालयों से लेकर राज्यस्तरीय कार्यालयों के संदर्भ में प्रशासनिक सुधारों के साथ–साथ राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने तथा सरकारी कार्यों में इसके उपयोग के निमित्त भी महत्वपूर्ण कार्य करता है।

इस विभाग के द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के सुचारू रूप से संचालन एवं राज्य के सरकारी सेवकों के निमित्त सेवाशर्त, आचार, अनुशासन आदि से संबंधित नीति विषयक पत्र/परिपत्र निर्गत किये जाते हैं, जिनका कार्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

राज्य गठन के उपरांत से अबतक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा निर्गत पत्र/परिपत्रों का संग्रहण नहीं किया जा सका है, जिसके कारण निरंतर विभागों, कार्यालयों से परामर्श एवं मंतव्य हेतु बड़ी संख्या में पत्र प्राप्त होते रहते हैं। उक्त के मद्देनजर विभाग के द्वारा निर्गत नीति विषयक पत्र/परिपत्रों आदि के संग्रहण निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई ताकि राज्य के सभी विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों तथा जन मानस के लिए पत्र/परिपत्र सुलभ हो सके ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के द्वारा नीति विषयक पत्र/परिपत्रों को संग्रह कर परिपत्र संग्रह का रूप देने के लिए श्री मोती जॉर्ज लकड़ा, भा०प्र०से०, विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा राज्य गठन के बाद से वर्तमान समय तक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्गत नीति विषयक पत्र/परिपत्रों का संग्रह चार खंडों (खंड – 2 दो भागों में) कुल पाँच पुस्तिकाओं में तैयार किया गया है।

इस परिपत्र संग्रह के निर्माण में योगदान देने वाले कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी बधाई के पात्र है। आशा करती हूँ कि यह परिपत्र संग्रह राज्य के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

(वंदना दादेल)
प्रधान सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

परिपत्र–संग्रह

खण्ड–2

(भाग–'ख')

खण्डवार अध्यायों की सूची

खण्ड – 1

क्र0	अध्याय सं0	विषय	पृष्ठ सं0
1	अध्याय – 1	सेवा नियमावली आदि	01–167
2	अध्याय – 2	प्रोन्नति/ कालावधि निर्धारण आदि	168–228
3	अध्याय – 3	अनुशासनिक मामले आदि	229–326
4	अध्याय – 4	कैडर विभाजन	327–359
5	अध्याय – 5	भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग	360–379
6	अध्याय – 6	चारित्री लेखन	380–417
7	अध्याय – 7	अन्यान्य	418–525

खण्ड – 2

(भाग–'क')

क्र0	अध्याय सं0	विषय	पृष्ठ सं0
1	अध्याय – 1	पदों एवं सेवाओं में आरक्षण	01–206
2	अध्याय – 2	नियोजन एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की सुविधा	207–257
3	अध्याय – 3	आरक्षण रोस्टर	258–379

खण्ड – 2

(भाग–'ख')

क्र0	अध्याय सं0	विषय	पृष्ठ सं0
4	अध्याय – 4	प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में	380–596
5	अध्याय – 5	क्रीमी लेयर	597–629
6	अध्याय – 6	बैकलॉग रिक्ति	630–639
7	अध्याय – 7	स्थानीयता	640–686
8	अध्याय – 8	अन्यान्य	687–700

खण्ड – 3

क्र0	अध्याय सं0	विषय	पृष्ठ सं0
1	अध्याय – 1	भर्ती नियमावली आदि	1–152
2	अध्याय – 2	परीक्षा संचालन संबंधी मार्गदर्शन	153–183
3	अध्याय – 3	सीमित प्रतियोगिता परीक्षा	184–211
4	अध्याय – 4	नियुक्ति प्रक्रिया	212–218
5	अध्याय – 5	झारखण्ड लोक सेवा आयोग	219–262
6	अध्याय – 6	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग	263–404
7	अध्याय – 7	अनुकम्पा मामले	405–472
8	अध्याय – 8	राजभाषा	473–485

खण्ड – 4

क्र0	अध्याय सं0	विषय	पृष्ठ सं0
1	अध्याय – 1	लोकायुक्त	1–43
2	अध्याय – 2	सूचना का अधिकार	44–122
3	अध्याय – 3	पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग	123–140
4	अध्याय – 4	राज्य/ जिला पुनर्गठन	141–178
5	अध्याय – 5	सेवा देने की गारंटी	179–275
6	अध्याय – 6	बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली	276–298
7	अध्याय – 7	कोविड–19	299–325
8	अध्याय – 8	अन्यान्य	326–378

खण्ड–2 – (भाग–'क')
विषय सूची
अध्याय – 1
(पदों एवं सेवाओं में आरक्षण)

क्र0	विषय	ज्ञापांक/ पत्रांक	दिनांक	पृष्ठ सं0
1	"घुनिया (कैबर्त्त)" जाति को राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–11 पर दर्ज "केवर्त्त, माहिस्य"के बाद दर्ज करने के संबंध में।	3626	14.06.2022	1–2
2	"कुरमी" जाति को झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 1) के क्रमांक 06 पर दर्ज "कुड़मी/कुर्मी (महतो)" के साथ शामिल करने के संबंध में।	2198	06.04.2022	3–4
3	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु सभी नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य के अनारक्षित एवं अनारक्षित कोटि के महिला उम्मीदवारों को देय क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में।	8281	03.12.2021	5–7
4	झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–11 पर दर्ज केवर्त्त, माहिस्य के बाद घुनिया (कैबर्त्त) को समावेशित करने के संबंध में।	93	06.01.2021	8–9
5	"सुमंडल/मंडल"जाति को राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–122 पर "सूढ़ी" जाति के प्रकोष्ठ में शामिल करने के संबंध में।	8137	09.10.2019	10–11
6	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2019 (झारखण्ड अधिनिमय–13, 2019)	गजट सं0 770	04.10.2019	12–15
7	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2019 (झारखण्ड अध्यादेश–02, 2019)	गजट सं0 523	08.07.2019	16–19
8	केन्द्र एवं झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण संबंधी आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में।	3763	16.05.2019	20–21
9	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (झारखण्ड अध्यादेश–01, 2019)	147	25.02.2019	22–24
10	सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण हेतु झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में संशोधन	384A	15.01.2019	25
11	ग्वाला (मुस्लिम) जाति को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–06 पर दर्ज "गद्दी" के साथ शामिल करने के सम्बन्ध में।	6789	28.08.2019	26–28
12	झारखण्ड राज्य की अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–11 पर दर्ज "केवर्त्त"के साथ"माहिस्य (Mahisya)" जाति को सम्मिलित करने के संबंध में।	5249	03.07.2019	29–30
13	झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–29 पर दर्ज "सोनार (सुवर्ण वनिक), अष्टलोहि कर्मकार" के साथ "स्वर्णकार" को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में।	4857	20.06.2019	31–32
14	"अष्टलोहि कर्मकार" जाति को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–II) के क्रमांक–29 पर अंकित "सोनार (सुवर्ण वनिक)" के साथ शामिल करने के सम्बन्ध में।	2162	07.03.2019	33–34

15	आरक्षित कोटियों में जाति का समावेशन, विलोपन, परिवर्द्धन आदि से संबंधित अद्यतन गजट के आलोक में कार्रवाई करने के संबंध में	8737	30.11.2018	35
16	"अष्टलोहि कर्मकार" जाति को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–II) के क्रमांक–29 पर अंकित "सोनार (सुवर्ण वनिक)" के साथ शामिल करने के सम्बन्ध में।	7088	19.09.2018	36–37
17	झारखण्ड राज्य की अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक– 97 पर दर्ज "प्रजापति (कुम्हार)" के साथ "कुम्हार/कुम्भकार" जाति को सम्मिलित करने के संबंध में।	6992	11.09.2018	38–39
18	झारखण्ड राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक– 20 पर बनिया के कोष्टक में अंकित "वैश बनिया एवं एकादश बनिया" जाति को पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) से विलोपित करते हुए झारखण्ड राज्य की अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) में सम्मिलित करने के संबंध में।	1041	08.02.2018	40–42
19	"चन्द्रवंशी (कहार)"जाति की समजाति "रवानी" को राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–30 पर दर्ज "चन्द्रवंशी (कहार)"के साथ शामिल करने के संबंध में।	11460	17.11.2017	43–44
20	सूंडी जाति के खतियान में विसंगति होने एवं इनका जाति चासा सो/चासा सु/सो चासा/सो, जो एक अलग जाति है, दर्ज होने के कारण सूंडी जाति के लोगो को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।	7204	16.06.2017	45
21	"सूढ़ी (सूड़ी/सूंडी)" जाति की समजातियों सूंडी चासा/शुन्डीक वैश/शौन्डीक को राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–122 पर दर्ज " सूढ़ी (सूड़ी/सूंडी)" के साथ कोष्टक में शामिल करने के सम्बन्ध में।	6972	12.06.2017	46–47
22	जोगी (जुगी, गोसाई) की उप जाति गिरि–सन्यासी, अतित, अतिथ/अतीथ को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची II) के क्रमांक 11 पर जोगी (जुगी, गोसाई) के साथ शामिल करने के संबंध में।	5709	25.04.2017	48–49
23	"बियार" जाति कोझारखण्ड राज्य की अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) में सम्मिलित करने के संबंध में।	1951	06.03.2017	50–51
24	झारखण्ड राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक– 20 पर बनिया वर्ग के प्रकोष्ट में अंकित "हलवाई" जाति को पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) से विलोपित करते हुए झारखण्ड राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) में सम्मिलित करने के संबंध में।	876	27.01.2017	52–53
25	झारखण्ड राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमशः क्रमांक– 19 एवं 12 पर अंकित "बरई" एवं "तमोली" जाति को पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) से विलोपित करते हुए झारखण्ड राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) में सम्मिलित करने के संबंध में।	11082	27.12.2016	54–56
26	"बागाल/खण्डवाल" जाति की समजातियों यथा खन्डवाल/खन्डुआल/खुन्डवाड/खण्डईत/खण्डाईत/खन्डाईत/खन्डाइत/खंडाईत/खन्डइत/खंडयत/खन्डायत/खण्डाएत/खण्डाईयत/खन्डेत/खन्डैत/खन्डैयत/खैन्डेयत/खैन्डायत/खंडवत/खंडाल को राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–113 पर दर्ज "बागाल/खण्डवाल" के साथ कोष्टक में शामिल करने के सम्बन्ध में।	10564	13.12.2016	57–58
27	झारखण्ड में निवासरत आदिम जनजाति समुदाय के सदस्यों को आरक्षण की विशेष सुविधा।	5555	28.06.2016	59–61
28	बारी (Bari) जाति को झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–51 पर वारी (Wari)के साथ वारी/बारी (Wari/Bari) के रूप में सम्मिलित करने के संबंध में।	4997	15.06.2016	62–63
29	झारखण्ड राज्य की राजभाट/ब्रहमभाट(ब्रहमभट) जाति को भाट (हिन्दू) के साथ झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–।।) के क्रमांक–36 पर समावेशित करने के संबंध में।	4675	03.06.2016	64–65
30	मलिक (मुस्लिम) को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची II) के रिक्त	2574	28.03.2016	66–67

	क्रमांक–45 पर शामिल करने के संबंध में।			
31	परगहा (परिगाह)/पलीआर/पलीयार को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची अनूसूची–I में क्रमांक–117 पर सम्मिलित परघा/परिघा/पैरघा जाति के कोष्ठक में शामिल करने के संबंध में।	10759	18.12.2015	68–69
32	सूढ़ी (सूड़ी/सूंडी) जाति को झारखण्ड राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–II) के क्रमांक–20 पर दर्ज बनिया की उपजाति "सूढ़ी" को विलोपित करते हुए झारखण्ड राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची– I) में सम्मिलित करने के संबंध में।	10760	18.12.2015	70–71
33	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियिम, 2001 के अनुसूची – I तथा अनुसूची – II में कतिपय संशोधन।	6548	23.07.2015	72–73
34	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनूसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची– I तथा अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	5422	18.06.2015	74–75
35	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियिम, 2001 के अनुसूची– I तथा अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	3556	20.04.2015	76–77
36	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची–1 तथा अनुसूची–2 में कतिपय संशोधन।	2361	12.03.2015	78–79
37	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियिम, 2001 के अनुसूची– I तथा अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	7681	01.08.2014	80–81
38	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– I) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– II) की समेकित अद्यतन सूची।	12817	17.11.2012	82–90
39	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची– I तथा अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	2855	27.03.2012	91–92
40	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची– I तथा अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	144	06.01.2012	93–94
41	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची– I तथा अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	8060	17.12.2011	95–96
42	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची– I तथा अनुसूची– II एवं संकल्प संख्या–3885 दिनांक–05.11.2001 की समेकित सूची।	4276	29.11.2001	97–102
43	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची– I तथा अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	6580	20.10.2011	103–104
44	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची– I तथा अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	6097	26.09.2011	105–106
45	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची– I तथा अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	5826	19.09.2011	107–108
46	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची– I तथा अनुसूची– II	4450	01.08.2011	109–111

	में कतिपय संशोधन।			
47	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2011	66/67	09.05.2011	112–115
48	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– I) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– II) की समेकित अद्यतन सूची।	1816	31.03.2010	116–123
49	राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) की जातियों को अलग–अलग आरक्षण की सुविधा प्रदान करने के संबंध में।	5162	25.09.2008	124–126
50	झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 के अनुसूची– I एवं अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	5108	23.09.2008	127–128
51	झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 के अनुसूची– I एवं अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	243	11.01.2008	129–130
52	निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर), अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम,1995 के तहत सरकारी सेवाओं में नियुक्ति/प्रोन्नति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में विकलांगों को आरक्षण के संबंध में।	7281	07.11.2007	131–142
53	झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001 के अनुसूची– I एवं अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	1604	28.03.2007	143
54	झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 के अनुसूची– I एवं अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	5182	26.09.2006	144–145
55	झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों तथा सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची– I तथा अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	4447	24.08.2006	146–147
56	झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 के अनुसूची– I एवं अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	3706	15.07.2006	148
57	झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 के अनुसूची– I एवं अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	2759	01.06.2006	149–150
58	झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची– I एवं अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	368	19.01.2006	151–152
59	राज्य सरकार के अधीन सभी विभागों/कार्यालयों/निगमों/निकायों की सेवा एवं पदों पर नियुक्ति हेतु विकलांगों के लिये पद कर्णांकित करने के संबंध में।	2289	18.07.2005	153–154
60	झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 के अनुसूची– II में संशोधन।	6374	11.12.2004	155–156
61	झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों तथा सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची– I तथा अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	6337	08.12.2004	157–158
62	मयरा (मैरा) मोदक जाति को झारखंड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची– II) में समावे ित करने के संबंध में।	3436	28.06.2004	159–160

63	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम, 2001 के अनुसूची– II के क्रमांक–32 को विलोपित करने के संबंध में।	4196	22.07.2003	161
64	मोमिन (मुस्लिम) जाति के साथ शेख, जुलहा, अंसारी को सम्बद्ध करने के संबंध में।	801	11.02.2003	162–163
65	झारखण्ड में राज्यस्तरीय पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण।	5776	10.10.2002	164–167
66	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं में जिलास्तरीय सीधी नियुक्ति में आरक्षण।	5795	10.10.2002	168–173
67	सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आरक्षण।	994	08.02.2002	174–177
68	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम, 2001 के अनुसार जिलास्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति में जिलावार आरक्षण।	572	24.01.2002	178–179
69	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001	गजट संख्या 296	29.11.2001	180–192
70	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अनुसूची– I तथा अनुसूची– II में कतिपय संशोधन।	3885	05.11.2001	193–195
71	"बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991" (बिहार अधिनियम 3, 1992) में संशोधन।	3465	03.10.2001	196–199
72	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण।	3464	03.10.2001	200–206

अध्याय – 2

(नियोजन एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की सुविधा)

क्र0	विषय	ज्ञापांक/ पत्रांक	दिनांक	पृष्ठ सं0
73	राज्य के विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान।	1434	15.02.2019	207–210
74	दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण।	7636	12.10.2018	211–212
75	निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग–जन) अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का संख्यांक) के तहत तहत झारखण्ड सरकार के अधीन पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में निःशक्त जनों के लिए आरक्षण।	2249	03.04.2018	213–220
76	झारखण्ड न्यायिक सेवान्तर्गत सिविल जज (जूनियर डिविजन) के 75 पदों पर नियुक्ति हेतु महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत कोटिवार आरक्षण दिये जाने के सम्बनध में।	1182	13.02.2018	221–222
77	निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार सुरक्षण एवं पूर्णभागीदारी) अधिनियम–1995के तहत झारखण्ड सरकार के अधीन पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में निःशक्त जनों के लिए आरक्षण।	5671	04.07.2016	223–234
78	नियोजन एवं शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण की सुविधा।	9948	20.11.2015	235
79	शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान।	5886	21.09.2011	236–237
80	नियुक्ति तथा शिक्षण संस्थानों में नामांकन में आरक्षण की सुविधा।	5448	12.09.2011	238–239
81	जिलास्तरीय औद्योगिक/तकनीकी संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण।	6782	14.12.2002	240–243
82	राज्यस्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान।	5800	10.10.2002	244–249
83	जिलास्तरीय औद्योगिक/तकनीकी संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान।	905	04.02.2002	250–252
84	राज्यस्तरीय शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान।	3884	05.11.2001	253–257

अध्याय – 3
(आरक्षण रोस्टर)

क्र0	विषय	ज्ञापांक / पत्रांक	दिनांक	पृष्ठ सं0
85	आरक्षण रोस्टर क्लीयरेंस के सम्बन्ध में।	5498	03.11.2020	258
86	झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण।	1433	15.02.2019	259–269
87	आरक्षण रोस्टर क्लीयरेंस के सम्बन्ध में।	9226	19.12.2018	270
88	जिला स्तरीय संवर्ग के पदों पर प्रोन्नति के मामले में आरक्षण का निर्धारण एवं उसके विनियमन की प्रक्रिया।	10266	06.12.2016	271–272
89	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं में जिलास्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु जिलावार आरक्षण रोस्टर में संशोधन।	2020	09.04.2010	273–312
90	झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत राज्यस्तरीय पदों पर सीधी भर्त्ती/प्रोन्नति एवं भौक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण के संबंध में आदर्श रोस्टर।	1206	26.02.2009	313
91	झारखण्ड राज्य के अंतर्गत राज्यस्तरीय पदों पर सीधी भर्त्ती/प्रोन्नति एवं भौक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण के संबंघ में आदर्श रोस्टर।	1072	17.02.2009	314–322
92	आरक्षण र...र क्लियरेंस के संबंध में।	4553	23.07.2008	323–325
93	एक छोटे संवर्ग अर्थात 5 पदों के लिये नियुक्ति एवं प्रोन्नति में आरक्षण रोस्टर।	986	31.03.2005	326–329
94	सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आरक्षण रोस्टर।	2650	19.05.2004	330–333
95	झारखण्ड राज्य अंतर्गत राज्यस्तरीय पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु आदर्श रोस्टर।	6329	20.11.2003	334–340
96	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं में जिलास्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु जिलावार आरक्षण रोस्टर में संशोधन।	6704	10.12.2003	341–356
97	एक छोटे संवर्ग अर्थात् 9 पदों के लिये नियुक्ति एवं प्रोन्नति में आरक्षण रोस्टर।	6770	13.12.2002	357–361
98	सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण रोस्टर।	6192	09.11.2002	362–364
99	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं में जिलास्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु जिलावार आरक्षण रोस्टर।	6193	09.11.2002	365–366
100	राज्यस्तरीय पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु आदर्श रोस्टर।	6191	09.11.2002	367–369
101	सरकारी सेवाओं में नियुक्ति अथवा प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले संवर्गीय एकल पदों पर आरक्षण रोस्टर के संबंध में।	4423	05.08.2002	370
102	सेवाओं में नियुक्ति/प्रोन्नति के मामले में रोस्टर क्लीयरेन्स कराने के संबंध में जॉच–पत्र।	378	27.06.2002	371–374
103	राज्य स्तर पर की जानेवाली सीधी नियुक्तियों के लिये आदर्श रोस्टर।	4206	27.11.2001	375–379

खण्ड–2 (भाग–'ख')

विषय सूची

अध्याय – 4

(प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में)

क्र0	विषय	ज्ञापांक / पत्रांक	दिनांक	पृष्ठ सं0
104	झारखण्ड राज्य की ऐसी जातियां, जो राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची में सूचीबद्ध हैं, परन्तु केन्द्रीय ओ०बी०सी० की सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं, को केन्द्र सरकार की सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के रुप में आरक्षण का लाभ प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अंगीकृत करने के संबंध में।	4645	27.07.2022	380–382
105	राज्य गठन के पूर्व एवं संवर्ग विभाजन के आधार पर आरक्षित श्रेणी के झारखण्ड राज्य में पदस्थापित हुए कर्मी जो बिहार के निवासी रहें हो, उनकी आरक्षण श्रेणी की मान्यता झारखण्ड में प्रदान करने के संबंध में	4080	07.07.2022	383–385
106	अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्रों में संशोधन करने के संबंध में	1361	03.03.2022	386–392
107	जाति प्रमाण पत्र ऑनलाईन के साथ साथ ऑफलाईन निर्गत करने के संबंध में	1015	22.02.2022	393
108	जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में	2448	18.05.2020	394–397
109	स्थानीय जाँच के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में	6878	30.08.2019	398–399
110	केन्द्रीय संस्थानों/प्राधिकारों द्वारा वांछित प्रपत्र में ऑफलाईन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में अनुदेश	6267	02.08.2019	400
111	जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में	5319	05.07.2019	401
112	जाति प्रमाण पत्र के संबंध में	4258	30.05.2019	402–403
113	आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में।	3980	22.05.2019	404–408
114	जाति छानबीन समिति के संबंध में।	3198	22.04.2019	409–410
115	जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में	1754	25.02.2019.	411—465
116	जाति छानबीन समिति संबंधी का गठन	1436	18.02.2019	466–468
117	अन्य राज्य से विवाह के आधार पर झारखण्ड में आव्रजित महिलाओं को राज्य में आरक्षण की सुविधा के संबंध में।	235	10.01.2019	469–473
118	जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में	7829	25.10.2018	474
119	जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में	8453	28.09.2016	475–477
120	जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में	6763	05.08.2016	478–480
121	जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु दिशा–निर्देश।	9963	20.11.2015	481–503
122	स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण–पत्र के संबंध में।	6353	16.07.2015	504
123	जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संदर्भ में स्थानीय जाँच की प्रक्रिया।	1853	26.02.2015	505–506
124	केन्द्रीय सेवाओं में नियोजन के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण की सुविधा प्राप्त करने हेतु (OBC) का जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र।	7549	25.07.2014	507–510
125	राज्य के +2 एवं माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं एवं 8वीं कक्षा के छात्रों को जाति एवं आवासीय प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।	7384	22.07.2014	511–512
126	अन्य पिछड़े वर्गों को भारत सरकार के सिविल (असैनिक) पदों एवं सेवाओं में आरक्षण के लिए प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।	2632	13.03.2014	513
127	जाति प्रमाण पत्र/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।	10555	30.10.2013	514
128	जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।	6689	24.07.2013	515
129	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– II) के अभ्यर्थियों को निर्गत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र।	732	23.01.2013	516–517
130	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– II) के अभ्यर्थियों को निर्गत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र।	10007	29.08.2012	518–521

131	अन्य पिछड़े वर्गों को भारत सरकार के सिविल (असैनिक) पदों एवं सेवाओं में आरक्षण के लिए प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।	732	25.01.2012	522
132	अन्य पिछड़े वर्गों को भारत सरकार के सिविल (असैनिक) पदो एवं सेवाओं में आरक्षण के लिये प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।	7906	10.12.2011	523–549
133	जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।	5682	22.10.2008	550–553
134	जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में दिशा–निर्देश।	3376	05.06.2008	554–555
135	जाति प्रमाण निर्गत करने हेतु मानक प्रपत्र में अंकित धर्म के कॉलम को हटाने के संबंध में।	6594	11.12.2006	556–557
136	जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु दिये गये अभ्यावेदनों को समय–सीमा के अंदर निष्पादित करने के संबंध में।	5615	17.10.2006	558
137	लोहरा जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।	355	19.01.2006	559–560
138	जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में दिशा निर्देश।	3557	18.10.2005	561–562
139	जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में दिशा निर्देश।	2216	12.07.2005	563–566
140	लोहरा जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में।	125	15.01.2005	567
141	छान–बीन समिति का गठन।	3630	08.07.2004	568–570
142	जति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में दिशा निर्देश।	3540	03.07.2004	571–572
143	जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु मानक प्रपत्र का प्रेषण।	2820	28.05.2004	573–574
144	झारखण्ड के स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र धारक आवेदकों द्वारा दूसरे राज्य से लेकर जाति प्रमाण पत्र के मान्यता के संबंध में।	7072	30.12.2003	575–576
145	भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या–12016/62/2000(टी0ए0आर0आई0), दिनांक–18.06.2003 के द्वारा प्राप्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 को परिचारित करने के संबंध में।	4177	22.07.2003	577–588
146	"स्थानीय निवासी" प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।	4156	17.07.2002	589–591
147	सेवा में भर्ती से संबंधित संकल्प संख्या 2989 दिनांक 21.03.1990 को झारखण्ड में अंगीकृत करने के संबंध मे।	3388	22.09.2001	592–596

अध्याय – 5
(क्रीमी लेयर)

क्र0	विषय	ज्ञापांक/ पत्रांक	दिनांक	पृष्ठ सं0
148	क्रीमीलेयर हेतु आय का मापदंड।	11305	10.11.2017	597–600
149	केन्द्रीय सेवाओं तथा केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का जाति प्रमाण पत्र तथा राज्य की सेवाओं राज्य अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के निमित्त क्रीमीलेयर के निर्धारण हेतु मार्गदर्शन।	8192	18.07.2017	601–602
150	अन्य पिछड़े वर्ग (ओ०बी०सी०) के आरक्षण दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्गों) को बाहर रखने के लिए आय के मानदंडों में संशोधन।	5102	13.06.2013	603–605
151	समूह (ग) के सरकारी कर्मी के नन–क्रीमी लेयर स्टेटस के संबंध में स्पष्टीकरण।	2576	20.03.2013	606–611
152	अन्य पिछड़े वर्गों (ओ०बी०सी०) के आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्गों) को बाहर रखने के लिए आय के मानदण्डों में संशोधन।	7097	30.10.2009	612–614
153	अन्य पिछड़े (ओ०बी०सी०) के आरक्षण दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्गों) को बाहर रखने के लिए आय के मानदण्डों में संशोधन।	701	30.01.2009	615–617
154	पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के संबंध में।	2818	28.05.2004	618–621
155	पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के संबंध में।	3482	10.06.2002	622–629

अध्याय – 6
(बैकलॉग रिक्ति)

क्र0	विषय	ज्ञापांक / पत्रांक	दिनांक	पृष्ठ सं0
156	आरक्षित पदों पर नियमित रिक्ति एवं बैकलॉग रिक्ति के अनुसार भर्त्ती की प्रक्रिया के संबंध में।	918	01.02.2012	630–632
157	झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एव अन्य पिछड़े कोटि के लिए) अधिनियम 2001 की धारा–4 की उपधारा–6 (घ) में निहित प्रावधानों के तहत मुफसिल स्थापना में जिला/प्रमण्डल स्तरीय वर्ग–3 एवं वर्ग–4 के बैकलॉग के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया	5680	08.10.2003	633–639

अध्याय – 7
(स्थानीयता)

क्र0	विषय	ज्ञापांक / पत्रांक	दिनांक	पृष्ठ सं0
158	राज्य के अनुसूचित जिलों के जिलास्तर के समूह 'ख' के अराजपत्रित तथा समूह 'ग' एवं समूह 'घ' पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी अधिसूचना सं0–5938, दिनांक–14.07.2016 (संकल्प सं0–8468, दिनांक–20.11.2018 द्वारा यथा संशोधित) एवं आदेश सं0–5939, दिनांक–14.07.2016 के आहरण के संबंध में	229	19.01.2022	640–642
159	राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के समूह 'ख' के अराजपत्रित तथा समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को एवं राजस्तरीय समूह 'ख' के अराजपत्रित तथा समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों पर नियुक्तियों झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 (संकल्प सं0–8468, दिनांक–20.11.2018 द्वारा यथासंशोधित) के आहरण के संबंध में	821	05.02.2021	643–645
160	झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में	5752	19.07.2019	646
161	राज्य के अनुसूचित/गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को एवं राज्य स्तरीय वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी अधिसूचना सं0 5938, दिनांक–14.07.2016 एवं संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 में संशोधन	8468	20.11.2018	647–648
162	राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को एवं राज्य स्तरीय वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने के संबंध में	3854	01.06.2018	649–650
163	झारखण्ड के स्थानीय निवासियों को नियोजन में प्राथमिकता	9567	11.11.2016	651–653
164	अनुसूचित जिलों में स्थानीय निवासी को नियोजन में प्राथमिकता के संबंध में।	5938/ 5939	14.07.2016	654–658
165	झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में	4650	02.06.2016	659–664
166	"झारखण्ड के स्थानीय निवासी" की परिभाषा एवं पहचान	3198	18.04.2016	665–666
167	'स्थानीय व्यक्ति' को परिभाषित करने के संबंध में।	622	21.01.2014	667–669
168	'स्थानीय व्यक्ति' को परिभाषित करने के संबंध में।	1885	09.04.2011	670–671
169	झारखण्ड सरकार के अधीन जिलास्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों के विरूद्ध नियोजन के संबंध में नीति निर्धारित करने हेतु एक समिति गठित करने के संबंध में।	3928	27.06.2008	672–674
170	झारखण्ड सरकार के अधीन जिलास्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों के विरूद्ध नियोजन के संबंध में नीति निर्धारित करने हेतु एक समिति गठित करने के संबंध में।	7132	30.12.2002	675–677

171	शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु "स्थानीय निवासी" प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में नीति निर्धारण।	2691	29.04.2002	678–681
172	स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा से संबंधित पत्रांक 806 दिनांक 03.03.1982 को अंगीकृत करने के संबंध में।	3389	22.09.2001	682–686

अध्याय – 8

(अन्यान्य)

क्र0	विषय	ज्ञापांक / पत्रांक	दिनांक	पृष्ठ सं0
173	श्री प्रेमचंद मुर्मू, पिता स्व. सुखदेव मांझी (मुर्मू), राँची को छानबीन समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत करने के संबंध में।	9100	09.09.2014	687
174	सीधी भर्त्ती के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–, II) के अभ्यर्थियों को प्राप्त छूट एवं रियायत के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।	12165	31.10.2012	688–691
175	सवर्ण हिन्दु पिता और अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति की माता से उत्पन्न संतान को अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति का निर्धारण करने के संबंध में।	40	03.01.2007	692–693
176	राज्य के नियंत्रणाधीन सेवाओं में पिछड़े वर्ग के रूप में किसी जाति को शामिल करने के लिए राज्य सरकार को परामर्श प्रदान करने हेतु राँची स्थित झारखंड जनजाति कल्याण शोध संस्थान रांची को अधिकृत करने के संबंध में।	4268	29.11.2001	694–700

खण्ड–2

(भाग–'ख')

अध्याय–4

(प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में)

4645
27/07/2022

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
संकल्प

विषय :— झारखण्ड राज्य की ऐसी जातियां, जो राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची में सूचीबद्ध हैं, परन्तु केन्द्रीय ओ०बी०सी० की सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं, को केन्द्र सरकार की सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के रुप में आरक्षण का लाभ प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अंगीकृत करने के संबंध में।

कार्मिक विभागीय संकल्प सं0–1433, दिनांक–15.02.2019 के द्वारा झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षण हेतु दिशा निर्देश निर्गत हैं। उक्त संकल्प की कंडिका 2 के अनुसार "आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग से संबंधित व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) के लिए आरक्षण के स्कीम के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हैं, उन्हें झारखण्ड सरकार के सिविल पदों एवं सेवाओं में सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा।" उक्त संकल्प के परिशिष्ट–I के रूप में संलग्न प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को आरक्षण का लाभ अनुमान्य होता है। उपरोक्त संकल्प के परिशिष्ट-I के अनुसार झारखण्ड सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र की कंडिका 2 में प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी द्वारा यह घोषणा की जाती है कि संबंधित व्यक्ति की जाति झारखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा ओ0बी0सी0/ई0बी0सी0–I/बी0सी0–II के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हैं।

2. झारखण्ड राज्य में ऐसी कई जातियाँ हैं, जो राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1 एवं 2) में सूचीबद्ध है, परन्तु झारखण्ड राज्य के लिए केन्द्रीय ओ0बी0सी0 की सूची में सूचीबद्ध नहीं है, जिसके कारण उन्हें विहित प्रपत्र में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने में तकनीकी बाधा उत्पन्न हो गयी है। जिसके कारण ऐसी जातियों के अभ्यर्थियों को केन्द्र सरकार की सेवाओं में न तो जातिगत आरक्षण का लाभ मिल पाता है और न ही आर्थिक रुप से कमजोर नागरिकों के वर्ग हेतु अनुमान्य आरक्षण का लाभ मिल रहा है। केन्द्र एवं राज्य हेतु आर्थिक रुप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के आरक्षण के संदर्भ में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र अलग–अलग निर्गत करने की व्यवस्था नहीं होने के कारण ऐसी जातियों के व्यक्तियों

के द्वारा केन्द्र सरकार की सेवा में नियुक्ति में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा पा रहा है।

3. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के पदों एवं सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो, इसके लिए भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन 36039/1/2019–Estt (Res), दिनांक–31.01.2019 के परिशिष्ट–I (छायाप्रति संलग्न) के रूप में संलग्न आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र के प्रपत्र को अंगीकृत किया जाय, ताकि ऐसी जातियाँ, जो राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1 एवं 2) में सूचीबद्ध है, परन्तु झारखण्ड राज्य के लिए केन्द्रीय ओ0बी0सी0 की सूची में सूचीबद्ध नहीं है, को भी आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सके। यह प्रपत्र संकल्प सं0–1433, दिनांक–15.02.2019 के साथ परिशिष्ट I के रूप में संलग्न प्रपत्र के अतिरिक्त होगा।

सम्प्रति ऐसी जातियाँ, जो राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1 एवं 2) में सूचीबद्ध है, परन्तु झारखण्ड राज्य के लिए केन्द्रीय ओ0बी0सी0 की सूची में सूचीबद्ध नहीं है, को भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन 36039/1/2019–Estt (Res), दिनांक–31.01.2019 के परिशिष्ट–I के रूप में संलग्न विहित प्रपत्र में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

26.7.22

(वंदना दादेल)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/आ0नी0–04–01/2021 का०– 4645 /रांची, दिनांक 27/07/2022

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

26.7.22

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/आ0नी0–04–01/2021 का०– 4645 /रांची, दिनांक 27/07/2022

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निःशक्तता आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/राज्य के सभी लोक उपक्रमों/ निगमों/ निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

26.7.22

सरकार के प्रधान सचिव।

Government of ....

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No.________________ Date:__________

VALID FOR THE YEAR__________

This is certify that Shri/Smt./Kumari______________________ son/daughter/wife of ____________________ permanent resident of ____________________ village/Street____________________ post Office ________________ District ____________________ in the State/Union Territory ____________ Pin Code________________ whose photograph attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her 'family'** is below Rs. 8 Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year ____________. His/her family does not own or possess any of the following assests***:

I. 5 acres of agricultural land and above;

II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;

III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;

IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari ______________________ belongs to the ____________ caste which is not recognized as a Scheduled Castes, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List).

Signature with seal of office________________

Name ______________________

Designation ________________

Recent Passport size attested Photograph of the applicant

*Note1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc.

**Note2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

***Note3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land of property holding test to determine EWS status.

पत्रांक : 14/जा0नि0–03–13/2015 का0 4080/

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी उपायुक्त
सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।
सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची।
परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची।

राँची, दिनांक– 07/07/2022

विषयः– **राज्य गठन के पूर्व एवं संवर्ग विभाजन के आधार पर आरक्षित श्रेणी के झारखण्ड राज्य में पदस्थापित हुए कर्मी जो बिहार के निवासी रहे हों, उनकी आरक्षण श्रेणी की मान्यता झारखण्ड में प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि कार्मिक विभागीय परिपत्र सं0–4722, दिनांक–14.08.2008 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि "वैसे सरकारी कर्मी, जो राज्य गठन के पूर्व आरक्षित श्रेणी में नियुक्त हुए हैं और संवर्ग विभाजन के आधार पर झारखण्ड राज्य में पदस्थापित किए गए हैं तथा वे बिहार के निवासी है, उनकी आरक्षण श्रेणी अप्रभावित रहेगी और वे आरक्षित श्रेणी के सरकारी कर्मी माने जायेंगे।" इस परिपत्र का अनुपालन मात्र अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के सरकारी सेवकों को प्रोन्नति का लाभ प्रदान करने के क्रम में अनुमान्य किया जाता रहा है। बिहार राज्य के निवासी जो आरक्षित श्रेणी में झारखण्ड गठन से पूर्व नियुक्त हुए थे उन्हें सीधी नियुक्ति में उपरोक्त लाभ की अनुमान्यता प्रदान नहीं की जाती है।

2. इस संदर्भ में सिविल अपील सं0–4864/2021 (Arising out of SLP(Civil) no(s).-13473 of 2020) पंकज कुमार बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–19.08.2021 को पारित न्यायादेश का संदर्भित अंश निम्नरूपेण उद्धृत है:–

54. The collective readings of the provisions of the Act, 2000 makes it apparent that such of the persons whose place of origin/domicile on or before the appointed day was of the State of Bihar now falling within the districts/regions which form a successor State, i.e., State of Jharkhand under Section 3 of the Act, 2000 became ordinary resident of the State of Jharkhand, at the same time, so far as the employees who were in public employment in the State of Bihar on or before the appointed day, i.e. 15th November, 2000 under the Act 2000, apart from those who are domicile of either of the district which became part of the State of Jharkhand, such of the employees who have submitted their option or employees who are junior in the cadre of their seniority as per the policy of the Government of India of which a reference has been made, either voluntarily or involuntarily call upon to serve the State of Jharkhand, their existing service conditions shall not be varied to their disadvantage and stands protected by virtue of Section 73 of the Act, 2000.

55. In our considered view, such of the employees who are members of the SC/ST/OBC whose caste/tribe has been notified by an amendment to the Constitution(Scheduled Castes)/(Scheduled Tribes) Order 1950 under Vth and VIth Schedule to Sections 23 and 24 of the Act 2000 or by the separate notification for members of other backward class category, benefit of reservation including privileges and benefits flowing thereof, shall remain protected by virtue of Section 73 of the Act 2000 for all practical purposes which can be claimed (including by their wards) for participation in public employment.

56. It is made clear that person is entitled to claim benefit of reservation in either of the successor State of Bihar or State of Jharkhand, but will not be entitled to claim benefit of reservation simultaneously in both the successor States and those who are members of the reserved category and are resident of the successor State of Bihar, while participating in open selection in State of Jharkhand shall be treated to be migrants and it will be open to participate in general category without claiming the benefit of reservation and vice-versa.

57. We are of the view that the present appellant Pankaj Kumar in Civil Appeal @ SLP(Civil) No.13473 of 2020, being a serving employee in the State of Jharkhand by virtue of Section 73 of the Act 2000, would be entitled to claim the benefit of reservation including the privileges and benefits admissible to the members of Scheduled Caste category in the State of Jharkhand for all practical purposes including participation in open competition seeking public employment.

3. सिविल अपील सं0–4864/2021 (Arising out of SLP(Civil) no(s).-13473 of 2020) पंकज कुमार बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–19.08.2021 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 73 से आच्छादित सरकारी सेवकों तथा उनके संतानों (Wards) के संदर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त यह स्पष्ट किया जाता है कि झारखण्ड राज्य में आरक्षण का दावा करने पर बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 73 से आच्छादित कर्मियों तथा उनके संतानों (Wards) को झारखण्ड में आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा। साथ ही साथ अधिनियम की धारा 73 से आच्छादित कर्मियों के राज्य गठन के बाद सेवानिवृत्त होने के उपरान्त उनके संतानों (Wards) द्वारा आरक्षण दावा करने पर भी आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति में उन्हे अपने मूल राज्य (State of origin) अर्थात् बिहार राज्य में आरक्षण का लाभ का त्याग करना होगा। एक साथ दोनों राज्यों में आरक्षण का लाभ प्राप्त किया जाना गैरकानूनी माना जाएगा। तद्नुसार संलग्न प्रपत्र में वांछित undertaking भी अनिवार्य होगा।

4. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 73 के तहत् आरक्षण प्राप्ति हेतु झारखण्ड राज्य में जाति प्रमाण–पत्र निर्गत होते ही उसकी सूचना इस संकल्प की प्रति के साथ मूल राज्य (State of Origin) अर्थात् बिहार राज्य के संबंधित जिले को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाएगी।

5. विभागीय परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन

6.7.22

(वंदना दादेल)
सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अधीन एकीकृत बिहार से झारखण्ड में पदस्थापित पदाधिकारी/कर्मचारी एवं उनके संतान का झारखण्ड में आरक्षण का लाभ लेने के निमित्त जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रतिज्ञान (Undertaking) का मानक प्रपत्र

1. मैं श्री/श्रीमती/सुश्री ...., पिता/माता/पति श्री/श्रीमती .... पता–ग्राम/वार्ड/शहर ...., पो0–.............................. ...., थाना–...................................., जिला–......................., बिहार का निवासी हूँ तथा वर्तमान में मैं वर्ष .... से पता–ग्राम/वार्ड/शहर............................, पो0–..................................., थाना–....... ...., जिला–......................., झारखण्ड में निवास करता हूँ।

2. मैं घोषणा करता हूँ कि अंचल अधिकारी/अनुमंडल अधिकारी/जिलाधिकारी, ..., बिहार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं0–.............................. के अनुसार मेरी/मेरे पिता/माता/पति/पत्नी की जाति................ है, जो झारखण्ड के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) की सूची में सूचीबद्ध है।

3. मै घोषणा करता हूँ कि मेरा/मेरी पत्नी/मेरे माता/पिता, श्री/श्रीमती/सुश्री.................... .... का चयन एकीकृत बिहार में (सेवा/संवर्ग का नाम) .... सेवा के अन्तर्गत (पद का नाम) .... के पद पर हुआ। (सेवापुस्त की छाया प्रति संलग्न)

4. मैं घोषणा करता हूँ कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के आलोक में झारखण्ड गठन के उपरांत .... विभाग, बिहार सरकार के आदेश संख्या–..............., दिनांक–............. द्वारा मेरा/मेरी पत्नी/मेरे माता/पिता, श्री/श्रीमती/सुश्री.................................. की सेवा झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत .... विभाग को दी गयी। (आदेश की छाया प्रति संलग्न)

5. मैं घोषणा करता हूँ कि वर्तमान में मैं/मेरी पत्नी/मेरे माता/पिता दिनांक–.............. से दिनांक–....................... तक झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत कार्यरत/सेवा निवृत्त हूँ। (संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा निर्गत पत्र की छाया प्रति संलग्न)

6. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं बिहार राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) के आरक्षण का लाभ नहीं लेने का प्रतिज्ञान करता हूँ।

7. प्रतिज्ञान के साथ मै निम्न अभिलेख संलग्न कर रहा हूँ:–

(i) एकीकृत बिहार सरकार का नियुक्ति पत्र की छायाप्रति

(ii) झारखण्ड आंवटन संबंधी आदेश की छाया प्रति

(iii) बिहार सरकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति

8. मैं यह भी प्रतिज्ञान करता हूँ कि यदि भविष्य में मेरी उपर्युक्त घोषणा गलत पायी जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त आरक्षण एवं अन्य आनुषंगिक सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा0द0वि0 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक/आवेदिका (घोषणाकर्ता) का हस्ताक्षर

पत्रांक :-14 / आ0नी0-04-02 / 2022 का0 ...1361.... /

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव / सचिव
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी उपायुक्त
सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।
सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची।
परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, राँची।

राँची, दिनांक-...03/03/2022

विषयः- **अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्र में संशोधन करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) / अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु झारखण्ड सरकार / भारत सरकार द्वारा इससे संबंधित मार्ग-दर्शन को परिचारित करते हुए उसमें अंतर्निहित प्रक्रिया एवं शर्तों का अनुपालन करने हेतु समय-समय पर अनुदेश दिया जाता रहा है। साथ ही इन प्रमाण-पत्रों को निर्गत करने हेतु प्रमाण-पत्र का प्रपत्र भी परिचारित किया जाता रहा है।

वर्त्तमान में परिपत्र सं0-1754, दिनांक-25.02.2019 द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में अद्यतन समेकित निदेश तथा जाति प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्र तथा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र का भी मानक प्रपत्र जारी किया गया है।

परिपत्र सं0-1754, दिनांक-25.02.2019 के साथ संलग्न प्रपत्र में कतिपय सुधार करने के सुझाव विभिन्न स्तरों से प्राप्त हो रहे थे। फलस्वरूप जाति प्रमाण पत्र के प्रपत्र में संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए भारत सरकार द्वारा विहित जाति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र परिपत्र सं0-1754, दिनांक-25.02.2019 के साथ संलग्न प्रपत्र-V को यथा स्थिति (हुबहु) झारखण्ड सरकार द्वारा भी अंगीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार परिपत्र

सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 द्वारा परिचारित प्रपत्र 1A तथा IV का संशोधित प्रपत्र का प्रारूप संलग्न है।

विभागीय परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

3.3.22

(वंदना दादेल)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–14 / आ0नी0–04–02 / 2022 का0 ....1361..... / राँची, दिनांक–03/03/2022

प्रतिलिपिः–राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची से अनुरोध है कि जाति प्रमाण पत्र के प्रपत्र के साफ्टवेयर में तदनुसार वांछित संशोधन करने की कृपा की जाय।

3.3.22

सरकार के प्रधान सचिव।

प्रपत्र - I(A)
संशोधित

आवेदन का प्रपत्र

(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र हेतु)

1	आवेदक/आवेदिका का नाम :–		
2	आधार संख्या (यदि हो तो) :–		
3	मोबाईल नं० (यदि हो तो) :–		
4	जन्म तिथि :–	5 लिंग	पुरूष( ) महिला ( ) ट्रांसजेंडर ( )
6	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (उल्लेख करें) :–	7. उपजाति :–	
8	आवासीय पता :–		
(क)	स्थाई पता :– गाँव/मुहल्ला .... प्रखण्ड .... डाकघर .... थाना .... अनुमण्डल .... जिला .... पिन .... राज्य		
(ख)	वर्त्तमान पता :– गाँव/मुहल्ला .... प्रखण्ड .... डाकघर .... थाना .... अनुमण्डल .... जिला .... पिन .... राज्य		
9	पिता का नाम :–		
10	पिता की जाति :–		
11	माता का नाम :–		
12	केन्द्र की सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का क्रमांक एवं संकल्प संख्या (केन्द्र सरकार के प्रयोजनार्थ प्रमाण पत्र हेतु)	क्रमांक–........ संकल्प सं0–........	
13	झारखण्ड राज्य की सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का क्रमांक एवं संकल्प संख्या (राज्य सरकार के प्रयोजनार्थ प्रमाण पत्र हेतु)	क्रमांक–........ संकल्प सं0–........	
14	आव्रजित श्रेणी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के मामले में मूल राज्य की सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का क्रमांक एवं संकल्प संख्या	क्रमांक–........ संकल्प सं0–........	
15	आव्रजित श्रेणी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के मामले में पैतृक राज्य के द्वारा पिता को निर्गत प्रमाण पत्र संख्या :– प्रमाण पत्र निर्गत करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम :–		

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। अगर सूचना गलत पायी जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरा नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत् कार्रवाई की जा सकती है।

पिता/माता का हस्ताक्षर
(पिता/माता का नाम :–........)
(आवेदक के अवयस्क रहने की स्थिति में)

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

नोट :–

1. आवेदक की जाति वही मानी जाएगी जो उसके पिता की जाति है।
2. आवेदक के अवयस्क होने की दशा में आवेदन उनके माता/पिता के द्वारा समर्पित किया जा सकेगा।
3. इस प्रपत्र का प्रयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के राज्य/केन्द्र प्रयोजनार्थ सहित आव्रजित श्रेणी के प्रमाण पत्र हेतु किया जा सकेगा।

प्रपत्र - IV

Amended

FORM OF CASTE CERTIFICATE TO BE ISSUED TO PERSONS BELONGING TO A SCHEDULED CASTE OR SCHEDULED TRIBES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS/ADMISSION UNDER THE GOVERNMENT OF JHARKHAND

This is to certify that Shri/Smt./Kumari .... Son/ Daughter of Shri/Smt. .... of Village/ Town ....District/ Division*.....................................of the State/Union Territory ....belongs to the .... Caste/Tribe which is recognized as Scheduled Caste/Scheduled Tribe under :

*The Constitution (Scheduled Caste) Order, 1950

*The Constitution (Scheduled Tribe) Order, 1950

*The Constitution (Scheduled Caste) (Union Territories) Order, 1951

*The Constitution (Scheduled Tribe) (Union Territories) Order, 1951

[As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Re-organization Act, 1960, the Punjab Re-organization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1971 and the North Eastern Areas (Reorganization) Act. 1976]

*The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956.

*The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, as amended by the Scheduled Castes ans Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976

*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962

*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962

*The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.

*The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967.

*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968

*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968

*The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970

*The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978

*The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978

*The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989

* The Constitution (SC) Orders (Amendment) Act, 1990.

* The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1991.

* The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1996.

* The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2002.

* The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002.

* The Scheduled Castes and Scheduled Tribes orders (Amendment) Act, 2002:

2. Shri/Smt./Kumari* and/or* his/her* family ordinarily reside (s) in Village/Town* ....District/Division* of the State/Union Territory* of ....

3. This certificate is valid till further orders or till any change made in Central Caste list under SC/ST category for Jharkhand.

Note :

(a) The term 'ordinarily reside' (s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

(b) The authorities competent to issue the caste certificate are indicated below:

(i) District Magistrate/Additional Magistrate/Collector/Additional Deputy Commissioner /Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate /Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate)

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officer not below the rank of Tahsildar.

(iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family resides.

Signature...

Designation ....

Place........................ (with seal of office)

Date.........................

प्रपत्र–4

संशोधित

झारखंड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिये अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण–पत्र जारी किये जाने का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ...., पिता .... ग्राम/नगर ...., जिला/प्रमंडल ...., राज्य/संघशासित प्रदेश ...., निम्नलिखित के अधीन यथा मान्यताप्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधीन .... जाति/जनजाति के सदस्य हैं:–

* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950

* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950

* संविधान (अनुसूचित जाति) (संघशासित प्रदेश) आदेश, 1951

* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ शासित प्रदेश) आदेश, 1951

(अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची (संशोधन) आदेश, 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1971 और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (पुनर्गठन) अधिनियम 1976 द्वारा यथासंशोधित)

* संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956

* संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, अनुसूचित जनजाति आदेश अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 द्वारा यथासंशोधित

* संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

* संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962

* संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967

* संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968

* संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968

* संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

* संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989

* संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990

* संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991

* संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996

* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002

* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार सामान्य रूप से .... राज्य/संघशासित प्रदेश के ग्राम/नगर .... जिला/प्रमंडल .... में निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी :

क. यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है।

ख. जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है :

i) जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/तालुका दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के पद से अन्यून)

ii) मुख्य प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/अपर प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी।

iii) राजस्व पदाधिकारी, जो तहसीलदार के पद से अन्यून होगा।

iv) उस क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी जहाँ अभ्यर्थी और/अथवा उसका परिवार रहता है।

स्थान ....

तिथि ....

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

कार्यालय के सील सहित

पत्रांक–14 / आ0नी0–04–09 / 2021का0........1015........

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव / सचिव
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी उपायुक्त
सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।
सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची।
परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची।

दिनांक– 22/02/2022

विषय :– जाति प्रमाण–पत्र ऑनलाईन के साथ–साथ ऑफलाईन निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) / अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य को जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु झारखण्ड सरकार / भारत सरकार द्वारा इससे संबंधित मार्ग–दर्शन को परिचारित करते हुए उसमें अंतर्निहित प्रक्रिया एवं शर्तों का अनुपालन करने हेतु समय–समय पर अनुदेश दिया जाता रहा है। साथ ही इन प्रमाण–पत्रों को निर्गत करने हेतु प्रमाण–पत्र का प्रपत्र भी परिचारित किया जाता रहा है।

विभागीय परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 की विभिन्न कंडिकाओं, यथा–2, 3, 4, 10 में आवेदन ऑनलाइन समर्पित करने तथा जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन निर्गत करने के संबंध में प्रावधान निरूपित है। प्रमाण–पत्र ऑनलाइन निर्गत करने का बंधेज होने के कारण जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में कतिपय समस्याएँ, यथा–दूर–दराज क्षेत्रों में पावर कट, लिंक फेल आदि उत्पन्न होती है। फलस्वरुप जाति प्रमाण–पत्र ऑनलाईन के साथ–साथ ऑफलाईन निर्गत करने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में विभागीय परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 द्वारा निरूपित प्रावधान के साथ–साथ ऑफलाईन आवेदन समर्पित करने तथा ऑफलाईन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का भी उपबंध समावेशित किया जाता है।

विभागीय परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन

21-2-22
(वंदना दादेल)
सरकार के प्रधान सचिव।

पत्रांक–14/जा0नि0–03–06/2019 का0 2448

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त,
सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी
सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।
सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची।
परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची।

दिनांक– 18/05/2020

विषय :– जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में अद्यतन अनुदेश एवं प्रपत्र जारी किये गये हैं। उक्त परिपत्र के प्रपत्र–15 की कंडिका 3 एवं 4 में उल्लिखित प्रावधान को निम्नवत् संशोधित किया जाता है :–

प्रपत्र 15 में वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
3. मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि विगत तीन वित्तीय वर्ष के दौरान मैं आठ (8) लाख रुपये से कम वार्षिक आय होने के कारण क्रीमीलेयर में नहीं आता/आती हूँ।	3. मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि विगत तीन वित्तीय वर्ष के दौरान मेरे माता–पिता की वार्षिक आय आठ (8) लाख रुपये से कम होने के कारण मैं क्रीमीलेयर में नहीं आता/आती हूँ।
4. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं दिनांक 08.09.1993 एवं 13.09.2017 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम–3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं हूँ।	4. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे माता–पिता दिनांक 08.09.1993 एवं 13.09.2017 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम–3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं हैं।
	5. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि भविष्य में मेरी उपर्युक्त स्व–घोषणा गलत पाई जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त आरक्षण एवं अन्य आनुषंगिक सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा0द0वि0 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मेरे विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

साथ ही विभागीय पत्रांक–1754, दिनांक–25.02.2019 की कंडिका 13(i) में उल्लिखित शर्तों के आलोक में विभागीय पत्रांक–6878, दिनांक–30.08.2019 के द्वारा

परिचारित शपथ–पत्र के आदर्श प्रारूप की कंडिका–5 को निम्नवत् परिवर्द्धित किया जाता है :–

वर्तमान स्थिति	परिवर्द्धन
5. मैं एतद् द्वारा शपथ पूर्वक यह घोषित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी में पूर्णतः सही एवं सत्य हैं।	5. मैं एतद् द्वारा शपथ पूर्वक यह घोषित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी में पूर्णतः सही एवं सत्य हैं। भविष्य में मुझे निर्गत प्रमाण पत्र गलत पाये जाने की स्थिति में इसे मेरे द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति/पिछड़ा वर्ग को संविधान प्रदत्त अधिकार/सुविधा को हरण करने का कपटपूर्ण कार्य समझा जाएगा तथा इसके लिए मेरे विरूद्ध आपराधिक षड़यन्त्र का मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी तथा उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त नियोजन अथवा आरक्षण के अन्य लाभ से मुझे वंचित किया जा सकेगा।

तदनुसार क्रीमीलेयर रहित होने सम्बन्धी स्व–घोषणा पत्र (प्रपत्र XV) तथा जाति निर्धारण हेतु स्थानीय जाँच हेतु शपथ पत्र का आदर्श प्रारूप का संशोधित संस्करण संलग्न है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

18/5/20

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–14/जा0नि0–03–06/2019 का0 2448/ राँची, दिनांक– 18/05/2020

प्रतिलिपिः– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, राँची को जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने सम्बन्धी साफ्टवेयर में तदनुसार वांछित संशोधन करने हेतु प्रेषित।

18/5/20

सरकार के प्रधान सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 के आलोक में जाति निर्धारण हेतु स्थानीय जांच हेतु शपथ पत्र का आदर्श प्रारुप

(नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ पत्र के रूप में)

1. मैं .... पिता श्री.. वर्तमान में ग्राम/ शहर......................................., पोस्ट.............................. थाना......................... प्रखण्ड...अनुमंडल.................................... जिला......................... राज्य....................................... में निवास करता/करती हूँ।

2. मैं/मेरे पूर्वज वर्ष .... से ग्राम/ शहर.., पोस्ट.......... ...., थाना................................, प्रखण्ड.., अनुमंडल.......... ...., जिला... राज्य................................. में स्थायी रुप से निवासित रहे है।

3. मेरे पिता की जाति .... है, जो झारखण्ड राज्य की अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनुसूची–1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) अथवा झारखण्ड राज्य के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में दर्ज है।

4. मुझे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 की कंडिका–13 के आलोक में स्थानीय जाँच के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, क्योंकि:–

(क) मैं/मेरे पूर्वज के पास भू–अभिलेख/रेकर्ड ऑफ राइट्स/भूमि निबंधन कागजात नहीं है।

(ख) मैं/मेरे पूर्वज के भू–अभिलेख/रेकर्ड ऑफ राइट्स/भूमि निबंधन कागजात में अंकित जाति में संशय की स्थिति है।

(ग) मैं/मेरे पूर्वज भूमिहीन हैं।

(जो लागू न हों, उसे काट दिया जाय।)

5. मैं एतद् द्वारा शपथ पूर्वक यह घोषित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी में पूर्णतः सही एवं सत्य हैं। भविष्य में मुझे निर्गत प्रमाण पत्र गलत पाये जाने की स्थिति में इसे मेरे द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति/पिछड़ा वर्ग को संविधान प्रदत्त अधिकार/सुविधा को हरण करने का कपटपूर्ण कार्य समझा जाएगा तथा इसके लिए मेरे विरूद्ध आपराधिक षड़यन्त्र का मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी तथा उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त नियोजन अथवा आरक्षण के अन्य लाभ से मुझे वंचित किया जा सकेगा।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

प्रपत्र–XV

क्रीमीलेयर रहित होने संबंधी स्व–घोषणा पत्र

(यह आवेदक/आवेदिका द्वारा पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र के साथ समर्पित किया जाएगा)

मैं.. पिता ....

पति/पत्नी.. निवासी, ग्राम/कस्बा/शहर...

.... पोस्ट... थाना..

अंचल ....जिला.. राज्य...

एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं .... समुदाय का/की हूँ जो कि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या–360112/22/93 स्था0 (एस0सी0टी0)/झारखण्ड राज्य के संकल्प सं0................, दिनांक.............. में निहित आदेश के अनुसार नियोजन/नामांकन में आरक्षण के प्रयोजन से भारत सरकार/झारखण्ड सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के रूप में मान्य है।

2. यह कि मुझे झारखण्ड राज्य के जिला ...., अंचल .... के द्वारा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र संख्या– .... दिनांक .... निर्गत है।

3. मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि विगत तीन वित्तीय वर्ष के दौरान मेरे माता–पिता की वार्षिक आय आठ (8) लाख रुपये से कम होने के कारण मैं क्रीमीलेयर में नहीं आता/आती हूँ।

4. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे माता–पिता दिनांक 08.09.1993 एवं 13.09.2017 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम–3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं हैं।

5. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि भविष्य में मेरी उपर्युक्त स्व–घोषणा गलत पाई जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त आरक्षण एवं अन्य आनुषंगिक सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा0द0वि0 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मेरे विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक/आवेदिका (घोषणाकर्त्ता) का हस्ताक्षर

पत्रांक–14 / जा0नि0–03–06 / 2019 का0 6878

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

के0 के0 खण्डेलवाल,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / उपायुक्त,
सभी अनुमंडल पदाधिकारी / सभी अंचलाधिकारी
सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।
सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची।
परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, राँची।

दिनांक– 30/08/2019

विषय :– स्थानीय जांच के माध्यम से जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में अद्यतन अनुदेश एवं प्रपत्र जारी किये गये हैं। उक्त परिपत्र की कंडिका 13 के अनुसार झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा से आच्छादित कोई व्यक्ति इस राज्य में स्वतः आरक्षण की सुविधा पाने के लिए अधिकृत नहीं है। उपर्युक्त कंडिका–6 (घ) में उल्लिखित भू–अभिलेख / रेकर्ड ऑफ राइटस / भूमि निबंधन कागजात, जिस अभिलेख के आधार पर जाति का निर्धारण प्रायः किया जाता है, के नहीं होने की स्थिति / संशय की स्थिति में अथवा आवेदक के भूमिहीन होने की स्थिति में स्थानीय जाँच की प्रक्रिया अपना कर जाति का निर्धारण करते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है।

स्थानीय जांच के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की समय सीमा निर्धारित करने का मामला सरकार के समक्ष पर विचाराधीन था। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि इस सेवा अर्थात् स्थानीय जांच के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की अधिकतम समय–सीमा 45 दिनों की होगी।

विभागीय परिपत्र की कंडिका 13(i) में स्थानीय जांच हेतु आवेदक को अपनी जाति विशेष के संबंध में नोटरी के माध्यम से शपथ पत्र के साथ अंचल अधिकारी के समक्ष आवेदन समर्पित करने का प्रावधान है। इस संदर्भ में नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ पत्र का आदर्श प्रारुप भी संलग्न किया जा रहा है।

अनुरोध है कि विभागीय परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत उपरोक्त निर्धारित समय–सीमा के भीतर स्थानीय जांच की प्रक्रिया पूरी करते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(के0 के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

F:\chandan\letter 2019.docx

[redacted]

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 के आलोक में जाति निर्धारण हेतु स्थानीय जांच हेतु शपथ पत्र का आदर्श प्रारुप

(नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ पत्र के रूप में)

1. मैं .... पिता श्री.. वर्तमान में ग्राम/ शहर..................................., पोस्ट..................................... थाना.............. .... प्रखण्ड..अनुमंडल..................................... जिला..... .... राज्य.................................. में निवास करता/करती हूँ।

2. मैं/मेरे पूर्वज वर्ष .... से ग्राम/ शहर..., पोस्ट.., थाना.............................., प्रखण्ड..., अनुमंडल...................................., जिला.. राज्य................................. में स्थायी रुप से निवासित रहे है।

3. मेरे पिता की जाति .... है, जो झारखण्ड राज्य की अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनुसूची–1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) अथवा झारखण्ड राज्य के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में दर्ज है।

4. मुझे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 की कंडिका–13 के आलोक में स्थानीय जाँच के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, क्योंकिः–

(क) मैं/मेरे पूर्वज के पास भू–अभिलेख/रेकर्ड ऑफ राइट्स/भूमि निबंधन कागजात नहीं है।

(ख) मैं/मेरे पूर्वज के भू–अभिलेख/रेकर्ड ऑफ राइट्स/भूमि निबंधन कागजात में अंकित जाति में संशय की स्थिति है।

(ग) मैं/मेरे पूर्वज भूमिहीन हैं।

(जो लागू न हों, उसे काट दिया जाय।)

5. मैं एतद् द्वारा शपथ पूर्वक यह घोषित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी में पूर्णतः सही एवं सत्य हैं।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

पत्रांक :– 14/जा0नि0–03–13/2015 (खण्ड) का0 6267 /

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

के0 के0 खण्डेलवाल,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 02.08.2019

विषय :– केन्द्रीय संस्थानों/प्राधिकारों द्वारा वांछित प्रपत्र में ऑफलाईन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में अनुदेश।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक मामले में विभिन्न प्राधिकारों/स्त्रोंतो से ऐसी सूचना मिल रही है कि राज्य सरकार से इतर केन्द्र सरकार के कतिपय संस्थानों/प्राधिकारों एवं अन्य संस्थानों में नियुक्ति अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए उक्त प्राधिकार/संस्थान के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र की मांग की जाती है, जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र से भिन्न होता है।

उल्लेखनीय है कि राज्य में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में विभागीय परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 द्वारा विस्तृत अनुदेश एवं विहित प्रपत्र जारी किए गए हैं। उक्त परिप्रेक्ष्य में ऐसे मामलों में विभागीय अनुदेश के आलोक में सक्षम स्तर से निर्गत ऑन लाईन जाति प्रमाण पत्र के आधार पर राज्य सरकार से इतर केन्द्र सरकार के कतिपय संस्थानों/प्राधिकारों एवं अन्य संस्थानों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र ऑफ लाईन निर्गत किए जा सकते हैं। ऐसे प्रमाण पत्र आवेदक के अनुरोध पर सम्बन्धित प्राधिकारों द्वारा विहित प्रक्रियानुसार ऑन लाईन जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के उपरान्त जारी किए जा सकेंगें बशर्ते कि ऑनलाइन निर्गत प्रमाण पत्र में अंतर्निहित सूचना से भिन्न कोई सूचना ऑफलाईन प्रमाण पत्र में अंकित न हो। उक्त जाति प्रमाण पत्र में यह निश्चित रूप से अंकित किया जाएगा कि यह प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ऑनलाईन जाति प्रमाण पत्र संख्या/दिनांक के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। ||

विश्वासभाजन,

2/8/19

(के0 के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

पत्रांक : 14/जा0नि0–19–11/2008 (खण्ड) का0 5319 /

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

के0 के0 खण्डेलवाल,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 05/07/2019

विषय :— जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :— विभागीय पत्रांक–1754, दिनांक–25.02.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि प्रसंगाधीन पत्र द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में विस्तृत अनुदेश एवं प्रपत्र जारी किए गए हैं।

उक्त परिपत्र की कंडिका–6 (घ) में उल्लिखित भू–अभिलेख/रेकर्ड ऑफ राइट्स/भूमि निबंधन कागजात, आदि अभिलेख के आधार पर जाति का निर्धारण करने का प्रावधान है। किन्तु यदि किसी आरक्षित कोटि के आवेदक के पास भू–अभिलेख नहीं है अथवा धारित भू–अभिलेख में संशय की स्थिति है या आवेदक भूमिहीन है तो ऐसे आवेदकों के लिए स्थानीय जाँच की प्रक्रिया पूरी पर जाति निर्धारण करने का प्रावधान प्रासंगिक परिपत्र की कंडिका 13 में किया गया है।

किन्तु इस संबंध में प्रायः ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि स्थानीय जाँच की प्रक्रिया के तहत जाति निर्धारण करने में कतिपय पदाधिकारियों द्वारा टाल–मटोल किया जाता है एवं जानबुझकर लंबित रखा जाता है, जिससे आमजनों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में अत्यन्त कठिनाई होती है। इस प्रकार की लापरवाही/शिथिलता स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इससे सरकार की छवि धूमिल होती है।

अतएव स्थानीय जाँच के माध्यम से जाति निर्धारण के संबंध में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर त्वरित निष्पादन सुनिश्चित कराया जाय।

2. समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि विभिन्न जिलों में जाति एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के आवेदन बड़ी संख्या में लंबित हैं, जिससे आवेदकों को शिक्षण संस्थानों में नामांकन/प्रतियोगिता परीक्षाओं के आवेदन करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे आवेदनों को लंबित रखना कर्तव्य के प्रति उदासीनता माना जाएगा, जिसके आधार पर दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी आरंभ की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि सभी मामलों में लंबित आवेदनों को दिनांक–10.07.2019 तक निष्पादित कराना सुनिश्चित किया जाय एवं जाति प्रमाण पत्र/स्थानीय निवासी प्रमाण/स्थानीय जाँच प्रतिवेदन के लंबित मामले का प्राथमिकता के साथ प्रत्येक सप्ताह अपने स्तर पर अनुश्रवण किया जाय। कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराया जाय।

विश्वासभाजन,

5/7/19

(के0 के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

E:\chandan\letter 2019.docx

पत्रांक :— 14 / वि0वि0प0—10—04 / 2019 का0 4258 /

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

दीपक कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सचिव,
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,
राँची।

राँची, दिनांक 30/05/2019

विषय :— जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक—3156, दिनांक—04.04.2019 के प्रसंग में कंडिकावार वांछित मार्गदर्शन निम्नवत् है:—

कंडिका	आयोग द्वारा अपेक्षित मार्गदर्शन	मार्गदर्शन
3(क)	अंचलाधिकारी द्वारा वर्तमान परिचालित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे अथवा पूर्व की प्रक्रिया के अनुसार अनुमण्डल पदाधिकारी एवं उपायुक्त के स्तर से पूर्व में प्रभावी प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे।	विभागीय परिपत्र सं0—1754, दिनांक—25.02.2019 के पूर्व सक्षम प्राधिकार यथा—अनुमण्डल पदाधिकारी / उपायुक्त द्वारा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्समय प्रभावी प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे। किन्तु विभागीय परिपत्र सं0—1754, दिनांक—25.02.2019 की कंडिका 1 के अनुसार अंचलाधिकारी द्वारा दिनांक—25.02.2019 के पश्चात् निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी पूर्ण रूप से मान्य होंगे।
3(ख)	प्रासंगिक पत्र के निर्गत होने की तिथि 25.02.2019 से वर्तमान प्रभावी प्रपत्र में अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे अथवा इस तिथि से पूर्व भी अंचलाधिकारी द्वारा पूर्व प्रभावी प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी भूतलक्षी प्रभाव से मान्य होंगे।	विभागीय पत्रांक—6689, दिनांक—24.07.2013 द्वारा यह संसूचित है कि अनुमण्डल पदाधिकारी से अन्यून पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र नौकरी एवं प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हाने हेतु मान्य नहीं होंगे। विभागीय पत्रांक—1754, दिनांक— 25.02.2019 द्वारा सरकारी सेवाओं में नियोजन एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से मान्य किया गया है। ऐसी स्थिति में दिनांक—25.02.2019 द्वारा दिए गए निदेश एवं प्रपत्र के अनुसार अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। अन्य कारणों से अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी मान्य हो सकता है। इसके अतिरिक्त पूर्व में प्रभावी प्रावधानों के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी / उपायुक्त के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी वैध अवधि के लिए मान्य रहेंगे।

3(ग)	कंडिका 8.2 में पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 वर्गों के लिए क्रीमीलेयर में नहीं हाने के संबंध में स्वघोषणा पत्र मान्य होने का निदेश है। ऐसे में दिनांक–25.02.2019 से पूर्व के प्रपत्र में क्रीमीलेयर में नहीं होने के संबंध में जाति प्रमाण पत्र में अंकित सूचना को वैध माना जाएगा या नहीं। ऐसे अभ्यर्थियों से स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त करने की आवश्यकता होगी या नहीं।	विभागीय पत्रांक–1754, दिनांक–25.02.2019 की कंडिका 8.2 में वर्णित है कि झारखण्ड सरकार में नियोजन/तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला में आरक्षण के लाभ प्राप्त करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की वैधता अगले आदेश तक की होगी। किन्तु क्रीमीलेयर में नही होने संबंधी अद्यतन स्वघोषणा पत्र (संलग्न फार्म सं0–15) संलग्न करने पर ही विगत वित्तीय वर्ष अथवा उसके पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य किये जायेंगे। झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के फार्म की कंडिका 4 में यह उल्लेख किया गया है कि यह प्रमाण पत्र कार्यालय ज्ञापन सं0–36012/22/93–स्था (एस.इ.टी.) दिनांक 08.09.1993 के अपवर्जनों के नियमानुसार प्रमाणित आवेदन तथा उसकी/उसके माता–पिता द्वारा किये गये घोषणा के आधार पर जारी किया जाता है तथा यह निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिये वैध होगा। किन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बधी अद्यतन स्वघोषणा पत्र संलग्न करने पर इस प्रमाण पत्र की वैद्यता स्वघोषणा पत्र समर्पित करने की वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।
3(घ)	पूर्व से प्रभावी प्रपत्र में अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त के स्तर से पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के संदर्भ में निर्गत जाति प्रमाण पत्र इसकी वैधता अवधि समाप्त होने के उपरान्त अभ्यर्थी के स्वघोषणा पत्र के आधार पर मान्य किए जाएगें अथवा नहीं।	विभागीय पत्रांक 1754, दिनांक–25.02.2019 की कंडिका 9.1 में यह स्पष्ट किया गया है कि क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र बार–बार निर्गत नहीं किए जायेंगे। पूर्व निर्गत प्रमाण पत्र की स्थिति में क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी स्वघोषणा पत्र फार्म सं0–15 में आवेदक/आवेदिका द्वारा दिया जाएगा, जो मान्य होगा।

विश्वासभाजन,
29/5/19
(दीपक कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–14/वि0वि0प0–10–04/2019 का0 4258/ राँची, दिनांक– 20/05/2019

प्रतिलिपिः–सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/5/19
सरकार के अवर सचिव।

E:\chandan\letter 2019.docx

पत्रांक–14 / आ0नी0–04–03 / 2019 का0 3180 /

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

के0 के0 खण्डेलवाल,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव / सचिव
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी उपायुक्त
सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।
सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची।
परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची।

दिनांक– 22.05.2019

विषय :– **आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं0– 1433, दिनांक– 15.02.2019 के द्वारा झारखण्ड सरकार के सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्ति में तथा संकल्प सं0– 1434, दिनांक– 15.02.2019 के द्वारा राज्य स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रुप से कमजोर नागरिकों के वर्ग हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आर्थिक रुप से कमजोर नागरिकों के वर्ग का कोई आवेदक उक्त आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकेगा।

2. संकल्प सं0– 1433, दिनांक– 15.02.2019 की कंडिका 5.1 एवं 5.2 के आलोक में निम्नलिखित सक्षम प्राधिकार के द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी आवश्यक दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक सत्यापित करने के उपरान्त आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा :–

(i) उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी / अपर जिला दण्डाधिकारी / अपर उपायुक्त / अपर समाहर्त्ता / अनुमण्डल दण्डाधिकारी / कार्यपालक दण्डाधिकारी / सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी,

(ii) अचल अधिकारी

3. आय एवं सम्पति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आर्थिक रुप से कमजोर नागरिकों के वर्ग का कोई व्यक्ति आवेदन–सह–घोषणा पत्र का विहित प्रपत्र, परिशिष्ट–1 में तथा अवयस्क आवेदक होने की स्थिति में परिशिष्ट–2 में आवेदन समर्पित कर सकेगा। तत्काल सेवा के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक को परिशिष्ट 3 में आवेदन अलग से समर्पित करना होगा।

4. आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के निमित्त निवास के बिन्दु के सम्बन्ध में विभागीय संकल्प संख्या–3198 दिनांक 18.04.2016 में निर्धारित "झारखण्ड के स्थानीय निवासी" की परिभाषा एवं पहचान से सम्बन्धित मानदण्डों/शर्तों को अंगीकृत कर यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक के लिए निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः आवेदक के द्वारा आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विभागीय संकल्प सं0 3198 दिनांक–18.04.2016 के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं पहचान हेतु विभागीय परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 की कंडिका 6(ङ) में उल्लिखित किसी एक दस्तावेज को आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

5. आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग का दर्जा निर्धारित करने के लिए विभागीय संकल्प सं0–1433, दिनांक–15.02.2019 की कंडिका 4.1 में निर्धारित मानदंडों का अनुपालन करते हुए आवेदक के परिवार की आवेदन वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष के सभी स्रोतों से होने वाली कुल आय एवं परिसम्पत्ति की गणना की जाएगी एवं कंडिका 4.2 के अनुसार परिवार के द्वारा धारित विभिन्न लोकेशन अथवा स्थानों/शहरों में अवस्थित भूमि एवं सम्पत्ति के कुल योग के आधार पर आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। कंडिका 4.3 के अनुसार इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में आवेदक, उसके पति/पत्नी, उसके माता–पिता, 18 वर्ष से कम उम्र के भाई–बहन तथा अठारह वर्ष से कम उम्र की संतान सम्मिलित होंगे।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक– परिशिष्ट 1, 2 एवं 3।

विश्वासभाजन

(के0 के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14/आ0नी0–04–03/2019 का0 3180 / राँची, दिनांक– 22.02.2019

प्रतिलिपि:– अनुलग्नक की प्रति सहित राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

परिशिष्ट–1

आवेदन–सह–घोषणा पत्र

आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र (वित्तीय वर्ष..................) हेतु

1. व्यक्तिगत विवरण

1	आवेदक/आवेदिका का नाम :–					
2	स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (संख्या/दिनांक) :–					
3	मोबाईल नं० (यदि हो तो) :–					
4	जन्म तिथि :–	5	लिंग	पुरूष( )	महिला ( )	ट्रांसजेंडर ( )
6	जाति*	7	धर्म :–			
8	आवासीय पता :–					
(क)	स्थाई पता :– गाँव/मुहल्ला .... प्रखण्ड .... डाकघर .... थाना .... अनुमण्डल .... जिला .... पिन .... राज्य					
(ख)	वर्त्तमान पता :–गाँव/मुहल्ला .... प्रखण्ड .... डाकघर .... थाना .... अनुमण्डल .... जिला .... पिन .... राज्य					
9	पिता का नाम :–	10	पिता की जाति :–			
11	माता का नाम :–					
12	पति का नाम :–	13	पति की जाति :–			

2. परिवार** के सदस्यों की विवरणी :–

क्र०सं०	सदस्य का नाम	आवेदक से सम्बन्ध	आवेदन की तिथि को उम्र	PAN
(i)				
(ii)				

3. आवेदन वर्ष के पूर्व का वित्तीय वर्ष....................में सभी स्रोतों से पारिवारिक** आय (यथा वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि) :–

(i)	वेतन से कुल आय	
(ii)	कृषि से कुल आय	
(iii)	व्यवसाय से कुल आय	
(iv)	पेशा से कुल आय	
(v)	अन्य स्रोत से कुल आय	
	कुल आय	

4. सम्पत्ति का विवरण (परिवार** द्वारा धारित विभिन्न स्थानों/शहरों में अवस्थित भूमि और सम्पत्ति को जोड़कर) :–

(i)	कुल कृषि योग्य भूमि(एकड़ में)	
(ii)	आवासीय फ्लैट(कुल क्षेत्रफल वर्गफीट में)	
(iii)	अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में आवासीय भू–खण्ड (कुल क्षेत्रफल वर्गगज में)	
(iv)	अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में आवासीय भू–खण्ड (कुल क्षेत्रफल वर्गगज में)	

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि यदि भविष्य में मेरी उपर्युक्त घोषणा गलत पाई जाती है तो इसके आलोक में मुझे प्राप्त आरक्षण एवं अन्य आनुषंगिक सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मेरे विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

* आवेदक की जाति वही मानी जाएगी जो उसके पिता की जाति है।

** इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में आवेदक, उसके पति/पत्नी, उसके माता-पिता, 18 वर्ष से कम उम्र के भाई–बहन तथा अठारह वर्ष से कम उम्र की संतान सम्मिलित होंगे।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

परिशिष्ट–2

आवेदक के अवयस्क होने की स्थिति मे आवेदक के माता–पिता के द्वारा अपनी संतान के आय एवं सम्पति प्रमाण पत्र (वित्तीय वर्ष ....) हेतु आवेदन–सह–घोषणा पत्र

1. व्यक्तिगत विवरण (अवयस्क हेतु) –

1	आवेदक / आवेदिका का नाम –		
2	स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (संख्या / दिनांक) :–		
3	मोबाईल नं0 (यदि हो तो) –		
4	जन्म तिथि :–	5	लिंग | पुरूष( ) | महिला ( ) | ट्रांसजेंडर ( )
6	जाति* :–	7	धर्म :–
8	आवासीय पता :–		
(क)	स्थाई पता :– गाँव / मुहल्ला .... प्रखण्ड .... डाकघर .... थाना .... अनुमण्डल .... जिला .... पिन .... राज्य		
(ख)	वर्तमान पता :– गाँव / मुहल्ला .... प्रखण्ड .... डाकघर .... थाना .... अनुमण्डल .... जिला .... पिन .... राज्य		
9	पिता का नाम :–	10	पिता की जाति :–
11	माता का नाम :–		

2. परिवार** के सदस्यों की विवरणी :–

क्र0सं0	सदस्य का नाम	आवेदक से सम्बन्ध	आवेदन की तिथि को उम्र	PAN
(i)				
(ii)				

3. आवेदन वर्ष के पूर्व का वित्तीय वर्ष......... में सभी स्रोतों से पारिवारिक** आय (यथा वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि) :–

(i)	वेतन से कुल आय	
(ii)	कृषि से कुल आय	
(iii)	व्यवसाय से कुल आय	
(iv)	पेशा से कुल आय	
(v)	अन्य स्रोत से कुल आय	
	कुल आय	

4. सम्पत्ति का विवरण (परिवार** द्वारा धारित विभिन्न स्थानों / शहरों में अवस्थित भूमि और सम्पति को जोड़कर) :–

(i)	कुल कृषि योग्य भूमि(एकड़ में)	
(ii)	आवासीय फ्लैट(कुल क्षेत्रफल वर्गफीट में)	
(iii)	अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में आवासीय भू–खण्ड (कुल क्षेत्रफल वर्गगज में)	
(iv)	अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में आवासीय भू–खण्ड (कुल क्षेत्रफल वर्गगज में)	

मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि यदि भविष्य में मेरी उपर्युक्त घोषणा गलत पाई जाती है तो इसके आलोक में मेरे पुत्र / पुत्री को प्राप्त आरक्षण एवं अन्य आनुषंगिक सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा0द0वि0 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मेरे विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

* आवेदक की जाति वही मानी जाएगी जो उसके पिता की जाति है।

** इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में आवेदक, उसके पति / पत्नी, उसके माता–पिता, 18 वर्ष से कम उम्र के भाई–बहन तथा अठारह वर्ष से कम उम्र की संतान सम्मिलित होंगे।

पिता / माता का हस्ताक्षर

(पिता / माता का नाम :– ....)

(आवेदक के अवयस्क रहने की स्थिति में)

परिशिष्ट–3

आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में 'तत्काल सेवा' का लाभ प्राप्त करने हेतु अर्हता सत्यापन संबंधी आवेदन

(दो प्रतियों में)

सेवा में,

....

....

....

महाशय,

मुझे .... (संस्थान/कार्यालय का नाम) द्वारा दिनांक–.............................. तक आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र समर्पित करने का निदेश प्राप्त हुआ है। संबंधित संस्थान/कार्यालय के मांग पत्र की प्रति संलग्न है।

अनुरोध है कि संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन कर मेरे पक्ष में 'तत्काल सेवा' का लाभ प्राप्त करने हेतु सत्यापन निर्गत करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान–..............................

दिनांक– ....

नाम– ....

पिता/पति का नाम– ....

स्थायी पता– ....

....

मोबाईल नं0– ....

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

ज्ञापांक–..............................

दिनांक– ....

कार्यालय का नाम–..

<u>तत्काल सेवा हेतु अर्हता का सत्यापन</u>

झारसेवा पोर्टल पर आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र के लिए तत्काल सेवा प्राप्त करने के सम्बन्ध में श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता/पति का नाम .... पता.. के द्वारा प्रस्तुत आवेदन तथा उसके साथ अनुलग्न संबंधित संस्थान/कार्यालय के एतद् सम्बन्धी ज्ञापन/दस्तावेज का अवलोकन किया।

इनका आवेदन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–...................., दिनांक .... में वर्णित प्रावधान के आलोक में 'तत्काल सेवा' अन्तर्गत प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु स्वीकार करने योग्य पाया।

सत्यापन करनेवाले पदाधिकारी

का हस्ताक्षर (मुहर सहित)

नाम–..............................

पदनाम–..............................

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
अधिसूचना

संख्या–14/विविध–15–10/2018 का0 3198/ राँची, दिनांक–22.04.2019

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना सं0–1436, दिनांक–18.02.2019 द्वारा पूर्व में गठित छानबीन समिति को पुर्नगठित करते हुए एकीकृत जाति छानबीन समिति (Scrutiny Committee) का गठन किया गया है। उक्त समिति में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग की जातियों के संबंध में विशेषज्ञता रखने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्य के रुप में एतद् द्वारा मनोनीत किया जाता है:–

1. डॉ0 ज्योति लाल उरॉव, सेवानिवृत्त प्रतिकुलपति, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग (मो0 सं0–7654198884) – अनुसूचित जनजातियों के संबंध में विशेषज्ञता रखने वाले सदस्य
2. डॉ0 पारस कुमार चौधरी, प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची (मो0 सं0–9431161304) – अनुसूचित जातियों के संबंध में विशेषज्ञता रखने वाले सदस्य
3. डॉ0 एल0 एन0 राणा, सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची (मो0 सं0–9431588997) – पिछड़े वर्ग की जातियों के संबंध में विशेषज्ञता रखने वाले सदस्य

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
22/4/19
(दीपक कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–14/विविध–15–10/2018 का0 3198/ राँची, दिनांक–22.04.2019

प्रतिलिपि:– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

22/4/19
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–14/विविध–15–10/2018 का०– 3198/ राँची, दिनांक–22.04.2019

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/राज्य के सभी लोक उपक्रमों/निगमों/निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

22/4/19
सरकार के अवर सचिव।

E:\chandan\Adhisuchna.docx

ज्ञापांक–14/विविध–15–10/2018 का॰– 3198/ राँची, दिनांक–22.04.2019

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/सचिव, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/4/19

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–14/विविध–15–10/2018 का॰– 3198/ राँची, दिनांक–22.04.2019

प्रतिलिपि :– सभी सदस्य, जाति छानबीन समिति, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/4/19

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–14/विविध–15–10/2018 का॰– 3198/ राँची, दिनांक–22.04.2019

प्रतिलिपि :– प्रतिकुलपति, रांची विश्वविद्यालय, रांची/विनाबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना की प्रति डॉ0 ज्योति लाल उराँव, सेवानिवृत्त प्रतिकुलपति, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग/ डॉ0 पारस कुमार चौधरी, प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची/ डॉ0 एल0 एन0 राणा, सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची को उनके गृह पते/कार्यालय पते पर अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

22/4/19

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–14/विविध–15–10/2018 का॰– 3198/ राँची, दिनांक–22.04.2019

प्रतिलिपि :– सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसकी सूचना सभी बैंक शाखाओं को दी जाय।

22/4/19

सरकार के अवर सचिव।

पत्रांक– 14/जा0वि0– 03–13/2015 /का0, 1754

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

के0के0 खण्डेलवाल,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी उपायुक्त
सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।
सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची।
परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, राँची।

दिनांक– 25/02/2019

विषय :– जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य को जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु झारखण्ड सरकार/भारत सरकार द्वारा इससे संबंधित मार्ग–दर्शन को परिचारित करते हुए उसमें अंतर्निहित प्रक्रिया एवं शर्तों का अनुपालन करने हेतु समय–समय पर अनुदेश दिया जाता रहा है। साथ ही इन प्रमाण–पत्रों को निर्गत करने हेतु प्रमाण–पत्र का प्रपत्र भी परिचारित किया जाता रहा है।

वर्त्तमान में जाति प्रमाण पत्र के संबंध में विभिन्न स्रोतों से विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों के संबंध में विभाग को अवगत कराया गया है जिनके निराकरण के मामले सरकार के समक्ष विचाराधीन थे। जाति प्रमाण पत्र से संबंधित कठिनाइयों के निराकरण के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत अनुदेश दिये जाते हैं :–

1. सरकारी सेवाओं में नियोजन एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र पूर्ण रूप से मान्य होंगे।

2. राज्य सरकार से इतर प्राधिकारों/अन्य संस्थानों में नियुक्ति अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए यदि अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की माँग की जाती है तो ऐसे मामलों में अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र के आधार पर उच्चाधिकारी द्वारा ऑनलाईन प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

3. वांछित प्रमाण–पत्र हेतु आवेदक/आवेदिका द्वारा विहित प्रपत्र में पूर्णरूपेण भरे गये आवेदन, सुसंगत स्व–घोषणा पत्र अर्थात् आवेदक/आवेदिका द्वारा दिये जाने वाले घोषणा पत्र सहित ऑनलाईन जमा किये जायेंगे।

4. अँचल अधिकारी के द्वारा झारसेवा सॉफ्टवेयर पर डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से प्रमाण पत्र संबंधी कार्यों का निष्पादन किया जायेगा। झारसेवा पोर्टल पर अंचल कार्यालय के सम्बन्धित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक अपने लॉगिन आई.डी. का प्रयोग करते हुए जाति प्रमाण पत्र सम्बन्धी आवेदन में दावे की सम्यक् जाँच कर लेंगे तथा नियमानुसार प्रस्ताव अंचल अधिकारी को ऑनलाईन समर्पित करेंगे।

5. झारखण्ड राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) तथा केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के निमित्त आवेदन हेतु निम्नलिखित अर्हता पूरी करना अनिवार्य है –

(क) आवेदक भारत का नागरिक हो।

(ख) वह या उसके पूर्वज झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में क्रमशः दिनांक–10.08.1950 एवं दिनांक–06.09.1950 तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के मामले में दिनांक–10.11.1978 तथा केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में दिनांक–08.09.1993 के पूर्व से स्थायी रूप से आवासित हो।

(ग) वह साधारणतः आवेदन में दर्ज़ पते पर निवास करता हो।

(घ) वह आवेदित जाति का सदस्य हो।

(ङ) आवेदक का कोई पहचान पत्र हो।

(च) स्व–घोषणा पत्र

6. उपर्युक्त कंडिका–5 (क) से (ङ) तक की अर्हता पूरी करने संबंधी निम्नांकित दस्तावेजों को समर्पित करना अनिवार्य होगा –

(क) नागरिक होने के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को संलग्न करना अनिवार्य होगा : –

i. स्वयं का मतदाता पहचान पत्र
ii. आवेदक के अवयस्क रहने की स्थिति में आवेदक के माता अथवा पिता का मतदाता पहचान पत्र।
iii. सत्यापित मतदाता सूची, जिसमें स्वयं अथवा माता/पिता (आवेदक के अवयस्क रहने पर) का नाम अंकित हो।
iv. स्वयं का पैन कार्ड।
v. आवेदक के अवयस्क रहने पर माता अथवा पिता का पैन कार्ड।
vi. आवेदक का पंजीयक/निबंधक द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र।
vii. कोई भी सरकारी दस्तावेज जो निर्विवाद रूप से आवेदक के भारत की नागरिकता को स्पष्ट करता हो।

(ख) जाति प्रमाण पत्र के निमित्त स्थायी रूप से निवासित होने के प्रमाण के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को संलग्न करना अनिवार्य होगा:–

i. रेकर्ड ऑफ राईटस (रिविजनल अथवा म्युनिसिपल), जिससे आवेदक अथवा उसके पूर्वज के झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में दिनांक–10.08.1950 (अनुसूचित जाति के मामले में), दिनांक–06.09. 1950 (अनुसूचित जनजाति के मामले में), दिनांक –10.11.1978 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग के मामले में) तथा दिनांक–08.09.1993 (केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में) से स्थायी रूप से निवासित होना निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता हो।

ii. भू–निबंधन कागजात, जिससे आवेदक अथवा उसके पूर्वज के झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में दिनांक–10.08.1950 (अनुसूचित जाति के मामले में), दिनांक– 06.09.1950(अनुसूचित जनजाति के मामले में) दिनांक–10.11.1978 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के मामले में) तथा दिनांक–08.09.1993 (केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में) से स्थायी रूप से निवासित होना निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता हो।

iii. अनुसूचित जाति के मामले में दिनांक–10.08.1950, अनुसूचित जनजाति के मामले में दिनांक–06.09.1950 एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के मामले में दिनांक–10.11.1978 तथा केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में दिनांक–08.09.1993 से आवासित होने की निर्विवाद रूप से पुष्टि करने संबंधी प्रमाणित मतदाता सूची।

iv. अनुसूचित जाति के मामले में दिनांक–10.08.1950, अनुसूचित जनजाति के मामले में दिनांक–06.09.1950 एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के मामले में दिनांक–10.11.1978 तथा केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में दिनांक–08.09.1993 से आवासित होने का निर्विवाद रूप से पुष्टि करने संबंधी कोई सरकारी दस्तावेज।

(ग) साधारणतः निवास (साधारणतः निवास करने का तात्पर्य वही है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा–20 के तहत परिभाषित है) करने संबंधी पता के संबंध में आवेदक को स्वघोषणा–पत्र एवं निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को संलग्न करना अनिवार्य होगा :–

i. स्वयं का अद्यतन एवं वैध मतदाता पहचान पत्र।

ii. आवेदक के अवयस्क होने पर माता अथवा पिता का अद्यतन एवं वैध मतदाता पहचान पत्र।

iii. अद्यतन विद्युत विपत्र ।

iv. अद्यतन दूरभाष विपत्र ।

v. अद्यतन जलकर विपत्र।

vi. राशन कार्ड।

vii. पासपोर्ट।

viii. ड्राईविंग लाईसेंस।

ix. आयकर निर्धारण आदेश।

x. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र।

xi. कोई भी सरकारी दस्तावेज जो आवेदक के साधारण तौर पर निवास करने को निर्विवाद रूप से प्रमाणित करता हो।

(घ) जाति प्रमाण पत्र हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को संलग्न करना अनिवार्य होगा :—

i. रेकर्ड ऑफ राईटस (रिविजनल अथवा म्युनिसिपल)।
ii. निबंधन कागजात/भू–अभिलेख/दानपत्र/भूमिहीन को आवंटित भूमि से संबंधित अभिलेख जिसमें स्पष्ट रूप से जाति अंकित हो तथा यह दिनांक–10.08.1950 (अनुसूचित जाति के मामले में), दिनांक–06.09. 1950 (अनुसूचित जनजाति के मामले में), दिनांक –10.11.1978 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के मामले में) तथा दिनांक–08.09.1993 (अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में) के पूर्व का हो।
iii. स्थानीय जाँच प्रतिवेदन कंडिका– 13 के अनुसार (उपर्युक्त कंडिका में उल्लिखित भू–अभिलेख नहीं होने पर)

(ङ) पहचान पत्र हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को संलग्न करना अनिवार्य होगा :—

i. मैट्रिकुलेशन का प्रवेश पत्र।
ii. मतदाता पहचान–पत्र।
iii. पैन कार्ड।
iv. आधार कार्ड।
v. नियोजक द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पहचान–पत्र (सिर्फ सरकारी कर्मचारी के मामले में)।
vi. पासपोर्ट।
vii. ड्राईविंग लाईसेंस।
viii. फोटोयुक्त पेंशन पेमेन्ट ऑर्डर (PPO)
ix. मनरेगा जॉब कार्ड
x. आयुष्मान भारत योजना के तहत् निर्गत हेल्थ इंश्योरेंश कार्ड
xi. फोटोयुक्त बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक

(च) संलग्न विहित प्रपत्रों की सूची के अनुसार प्रमाण–पत्र विशेष हेतु निदेशित स्व–घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7. जाति प्रमाण–पत्र जाँचोपरांत अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे। राजस्व अभिलेख की जाँच अंचल कार्यालय द्वारा की जायेगी। यदि किसी आवेदक का राजस्व अभिलेख ऐसे जिला में है जहाँ अब वह साधारणतः आवासित नहीं है, तो ऐसे मामले में मूल राजस्व अभिलेख से सम्बन्धित अंचल कार्यालय के द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा तथा सम्बन्धित जाति प्रमाण पत्र में साधारणतः निवास करने सम्बन्धी कंडिका का विवरण वही होगा जो आवेदक के द्वारा स्वघोषणा पत्र के माध्यम से समर्पित होगा। उदाहरणस्वरूप – यदि आवेदक 'मोहन' का मूल राजस्व अभिलेख राँची जिला के सिल्ली अंचल अन्तर्गत संधारित है एवं आवेदक 'मोहन' हजारीबाग में साधारणतः निवास करता है तो आवेदक 'मोहन' का जाति प्रमाण पत्र सिल्ली अंचल से निर्गत होगा एवं जाति प्रमाण पत्र के साधारणतः निवास करने सम्बन्धी कंडिका में स्थान विशेष का नाम हजारीबाग होगा। यह आवेदक 'मोहन' की स्वघोषणा पत्र पर आधारित होगा।

8. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के प्रयोजनार्थ **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति** के प्रमाण पत्र की वैधता स्थायी होगी।

8.1 झारखण्ड सरकार में नियोजन/तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला में आरक्षण के लाभ के लिए **अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)** के आवेदक को क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8.2 झारखण्ड राज्य में नियोजन/तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए **अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)** का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की वैधता अगले आदेश तक के लिए होगी, किन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी अद्यतन स्वघोषणा पत्र (संलग्न फार्म संख्या–15) संलग्न करने पर ही विगत वित्तीय वर्ष अथवा उसके पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य किये जायेंगे।

8.3 कुछ प्रयोजनों के लिए क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होकर मात्र **अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)** के जाति प्रमाण पत्र की ही आवश्यकता हो सकती है जिसका क्रीमीलेयर में होने अथवा नहीं होने से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। ऐसे प्रयोजनों को ध्यान में रखकर **अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)** के जाति प्रमाण पत्र संलग्न फार्म संख्या–6 में निर्गत किये जायेंगे।

झारखंड राज्य के अंतर्गत नियुक्तियों में अथवा उच्च शिक्षा के निमित्त तकनीकी/गैरतकनीकी संस्थानों में दाखिले के लिये आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (फार्म संख्या–11) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8.4 केन्द्रीय अन्य **पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)** के प्रमाण पत्र हेतु कंडिका–6 (घ) संबंधी भू–अभिलेख जिसमें आवेदक की जाति अंकित हो, के साथ **कंडिका–18.5** के अनुरूप आवेदक आवेदन समर्पित कर सकता है। अर्थात् केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ. बी. सी.) के प्रमाण हेतु जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना अनिवार्य नहीं है। केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ. बी. सी.) के प्रमाण पत्र की वैधता भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत प्रावधान के अनुरूप होगी।

9. क्रीमीलेयर के संबंध में भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के OM No. 36033/5/2004-Estd.(Stc) Dt. 14/10/2004 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु वार्षिक आय की गणना करने के क्रम में आवेदक/आवेदिका के माता/पिता के वेतन से आय एवं कृषि से आय को शामिल नहीं किया जायेगा। केन्द्र सरकार के इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

9.1 क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र बार–बार निर्गत नहीं किए जाएँगे। पूर्व निर्गत प्रमाण पत्र की स्थिति में क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी स्व–घोषणा पत्र फार्म संख्या–15 में आवेदक/आवेदिका द्वारा दिया जायेगा, जो मान्य होगा।

10. **आव्रजित श्रेणी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग** के सदस्यों के जाति प्रमाण पत्र हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक– B.C12025/02/76. एस0सी0टी0 दिनांक–22.03.1977 एवं

पत्रांक–B.C.-16014/182-S.C and B.C.D.I, दिनांक–22.02.1985 तथा कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक–F.No. 12011/11/94 -BCC (C) दिनांक–08.04. 1994 प्रासंगिक है, जिसके अनुसार जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु किसी व्यक्ति के किसी स्थान विशेष का होना महत्व रखता है। शिक्षा ग्रहण करने, आजीविका प्राप्त करने अथवा अन्य उद्देश्य से कई व्यक्ति दूसरे राज्य से आकर बस जाते हैं, ऐसे लोग आव्रजित श्रेणी (Migrated) में आते हैं, और इन्हें अनुमान्य आरक्षण की सुविधा उनके मूल राज्य में ही उपलब्ध होगी। झारखण्ड में आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी। इसी प्रकार यदि कोई महिला विवाह के आधार पर किसी अन्य राज्य से झारखण्ड में आव्रजित होती है तो ऐसी महिला को अनुमान्य आरक्षण की सुविधा उनके मूल राज्य में ही उपलब्ध होगी।

ऐसे आव्रजित श्रेणी के व्यक्तियों को आव्रजित श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र उनके पिता को मूल राज्य से सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्रपत्र में ऑनलाईन निर्गत किया जा सकता है, जिसमें उनके मूल राज्य का नाम अंकित होगा। अन्य राज्य से आये ऐसे लोगों को झारखण्ड राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

किसी अन्य राज्य से आव्रजित व्यक्ति के सम्बन्ध में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के क्रम में इस बात का ध्यान रखा जाय कि सम्बन्धित व्यक्ति के पिता को निर्गत जाति प्रमाण पत्र, उनके मूल राज्य में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत किया गया हो एवं सत्यापित हो। आवेदक इस निमित्त मूल राज्य से निर्गत अपने पिता के जाति प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन के साथ संबंधित अंचल अधिकारी के समक्ष ऑनलाईन समर्पित करेंगे। अंचल अधिकारी आवेदक के पिता के मूल राज्य के सक्षम पदाधिकारी को पत्र भेजकर निर्गत जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन करायेंगे तथा सत्यापन प्रतिवेदन की मूल प्रति अपने कार्यालय में संधारित करेंगे तथा इसे ऑनलाईन अपलोड करायेंगे।

10.1 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आव्रजित श्रेणी के जाति प्रमाण पत्र की वैधता स्थायी होगी।

10.2 केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0) के आव्रजित श्रेणी के प्रमाण पत्र की वैधता केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेश के अनुसार यथाविहित अवधि के लिए होगी।

11. जाति प्रमाण पत्र आवेदक के पिता की जाति के आधार पर निर्गत किया जायेगा।

12. क्रीमीलेयर का निर्धारण आवेदक के पिता एवं माता के स्टेटस/आय के आधार पर किया जायेगा। इसलिए क्रीमीलेयर निर्धारण करते वक्त आवेदक या उसके पति/पत्नी के स्टेटस या आय को ध्यान में नहीं रखा जायेगा। क्रीमीलेयर के संबंध में भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के OM No. 36033/5/2004-Estd.(Stc) Dt. 14/10/2004 द्वारा विस्तृत स्पष्टीकरण निर्गत किये गये हैं। केन्द्र सरकार के द्वारा केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में समय–समय पर निर्गत अनुदेश झारखण्ड राज्य में प्रभावी होंगे, जिसका अनुपालन कर क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र का निष्पादन किया जा सकेगा।

13. झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा से आच्छादित कोई व्यक्ति इस राज्य में स्वतः आरक्षण की सुविधा पाने के लिए अधिकृत नहीं है। उपर्युक्त कंडिका–6 (घ) में उल्लिखित भू–अभिलेख/रेकर्ड ऑफ राइटस/भूमि निबंधन कागजात, जिस अभिलेख के आधार पर जाति का निर्धारण प्रायः किया जाता है, के नहीं होने की स्थिति/संशय की स्थिति में अथवा आवेदक के भूमिहीन होने की स्थिति में स्थानीय जाँच की निम्न प्रक्रिया अपना कर जाति का निर्धारण करते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है:–

(i) स्थानीय जाँच हेतु आवेदक को अपनी जाति विशेष के संबंध में नोटरी के माध्यम से शपथ पत्र के साथ अंचल अधिकारी के समक्ष आवेदन समर्पित करना होगा।

(ii) अंचल अधिकारी ऐसे आवेदन का अभिलेख खोलकर आवेदक के दावा के संबंध में 15 दिनों का नोटिस निर्गत करेंगे तथा इसे कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रकाशित करेंगे।

(iii) अंचल अधिकारी, आवेदक के जाति विशेष के दावा के संबंध में अंचल निरीक्षक से स्थल जाँच कराकर, प्रकाशित नोटिस के संबंध में प्राप्त आपत्ति तथा अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन को संबंधित मुखिया/वार्ड पार्षद को ग्राम सभा (ग्रामीण क्षेत्र के लिए)/वार्ड समिति (नगर निकाय क्षेत्र के लिए) का मंतव्य प्राप्त करने हेतु भेजेंगे।

वार्ड समिति/ग्राम सभा आवेदक/उनके पूर्वज की जाति के सूचीकरण की तिथि से उक्त क्षेत्र में लगातार निवास करने या आवासन एवं उनके जाति के सम्बन्ध में आवेदक के पिता/पूर्वज के सम्बन्ध में कंडिका–6 (क) से (ङ) (घ को छोड़कर) में वर्णित कागजात इत्यादि की जाँच कर सुस्पष्ट प्रतिवेदन मंतव्य के साथ वार्ड पार्षद/मुखिया को उपलब्ध करायेंगे (चेक लिस्ट संलग्न– देखें प्रपत्र–XIV)।

(iv) वार्ड पार्षद/मुखिया क्रमशः वार्ड समिति/ग्राम सभा की राय प्राप्त कर सम्बन्धित व्यक्ति की जाति का स्पष्ट उल्लेख कर प्रतिवेदन सम्बन्धित कार्यपालक पदाधिकारी नगर निकाय/अंचल अधिकारी को भेज देंगे।

(v) निकाय क्षेत्र के आवेदकों के मामले में कार्यपालक पदाधिकारी सम्यक् जाँचोपरान्त अपनी संतुष्टि के आधार पर मन्तव्य अंचल अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

(vi) अंचल अधिकारी निकाय क्षेत्र के मामले जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा स्पष्ट रूप से जाति निर्धारित कर प्रतिवेदन भेजा गया है, जाति के सम्बन्ध में पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् अभिलेख पर युक्तियुक्त आदेश पारित करेंगे तथा दावा सही पाये जाने की स्थिति में स्थानीय जाँच प्रतिवेदन निर्गत करेंगे।

(vii) ग्रामीण क्षेत्र के मामले में अंचल अधिकारी ग्राम सभा से प्राप्त प्रतिवेदन, जिसमें स्पष्ट रूप से जाति निर्धारित कर प्रतिवेदन भेजा गया हो, जाति के सम्बन्ध में पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात अभिलेख पर युक्तियुक्त आदेश पारित करेंगे तथा दावा सही पाये जाने की स्थिति में स्थानीय जाँच प्रतिवेदन निर्गत करेंगे।

आवेदन के साथ दायर शपथ पत्र में आवेदक को यह अंकित करना अनिवार्य होगा कि भविष्य में आवेदक को निर्गत प्रमाण पत्र गलत पाये जाने की स्थिति में इसे आवेदक के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति/पिछड़ा वर्ग को संविधान प्रदत्त अधिकार/सुविधा को हरण करने का कपटपूर्ण कार्य समझा जाएगा तथा इसके लिए उनके विरूद्ध आपराधिक षड़यन्त्र का मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी तथा उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त नियोजन अथवा आरक्षण के अन्य लाभ से उन्हें वंचित किया जा सकेगा।

14. उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार निर्गत जाति प्रमाण पत्र यदि कालान्तर में गलत पाया जाता है, तो गलत जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया से सम्बद्ध अधिकारी/कर्मचारी/ जनप्रतिनिधि जिनके द्वारा जानबूझ कर गलत जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में सहयोग किया गया है, उनके विरूद्ध जांचोपरान्त आपराधिक षड़यन्त्र का मामला दर्ज करने की कार्रवाई की जा सकती है।

15. कतिपय मामले में खतियान एवं निबंधन कागजात में व्यक्ति की जाति हिन्दू, मुस्लिम, मारवाड़ी, क्रिस्तान आदि अंकित पाये गये हैं तथा ऐसे व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की किसी विशेष जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवेदन समर्पित करते हैं, तो ऐसे सभी मामलों में कंडिका–13 में उल्लिखित जाँच प्रक्रिया के अनुसार जाति निर्धारण कर प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

16. विस्थापित व्यक्तियों के मामले में उनके खतियान में अंकित जाति का प्रमाण पत्र खतियान से संबंधित अंचल कार्यालय के द्वारा निर्गत किया जायेगा। परन्तु ऐसे मामले में आवेदक को भू–अभिलेख/भूमि अधिग्रहण संबंधी दस्तावेज/पुनर्वास प्रमाण पत्र तथा उनको पुनर्वासित स्थान अथवा आवेदित पते पर साधारणतः निवासित होने संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।

17. जाति प्रमाण पत्र में जाति का नाम उसी रूप में अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, जिस रूप में जाति की सम्बद्ध सूची में नाम अंकित है, इसकी वर्तनी (Spelling) में परिवर्तन भी अनुमान्य नहीं है।

18. विभिन्न श्रेणी के जाति प्रमाण पत्रों को निर्गत करने हेतु इस अनुदेश के साथ विहित आवेदन प्रपत्र, स्वघोषणा पत्र का प्रपत्र एवं मानक प्रमाण पत्र का प्रपत्र परिचारित किये जा रहे हैं। विभिंन्न श्रेणी के प्रमाण पत्रों के आवेदन हेतु संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की मानक सूची निम्नवत् है :–

क्र0	प्रमाण पत्र की श्रेणी	आवश्यक कागजात एवं प्रपत्र की विवरणी
18.1	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र (केन्द्र प्रयोजनार्थ एवं राज्य प्रयोजनार्थ) प्रपत्र–IV एवं V	1. आवेदन विहित प्रपत्र–1A
		2. आवेदक का स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र–II
		2A. आवेदक के पिता/माता का स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र–III (आवेदक के अवयस्क होने की दशा में)
		3. जाति से संबंधित अभिलेख (देखे कंडिका– 6 (घ)
		3.A जाति से संबंधित अभिलेख नहीं होने पर स्थानीय जाँच प्रतिवेदन (देखें कंडिका–13)
		4. नागरिकता की पुष्टि हेतु कोई एक दस्तावेज (देखे कंडिका– 6 (क)

		5. स्थायी तौर पर निवास करने संबंधी कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका– 6 (ख)
		6. साधारणतः निवास करने संबंधी कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका– 6 (ग)
		7. आवेदक के पहचान पत्र का कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका – 6 (ङ)
18.2	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन का प्रपत्र (आव्रजित श्रेणी के आवेदकों हेतु) प्रपत्र– XII	1. आवेदन विहित प्रपत्र–1(A)
		2. आवेदक के जाति के संबंध में स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र–II
		3. आवेदक के पिता/माता का स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र–III (आवेदक के अवयस्क होने की दशा में)
		4. आवेदक के पिता को उनके मूल राज्य से निर्गत जाति प्रमाण पत्र (देखें कंडिका–10)
		5. साधारणतः निवास करने संबंधी कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका– 6 (ग)
		6. आवेदक के पहचान पत्र का कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका – 6 (ङ)
18.3	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) जाति प्रमाण पत्र प्रपत्र– VI झारखण्ड राज्य में नियोजन एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के दावा को छोड़कर अन्य प्रयोजनार्थ	1. आवेदन विहित प्रपत्र–1 (B)
		2. आवेदक का स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र–II
		2A. आवेदक के पिता/माता का स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र–III (आवेदक के अवयस्क होने की दशा में)
		3. जाति से संबंधित अभिलेख (देखें कंडिका– 6 (घ)
		4. नागरिकता की पुष्टि हेतु कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका – 6 (क)
		5. स्थायी तौर पर निवास करने संबंधी कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका– 6 (ख)
		6. साधारणतः निवास करने संबंधी कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका– 6 (ग)
		7. आवेदक के पहचान पत्र का कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका – 6 (ङ)
18.4	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) जाति प्रमाण पत्र (क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ) प्रपत्र– XI झारखण्ड राज्य में नियोजन एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्रयोजनार्थ	1. आवेदन विहित प्रपत्र–VII
		2. आवेदक का स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र–VIII
		2A. आवेदक के पिता/माता का स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र–IX (आवेदक के अव्यस्क होने की दशा में)
		3. जाति से संबंधित अभिलेख (देखें कंडिका–6 घ)
		3.A जाति से संबंधित अभिलेख नहीं होने पर स्थानीय जाँच प्रतिवेदन (देखें कंडिका–13)
		4. नागरिकता की पुष्टि हेतु कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका– 6 क)
		5. स्थायी तौर पर निवास करने संबंधी कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका 6–ख)
		6. साधारणतः निवास करने संबंधी कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका– 6 ग)
		7. आवेदक के पहचान पत्र का कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका– 6 ङ)
18.5	अन्य पिछडा वर्ग (ओ० बी० सी०) प्रपत्र– X	1. आवेदन विहित प्रपत्र–VII
		2. आवेदक का स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र–VIII
		2A. आवेदक के पिता/माता का स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र–IX

	केन्द्रीय सेवाओं एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्रयोजनार्थ	(आवेदक के अवयस्क होने की दशा में)
		3. जाति से संबंधित अभिलेख (देखें उपर्युक्त कंडिका– 6 (घ) अथवा वैकल्पिक तौर पर उपर्युक्त प्रक्रिया के तहत पूर्व में निर्गत जाति प्रमाण पत्र
		4. नागरिकता की पुष्टि हेतु कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका– 6 क)
		5. स्थायी तौर पर निवास करने संबंधी कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका– 6 ख)
		6. साधारणतः निवास करने संबंधी कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका– 6 ग)
		7. आवेदक के पहचान पत्र का कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका– 6 ङ)
18.6	आव्रजित श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र हेतु (क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ) प्रपत्र– XIII	1. आवेदन विहित प्रपत्र–VII
		2. आवेदक की जाति के संबंध में स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र–VIII
		3. आवेदक के पिता/माता का स्वघोषणा पत्र विहित प्रपत्र–IX (आवेदक के अवयस्क होने की दशा में)
		4. आवेदक के पिता को उनके मूल राज्य से निर्गत जाति प्रमाण पत्र (देखें कंडिका 10)
		5. साधारणतः निवास करने संबंधी कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका– 6 ग)
		6. आवेदक के पहचान पत्र का कोई एक दस्तावेज (देखें कंडिका– 6 ङ)

19. राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति के द्वारा यदि किसी जाति प्रमाण पत्र की वैधता के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी/आदेश पारित किया जाता है तो सम्बन्धित अंचल अधिकारी ऐसे जाति प्रमाण पत्र को रद्द/निरस्त करेंगे तथा इसकी सूचना सभी उच्चाधिकारियों/सम्बन्धित प्रमाण पत्र धारक को देंगे। साथ ही सूचना पट्ट एवं समाचार पत्र के माध्यम से इसकी सूचना प्रकाशित करेंगे।

19.1 सम्बन्धित अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि सम्बन्धित रद्द/निरस्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उनके कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया हो तो उसे भी रद्द/निरस्त कर दिया जाय।

20. जाति प्रमाण पत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र निर्गत करने संबंधी राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत सभी परिपत्र/आदेश/संकल्प आदि के असंगत अंश विलोपित किए जाते हैं।

21. विभिन्न प्रमाण पत्रों/आवेदन पत्रों/स्व–घोषणा पत्रों के विहित प्रपत्र संलग्न हैं।

22. नयी व्यवस्था झारसेवा सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्द्धन के उपरान्त 01 मार्च, 2019 के प्रभाव से लागू होगी।

अनुलग्नक–विहित प्रपत्रों की सूची।

विश्वासभाजन

(के0के0 खण्डेलवाल)
अपर मुख्य सचिव।

विहित प्रपत्रों की सूची

क्रमांक	विषय वस्तु	फॉर्म संख्या	पृष्ठ संख्या
1	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन का प्रपत्र	प्रपत्र – I (A)	
2.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) प्रमाण पत्र हेतु आवेदन का प्रपत्र	प्रपत्र – I (B)	
3	आवेदक के द्वारा स्वयं के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) प्रमाण पत्र हेतु घोषणा पत्र	प्रपत्र – II	
4	आवेदक के पिता/माता के द्वारा अपनी संतान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) प्रमाण पत्र हेतु घोषणा पत्र (आवेदक के अवयस्क होने की दशा में)	प्रपत्र – III	
5	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का मानक प्रपत्र (झारखण्ड सरकार के प्रयोजनार्थ)	प्रपत्र – IV	
6	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का मानक प्रपत्र (भारत सरकार के प्रयोजनार्थ)	प्रपत्र – V	
7	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) प्रमाण पत्र का मानक प्रपत्र (झारखण्ड सरकार के प्रयोजनार्थ)	प्रपत्र – VI	
8	ओ० बी० सी०/बी० सी०-I एवं बी०सी०-II (क्रीमीलेयर रहित) प्रमाण पत्र हेतु आवेदन का प्रपत्र	प्रपत्र – VII	
9	आवेदक के द्वारा स्वयं के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के जाति प्रमाण पत्र निमित्त क्रीमीलेयर हेतु घोषणा पत्र	प्रपत्र – VIII	
10	आवेदक के पिता/माता के द्वारा संतान के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/ पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के जाति प्रमाण पत्र निमित्त क्रीमीलेयर हेतु घोषणा पत्र	प्रपत्र – IX	
11	अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र का मानक प्रपत्र (भारत सरकार के प्रयोजनार्थ)	प्रपत्र – X	

12	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) प्रमाण पत्र का मानक प्रपत्र (क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)	प्रपत्र –XI	
13	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का मानक प्रपत्र (आव्रजित श्रेणी के आवेदकों हेतु)	प्रपत्र –XII	
14	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) प्रमाण पत्र का मानक प्रपत्र (आव्रजित श्रेणी के आवेदकों हेतु)	प्रपत्र –XIII	
15	ग्राम सभा/वार्ड समिति के द्वारा जाति निर्धारण हेतु चेक लिस्ट	प्रपत्र –XIV	
16	क्रीमीलेयर रहित होने संबंधी स्व–घोषणा पत्र	प्रपत्र –XV	

प्रपत्र - I(A)

आवेदन का प्रपत्र

(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र हेतु)

1	आवेदक/आवेदिका का नाम :–		
2	आधार संख्या (यदि हो तो) :–		
3	मोबाईल नं0 (यदि हो तो) :–		
4	जन्म तिथि :–	5 लिंग	पुरूष( ) महिला ( ) ट्रांसजेंडर ( )
6	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (उल्लेख करें) :–	7. उपजाति :–	
8	धर्म :–		
9	आवासीय पता :–		
(क)	स्थाई पता :– गाँव/मुहल्ला .... प्रखण्ड .... डाकघर .... थाना .... अनुमण्डल .... जिला .... पिन .... राज्य		
(ख)	वर्त्तमान पता :– गाँव/मुहल्ला .... प्रखण्ड .... डाकघर .... थाना .... अनुमण्डल .... जिला .... पिन .... राज्य		
10	पिता का नाम :–		
11	पिता की जाति :–		
12	माता का नाम :–		
13	पति का नाम :–		
14	पति की जाति :–		
15	केन्द्र की सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का क्रमांक एवं संकल्प संख्या (केन्द्र सरकार के प्रयोजनार्थ प्रमाण पत्र हेतु)	क्रमांक–............ संकल्प सं0–............	
16	झारखण्ड राज्य की सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का क्रमांक एवं संकल्प संख्या (राज्य सरकार के प्रयोजनार्थ प्रमाण पत्र हेतु)	क्रमांक–............ संकल्प सं0–............	
17	आव्रजित श्रेणी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के मामले में मूल राज्य की सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का क्रमांक एवं संकल्प संख्या	क्रमांक–............ संकल्प सं0–............	
18	आव्रजित श्रेणी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के मामले में पैतृक राज्य के द्वारा पिता को निर्गत प्रमाण पत्र संख्या :– प्रमाण पत्र निर्गत करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम :–		

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। अगर सूचना गलत पायी जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरा नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत् कार्रवाई की जा सकती है।

पिता/माता का हस्ताक्षर
(पिता/माता का नाम :–............)
(आवेदक के अवयस्क रहने की स्थिति में)

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

<u>नोट :-</u>

1. आवेदक की जाति वही मानी जाएगी जो उसके पिता की जाति है।
2. आवेदक के अवयस्क होने की दशा में आवेदन उनके माता/पिता के द्वारा समर्पित किया जा सकेगा।
3. इस प्रपत्र का प्रयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के राज्य/केन्द्र प्रयोजनार्थ सहित आव्रजित श्रेणी के प्रमाण पत्र हेतु किया जा सकेगा।

प्रपत्र - I(B)

आवेदन का प्रपत्र

(अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – II) प्रमाण पत्र हेतु)

1	आवेदक/आवेदिका का नाम :–				
2	आधार संख्या (यदि हो तो) :–				
3	मोबाईल नं0 (यदि हो तो) :–				
4	जन्म तिथि :–	5	पुरूष( )	महिला ( )	ट्रांसजेंडर ( )
6	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/ पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) (उल्लेख करें) :–	7. उपजाति :–			
8	धर्म :–				
9	आवासीय पता :–				
(क)	स्थाई पता :– गाँव/मुहल्ला ______ प्रखण्ड ______ डाकघर ______ थाना ______ अनुमण्डल ______ जिला ______ पिन ______ राज्य ______				
(ख)	वर्त्तमान पता :– गाँव/मुहल्ला ______ प्रखण्ड ______ डाकघर ______ थाना ______ अनुमण्डल ______ जिला ______ पिन ______ राज्य ______				
10	पिता का नाम :–				
11	पिता की जाति :–				
12	माता का नाम :–				
13	पति का नाम :–				
14	पति की जाति :–				
15	झारखण्ड राज्य की सूची में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) का क्रमांक:– संकल्प संख्या :– (राज्य सरकार के प्रयोजनार्थ प्रमाण पत्र हेतु)				

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। अगर सूचना गलत पायी जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरा नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत् कार्रवाई की जा सकती है।

पिता/माता का हस्ताक्षर
(पिता/माता का नाम :–______)
(आवेदक के अवयस्क रहने की स्थिति में)

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

<u>नोट :–</u>

1. आवेदक की जाति वही मानी जाएगी जो उसके पिता की जाति है।
2. आवेदक के अव्यस्क होने की दशा में आवेदन उनके माता/पिता के द्वारा समर्पित किया जा सकेगा।
3. इस प्रपत्र का प्रयोग केवल अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के राज्य प्रयोजनार्थ के प्रमाण पत्र हेतु किया जा सकेगा, जिसमें क्रीमीलेयर–रहित प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे।

प्रपत्र - II

स्वघोषणा पत्र

स्वयं के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– II) प्रमाण पत्र हेतु

मैं .... पिता ....झारखण्ड राज्य का/की स्थाई निवासी हूँ और मैं/मेरे पूवर्ज दिनांक–10.08.1950(अ.ज.)/06.09.1950 (अ.ज.ज.)/10.11.1978 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग) के पूर्व से झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में अवस्थित पते–गाँव/मुहल्ला ____________ ____________ प्रखण्ड ____________डाकघर ____________ थाना ____________अनुमण्डल ____________ जिला ____________पिन कोड ____________राज्य ____________ निवासित हूँ/रहे हैं।

अथवा,

मैं .... पिता .... राज्य .... का/की मूल निवासी हूँ और मैं/मेरे पूर्वज व्यवसाय/पेशा/ आजीविका/अन्य प्रयोजन हेतु आव्रजित होकर झारखण्ड राज्य में वर्ष .... से लगातार निवासित हूँ/हैं।

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
2. मेरा आधार नं0 (यदि हो तो) :–
3. मेरा मोबाईल नं0 (यदि हो तो) :–

4. मैं गाँव/मुहल्ला ____________ प्रखण्ड ____________डाकघर ____________थाना ____________अनुमण्डल ____________ जिला ____________ पिन कोड ____________राज्य ____________ के पते पर साधारणतः निवास करता हूँ।

5. मैंनें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) कोटि की उपजाति ____________ के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन समर्पित किया है, जो कि झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) कोटि के रूप में सूचीबद्ध है।

6. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं, मौजा ____________ खाता संख्या ______ प्लॉट संख्या ______ पंचायत/वार्ड ____________ के खतियानी रैयत ____________ का/की ____________ हूँ।
   खतियानी रैयत का नाम ____________ (हाल सर्वे/साबिक सर्वे*) सर्वे वर्ष :–
   ↓
   प्रथम पीढ़ी____________
   ↓
   द्वितीय पीढ़ी____________
   ↓
   तृतीय पीढ़ी____________
   ↓
   चतुर्थ पीढ़ी____________

   * जो लागू न हो उसे काट दें।

7. मैं/मेरा परिवार झारखण्ड राज्य में स्थायी तौर पर निवासित है अथवा भूमिहीन है तथा मुझे देश के किसी अन्य राज्य से आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। अगर सूचना गलत पायी जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरा नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत् कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट :—

1. इस प्रपत्र का प्रयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के राज्य/केन्द्र प्रयोजनार्थ सहित आव्रजित श्रेणी के प्रमाण पत्र हेतु किया जा सकेगा।
2. इस प्रपत्र का प्रयोग अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के लिए भी किया जा सकेगा। परन्तु इस कोटि के क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं आव्रजित श्रेणी का प्रमाण पत्र के लिए अलग प्रपत्र में स्वघोषणा पत्र समर्पित किये जा सकेंगे।

प्रपत्र - III

घोषणा पत्र

(आवेदक के अवयस्क होने की दशा में)

आवेदक के पिता/माता के द्वारा अपनी संतान के अनुसूचित जाति/जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) प्रमाण–पत्र हेतु

मैं .... पिता ....झारखण्ड राज्य का/की स्थाई निवासी हैं और मैं/मेरे पूवर्ज दिनांक–10.08.1950 (अ॰ज॰)/06.09.1950 (अ॰ज॰ज॰)/10.11.1978 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग) के पूर्व से झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में अवस्थित पते–गाँव/मुहल्ला .... प्रखण्ड ....डाकघर .... थाना ....अनुमण्डल .... जिला ....पिन कोड ....राज्य .... निवासित हूँ/रहे हैं।

अथवा,

मैं .... पिता .... राज्य .... का/की मूल निवासी हूँ/हैं और मैं/मेरे पूर्वज व्यवसाय/पेशा/आजीविका/अन्य प्रयोजन हेतु आव्रजित होकर झारखण्ड राज्य में वर्ष .... से लगातार निवासित हूँ/हैं।

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
2. मेरा आधार नं0 (यदि हो तो) :–
3. मेरा मोबाईल नं0 (यदि हो तो) :–
4. मैं गाँव/मुहल्ला .... प्रखण्ड ....डाकघर ....थाना .... अनुमण्डल .... जिला ....पिन ....राज्य .... पर सामान्य/स्थाई रूप से निवासित हूँ।
5. मैंनें अपने पुत्र/पुत्री ....के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) कोटि की उपजाति .... के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन समर्पित किया है, जो कि झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के रूप में सूचीबद्ध है।
6. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं मौजा .... खाता संख्या .... प्लॉट संख्या .... ___ पंचायत/वार्ड .... के खतियानी रैयत .... का/की .... हूँ। (यह कण्डिका आव्रजित श्रेणी के आवेदकों के मामले में लागू नहीं है।)

खतियानी रैयत का नाम ....(हाल सर्वे/साबिक सर्वे*) सर्वे वर्ष :–

↓

प्रथम पीढ़ी..

↓

द्वितीय पीढ़ी..

↓

तृतीय पीढ़ी.. ....

↓

चतुर्थ पीढ़ी.................................. ....

* जो लागू न हो उसे काट दें।

5. मैं/मेरा परिवार झारखण्ड राज्य में स्थायी तौर पर निवासित हैं तथा मुझे/मेरे पुत्र/पुत्री को देश के किसी अन्य राज्य से आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। (यह कण्डिका आव्रजित श्रेणी के आवेदकों के मामले में लागू नहीं है।)

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। अगर सूचना गलत पायी जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरे पुत्र/पुत्री का नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत् कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक के पिता/माता का हस्ताक्षर

नोट :–

1. इस प्रपत्र का प्रयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के राज्य/केन्द्र प्रयोजनार्थ सहित आव्रजित श्रेणी के प्रमाण पत्र हेतु किया जा सकेगा।
2. इस प्रपत्र का प्रयोग अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के लिए भी किया जा सकेगा। परन्तु इस कोटि के क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं आव्रजित श्रेणी का प्रमाण पत्र के लिए अलग प्रपत्र में स्वघोषणा पत्र समर्पित किये जा सकेंगे।

प्रपत्र - IV

FORM OF CASTE CERTIFICATE TO BE ISSUED TO PERSONS BELONGING TO A SCHEDULED CASTE OR SCHEDULED TRIBES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS/ADMISSION UNDER THE GOVERNMENT OF JHARKHAND

This is to certify that .... Son/ Daughter of .... Wife of .... (in case of married woman) of Village/ Town..District/Division*.......................................of the State/Union Territory ....belongs to .... Caste/Sub-Caste under Scheduled Tribes/Schedule Caste which is approved as Scheduled Tribe/Caste for the State of Jharkhand and professes .... Religion.

2. ....* and/or* his/her* family ordinarily reside (s) in Village/Town* ....District/Division* of the State/Union Territory* of Jharkhand.

3. This certificate is valid till further orders or till any change made in SC/ST caste list for Jharkhand State.

Note :

(a) The term 'ordinarily reside' (s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950 and the place is mentioned on the basis of self-declaration by the applicant.

(b) The authorities competent to issue the caste certificate are indicated below:

(i) District Magistrate/Additional Magistrate/Collector/Additional Deputy Commissioner /Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate /Executive Magistrate/ Assistant Collector and Assistant Magistrate

(ii) Circle Officer

(c) Caste/Sub Casts enumerated in Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act -2001, as amended by the fifth and sixth schedule under section 23 and 24 respectively of Reconstitution of Bihar Act, 2000 the Constitution of (Scheduled Castes) Amendment Order, 1950 and Amendment (Schedule Tribes) Amendment Order, 1950 and Schedule Castes and Schedule Tribes Order (Amendment) Act 2002.

Signature...

Designation ....

Place........................ (with seal of office)

Date.........................

प्रपत्र–4

झारखंड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिये अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण–पत्र जारी किये जाने का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि ....
पिता .... पति ....
(विवाहित महिला के मामले में) ग्राम/नगर ...., जिला/प्रमंडल ....
.................., राज्य/संघशासित प्रदेश ...., झारखंड राज्य में यथा अनुमोदित अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अधीन .... जाति/उपजाति के सदस्य हैं तथा .... धर्म को माननेवाले हैं।

2. .... तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखंड राज्य के ग्राम/नगर .... जिला/प्रमंडल .... में निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी :

क. यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है एवं अंकित स्थान आवेदक के स्व–घोषणा पर आधारित है।

ख. जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है :

i) जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/ सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी

ii) अंचल अधिकारी

ग. बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के अधीन क्रमशः पाँचवीं और छठी अनुसूची द्वारा यथासंशोधित संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जातियों के लिये) तथा संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जनजातियों के लिये) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा गठित झारखंड में रिक्तियों और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये) के लिये आरक्षण अधिनियम 2001 ।

स्थान ....
तिथि ....

हस्ताक्षर ....
पदनाम ....
कार्यालय के सील सहित

प्रपत्र - V

FORM OF CERTIFICATE TO BE ISSUED TO PERSONS BELONGING TO A SCHEDULED CASTE OR SCHEDULED TRIBES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS/ADMISSION TO CENTRAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (CEIs), UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

This is to certify that Shri/Smt./Kumari .... Son/ Daughter of Shri/Smt. .... of Village/ Town ....District/ Division*......................................of the State/Union Territory ....belongs to the .... Caste/Tribe which is recognized as Scheduled Caste/Scheduled Tribe under :

*The Constitution (Scheduled Caste) Order, 1950

*The Constitution (Scheduled Tribe) Order, 1950

*The Constitution (Scheduled Caste) (Union Territories) Order, 1951

*The Constitution (Scheduled Tribe) (Union Territories) Order, 1951

[As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Re-organization Act, 1960, the Punjab Re-organization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1971 and the North Eastern Areas (Reorganization) Act. 1976]

*The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956.

*The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, as amended by the Scheduled Castes ans Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976

*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962

*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962

*The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.

*The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967.

*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968

*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968

*The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970

*The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978

*The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978

*The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989

* The Constitution (SC) Orders (Amendment) Act, 1990.

* The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1991.

* The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1996.

* The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2002.

* The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002.

* The Scheduled Castes and Scheduled Tribes orders (Amendment) Act, 2002.

2. Shri/Smt./Kumari* and/or* his/her* family ordinarily reside (s) in Village/Town* ....District/Division* of the State/Union Territory* of ....

3. This certificate is valid till further orders or till any change made in Central Caste list under SC/ST category for Jharkhand.

Note :

(a) The term 'ordinarily reside' (s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

(b) The authorities competent to issue the caste certificate are indicated below:

(i) District Magistrate/Additional Magistrate/Collector/Additional Deputy Commissioner /Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate /Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate)

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officer not below the rank of Tahsildar.

(iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family resides.

Signature..

Designation ....

(with seal of office)

Place.......................

Date........................

प्रपत्र — 5

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों (CEIs) में दाखिला हेतु आवेदन करने के लिये अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण–पत्र जारी किये जाने का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ...., पिता .... ग्राम/नगर ...., जिला/प्रमंडल ...., राज्य/संघशासित प्रदेश ...., निम्नलिखित के अधीन यथा मान्यताप्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधीन .... जाति/जनजाति के सदस्य हैं:–

* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950

* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950

* संविधान (अनुसूचित जाति) (संघशासित प्रदेश) आदेश, 1951

* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ शासित प्रदेश) आदेश, 1951

(अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची (संशोधन) आदेश, 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1971 और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (पुनर्गठन) अधिनियम 1976 द्वारा यथासंशोधित)

* संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956

* संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, अनुसूचित जनजाति आदेश अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 द्वारा यथासंशोधित

* संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

* संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962

* संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967

* संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968

* संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968

* संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

* संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989

* संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990

* संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991

* संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996

* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002

* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार सामान्य रूप से .... राज्य/संघशासित प्रदेश के ग्राम/नगर .... जिला/प्रमंडल .... में निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी :

क. यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है।

ख. जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है :

i) जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/तालुका दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के पद से अन्यून)

ii) मुख्य प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/अपर प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी।

iii) राजस्व पदाधिकारी, जो तहसीलदार के पद से अन्यून होगा।

iv) उस क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी जहाँ अभ्यर्थी और/अथवा उसका परिवार रहता है।

स्थान ....

तिथि ....

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

कार्यालय के सील सहित

प्रपत्र - VI

FORM OF CASTE CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY EXTREMELY BACKWARD CLASSES/ BACKWARD CLASSES UNDER THE GOVERNMENT OF JHARKHAND

This is to certify that .... Son/ Daughter of .... Wife of .... (in case of married woman) of Village/ Town...District/Division*...of the State/Union Territory ....belongs to the .... Caste which is recognized as Backward Class under : Backward Class (Annexure-I/II) of Jharkhand Reseration of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act - 2001 *** and professes .... Religion.

2. ....* and/or* his/her* family ordinarily reside (s) in Village/Town* ....District/Division* of the State/Union Territory* of Jharkhand.

3. Non-Creamy Layer certificate is required to be annexed with this certificate for seeking benifit of reservation in appointment under Govt. of Jharkhand or seeking admission in Technical/Non-technical Institution for Higher Education or any other purpose.

4. This certificate is valid till further orders or till any change made in State Caste list of Extremely Backward Classes/ Backward Classes.

Note :

(a) The term 'ordinarily reside' (s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950 and the place is mentioned on the basis of self-declaration by the applicant.

(b) The authorities competent to issue the caste certificate are indicated below:

(i) District Magistrate/Additional Magistrate/Collector/Additional Deputy Commissioner /Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate /Executive Magistrate/ Assistant Collector and Assistant Magistrate

(ii) Circle Officer

(c) Caste/Sub Casts enumerated in Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act -2001

(d) The castes included in the list of Extremely Backward Classes./Backward Classes under section- 2 of the Jharkhand Reservation of of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act -2001 vide Resolution No. 3885 Dated 05.11.2011, 801 dated 11.02.2003, 3436 dated 28.06.2004, 6337 dated 08.12.2004, 6374 dated 11.12.2004, 368 dated 19.01.2006, 2759 dated 01.06.2006, 3706 dated 15.07.2006, 4447 dated 24.08.2007,5182 dated 26.092006, 1604 dated 28.03.2007, 243 dated 11.01.2008, 5108 dated 23.09.2008, 4450 dated 01.08.2011, 5826 dated 19.09.2011, 6987 dated 26.092011, 6580 dated 20.10.2011, 8060 dated 17.12.2011, 144 dated 06.012012, 2855 dated 27.03.2012 and as revised from time to time.

Signature..

Designation ....

Place........................

(with seal of office)

Date.........................

प्रपत्र – 6

झारखंड सरकार के अधीन अत्यंत पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले जाति प्रमाण–पत्र का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि ....
पिता .... पति ....
(विवाहित महिला के मामले में) ग्राम/नगर ...., जिला/प्रमंडल ....
................., राज्य/संघशासित प्रदेश ...., ... जाति के सदस्य हैं जो झारखंड राज्य में पिछड़े वर्ग के रूप में झारखंड रिक्तियों एवं पदों के लिये आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम 2001 के अधीन मान्यताप्राप्त है तथा ये .... धर्म को मानने वाले हैं।

2. .... तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखंड राज्य के ग्राम/नगर .... जिला/प्रमंडल .... में निवास करते हैं।

3. झारखंड राज्य के अंतर्गत नियुक्तियों में अथवा उच्च शिक्षा के निमित्त तकनीकी/गैरतकनीकी संस्थानों में दाखिले के लिये आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (फार्म संख्या–11) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. यह प्रमाणपत्र अगले आदेश तक या झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की सूची में एतद्सम्बन्धी परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी :

क. यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है एवं अंकित स्थान आवेदक के स्व–घोषणा पर आधारित है।

ख. जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है :

   i) जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/ सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी

   ii) अंचल अधिकारी

ग. बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के अधीन क्रमशः पाँचवीं और छठी अनुसूची द्वारा यथासंशोधित संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जातियों के लिये) तथा संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जनजातियों के लिये) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा

गठित झारखंड में रिक्तियों और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये) के लिये आरक्षण अधिनियम 2001 ।

घ. झारखंड में रिक्तियों और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये) के लिये आरक्षण अधिनियम 2001 संकल्प सं. 3885, दिनांक 05.11.2011; 801, दिनांक 11.02.2003; 3436, दिनांक 28.06.2004; 6337, दिनांक 08.12.2004; 6374, दिनांक 11.12.2004; 368, दिनांक 19.01.2006; 2759, दिनांक 01.06.2006; 3706, दिनांक 15.07.2006; 4447, दिनांक 24.08.2007; 5182, दिनांक 26.09.2006; 1604, दिनांक 28.03.2007; 243, दिनांक 11.01.2008; 5108, दिनांक 23.09.2008; 4450, दिनांक 01.08.2011; 5826, दिनांक 19.09. 2011; 6987, दिनांक 26.09.2011; 6580, दिनांक 20.10.2011; 8060, दिनांक 17.12.2011; 144, दिनांक 06.01.2012; 2855, दिनांक 27.03.2012 द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित।

स्थान ....
तिथि ....

हस्ताक्षर ....
पदनाम ....
कार्यालय के सील सहित

प्रपत्र - VII

आवेदन का प्रपत्र

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- II)/केंन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ॰बी॰सी॰) (क्रीमीलेयर रहित) प्रमाण–पत्र हेतु

1	आवेदक/आवेदिका का नाम				
2	आधार संख्या (यदि हो तो) :– आधार कार्ड में दर्ज पता :–				
3	मोबाईल नं० (यदि हो तो) :–				
4	जन्म तिथि :–	5.	पुरूष( )	महिला ( )	ट्रांसजेंडर ( )
6	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची II)/ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ॰बी॰सी॰ केन्द्र सूची) (उल्लेख करें) :–	7. उपजाति :–			
8	धर्म :–				
9	आवासीय पता :–				
(क)	स्थाई पता :– गाँव/मुहल्ला ______ प्रखण्ड ______ डाकघर ______ थाना ______ अनुमण्डल ______ जिला ______ पिन ______ राज्य ______				
(ख)	वर्त्तमान पता :– गाँव/मुहल्ला ______ प्रखण्ड ______ डाकघर ______ थाना ______ अनुमण्डल ______ जिला ______ पिन ______ राज्य ______				
10	पिता का नाम :–				
11	पिता की जाति :–				
12	पिता का पेशा :–				
13	पिता का PAN :–				
14	माता का नाम :–				
15	माता की जन्म तिथि :–				
16	माता का पेशा :–				
17	माता का PAN :–				
18	पति का नाम :–				
19	पति की जाति :–				

20	प्रमाण पत्र की श्रेणी (जिस श्रेणी के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया जाना है, उसके सामने [] का निशान लगायें) NCL - Non Creamy Layer	1. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ॰बी॰सी॰) – केन्द्र प्रयोजनार्थ (NCL) 2. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनुसूची I) – राज्य प्रयोजनार्थ (NCL) 3. पिछड़ा वर्ग (अनुसूची II) – राज्य प्रयोजनार्थ (NCL) 4. अन्य पिछड़ा वर्ग – आव्रजित श्रेणी (NCL)	
21	केन्द्र की सूची में पिछड़ी जाति का क्रमांक एवं संकल्प संख्या (केन्द्र प्रयोजनार्थ प्रमाण पत्र हेतु)	क्रमांक–.............................. संकल्प सं0–........................	
22	झारखण्ड राज्य की सूची में पिछड़ी जाति का क्रमांक एवं संकल्प संख्या (राज्य प्रयोजनार्थ प्रमाण पत्र हेतु)	क्रमांक–.............................. संकल्प सं0–........................	
23	आव्रजित श्रेणी के केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के मामले में मूल राज्य की सूची में केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग का क्रमांक एवं संकल्प संख्या	क्रमांक–.............................. संकल्प सं0–........................	
24	आव्रजित श्रेणी के केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के मामले में पिता को निर्गत प्रमाण पत्र संख्या एवं प्रमाण पत्र निर्गत करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम	प्रमाण पत्र सं0........................ प्राधिकृत पदाधिकारी...............	
25	अभिभावक/पिता की स्थिति	पिता	माता
Category (I)	संवैधानिक पद		
	क्या आवेदक के माता/पिता संवैधानिक पद धारण करते हैं ?		
	संवैधानिक पद का पदनाम		
Category (II)	केन्द्र अथवा राज्य में नियोजन का पद		
	क्या आवेदक के माता/पिता केन्द्र/राज्य अथवा सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं ?		
	यदि हाँ, तो सरकारी सेवा में नियुक्ति से संबंधित निम्नलिखित विवरणी		
	केन्द्र अथवा राज्य की सेवा में नियुक्ति का वर्ग (ग्रुप A/B/C/D/I/II/III/IV)		
	केन्द्र अथवा राज्य की सेवा में वर्त्तमान वर्ग (ग्रुप A/B/C/D/I/II/III/IV)		
	यदि वर्ग B से वर्ग A में प्रोन्नति 40 वर्ष के बाद हुई है तो नियोजक से इस आशय का प्रमाण पत्र अनिवार्य		
	अन्तर्राष्ट्रीय सेवा में नियोजित जैसे–यूनिसेफ, यू॰ एन॰, डब्लू॰ एच॰ ओ॰		
	संगठन का नाम		
	पदनाम		
	सेवा का नाम एवं अवधि		

	क्या आवेदक के पिता केन्द्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम/राष्ट्रीयकृत बैंक/जीवनबीमा संगठन या किसी अन्य सार्वजनिक उपक्रम में कार्यपालक पद (Executive) या उच्चत्तर पद पर पदस्थापित हैं ?		
	यदि कार्यपालक पद पर 40 वर्ष के बाद प्रोन्नति की गई है, तो प्रोन्नति से संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय		
	अन्य वेतनभोगी कर्मचारी		
	संगठन का नाम		
	पदनाम		
	सेवा का नाम एवं नियुक्ति की तिथि		
Category (III)	आर्म्ड फोर्स/पारा मिलिट्री		
	पदनाम		
	क्या धारित पद आर्मी के कर्नल या उच्चत्तर पद अथवा नेवी, एयरफोर्स एवं पारा मिलिट्री फोर्स का समकक्ष पद है ?		
Category (IV)	प्रोफेशनल/स्व नियोजित एवं व्यवसाय/उद्योग/ व्यापार करने वाले व्यक्ति		
	कृपया पेशा, उद्योग एवं व्यापार के संबंध में विवरणी दें		
	कुल वार्षिक आय		
Category (V)	सम्पत्ति मालिकों के लिए		
	कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल		
	सिंचित/असिंचित भूमि का क्षेत्रफल		
	सिंचित भूमि का प्रतिशत		
	फसल की किस्म		
	यदि व्यावसायिक फसल, यथा रबर, कॉफी, चाय, मसाले इत्यादि का उत्पादन किया जाता है, तो अंतिम तीन वर्षों का वार्षिक आय (आयकर रिटर्न की विवरणी संलग्न करें)		
Category (VI)	अन्य स्रोतों से आय – प्रोफेशनल सेवा, व्यापार, वाणिज्य, किराया, इत्यादि		
	I. आय का स्रोत (वेतन एवं कृषि से आय के स्रोत को छोड़कर)		
	प्रोफेशनल सेवा		
	व्यापार		
	वाणिज्य		

	रबर, कॉफी, चाय, मसाले के उत्पादन से आय				
	किराया से आय				
	अन्य				
	II. विगत लगातार तीन वर्षों की वार्षिक आय (आयकर रिटर्न संलग्न)	रिटर्न सं0	वर्ष	राशि	
				पिता	माता

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है और पूर्ण विश्वास है कि मैं क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं हूँ और अन्य पिछड़ा वर्ग के दायरे में हूँ। अगर कोई सूचना गलत पायी गई तो मेरा नियोजन/नामांकन रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत् कार्रवाई की जा सकती है।

माता का हस्ताक्षर पिता का हस्ताक्षर आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

नोट :–

1. उपर्युक्त कंडिका 25(IV) एवं 25(V) के अन्तर्गत आनेवाले व्यक्तियों के आय निर्धारण का मानदण्ड कंडिका 25(VI) के आधार पर होगा। कंडिका 25(II) एवं 25(III) के अधीन आनेवाले आवेदक जो आरक्षण का लाभ हेतु अन्यथा पात्रता रखते हैं परन्तु यदि उनकी आय कृषि एवं वेतन को छोड़कर अन्य स्रोतों से है, तो केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित प्रतिवर्ष आय के मानदण्ड के अनुसार कंडिका 25(VI) के आधार पर क्रीमीलेयर की पात्रता निर्धारित की जायेगी।
2. इस प्रपत्र का प्रयोग अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) अथवा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के राज्य/केन्द्र प्रयोजनार्थ सहित आव्रजित श्रेणी के क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु किया जायेगा।

प्रपत्र - VIII

घोषणा पत्र

आवेदक के द्वारा स्वयं के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) का जाति प्रमाण पत्र के निमित्त (क्रीमीलेयर रहित)

मैं .... पिता .... झारखण्ड राज्य की/के स्थाई निवासी हूँ/हैं और मैं/मेरे पूर्वज दिनांक--10.11.1978 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूची I/पिछड़ा वर्ग, अनुसूची II के मामले में)/दिनांक--15.03.1993 (अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में) के पूर्व से झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में अवस्थित पते गाँव/मुहल्ला ________ प्रखण्ड ________ डाकघर ________ थाना ________ अनुमण्डल ________ जिला ________ पिन कोड ________ राज्य ________ निवासित हूँ/रहे हैं।

अथवा,

मैं .... पिता .... राज्य.................... की/के मूल निवासी हूँ/हैं और मैं/मेरे पूर्वज व्यवसाय/पेशा/ आजीविका/अन्य प्रयोजन हेतु आव्रजित होकर झारखण्ड राज्य में वर्ष ________ से लगातार निवासित हूँ/हैं।

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
2. मेरा आधार नं0 (यदि हो तो) :–
3. मेरा मोबाईल नं0 (यदि हो तो) :–
4. मैं गाँव/मुहल्ला ________ प्रखण्ड ________ डाकघर ________ थाना ________ अनुमण्डल ________ जिला ________ पिन ________ राज्य ________ के पते पर साधारणः निवास करता/करती हूँ।
5. मैंनें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/अत्यंन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के ________ जाति के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन समर्पित किया है, जो कि भारत सरकार/झारखण्ड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) अथवा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के रूप में सूचीबद्ध है।
6. मेरे माता/पिता में से कोई भी भारत सरकार/झारखण्ड सरकार के अधीन ग्रुप ए/क्लास I के पद पर अथवा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनी एवं शिक्षण संस्थान की सेवा में अथवा ग्रुप ए के समकक्ष पद पर गैरसरकारी सेवा में अथवा किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं।
7. मेरे माता और पिता (जो लागू न हो उसे काट दें) में से दोनों भारत सरकार/ झारखण्ड सरकार के अधीन ग्रुप बी/क्लास II के पद पर अथवा भारत सरकार/झारखण्ड सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनी एवं शिक्षण संस्थान की सेवा में अथवा ग्रुप बी के समकक्ष पद पर गैरसरकारी सेवा में नहीं हैं।
8. मेरे माता/पिता की वेतन से वार्षिक आय रुपये ________ है।
9. मेरे माता/पिता की कृषि से वार्षिक आय रुपये ________ है।
10. मेरे माता/पिता की अन्य स्रोत से व्यापार/व्यवसाय सहित कुल वार्षिक आय रुपये ________ है।

11. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक–08.09.93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या–360112/22/93–स्था० (एस०सी०टी०) में निहित आदेश की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं हूँ।

12. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं, मौजा ____________ खाता संख्या ____________ प्लॉट संख्या ____________ पंचायत/वार्ड ____________ के खतियानी रैयत ____________ का/की ____________ हूँ।

खतियानी रैयत का नाम ____________(हाल सर्वे/साबिक सर्वे*) सर्वे वर्ष :–

↓

प्रथम पीढ़ी____________

↓

द्वितीय पीढ़ी____________

↓

तृतीय पीढ़ी____________

↓

चतुर्थ पीढ़ी____________

* जो लागू न हो उसे काट दें।

13. मैं/मेरा परिवार झारखण्ड राज्य में स्थायी तौर पर निवासित हैं तथा मुझे देश के किसी अन्य राज्य से आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। अगर सूचना गलत पायी जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरा नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत् कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट :–

1. इस प्रपत्र का प्रयोग अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) अथवा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के राज्य/केन्द्र प्रयोजनार्थ सहित आव्रजित श्रेणी के क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के लिए स्वघोषणा हेतु किया जायेगा।
2. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के बिना क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु स्वघोषणा पत्र के लिए अलग प्रपत्र दिये गये हैं।

 प्रपत्र - IX

घोषणा पत्र

(आवेदक के अवयस्क होने की दशा में)

आवेदक के माता/पिता के द्वारा संतान के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के निमित्त क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण पत्र हेतु

मैं... पिता .... झारखण्ड राज्य का/की स्थाई निवासी हूँ और मैं/मेरे पूर्वज दिनांक–10.11.1978 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूची–I /पिछड़ा वर्ग, अनुसूची–II के मामले में)/दिनांक–15.03.1993 (अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में) के पूर्व से झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में अवस्थित पते गाँव/मुहल्ला ______________ प्रखण्ड ______________ डाकघर ______________ थाना ______________ अनुमण्डल ______________ जिला ______________ पिन कोड ______________ राज्य ______________ निवासित हूँ/रहे हैं।

अथवा,

मैं/मेरे पिता ______________ राज्य का/के मूल निवासी हूँ/हैं और मैं/मेरे पूर्वज व्यवसाय/पेशा/आजीविका/अन्य प्रयोजन हेतु आव्रजित होकर झारखण्ड राज्य में वर्ष ________ से लगातार निवासित हूँ/हैं।

1. मेरा/मेरी पुत्र/पुत्री भारत का/की नागरिक है।
2. मेरा आधार नं0 (यदि हो तो) :–
3. मेरा मोबाईल नं0 (यदि हो तो) :–
4. मैं गाँव/मुहल्ला ______________ प्रखण्ड ______________ डाकघर ______________ थाना ______________ अनुमण्डल ______________ जिला ______________ पिन ______________ राज्य ______________ के पते पर साधारणतः निवास करता हूँ।
5. मैंनें अपने पुत्र/पुत्री... के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के ______________ जाति के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन समर्पित किया है, जो कि भारत सरकार/झारखण्ड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) अथवा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के रूप में सूचीबद्ध है।
6. मेरे माता/पिता में से कोई भी भारत सरकार/झारखण्ड सरकार के अधीन ग्रुप ए/क्लास I के पद पर अथवा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनी एवं शिक्षण संस्थान की सेवा में अथवा ग्रुप ए के समकक्ष पद पर गैरसरकारी सेवा में अथवा किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं।
7. मैं/मेरी पत्नी/दोनों (जो लागू न हो उसे काट दें) भारत सरकार/ झारखण्ड सरकार के अधीन ग्रुप बी/क्लास II के पद पर अथवा भारत सरकार/झारखण्ड सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनी एवं शिक्षण संस्थान की सेवा में अथवा ग्रुप बी के समकक्ष पद पर गैरसरकारी सेवा में नहीं हैं।
8. मैं/मेरी पत्नी/दोनों की वेतन से वार्षिक आय रुपया ______________ है।
9. मैं/मेरी पत्नी/दोनों की कृषि से वार्षिक आय रुपया ______________ है।
10. मैं/मेरी पत्नी/दोनों का अन्य स्रोतों से व्यापार/व्यवसाय सहित कुल वार्षिक आय रुपया ______________ है।

11. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक–08.09.93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या–360112/22/93–स्था० (एस०सी०टी०) में निहित आदेश की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियो/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं हूँ।

12. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं मौजा .... खाता संख्या .... प्लॉट संख्या .... पंचायत/वार्ड .... के खतियानी रैयत .... का/की .... हूँ। खतियानी रैयत का नाम ....(हाल सर्वे/साबिक सर्वे*) सर्वे वर्ष :–

↓

प्रथम पीढ़ी....................

↓

द्वितीय पीढ़ी....................

↓

तृतीय पीढ़ी....................

↓

चतुर्थ पीढ़ी....................

* जो लागू न हो उसे काट दें।

13. मैं/मेरा परिवार झारखण्ड राज्य में स्थायी तौर पर निवासित हैं तथा मुझे देश के किसी अन्य राज्य से आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। (यह कण्डिका आप्रजित श्रेणी के आवेदकों के मामले में लागू नहीं है।)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। अगर कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरे पुत्र/पुत्री का नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत् कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक के पिता/माता का हस्ताक्षर

(पिता/माता का नामः–....................)

नोट :–

1. इस प्रपत्र का प्रयोग अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) अथवा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के राज्य/केन्द्र प्रयोजनार्थ सहित आप्रजित श्रेणी के क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के लिए स्वघोषणा हेतु किया जायेगा।
2. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के बिना क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु स्वघोषणा पत्र के लिए अलग प्रपत्र दिये गये हैं।

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY A MEMBER OF OTHER BACKWARD CLASSES

APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS/ADMISSION TO CENTRAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (CEIs), UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

This is to certify that Shri/Smt./Kumari .... Son/ Daughter of Shri/Smt.. of Village/ Town .... District/Division*.......................................of the State/Union Territory ....belongs to the .... Caste which is recognized as Other Backward Class under :

(i) Resolution No. 12011/68/93-BCC(C) dated 10/09/93 published in the Gazetted of India Extra Ordinary part-1, Section 1 No. 186 dated 13/09/93.

(ii) Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19/10/94 published in the Gazetted of India Extra Ordinary part-1, Section 1 No. 163 dated 20/10/94.

(iii) Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24/05/95 published in the Gazetted of India Extra Ordinary part-1, Section 1 No. 88 dated 25/05/95.

(iv) Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 09/03/96.

(v) Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 05/12/96 published in the Gazetted of India Extra Ordinary part-1, Section 1 No. 210 dated 11/12/96.

(vi) Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 03/12/97.

(vii) Resolution No. 12011/99/94-BCC dated 11/12/97.

(viii) Resolution No. 12011/68/98-BCC dated 27/10/99.

(ix) Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 06/12/99 published in the Gazetted of India Extra Ordinary part-1, Section 1 No. 270 dated 06/12/99.

(x) Resolution No. 12011/36/99-BCC dated 04/04/2000 published in the Gazetted of India Extra Ordinary part-1, Section 1 No. 71 dated 04/04/2000.

(xi) Resolution No. 12011/44/99-BCC dated 21/09/2000 published in the Gazetted of India Extra Ordinary part-1, Section 1 No. 210 dated 21/09/2000.

(xii) Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated 05/09/2001.

(xiii) Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 15/06/2003.

(xiv) Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13/01/2004.

(xv) Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16/01/2006 published in the Gazetted of India Extra Ordinary part-1, Section 1 No. 210 dated 16/01/2006.

(xvi) 12015/2/2007-BCC dated 18/08/2010.

(xvii) 12015/2/2007-BCC dated 11/10/2010.

(xviii) 12015/13/2010-BCC dated 08/12/2011.

(xix) 12015/5/2011-BCC dated 17/02/2014.

(xx) 12011/6/2014-BCC dated 07/12/2016.

2. Shri/Smt./Kumari* and/or* his/her* family ordinarily reside (s) in Village/Town* ....District/Division* of the State/Union Territory* of ....

3. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/Sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the schedule to the Government of India, Department of Personnel and Training O.M.No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 08/09/93 which is modified vide O.M.No.36033/3/2004 - Estt. (Res) dated 09.03.2004 or the latest notification of the Government of India and professes ....

4. This certificate is valid for one year from the date of issue.

Note :

(a) The term 'ordinarily reside' (s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

(b) The authorities competent to issue the caste certificate are indicated below:

(i) District Magistrate/Additional Magistrate/Collector/Additional Deputy Commissioner /Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate /Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate)

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officer not below the rank of Tahsildar.

(iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family resides.

Signature...

Designation ....

(with seal of office)

Place.........................

Date..........................

प्रपत्र – 10

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों (CEIs) में दाखिला हेतु आवेदन करने के लिये अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण–पत्र जारी किये जाने का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ...., पिता..., ग्राम/नगर ...., जिला/प्रमंडल ...., राज्य/संघशासित प्रदेश ...., निम्नलिखित के अधीन अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में यथा मान्यताप्राप्त .... जाति के सदस्य हैं:–

(i) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग-1, धारा 1 संख्या 186 दिनांक 13/09/93 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/68/9 3-बीसीसी (सी) दिनांक 10/09/93

(ii) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग -1, धारा 1 संख्या 163 दिनांक 20/10/94 में प्रकाशित संकल्प सं० 12011/9/94-बीसीसी दिनांक 19/10/94

(iii) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग -1, धारा 1 संख्या 88 दिनांक 25/05/95 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/7/95-बीसीसी दिनांक 24/05/95 ।

(iv) संकल्प सं० 12011/9 6/94-बीसीसी दिनांक 09/03/96।

(v) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग -1, धारा 1 संख्या 210 दिनांक 11/12/96 में प्रकाशित संकल्प सं० 12011/44/96-बीसीसी दिनांक 05/12/96

(vi) संकल्प सं० 12011/13/97-बीसीसी दिनांक 03/12/97।

(vii) संकल्प सं० 12011/99/94-बीसीसी दिनांक 11/12/97।

(viii) संकल्प सं० 12011/68/98-बीसीसी दिनांक 27/10/99।

(ix) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग -1 में प्रकाशित, धारा 1 संख्या 270 दिनांक 06/12/99 में प्रकाशित संकल्प सं० 12011/88/98-बीसीसी दिनांक 06/12/99 ।

(x) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग -1, धारा 1 संख्या 71 दिनांक 04/04/2000 में प्रकाशित संकल्प सं० 12011/36/99-बीसीसी दिनांक 04/04/2000 ।

(xi) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग -1 में प्रकाशित, धारा 1 संख्या 210 दिनांक 21/09/2000 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/44/99-बीसीसी दिनांक 21/09/2000 ।

(xii) संकल्प सं। 12015/9/2000-बीसीसी दिनांक 05/09/2001।

(xiii) संकल्प सं। 12011/1/2001-बीसीसी दिनांक 15/06/2003।

(xiv) संकल्प सं। 12011/4/2002-बीसीसी दिनांक 13/01/2004।

(xv) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-1, धारा 1 संख्या 210 दिनांक 16/01/2006 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/9/2004-बीसीसी दिनांक 16/01/2006

(xvi) 12015/2/2007-बीसीसी दिनांक 18/08/2010।

(xvii) 12015/2/2007-बीसीसी दिनांक 11/10/2010।

(xviii) 12015/13/2010-बीसीसी दिनांक 08/12/2011।

(xix) 12015/5/2011-बीसीसी दिनांक 17/02/2014।

(xx) 12011/6/2014-बीसीसी दिनांक 07/12/2016।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखंड राज्य के ग्राम/नगर .... जिला/प्रमंडल .... में निवास करते हैं।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यह भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापांक 36012/22/93–स्था. (SCT) दिनांक 08.09.93 की अनुसूची के स्तंभ–3 में उल्लिखित तथा कार्यालय ज्ञापन 36033/3/2004– स्था. (RES)दिनांक 09.03.2004 अथवा भारत सरकार की अद्यतन अधिसूचना द्वारा यथासंशोधित क्रीमीलेयर व्यक्ति/वर्ग के सदस्य नहीं हैं तथा ये .... धर्म को माननेवाले हैं।

4. यह प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिये वैध होगा।

टिप्पणी :

क. यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है।

ख. जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकरियों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है:

i) जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/तालुका दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के पद से अन्यून)

ii) मुख्य प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/अपर प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी।

iii) राजस्व पदाधिकारी जो तहसीलदार के पद से अन्यून होगा।

iv) उस क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी जहाँ अभ्यर्थी और/अथवा उसका परिवार रहता है।

स्थान ....

तिथि ....

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

कार्यालय के सील सहित

प्रपत्र - XI

FORM OF NON-CREAMY LAYER CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY EXTREMELY BACKWARD CLASSES/ BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS/ADMISSION TO STATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER THE GOVERNMENT OF JHARKHAND

This is to certify that .... Son/ Daughter of .... Wife of .... (in case of married woman) of Village/ Town.......................... ....District/Division*...of the State/Union Territory ....belongs to the .... Caste which is recognized as Backward Class under : Backward Class (Annexure-I/II) of Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act - 2001 *** and professes .... Religion.

2. ....* and/or* his/her* family ordinarily reside (s) in Village/Town* ....District/Division* of the State/Union Territory* of Jharkhand.

3. This is also to certify that he/she does not belong to the Persons/Sections (Creamy layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the OM No. 36012/22/93-Esst (SCT) dated 08-09-1993 of Department of Personnel and Training, Government of India as adopted by the Department of Personnel, Administrative Reforms and Official languages vide Resolution No-3482 dated 10.06.2002.

4. This certificate is issued on the basis of declaration made by applicant and his/her parents in terms of rule of exclusion enumerated in OM No. 36012/22/93-Esst (SCT) dated 08-09-1993 and is valid for one year from the date of issue. This certificate will, however, be valid if it is enclosed with current declaration of being non-creamy layer, for the financial year in which such declaration is made in the form-15 specified for the purpose.

Signature...

Designation ....

(with seal of office)

Place........................

Date.........................

प्रपत्र – 11

झारखंड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिये अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि .... पिता .... पति .... (विवाहित महिला के मामले में) ग्राम/नगर ...., जिला/प्रमंडल .... , राज्य/संघशासित प्रदेश ...., ... जाति के सदस्य हैं, जो झारखंड रिक्तियों और पदों के लिये आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम 2001 के अधीन पिछड़े वर्ग (अनुसूची–I और II) के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा ये .... धर्म को माननेवाले हैं।

2. .... तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखंड राज्य के ग्राम/नगर .... जिला/प्रमंडल .... में निवास करता है/करते हैं।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापांक 36012/22/93–स्था. (एस.इ.टी.), दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के स्तंभ–3 में उल्लिखित तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं. 3482, दिनांक 10.06.2002 द्वारा यथा अंगीकृत के अधीन क्रीमीलेयर व्यक्ति/वर्ग के सदस्य नहीं हैं।

4. यह प्रमाण पत्र कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93–स्था. (एस.इ.टी.), दिनांक 08.09.1993 के अपवर्जनों के नियमानुसार प्रगणित आवेदक तथा उसकी/उसके माता–पिता द्वारा किये गये घोषणा के आधार पर जारी किया जाता है तथा यह निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिये वैध होगा। किन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी अद्यतन स्वघोषणा पत्र (फार्म संख्या–15) संलग्न करने पर इस प्रमाण पत्र की वैद्यता स्वघोषणा पत्र समर्पित करने के वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।

स्थान ....
तिथि ....

हस्ताक्षर ....
पदनाम ....
कार्यालय के सील सहित

प्रपत्र - XII

FORM OF CERTIFICATE TO BE ISSUED TO PERSONS BELONGING TO A SCHEDULED CASTE OR SCHEDULED TRIBES WHO HAVE MIGRATED FROM OTHER STATE/UNION TERRITORY

This is to certify that Shri/Smt./Kumari .... Son/ Daughter of Shri/Smt. .... of Village/ Town.............................. ....District/Division*.......................................of the State/Union Territory ....belongs to the .... Caste/Tribe which is recognized as Scheduled Caste/Scheduled Tribe under :

*The Constitution (Scheduled Caste) Order, 1950

*The Constitution (Scheduled Tribe) Order, 1950

*The Constitution (Scheduled Caste) (Union Territories) Order, 1951

*The Constitution (Scheduled Tribe) (Union Territories) Order, 1951

[As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Re-organization Act, 1960, the Punjab Re-organization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1971 and the North Eastern Areas (Reorganization) Act. 1976]

*The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956.

*The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, as amended by the Scheduled Castes ans Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976

*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962

*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962

*The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.

*The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967.

*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968

*The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968

*The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970

*The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978

*The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978

*The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989

* The Constitution (SC) Orders (Amendment) Act, 1990.

* The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1991.

* The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1996.

* The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2002.

* The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002.

* The Scheduled Castes and Scheduled Tribes orders (Amendment) Act, 2002.

2. This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes certificate issued to Shri/Smt. .... father/mother of Shri/Smt./ Kumari.. of the State/Union Territory .... in District/Division .... of the State/Union Territory .... who belong to the .... Caste/Tribe which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory......................... issued by the ....(name of prescribed authority) vide their no.......................... dated ....

3. Shri/Smt./Kumari* and/or* his/her* family ordinarily reside (s) in Village/Town* ....District/Division* of the State/Union Territory* of ....

4. This certificate is not valid for seeking benefit/concessions of SC/ST category in this State of Jharkhand.

5. This certificate is valid till further orders or till any change made in Central Caste list under SC/ST Category for Jharkhand.

Note : The term 'ordinarily reside' (s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950 and the place is mentioned on the basis of self-declaration by the applicant.

Signature......................................

Designation ....

(with seal of office)

Place.......................

Date.......................

प्रपत्र – 12

किसी अन्य राज्य/संघशासित क्षेत्र के प्रवासी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य व्यक्तियों को जारी किये जानेवाले प्रमाण पत्र का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....,
पिता .... ग्राम/नगर ....,
जिला/प्रमंडल ...., राज्य/संघशासित प्रदेश ....,
निम्नलिखित के अधीन यथा मान्यता प्राप्त .... जाति/जनजाति के सदस्य हैं:–

* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950

* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950

* संविधान (अनुसूचित जाति) (संघशासित प्रदेश) आदेश, 1951

* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ शासित प्रदेश) आदेश, 1951

(अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची (संशोधन) आदेश, 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1971 और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (पुनर्गठन) अधिनियम 1976 द्वारा यथासंशोधित)

* संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956

* संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, अनुसूचित जनजाति आदेश अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 द्वारा यथासंशोधित

* संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

* संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962

* संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967

* संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968

* संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968

* संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

* संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989

* संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990

* संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991

* संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996

* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002

* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

2. श्री/श्रीमती .... जो श्री/श्रीमती/कुमारी .... के माता–पिता हैं और .... राज्य/संघशासित क्षेत्र के .... जिला/प्रमंडल में .... ग्राम/नगर के निवासी हैं तथा .... जाति/जनजाति के सदस्य हैं, जिसे.................... राज्य/संघशासित क्षेत्र में .... द्वारा (विहित प्राधिकार का नाम) निर्गत पत्रांक ...., दिनांक .... के द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। यह प्रमाणपत्र इन्हें प्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र के आधार पर निर्गत किया जाता है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार झारखंड राज्य के ग्राम/नगर .... जिला/प्रमंडल .... में साधारणतया निवास करता है/करते हैं।

4. यह प्रमाणपत्र झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कोटि में कोई लाभ/रियायत प्राप्त करने के लिये वैध नहीं होगा।

5. यह प्रमाणपत्र अगले आदेश तक अथवा झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कोटि में केन्द्रीय जाति सूची के अधीन कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी :

यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है एवं अंकित स्थान आवेदक की स्व–घोषणा पर आधारित है।

स्थान ....
तिथि ....

हस्ताक्षर ....
पदनाम ....
कार्यालय के सील सहित

प्रपत्र - XIII

FORM OF CERTIFICATE TO BE ISSUED TO PERSONS BELONGING TO OTHER BACKWARD CLASSES WHO HAVE MIGRATED FROM OTHER STATE/UNION TERRITORY

This is to certify that Shri/Smt./Kumari .... Son/ Daughter of Shri/Smt. .... of Village/ Town............................ ....District/Division*.....................................of the State/Union Territory ....belongs to the .... Caste which is recognized as Other Backward Class under :

(i) Resolution No. 12011/68/93-BCC(C) dated 10/09/93 published in the Gazetted of India Extra Ordinary part-1, Section 1 No. 186 dated 13/09/93.

(ii) Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19/10/94 published in the Gazetted of India Extra Ordinary part-1, Section 1 No. 163 dated 20/10/94.

(iii) Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24/05/95 published in the Gazetted of India Extra Ordinary part-1, Section 1 No. 88 dated 25/05/95.

(iv) Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 09/03/96.

(v) Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 05/12/96 published in the Gazetted of India Extra Ordinary part-1, Section 1 No. 210 dated 11/12/96.

(vi) Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 03/12/97.

(vii) Resolution No. 12011/99/94-BCC dated 11/12/97.

(viii) Resolution No. 12011/68/98-BCC dated 27/10/99.

(ix) Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 06/12/99 published in the Gazetted of India Extra Ordinary part-1, Section 1 No. 270 dated 06/12/99.

(x) Resolution No. 12011/36/99-BCC dated 04/04/2000 published in the Gazetted of India Extra Ordinary part-1, Section 1 No. 71 dated 04/04/2000.

(xi) Resolution No. 12011/44/99-BCC dated 21/09/2000 published in the Gazetted of India Extra Ordinary part-1, Section 1 No. 210 dated 21/09/2000.

(xii) Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated 05/09/2001.

(xiii) Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 15/06/2003.

(xiv) Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13/01/2004.

(xv) Resolution No. 12011/9/2004 BCC dated 16/01/2006 published in the Gazetted of India Extra Ordinary part 1, Section 1 No. 210 dated 16/01/2006.

(xvi) 12015/2/2007-BCC dated 18/08/2010.

(xvii) 12015/2/2007-BCC dated 11/10/2010.

(xviii) 12015/13/2010-BCC dated 08/12/2011.

(xix) 12015/5/2011-BCC dated 17/02/2014.

(xx) 12011/6/2014-BCC dated 07/12/2016.

2. This certificate is issued on the basis of the Caste certificate(BC-I/BC-II)/Other Backward Class Certificate issued to Shri/Smt. .... father/mother of Shri/Smt./ Kumari.. of the State/Union Territory .... in District/Division .... of the State/Union Territory .... who belong to the .... Caste which is recognized as a Backward Class (BC-I/BC-II) in the State/Union Territory.......................... issued by the ....(name of prescribed authority) vide their no................. dated.............................

3. Shri/Smt./Kumari* and/or* his/her* family ordinarily reside (s) in Village/Town* ....District/Division* of the State/Union Territory* of ....

4. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/Sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the schedule to the Government of India, Department of Personnel and Training O.M.No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 08/09/93 which is modified vide O.M.No.36033/3/2004 - Estt. (Res) dated 09.03.2004 or the latest notification of the Government of India and professes Hinduism/ other religion.

5. This certificate is not valid for seeking benefit/concessions of OBC category in this State of Jharkhand and validity of this certificate is one year from the date of issuance.

Note : The term 'ordinarily reside' (s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950 and the place is mentioned on the basis of self-declaration by the applicant.

Signature...

Designation ....

(with seal of office)

Place.......................

Date.........................

प्रपत्र – 13

किसी अन्य राज्य/संघशासित क्षेत्र के प्रवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य व्यक्तियों को जारी किये जानेवाले प्रमाण पत्र का फारम.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ...., पिता ....ग्राम/नगर ...., जिला/प्रमंडल ...., राज्य/संघशासित प्रदेश ...., निम्नलिखित के अधीन अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में यथामान्यताप्राप्त .... जाति के सदस्य हैं:–

(i) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग-1, धारा 1 संख्या 186 दिनांक 13/09/93 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/68/9 3-बीसीसी (सी) दिनांक 10/09/93

(ii) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग -1, धारा 1 संख्या 163 दिनांक 20/10/94 में प्रकाशित संकल्प सं० 12011/9/94-बीसीसी दिनांक 19/10/94

(iii) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग -1, धारा 1 संख्या 88 दिनांक 25/05/95 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/7/95-बीसीसी दिनांक 24/05/95 ।

(iv) संकल्प सं० 12011/9 6/94-बीसीसी दिनांक 09/03/96।

(v) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग -1, धारा 1 संख्या 210 दिनांक 11/12/96 में प्रकाशित संकल्प सं० 12011/44/96-बीसीसी दिनांक 05/12/96

(vi) संकल्प सं० 12011/13/97-बीसीसी दिनांक 03/12/97।

(vii) संकल्प सं० 12011/99/94-बीसीसी दिनांक 11/12/97।

(viii) संकल्प सं० 12011/68/98-बीसीसी दिनांक 27/10/99।

(ix) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग -1 में प्रकाशित, धारा 1 संख्या 270 दिनांक 06/12/99 में प्रकाशित संकल्प सं० 12011/88/98-बीसीसी दिनांक 06/12/99 ।

(x) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग -1, धारा 1 संख्या 71 दिनांक 04/04/2000 में प्रकाशित संकल्प सं० 12011/36/99-बीसीसी दिनांक 04/04/2000 ।

(xi) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग -1 में प्रकाशित, धारा 1 संख्या 210 दिनांक 21/09/2000 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/44/99-बीसीसी दिनांक 21/09/2000 ।

(xii) संकल्प सं। 12015/9/2000-बीसीसी दिनांक 05/09/2001।

(xiii) संकल्प सं। 12011/1/2001-बीसीसी दिनांक 15/06/2003।

(xiv) संकल्प सं। 12011/4/2002-बीसीसी दिनांक 13/01/2004।

(xv) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-1, धारा 1 संख्या 210 दिनांक 16/01/2006 में प्रकाशित संकल्प सं0 12011/9/2004-बीसीसी दिनांक 16/01/2006

(xvi) 12015/2/2007-बीसीसी दिनांक 18/08/2010।

(xvii) 12015/2/2007-बीसीसी दिनांक 11/10/2010।

(xviii) 12015/13/2010-बीसीसी दिनांक 08/12/2011।

(xix) 12015/5/2011-बीसीसी दिनांक 17/02/2014।

(xx) 12011/6/2014-बीसीसी दिनांक 07/12/2016।

2. श्री/श्रीमती .... जो श्री/श्रीमती/कुमारी .... के माता–पिता हैं और .... राज्य/संघशासित क्षेत्र के .... जिला/प्रमंडल में .... ग्राम/नगर के निवासी हैं तथा ....जाति के सदस्य हैं, जिसे.................. राज्य/संघशासित क्षेत्र में .... द्वारा (विहित प्राधिकार का नाम) निर्गत पत्रांक ...., दिनांक .... के द्वारा पिछड़ा वर्ग (बीसी–1/बीसी–2) के रूप में मान्यता दी गई है। यह प्रमाणपत्र इन्हें प्राप्त पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र के आधार पर निर्गत किया जाता है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार झारखंड राज्य के ग्राम/नगर .... जिला/प्रमंडल .... में साधारणतया निवास करते हैं।

4. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यह भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापांक 36012/22/93–स्था. (SCT) दिनांक 08.09.93 की अनुसूची के स्तंभ–3 में उल्लिखित तथा कार्यालय ज्ञापन 36033/3/2004– स्था. (RES)दिनांक 09.03.2004 अथवा भारत सरकार की अद्यतन अधिसूचना द्वारा यथासंशोधित क्रीमी लेयर व्यक्ति/वर्ग के सदस्य नहीं हैं तथा ये हिन्दू/अन्य धर्म को माननेवाले हैं।

5. यह प्रमाणपत्र झारखंड राज्य में पिछड़ा वर्ग (बीसी-I/बीसी-II) की कोटि में कोई लाभ/रियायत प्राप्त करने के लिये वैध नहीं होगा।

टिप्पणी :

यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है।

स्थान ....

तिथि ....

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

कार्यालय के सील सहित

प्रपत्र - XIV

ग्राम सभा/वार्ड समिति के द्वारा जाति निर्धारण हेतु मानक चेक लिस्ट

1. आवेदक का नाम : –
2. आधार नं० (यदि हो तो) :–
3. आधार कार्ड में दर्ज पता :–
4. मोबाईल नं० (यदि हो तो) :–
5. आवेदक के पिता का नाम एवं पता –...
6. आवेदक के द्वारा दावा की गई जाति –...
7. आवेदक के द्वारा दावा की गई जाति के समर्थन में दाखिल किये गये कागजात –

क्र0	आवेदक द्वारा समर्पित कागजात	अभ्युक्ति

8. आवेदन में अंकित पते पर आवेदक/उनके पूर्वज के वर्ष 1950 (अनुसूचित जाति/जनजाति) एवं वर्ष 1978 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-I /पिछड़ा वर्ग-II) तथा वर्ष 1993 (अन्य पिछड़ा वर्ग) से लगातार निवासित होने का साक्ष्य/दस्तावेज –
9. आवेदक के आवेदन में अंकित पते पर वर्तमान में स्थानीय रूप से निवासित होने का साक्ष्य/दस्तावेज/कथन –
10. आवेदक की पहचान हेतु मान्य पहचान पत्र (भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त):–

क्र0	पहचान पत्र का प्रकार	पहचान पत्र संख्या
1.		

11. आवेदक द्वारा दावा की गई जाति के समर्थन में समर्पित साक्ष्य/दस्तावेज –

12. आवेदक के परिवार के किसी सदस्य को पूर्व में यदि जाति प्रमाण–पत्र निर्गत है तो उसकी विवरणी –

(क) प्रमाण पत्र परिवार के जिस सदस्य को निर्गत है उससे आवेदक का सम्बन्ध :–

(ख) प्रमाण पत्र परिवार के जिस सदस्य को निर्गत है उसके सम्बन्ध में सूचना :–

मौजा————— खाता सं0———— प्लॉट सं0——— रैयत का नाम————— (हाल सर्वे/साबिक सर्वे*) सर्वे वर्ष —————
आधार संख्या (यदि हो तो) —————

(ग) निर्गत प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।

13. अंचल निरीक्षक के जाँच से प्राप्त मंतव्य –

14. राजस्व ग्राम के पाँच खतियानी रैयत का नाम, पता एवं खतियान की विवरणी –

क्र0	खतियानी रैयत/भूधारी की विवरणी	खतियानी रैयत का मंतव्य
	मौजा————— खाता सं0———— प्लॉट सं0——— रैयत का नाम————— (हाल सर्वे/साबिक सर्वे*) सर्वे वर्ष :– आधार संख्या (यदि हो तो) :–	
	मौजा————— खाता सं0———— प्लॉट सं0——— रैयत का नाम————— (हाल सर्वे/साबिक सर्वे*) सर्वे वर्ष :– आधार संख्या (यदि हो तो) :–	
	मौजा————— खाता सं0———— प्लॉट सं0——— रैयत का नाम————— (हाल सर्वे/साबिक सर्वे*) सर्वे वर्ष :– आधार संख्या (यदि हो तो) :–	

	मौजा——————— खाता सं0———— प्लॉट सं0——— रैयत का नाम—————— (हाल सर्वे/साबिक सर्वे*) सर्वे वर्ष :– आधार संख्या (यदि हो तो) :–	
	मौजा——————— खाता सं0———— प्लॉट सं0——— रैयत का नाम—————— (हाल सर्वे/साबिक सर्वे*) सर्वे वर्ष :– आधार संख्या (यदि हो तो) :–	

* जो लागू न हो उसे काट दें।

15. ग्राम सभा/वार्ड समिति का आवेदक की जाति निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रतिवेदन एवं मंतव्य –

मुखिया / वार्ड पार्षद का हस्ताक्षर

16. ग्राम सभा/वार्ड समिति के प्रत्येक उपस्थित सदस्य का नाम, पता, हस्ताक्षर एवं बैठक की तिथि –

नोट – गलत जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के षडयंत्र में शामिल व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान के सेक्शन–120 B, 177, 181, 200 एवं 420 के तहत मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई की जायेगी।

प्रपत्र –XV

क्रीमीलेयर रहित होने संबंधी स्व–घोषणा पत्र

(यह आवेदक/आवेदिका द्वारा पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र के साथ समर्पित किया जाएगा)

मैं.. पिता ....
पति/पत्नी... निवासी, ग्राम/कस्बा/शहर..
.... पोस्ट.. थाना...
अंचल ....जिला.. राज्य..
एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं .... समुदाय का/की हूँ जो कि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या–360112/22/93 स्था0 (एस0सी0टी0)/झारखण्ड राज्य के संकल्प सं0................, दिनांक............. में निहित आदेश के अनुसार नियोजन/नामांकन में आरक्षण के प्रयोजन से भारत सरकार/झारखण्ड सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के रूप में मान्य है।

2. यह कि मुझे झारखण्ड राज्य के जिला ...., अंचल .... के द्वारा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र संख्या– .... दिनांक .... निर्गत है।

3. मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि विगत तीन वित्तीय वर्ष के दौरान मैं आठ (8) लाख रुपये से कम वार्षिक आय होने के कारण क्रीमीलेयर में नहीं आता/आती हूँ।

4. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं दिनांक 08.09.1993 एवं 13.09.2017 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम–3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं हूँ।

5. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि भविष्य में मेरी उपर्युक्त स्व–घोषणा गलत पाई जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त आरक्षण एवं अन्य आनुषंगिक सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा0द0वि0 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मेरे विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक/आवेदिका (घोषणाकर्त्ता) का हस्ताक्षर

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
अधिसूचना

संख्या–14/विविध–15–10/2018 का० 1536/राँची, दिनांक– 18/02/19

वैसे व्यक्तियों, जो योग्य न हो, को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का प्रमाण पत्र निर्गत करने पर रोक लगाने के माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा कुमारी माधुरी पाटिल एवं अन्य बनाम अतिरिक्त आयुक्त, जनजातीय विकास परिषद्, एस.एल.पी. (सिविल) सं0–14767/1993 के मामले में पारित निर्णयादेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0–3630, दिनांक–08.07.2004 द्वारा गठित छानबीन समिति को पुनर्गठित करते हुए एकीकृत जाति छानबीन समिति (Scrutiny Committee) का निम्नरूपेण गठन किया जाता है:–

1. सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची। — अध्यक्ष
2. आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, राँची — सदस्य
3. निदेशक, डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची — सदस्य
4. अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड — सदस्य
5. सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, झारखण्ड — सदस्य
6. सरकार द्वारा मनोनीत अनुसूचित जनजातियों के संबंध में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति — सदस्य
7. सरकार द्वारा मनोनीत अनुसूचित जातियों के संबंध में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति — सदस्य
8. सरकार द्वारा मनोनीत पिछड़े वर्ग की जातियों के संबंध में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति — सदस्य
9. संयुक्त सचिव/उप सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची — सदस्य सचिव

समिति का कार्यक्षेत्र

1. ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें प्राधिकृत अधिकारियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत आवेदन में वर्णित जाति और उस जाति के लिये अधिसूचित स्थान के बारे में ऐसा प्रश्न निहित है, जिसका विनिश्चय उच्च स्तर पर किया जाना हो और उनके द्वारा उच्च स्तरीय समिति को निर्देशित किये गये हों।

2. ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाण पत्र आवेदन निरस्त करने के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गयी हो।

3. ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें प्राधिकृत पदाधिकारी ने यह पाया हो कि आवेदक के द्वारा असत्य एवं गलत तथ्यों के आधार पर अथवा फर्जी तरीके से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है, एवं

4. ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें यह शिकायत की गयी हो कि असत्य या गलत तथ्यों के आधार पर अथवा फर्जी तरीके से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाण पत्र प्राप्त कर आरक्षण की सुविधा प्राप्त कर ली गयी है, जिसके लिये वास्तव में पात्रता न थी।

5. ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें 15 वर्ष या उससे अधिक आयु (पहुँचने) के बाद दत्तक पुत्र/पुत्री बनाने की कार्यवाही के आधार पर प्रमाण पत्र चाह रहा/रही हो।

6. समिति के द्वारा अपनायी जानेवाली जाँच प्रक्रिया समिति के विवेकानुसार होगी। समिति की सुविधा हेतु आदर्श जाँच प्रक्रिया परिशिष्ट–I के रुप में संलग्न है।

7. <u>समिति की बैठक</u>

क. समिति प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

ख. बैठक की तिथि एवं स्थान/समय का निर्धारण अध्यक्ष की अनुमति से की जायेगी, जिससे सदस्य सचिव सभी सदस्यों को सूचित करेंगें।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

18/2/19

(के0 के0 खण्डेलवाल)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14/विविध–15–10/2018 का0 1436/ राँची, दिनांक– 18/02/19

प्रतिलिपिः– नौडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

18/2/19

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14/विविध–15–10/2018 का.– 1436 /रांची, दिनांक 18/02/19

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/झारखण्ड विधान सभा सचिवालय/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/राज्य के सभी लोक उपक्रमों/निगमों/निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

18/2/19

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14/विविध–15–10/2018 का.– 1436 /रांची, दिनांक 18/02/19

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/सचिव, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/2/19

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14/विविध–15–10/2018 का.– 1436 /रांची, दिनांक 18/02/19

प्रतिलिपि :– सभी सदस्य, जाति छानबीन समिति, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/2/19

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14/विविध–15–10/2018 का.– 1436 /रांची, दिनांक 18/02/19

प्रतिलिपि :– सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसकी सूचना सभी बैंक शाखाओं को दी जाय।

18/2/19

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

F:\khandari\Adhisuchna.docx

परिशिष्ट–1

समिति की सुविधा हेतु आदर्श जांच–प्रक्रिया

छानबीन समिति, जाँच का कार्य पुलिस अधिकारी के माध्यम से करायेगी। जाँच अधिकारी मौके पर जाकर विस्तृत जाँच प्रतिवेदन छानबीन समिति को निर्धारित अवधि के अंदर प्रस्तुत करेगा।

2. छानबीन समिति, यदि जाँच अधिकारी की रिर्पोट के आधार पर यह पाती है कि आवेदक का सामाजिक स्तर का दावा सही नहीं है या संदेहास्पद है या गलत रुप से दावा प्रस्तुत कर रहा है, तब समिति ऐसे आवेदक को जाँच अधिकारी को रिर्पोट की प्रति के साथ पंजीकृत डाक से रसीद सहित कारण बताओ सूचना/पत्र शैक्षणिक संस्था या कार्यालय प्रमुख के माध्यम से भेजेंगे। कारण बताओ सूचना पत्र में इस बात का उल्लेख होगा कि आवेदक अपना अभ्यावेदन या उत्तर कारण बताओ सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर संचालक को प्रस्तुत करें और किसी भी परिस्थिति में अभ्यावेदन अथवा उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 30 दिन से अधिक का समय नहीं दिया जायेगा। यदि आवेदक उसे सुनने का और बचाव पक्ष प्रस्तुत करने करने का अवसर चाहता है तो ऐसा आवेदन या उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् समिति की बैठक अध्यक्ष बुलायेंगें और समिति के अध्यक्ष के रुप में आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देंगें। समिति प्रकरण में निर्णय लिये आम सूचना जारी करेगी, जिसका प्रचार प्रसार गांव में या मोहल्ले में डौडी या अन्य सुविधाजनक साधनों से किया जायेगा। ताकि यदि कोई व्यक्ति या संघ आवेदक के दावे का विरोध करना चाहे तो वे कर सके। आवेदक को ऐसा अवसर देने के बाद भी आवेदक को उसके अभिभावक के माध्यम से या अन्य अवसर देने के बाद समिति ऐसी जाँच कर सकेगी, जिसमें आवेदक के दावे और अन्य आपत्तियों पर विचार करने के लिए शीघ्र निर्णय लिया जाना आवश्यक हो। उभय पक्षों को सुनकर समिति एक उचित आदेश पारित करेगी जिसमें निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये संक्षिप्त तर्कों अथवा तथ्यों का विवरण दिया जायेगा।

3. ऐसे प्रकरणों में जहां जाँच अधिकारी की रिर्पोट आवेदक के पक्ष में हो, समिति को किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी।

4. यदि उम्मीदवार अवयस्क हो तो उसके माता–पिता/अभिभावकों को भी सूचना पत्र जारी किया जायेगा ताकि उसके माता–पिता/अभिभावक अपने दावे के पक्ष में साक्ष्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर सकें।

5. समिति द्वारा जाँच दिन प्रतिदिन के आधार पर की जायेगी और किसी भी स्थिति में इसे पूर्ण करने के लिये 02 माह से ज्यादा समय नहीं लेगी। यदि जाँच समिति यह पाती है कि आवेदक का दावा झूठा या असत्य है तो समिति ऐसी जाति प्रमाण–पत्र को निरस्त करने या राजसात करने के लिये आदेश पारित करेगी। इस जांच के निष्कर्षो से उम्मीदवार या उसके माता–पिता/अभिभावकों को एक माह के भीतर अवगत कराया जायेगा।

6. छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।

(के0 के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

E:\chandan\Adhisuchna.docx

पत्रांक : 14/वि0वि0प0–10–02/2018 (खण्ड II) का० 235 अ.प्र.

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

दीपक कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 10.1.19

विषय :– अन्य राज्य से विवाह के आधार पर झारखण्ड में आव्रजित महिलाओं को राज्य में आरक्षण की सुविधा के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0–8425/2013 रंजना कुमारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक–01.11.2018 को न्यायादेश पारित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न की जाती है। उक्त न्यायादेश के आलोक में अन्य राज्य से झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आव्रजित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
(ह०) 10/1/19
(दीपक कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:–14/वि0वि0प0–10–02/2018 (खण्ड II) का० 235 अ.प्र./राँची, दिनांक 10.1.19

प्रतिलिपि:–अनुलग्नक की प्रति सहित सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

(ह०) 10/1/19
सरकार के अवर सचिव।

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO(S).8425 OF 2013

RANJANA KUMARI APPELLANT(S)

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS. RESPONDENT(S)

O R D E R

1. We have heard the learned counsels for the parties and perused the relevant material.

2. The appellant who belongs to *Valmiki* caste (Scheduled Caste) of the State of Punjab married a person belonging to the *Valmiki* caste of Uttarakhand and migrated to that State. In the State of Uttarakhand under the Presidential Order *'Valmiki'* is also recognized as a notified Scheduled Caste. The State of Uttarakhand issued a certificate to the appellant.

3. The appellant contended before the High Court that she was a Scheduled Caste of the State of Uttarakhand. The High Court having rejected the claim, the appellant is in appeal before us.

Validity unknown
Digitally signed by NEETU KHAJURIA
Reason:

4. Two Constitution Bench judgments of this Court in *Marri Chandra Shekhar Rao vs. Dean, Seth*

G.S. Medical College & Ors.[1] and Action Committee on Issue of Caste Certificate to Scheduled Castes & Scheduled Tribes in the State of Maharashtra & Anr. vs. Union of India & Anr.[2] have taken the view that merely because in the migrant State the same caste is recognized as Scheduled Caste, the migrant cannot be recognized as Scheduled Caste of the migrant State. The issuance of a caste certificate by the State of Uttarakhand, as in the present case, cannot dilute the rigours of the Constitution Bench Judgments in *Marri Chandra Shekhar Rao (supra)* and Action Committee (supra).

5. We, therefore, find no error in the order of the High Court to justify any interference. The appeal is accordingly dismissed.

..................,CJI.
(RANJAN GOGOI)

....................,J.
(UDAY UMESH LALIT)

....................,J.
(K.M. JOSEPH)

NEW DELHI
NOVEMBER 01, 2018

1 (1990) 3 SCC 130
2 (1994) 5 SCC 244

ITEM NO.101 COURT NO.1 SECTION X

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Civil Appeal No(s). 8425/2013

RANJANA KUMARI Appellant(s)

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS. Respondent(s)

WITH
SLP(C) No. 13781/2012 (X)

Date : 01-11-2018 These matters were called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE UDAY UMESH LALIT
HON'BLE MR. JUSTICE K.M. JOSEPH

For Parties :
Dr. Aman Hingorani, Adv.
Ms. Priya Hingorani, Adv.
Dr. Shweta Hingorani, Adv.
M/S. Hingorani & Associates, AOR

Ms. Rachana Srivastava, AOR
Ms. Monika,Adv.

Mr. Dinesh Kumar Garg, AOR
Mr. Dhananjay Garg, Adv.
Mr. Deepak Mishra, Adv.

Ms. Chandan Ramamurthi, AOR

Uttarakhand Public Service Commission Mr. Jatinder Kumar Bhatia, AOR

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

Civil Appeal No(s). 8425/2013

The appeal is dismissed in terms of the signed order.

Pending application(s), if any, shall stand disposed of.

SLP(C) No. 13781/2012

List the matter after the ensuing Diwali vacation.

(NEETU KHAJURIA)
COURT MASTER

(ASHA SONI)
ASSISTANT REGISTRAR

(Signed order in C.A. 8425/2013 is placed on the file.)

पत्रांक : 14/विविध–15–21/2018 का० 7829

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

Speed post
E-Mail

प्रेषक,

दीपक कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 25/10/18

विषय :– जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्रांक–3540, दिनांक–03.07.2004 एवं पत्रांक–3376, दिनांक–05.06.2008 में अंकित अनुदेश के अनुसार सामान्यतः जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु भू–अभिलेख/पंचायत/नगर पंचायत/नगरपालिका/नगर निगम/निबंधन कांगजातों के आधार पर किसी व्यक्ति की जाति का निर्धारण किया जाता है तथापि यदि किसी व्यक्ति द्वारा उल्लिखित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया जा सके तो ईमानदारी पूर्वक स्थानीय जांच कर जाति का निर्धारण किया जा सकता है। परिपत्र सं0–1853, दिनांक–26.02.2015 द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में स्थानीय जांच की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

दिनांक–27.06.2018 को माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष की अध्यक्षता में आहूत 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की चतुर्थ बैठक में यह तथ्य प्रकाश आयी कि राज्य में अनुदेश निर्गत रहने के बावजूद जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।

अतः अनुरोध है कि जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन
25/10/18
(दीपक कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

E:\chandan\letter 2018.docx

पत्रांक : 14/आ0नि0(जा0नि0)–18–02/2004 का0.......8453

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

निधि खरे
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त,
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी,
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी
झारखण्ड।

राँची, दिनांक.....28/9/16

विषय :– जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्र संख्या–5682 दिनांक–22.10.2008 एवं 10007 दिनांक–29.08.2012 (प्रति संलग्न) का कृपया निदेश किया जाय जिसके द्वारा क्रमशः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग–(अनुसूची–II) के सदस्यों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए विहित प्रपत्र परिचारित कर आवश्यक निदेश दिया गया है।

उक्त निदेश के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जाति प्रमाण पत्र में "और हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, जैन या अन्य धर्मावलम्बी हैं (जो भी लागू नहीं हो उन्हें काट दें)" शब्द–समूह अन्तर्विष्ट किया जाय। तदनुसार जाति प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्र में उक्त शब्द समूह अन्तर्विष्ट करते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत की जाय। यह प्रमाण पत्र आवेदक के आवेदन पत्र के आधार पर तैयार किया जायेगा, जो इस निमित्त इस पत्र के साथ अनुलग्न है।

विश्वासभाजन

28.9.16.

(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप संख्या–14/आ0नि0(जा0नि0)–18–02/2004 का0 8453 दिनांक–28/9/16

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति सहित सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/9/16

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप संख्या–14/आ0नि0(जा0नि0)–18–02/2004 का0 8453 दिनांक–28/9/16

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति सहित सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/झारखण्ड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/9/16

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप संख्या–14/आ0नि0(जा0नि0)–18–02/2004 का0 8453 दिनांक–28/9/16

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति सहित सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, झारखण्ड, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि ईलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्गत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र आवश्यक संशोधन के साथ निर्गत करने की व्यवस्था की जाय तथा ऑनलाईन आवेदकों के लिए भी जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र का मानक प्रपत्र अंकित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

28/9/16

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप संख्या–14/आ0नि0(जा0नि0)–18–02/2004 का0 8453 दिनांक–28/9/16

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति सहित श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/9/16

सरकार के प्रधान सचिव

जाति प्रमाण हेतु आवेदन पत्र का मानक प्रपत्र

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी,

.....................................,

जिला.................................।

मैं,.. पुत्र/पुत्री/पत्नी.. ग्राम...,अंचल....................................,अनुमण्डल................................, जिला...................................., झारखण्ड एतद् द्वारा यह घोषित करता/करती हूँ कि मैं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) का सदस्य हूँ तथा मैं हिन्दू/मुस्लिम/सिक्ख/पारसी/बौद्ध/जैन/ईसाई/अन्य धर्मावलम्बी हूँ। (जो लागू नहीं हो उसे काट दें)

2. मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी.. ग्राम...,अंचल.......................................,अनुमण्डल..............................., जिला......................................, झारखण्ड यह घोषित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त कंडिका–1 में घोषित सूचनाएँ मेरी जानकारी में सत्य है। **असत्य पाये जाने पर मैं कानूनी कार्रवाई का हकदार होउँगा/होउँगी।**

अनुरोध है कि मुझे जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय।

हस्ताक्षर

घोषणा करने वाले व्यक्ति का नाम...............................

पिता का नाम.................................

आधार संख्या (जो आवश्यक नहीं है).......................................

पत्रांक : 14 / जा0नि0–03–13 / 2016 का0 6763 /

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

निधि खरे,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 05/08/16

विषय :– जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार इस विभाग के पत्र सं0–9963, दिनांक–20.11.2015 द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए विस्तृत अनुदेश निर्गत है (प्रति संलग्न)। राज्य सरकार द्वारा संकल्प सं0–3198, दिनांक–18.04.2016 के द्वारा झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान तय करते हुए पत्र सं0–4650, दिनांक–02.06.2016 द्वारा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अनुदेश जारी किये जा चुके हैं।

उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न तथ्य स्पष्ट किया जाना है :–

1. शिक्षण संस्थानों में नामांकन एवं नियोजन में आरक्षण की सुविधा राज्य के मात्र अधिवासी को तब उपलब्ध है, जब उनकी जाति / समुदाय राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) या पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के रूप में वर्गीकृत हो। (एकीकृत बिहार सरकार का पत्रांक–70, दिनांक–11.06.1996 तथा पत्र सं0–5448, दिनांक–12.09.2011)
2. गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र–B.C.-16014/1/82-S.C. and B.C.D.-I, दिनांक–22.02.1985 के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने, आजीविका प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से आकर बस जाते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि उसे उनके निवास स्थान के राज्य में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी। ऐसे लोग आव्रजित श्रेणी में आते हैं और इन्हें अनुमान्य आरक्षण की सुविधा उनके मूल राज्य में ही उपलब्ध होगी। (पत्रांक–3557, दिनांक–18.10.2005)

   हालाँकि ऐसे लोगों को जाति प्रमाण पत्र इस राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा उनके पिता को जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर निर्गत हो सकता है जिसमें उनके मूल राज्य का नाम अंकित हो।

   अन्य राज्य के ऐसे लोगों को झारखण्ड राज्य में आरक्षण की सुविधा अनुमान्य नहीं है।

3. झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा से अच्छादित हर व्यक्ति इस राज्य में स्वतः आरक्षण की सुविधा पाने के लिए अधिकृत नहीं हैं।

उपर्युक्त पृष्ठ भूमि में एक बार पुनः निदेश दिया जाता है कि :–

i. सामान्यतया रेकर्ड ऑफ राइट्स/भू–अभिलेख/पंचायत/नगर पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/निबंधन कागजातों के आधार पर जाति का निर्धारण करते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय। (पत्रांक–3540, दिनांक–03.07.2004)

ii. यदि आवेदक की जाति के सम्बन्ध में किये गये दावे के समर्थन में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाय तो विभागीय पत्रांक–1853, दिनांक–25.02.2015 मे विहित प्रक्रिया अपनाकर उस व्यक्ति के जाति का निर्धारण किया जा सकता है और सक्षम पदाधिकारी अपनी संतुष्टि के आधार पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत कर सकते हैं।

iii. जब तक यह संतुष्टि नहीं हो कि आवेदक या उनके पूर्वज वास्तव में इस राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में संविधान (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के समय से स्थायी रूप से निवास करते आ रहे हैं, या अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (1) और पिछड़ा वर्ग के मामले में वर्ष–1978 से स्थाई रूप से निवास कर रहे हैं, तब तक जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाये।

iv. किसी भी स्थिति में एक ही परिवार के भिन्न–भिन्न सदस्यों को अलग–अलग जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो। सभी सम्बद्ध अधिकारी/कर्मचारी को अवगत कराया जाय और दोषी पाये जाने पर इसे आपराधिक षड़यन्त्र मानते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाय।

v. जाति प्रमाण पत्र में जाति/समुदाय का नाम उसी रूप में जाति का नाम अंकित किया जाना सुनिश्चित की जाय जिस रूप में जाति की सम्बद्ध सूची में नाम अंकित है, इसके वर्तनी (Spelling) में परिवर्तन भी अनुमान्य नहीं है।

vi. जाति प्रमाण पत्र हर हाल मे उसी विहित प्रपत्र में निर्गत की जाय, जो इस हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत है।

विश्वासभाजन

5/8/16

(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– 14/जा0नि0–03–13/2016 का0 6763/ रांची, दिनांक– 05/08/16

प्रतिलिपिः– सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/8/16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– 14/जा0नि0–03–13/2016 का0 6763/ रांची, दिनांक– 05/08/16

प्रतिलिपिः– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/8/16

सरकार के प्रधान सचिव।

पत्रांक :– 14/जा.नि.–03–13/2015 का. 9963 (अनु.)
झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

रतन कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त,
झारखंड।

रांची, दिनांक 20/11/15

विषय :– जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु दिशा–निदेश।

महोदय/महोदया,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इस विभाग के पत्रांक 5448 दिनांक 12.09.2011 *(अनुलग्नक – I)* के माध्यम से गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या B.C.–16014/1/82-S.C. and B.C.D.-1 दिनांक 22.02.1985 तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 27/26/2006 – SR(S) दिनांक 29.07.2008 द्वारा प्राप्त अनुदेश से आपको अवगत कराया गया है। इसके अनुसार नियुक्ति तथा शिक्षण संस्थानों में नामांकण के लिए राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को अनुमान्य आरक्षण की सुविधा तभी दी जा सकती है, जब व्यक्ति की जाति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग में वर्गीकृत हो तथा व्यक्ति राज्य का अधिवासी हो। इन मामलों में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए मानक प्रपत्र इस विभाग के पत्र संख्या 5682 दिनांक 22.10.2008 *(अनुलग्नक – II)* एवं 10007 दिनांक 29.08.2012 *(अनुलग्नक – III)* द्वारा निर्गत है। इस प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति तथा शिक्षण संस्थानों में नामांकण हेतु मान्य किया गया है।

2. इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों के इस राज्य में आव्रजन के आधार पर वासित (Migrated) आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या B.C.–12025/02/76–SCT दिनांक 22.03.1977, BC–16014/1/82 SC और BCD – 1 दिनांक 18.11.1982 एवं B.C.–16014/1/82-S.C. and B.C.D.-I दिनांक 22.02.1985 के निदेश के आलोक में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का अनुदेश इस विभाग के पत्र संख्या 2216 दिनांक 12.07.2005 *(अनुलग्नक – IV)* तथा 3557 दिनांक 18.10.2005 *(अनुलग्नक – V)* द्वारा दिया गया है। ऐसे मामलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक प्रपत्र भी संसूचित कर स्पष्ट कर दिया गया है कि इस प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ आव्रजित राज्य (Migrated State) में अनुमान्य नहीं होगा, अपितु यह प्रमाण पत्र संबंधित व्यक्ति के मूल राज्य (State of Origin) में मान्य किया जायेगा।

R. on

01 C

3. सदृश्य रूप से कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 12011/11/94- BCC(C) दिनांक 14.04.1994 तथा 12017/1/2002- BCC दिनांक 25.11.2002 *(अनुलग्नक – VI)* द्वारा अन्य राज्यों के इस राज्य में वासित अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का अनुदेश तथा मानक प्रपत्र संसूचित किया गया है, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। उक्त पत्र के निदेश तथा प्रपत्र में अन्य राज्यों से इस राज्य में वासित अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा, जिसके आधार पर आरक्षण का लाभ संबंधित व्यक्ति के मूल राज्य (State of Origin) में ही अनुमान्य होगा। ऐसे जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर आरक्षण का लाभ इस राज्य में अनुमान्य नहीं किया जायेगा।

4. अन्य राज्यों से इस राज्य में आव्रजन के आधार पर वासित (Migrated) व्यक्तियों को इस विभाग के पत्रांक 5682 दिनांक 22.10.2008 *(अनुलग्नक – II)* एवं 10007 दिनांक 29.08.2012 *(अनुलग्नक – III)* द्वारा ससूचित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का मामला सरकार के संज्ञान में आया है, जबकि यह जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संदर्भ में दिये गये अनुदेशों के पूर्णतः विपरीत है।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित अनुदेश देने का निर्णय लिया गया है :–

क) झारखंड राज्य में सूचीबद्ध तथा इस राज्य के निवासी व्यक्तियों के पक्ष में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग अनुसूची – I/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग अनुसूची – II का जाति प्रमाण पत्र इस विभाग के पत्रांक 5682 दिनांक 22.10.2008 *(अनुलग्नक – II)* एवं 10007 दिनांक 29.08.2012 *(अनुलग्नक – III)* के द्वारा संसूचित दिशानिदेश का अनुसरण कर तद्हेतु विहित किये गये मानक प्रपत्र में निर्गत किया जायेगा।

ख) अन्य राज्यों से इस राज्य में आव्रजन के आधार पर वासित (Migrated) आरक्षित वर्ग के व्यक्ति (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के पक्ष में जाति प्रमाण पत्र इस पत्र की कंडिका 2 एवं 3 के मार्गदर्शन के आलोक में निर्गत किया जायेगा, परंतु ऐसे जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर आरक्षण का लाभ संबंधित व्यक्ति के मूल राज्य (State of Origin) में अनुमान्य होगा। इस प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ झारखंड राज्य में अनुमान्य नहीं होगा।

ग) मानक जाति प्रमाण पत्रों मे संबंधित व्यक्ति के निवास का उल्लेख अनिवार्य किया गया है। अतः इस राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने के लिए अलग से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

घ) अन्य राज्यों के आव्रजित (Migrated) व्यक्तियों के पक्ष में किसी भी स्थिति में इस विभाग के पत्रांक पत्रांक 5682 दिनांक 22.10.2008 *(अनुलग्नक – II)* एवं 10007 दिनांक 29.08.2012 *(अनुलग्नक – III)* द्वारा संसूचित मानक प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा। इसका उल्लंघन होने पर जिम्मेवार सरकारी सेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

6. सुलभ प्रसंग में पत्र में वर्णित सभी पत्रों की प्रति संलग्न है।

2~

(50)

अनुरोध है कि उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाय तथा इससे अपने अधीनस्थों को भी अवगत करा दिया जाय।

विश्वासभाजन,

ह० 19-11-15

(रतन कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– 14/जा.नि.–03–13/2015 का. 9963 (रा.नि.) / रांची, दिनांक 20/11/2015

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति सहित सचिव, झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची को उनके पत्र संख्या 2253 दिनांक 18.09.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 19/11/15
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– 14/जा.नि.–03–13/2015 का. 9963 (रा.नि.) / रांची, दिनांक 20/11/2015

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति सहित सचिव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, राँची/झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, झारखंड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 19/11/15
सरकार के सचिव।

अनुलग्नक- I

पत्रांक–7 / सू0अ0–05–03 / 2011 का॰– 5448 /

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

फिदेलिस टोप्पो,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष /
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 12/9/2011

विषय : नियुक्ति तथा शिक्षण संस्थानों में नामांकन में आरक्षण की सुविधा।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर विभागीय पत्र संख्या–3557, दिनांक 18.10.2005 का कृपया निदेश किया जाय जिसके द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–B.C.-16014/1/82-S.C. and B.C.D.-I. दिनांक 22.02.1985 की प्रति संलग्न करते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवश्यक अनुदेश जारी किया गया था। इस क्रम में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय भारत सरकार से पत्र संख्या– 27/26/2006-SRS, दिनांक 29 जुलाई, 2008 प्राप्त हुआ है। पत्र में अंकित अनुदेश के अनुसार नियुक्ति तथा शिक्षण संस्थानों में नामांकन में राज्य की अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग को अनुमान्य आरक्षण की सुविधा तभी दी जा सकती है जब उम्मीदवार की जाति राज्य की अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग में वर्गीकृत हो तथा उम्मीदवार राज्य का अधिवासी (Domicile) हो।

अनुरोध है कि नियुक्ति तथा शिक्षण संस्थानों में नामांकन में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त तदनुसार कार्रवाई की जाय।

सुलभ प्रसंग हेतु भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र की प्रति भी संलग्न है।

विश्वासभाजन,

10.9.11

(फिदेलिस टोप्पो)
सरकार के संयुक्त सचिव।
6/C

485

No.27/26/2006-SRS
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
(Department of Personnel & Training)
Government of India
****

Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi-110003
Dated : 28th July, 2008

2 n JUL 2008

29 JUL 2008

To

Sh. N. S. Napalchayal,
Principal Secretary,
Reorganisation,
Government of Uttrakhand,
Dehradun.

Dr. R.C. Srivastava,
Principal Secretary,
Uttar Pradesh State Re-organisation Coordination Department,
Vikas Bhavan,
Janpath, Lucknow,
Uttar Pradesh.

Subject : Consideration of representations of the employees of reservation category where their caste is listed only in one of the successor State regarding.

Sir,

I am directed to say that the reference received from the National Commission for Schedule Tribes on the above mentioned issue has been examined in consultation with the Reservation Division of this Department. The Reservation Division has stated that the benefits of reservation in the matter of appointment to post or admission in educational institutions is available only to State candidates who belong to a caste / community which is categorised as SC / ST / OBC of the State and who are the 'domicile' of the State. It has recommended for allocating such candidates to the successor State where his caste is listed in the schedule, as per his option. A

2. Keeping the advice of the Reservation Division in view, it has been decided to treat the employees, whose caste has been categorized as SC / ST /OBC only in one of the successor States, as special category, and all future allocation of these employees is to be made only to that State where their caste is listed in the schedule of the State or as per their option.

Yours faithfully,

(V. Peddanna)
Deputy Secretary to the Government of India
Tele.Fax:011 2462 3711

Receipt & Issue Section
जारी किया/ISSUED
हस्ता./Sig.

अनुलग्नक-II

पत्रांक– 7/जा0नि0-19–11/08 का०– 5682

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

जे0बी0 तुबिद
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त
सभी अनुमंडल पदाधिकारी
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी
सभी अंचल अधिकारी।

रांची, दिनांक 27 अक्टूबर, 2008

विषय : जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के परिपत्र संख्या 7/मु0मं0 सचि0 12–03/2006 का०–5615 दिनाक 17.10.2006 का कृपया निदेश किया जाय जिसके द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 173 दिनांक 09.11.1996 के आलोक में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्राप्त अभ्यावेदनों/आवेदन पत्रों के निष्पादन हेतु अधिकतम समय–सीमा 30 (तीस) दिन निर्धारित करते हुए समय सीमा के अन्दर कार्रवाई किये जाने का अनुदेश दिया गया था।

राज्य सरकार के संज्ञान मे यह तथ्य आया है कि जाति प्रमाण पत्र, यथा निर्धारित समय–सीमा के अन्दर उपलब्ध नहीं होने से कठिनाई उत्पन्न हो रही है। जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के विषय पर प्रक्रिया को सुगम एवं प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निम्न निर्णय लिया है :–

1) जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की समय सीमा :–

(क)	प्रखंड/अंचल कार्यालय	–	7 कार्य दिवस
(ख)	अनुमंडल कार्यालय		7 कार्य दिवस
(ग)	जिला कार्यालय	–	7 कार्य दिवस

यदि किसी मामले विशेष में विस्तृत जांच की आवश्यकता हो तो इस स्थिति में अधिकतम 30 दिनों के अंदर जांच की प्रक्रिया पूरी कर नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र से संबंधित मामले का निस्तार सुनिश्चित किया जाय।

2. जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए मानक प्रपत्र निर्धारित किया गया है जो इसके साथ संलग्न है। संलग्न प्रपत्र–I में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा प्रपत्र–II में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित–II) के लिए सभी स्तरों पर सभी कार्य हेतु ~~इसी~~ जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जायेंगे।

3. राज्य सरकार के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन संचालित विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन के दौरान जाति प्रमाण पत्रों के मूल से सत्यप्रति (True Copy) का मिलान कर मूल जाति प्रमाण पत्र सम्बद्ध व्यक्ति को हस्तगत करा दी जाय तथा सत्यापित प्रति शिक्षण संस्थान द्वारा अभिलेख के रूप में संधारित कर ली जाय।

4. अनुरोध है कि जाति प्रमाण पत्र के मामले के निस्तार में उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 22.10.08

(जे0बी0 तुबिद)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 5682 / रांची, दिनांक 22 अक्टूबर, 2008

प्रतिलिपि–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. राज्य के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन संचालित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रशासी विभाग से विशेष अनुरोध है कि इस परिपत्र की कंडिका–3 में अंकित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने–अपने स्तर से भी कार्रवाई की जाय।

(हस्ताक्षर) 22.10.08

सरकार के सचिव।

letter

झारखण्ड सरकार

प्रपत्र ।

(कार्यालय का नाम)

जाति प्रमाण पत्र

(सभी कार्यों के लिए)

संख्या .... तिथि

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... पुत्र / पुत्री / पत्नी, श्री .... निवासी: ग्राम / कस्बा / मोहल्ला ...., डाकघर ...., थाना .... जिला ...., राज्य .... अनुसूचित जाति */ अनुसूचित जनजाति * श्रेणी के अन्तर्गत .... जाति / उप जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिए अनुसूचित जाति * / अनुसूचित जनजाति * के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

2. श्री / श्रीमती / कुमारी एवं / अथवा उनका / उनकी परिवार साधारणतः गांव / कस्बा शहर .... जिला ...... राज्य .... में निवास करते है ।

स्थान –

तिथि :

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम ....
पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोट: जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जन जाति) संशोधन आदेश 1950
2. * अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

झारखण्ड सरकार

प्रपत्र–II

....

(कार्यालय का नाम)

जाति प्रमाण पत्र

(सभी कार्यों के लिए)

संख्या :–.............................. तिथि :–.......................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... पुत्र / पुत्री / पत्नी, श्री ...., निवासी, ग्राम / कस्बा / मोहल्ला ...., डाकघर ...., थाना ...., जिला ...., राज्य ....अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)* / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2)* श्रेणी के अन्तर्गत .... जाति / उप जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) * / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) * के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

2. श्री / श्रीमती / कुमारी .... एवं / अथवा उनका / उनकी परिवार साधारणतः गांव / कस्बा .... शहर ....जिला .... राज्य .... में निवास करते हैं ।

स्थान :–

तिथि :–

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर,
नाम ....
पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियो में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में अंकित जातियॉं / उप जातियाँ)
2. * कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के सकल्प संख्या–3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06 2004, 6337 दिनाक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनाक 01.06 2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनाक 24.08. 2006, 5182 दिनांक 26.09 2006, 1604 दिनाक 28 03 2007, 243 दिनाक 11.01.2008 एव 5108 दिनाक 23.09.2008

अनुलग्नक - III/180

पत्रांक–7 / जाति–19–11 / 2008 का०–
झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

फिदेलिस टोप्पो
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी
सभी अंचल अधिकारी,
झारखण्ड।

रांची, दिनांक ....

विषय : अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अभ्यर्थियों को निर्गत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र।

प्रसंग : विभागीय परिपत्र संख्या 7, जा0नि0 19–11 / 2008 - 5682 दिनांक 22.10.2008

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) के अभ्यर्थियों को निर्गत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र के प्रपत्र का निर्धारण प्रासंगिक परिपत्र के प्रपत्र–II द्वारा किया गया था। कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक 10.06.2002 के आलोक में 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा का समावेश सम्बन्धित प्रपत्रों में किया जाना आवश्यक था तद्विषयक संशोधित प्रपत्र - II की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति संलग्न है।

विभागीय परिपत्र संख्या–5682 दिनांक 22.10.2008 की कंडिका–2 इस हद तक संशोधित समझी जायेगी।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0 / -
(फिदेलिस टोप्पो)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -7 / जाति–19–11 / 2008 का - .... रांची, दिनांक ....

प्रतिलिपि–अनुलग्नक की प्रतिलिपि सहित, सभी विभाग / विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7 / जाति–19–11 / 2008 का०– .... / राची, दिनांक ....

प्रतिलिपि–अनुलग्नक की प्रतिलिपि सहित सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग / झारखण्ड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7 / जाति–19–11 / 2008 का०–[illegible] / रांची, दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि–अनुलग्नक की प्रतिलिपि सहित, विभागीय प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट किया जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।

8

FORM-II

FORM OF CASTE CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY EXTREMELY BACKWARD CLASSES/BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO THE POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF JHARKHAND

This is to certify that Shri/Smt./Kumari ____________ son/daughter of ____________ resident of Village/Town ____________ P.S. ____________ District ____________ of Jharkhand belongs to the ____________ community which is recognised as an Extremely Backward Class (Annexure-I)/Backward Class (Aannexure-II) of the Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 2001.

This is to also certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned at column-3 of the Schedule to the OM No.-36012/22/93-Estt(SCT) dated 08.09.1993 of Department of Personnel & Training, Government of India as adopted by the Department of Personnel, Administrative Reforms and Official Languages vide Resolution No.-3482, dated [illegible]

Place :-

Date :-

Signature of Competent Officer

Name ....

Post ....

(Official Seal)

(Note-Strike which is not applicable)

1. Caste/Sub Caste [illegible] Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act-2001

2. The castes included in the list of Extremely Backward Classes/Backward Classes under Section-2 of the Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act-2001 vide Resolution No. [illegible], dated 05.11.2011, 801 dated 11.02.2003, 3436 dated 28.0[illegible], [illegible] dated 08.12.2004, 6374 dated 11.12.2004, 368 dated 19.01.2006, [illegible] dated [illegible] 2006, 3706 dated 15.07.2006, 4447 dated 24.08.2006, [illegible] dated [illegible] 2006, 1604 dated 28.03.2007, 243 dated 11.01.2008, [illegible] dated [illegible] 2008, 4450 dated 01.08.2011, 5826 dated 19.09.2011, [illegible] dated [illegible], 6580 dated 20.10.2011, 8060 dated 17.12.2011, 144 dated [illegible] 2012, [illegible] dated 27.03.2012 and as revised from time to time.

प्रपत्र- II

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... पुत्र / पुत्री .... ग्राम / शहर .... थाना .... जिला .... झारखण्ड के रहने वाले / की रहने वाली हैं जो झारखण्ड [illegible] पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम- 2001*,** की धारा–2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग [illegible] के रूप में मान्यता प्राप्त .... समुदाय से आते / आती हैं।

यह भी प्रमाणित [illegible] है कि वे कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प [illegible] दिनांक 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36012 / 22 / 93 स्था0(एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित व्यक्ति / वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान ....

तिथि ....

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम ....

पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोट जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय)

1. * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2 में अंकित जातियाँ / उप जातियाँ

2. ** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग की [illegible] संख्या 3885, दिनांक 05.11.2001 [illegible] दिनांक 11.02.2003 [illegible] 2004 [illegible] दिनांक 08.12.2004, [illegible] 11.12.2004 368 [illegible] दिनांक 01.06.2006 3706 दिनांक 16.07.2006 [illegible] 2007 243 [illegible] 11.01.2008 5108 [illegible] दिनांक 31.08.2011 5826 दिनांक [illegible] 697 दिनांक 26.09.2011 [illegible] 10.2011 4060 दिनांक 17.12.2011 [illegible] 144 दिनांक 06.01.2012 2855 [illegible] पर यथा संशोधित।

अनुलग्नक - 17

494

पत्रांक–7 / झा.वि.स.–016–016 / 04 का० – 2216 / अनु.स.
झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

मुखत्यार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त।

रांची, दिनांक 12 जुलाई, 2005

विषय : जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में दिशा निर्देश।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्र संख्या 3640 दिनांक 03.07.2004 द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के बिन्दु पर हो रहे कठिनाईयों को दूर करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गये हैं। उक्त पत्र में यह भी उल्लेखित है कि जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में गृह मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक बी.सी. 12025 / 02 / 76–एस.सी.टी. दिनांक 22.03.1977 भी प्रासंगिक है, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के किसी खास स्थान विशेष का होना विशेष महत्व रखता है।

उक्त पत्र के निर्गत किए जाने के पश्चात् अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों जो दूसरे राज्य से इस राज्य में बासित हैं, के जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में कठिनाई महसूस किये जाने के कारण सरकार द्वारा इस पर भली भांति विचार कर निर्णय लिया गया कि ऐसे उम्मीदवारों के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय के ज्ञाप संख्या बी.सी.–16014 / 1 / 82–एस. सी. और बी.सी.डी.–1 दिनांक 18.11.1982 में दिये गये दिशानिर्देश के अनुसार जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। (पत्र की छाया प्रति संलग्न)।

प्रवासी व्यक्तियों को निर्गत किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा भी संलग्न किया जा रहा है।

विश्वासभाजन,

(मुखत्यार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

No. B.C.-16014/1/82—S.C. and B.C.D.-I

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR

MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA

New Delhi, dated the 22nd February 1985

To

The Chief Secretaries to all State Governments/Union Territory Administrations

SUBJECT—Issue of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificate to migrants from other States/Union Territories.

Sir,

I am directed to say that it has been represented to this Ministry that persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, who have migrated from one State to another for the purpose of employment, education, etc. experience great difficulty in obtaining caste/tribe certificate from the State from which they have migrated. In order to remove this difficulty, it has been decided to modify the instructions issued in Letter No. B.C. 12025/2/76-S.C.T.-I, dated the 22nd March 1977 and Letter No. B.C. 12025/11/79-S.C. and B. C. D.-LIV dated the 29th March 1982 that the prescribed authority of a State Government/Union Territory Administration may issue the Scheduled Caste/Tribe certificate to a person who has migrated from another State, on the production of the genuine certificate issued to his father by the prescribed authority of the State of the father's origin except where the prescribed authority feels that detailed enquiry is necessary through the State of origin before issue of the certificate. The certificate will be issued irrespective of whether the caste/tribe in question is scheduled or not in relation to the State/Union Territory to which the person has migrated. This facility does not alter the Scheduled Caste/Tribe status of the person in relation to the one or the other State. The revised form of the Scheduled Caste/Tribe certificate has already been circulated with this Ministry's letter of even number, dated the 6th August 1984.

2. It is also clarified that a Scheduled Caste/Tribe person who has migrated from the State of origin to some other State for the purpose of seeking education, employment, etc. will be deemed to be a Scheduled Caste/Tribe of the State of his origin and will be entitled to derive benefits from the State of origin and not from the State to which he has migrated.

3. This letter substitutes this Ministry's earlier letter of even number, dated the 18th November 1982.

Yours faithfully

B. K. SARKAR

Joint Secretary

पत्रांक–7/भा.वि.स. 016–16/04 का. 3557 3/3·05

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

मुखत्यार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त।

रांची, दिनांक 18 अक्टूबर, 2005

विषय : जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में दिशा निर्देश।

प्रसंग : विभागीय पत्रांक 2216 दिनांक 12.07.2005

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 2216 दिनांक 12.07.2005 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जो इस राज्य में वासित हैं, उन्हें भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या–बी.सी.–16014/1/82 एस.सी. और बी.सी.डी.–I दिनांक 18.11.1982 में दिये गये दिशा निर्देश के आलोक में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु निदेश दिया गया है। भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा उक्त पत्र का प्रतिस्थापन बी.सी.–16014/1/82 एस.सी. एवं बी.सी.डी.–I दिनांक 22.02.1985 द्वारा किया गया है, जिसके कारण भारत सरकार के पत्र संख्या– 16014/1/82 एस.सी. और बी.सी.डी.–I दिनांक 18.11.1982 का अवक्रमण हो चुका है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या –16014/1/82 एस.सी. और बी.सी.डी.–I दिनांक 22.02.1985 (छाया प्रति संलग्न) में दिये गये दिशा निर्देश के आलोक में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

तदनुसार विभागीय पत्रांक 2216 दिनांक 12.07.2005 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

विश्वासभाजन,

(मुखत्यार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

No. B.C.-16014/1/82—S.C. and B.C.D.-I

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR

MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA

New Delhi, dated the 22nd February 1985

To

The Chief Secretaries to all State Governments/Union Territory Administrations

SUBJECT—Issue of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificate to migrants from other States/Union Territories.

Sir,

I am directed to say that it has been represented to this Ministry that persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, who have migrated from one State to another for the purpose of employment, education, etc. experience great difficulty in obtaining caste/tribe certificate from the State from which they have migrated. In order to remove this difficulty, it has been decided to modify the instructions issued in Letter No. B.C. 12025/2/76-S.C.T.-I, dated the 22nd March 1977 and Letter No. B.C. 12025/11/79-S.C. and B.C. D.-I.IV dated the 29th March 1982 that the prescribed authority of a State Government/Union Territory Administration may issue the Scheduled Caste/Tribe certificate to a person who has migrated from another State, on the production of the genuine certificate issued to his father by the prescribed authority of the State of the father's origin except where the prescribed authority feels that detailed enquiry is necessary through the State of origin before issue of the certificate. The certificate will be issued irrespective of whether the caste/tribe in question is scheduled or not in relation to the State/Union Territory to which the person has migrated. This facility does not alter the Scheduled Caste/Tribe status of the person in relation to the one or the other State. The revised form of the Scheduled Caste/Tribe certificate has already been circulated with this Ministry's letter of even number, dated the 6th August 1984.

2. It is also clarified that a Scheduled Caste/Tribe person who has migrated from the State of origin to another State for the purpose of seeking education, employment, etc. will be deemed to be a Scheduled Caste or Tribe of the State of his origin and will be entitled to derive benefits from the State of origin and not from the State to which he has migrated.

3. This letter substitutes this Ministry's earlier letter of even number, dated the 18th November 1982.

Yours faithfully
B. K. SARKAR
Joint Secretary

498 S.M 1(R)

अनुलग्नक- VI

No.12017/1/2002-BCC
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment

25, Jeevan Prakash Building,
9th Floor, Kasturba Gandhi Marg,.
New Delhi, Dated : 25th November, 2002

To

Chief Secretaries to all State Governments/UT Admns.,

डायरी सं०/Dy.No. 559 प्रशासन/Admn/एन.सी.बी.सी./N C.B.C.
5/12/12

Subject : Issue of OBC certificate to migrants from one State/UT to another State/UT – clarification regarding.

Sir,

I am directed to say that many instances have come to the notice of this Ministry wherein certificates belonging to a particular backward class has not been issued strictly in accordance with the principles governing the issue of such certificates. In order that the certificates are issued to the eligible persons, it is necessary that proper verification based primarily on revenue records and if need be, through reliable inquiries, is made before such certificates are issued.

2. Further, it may be clarified that in the case of migrant OBCs, the crucial date for determining the OBC as migrant or origin should be taken as the date of issue of notification applicable in the case of beneficiary. Similarly, in the case of persons born after the date of issue of the relevant notification, the place of residence for the purpose of acquiring backward class status, is the permanent abode of their parents at the time of the issue of the notification under which they claim to belong to such a caste/community.

3. All the State Governments/UT Administrations are, therefore, requested to streamline their respective procedure for issuing such certificates so as to conform to the above guidelines as well as to those issued from time to time. The certificate issuing authorities may be instructed to do so only after having made proper verification and after having satisfied themselves of the correctness of such certificates.

Yours faithfully,

[PRAHLAD KUMAR]
Director(BC)

Pl. circulate to Chn. MS & Members for information.

No.12017/1/2002-BCC

New Delhi, dated the 25th November, 2002.

1. All Ministries/Departments of the Government of India.
2. Secretary, Union Public Service Commission, Dhaulpur House, New Delhi,
3. Secretary, Staff Selection Commission, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi,
4. Member Secretary, National Commission for Backward Classes, Trikoot-I, Bhikaji Cama Place, New Delhi,
5. Managing Director, National Backward Classes Finance & Development Corporation, August Kranti Marg, New Delhi.
6. Comptroller & Auditor General of India, New Delhi.
7. Election Commission of India, New Delhi.
8. Department of Public Enterprises, CGO Complex, New Delhi.
9. Rajya Sabha Sectt. (Admn. Branch.), New Delhi.
10. Lok Sabha Sectt. (Admn. Branch.), New Delhi.
11. Ministry of Home Affairs for taking necessary action so far as Union Territories are concerned.
12. Department of Personnel & Training, Establishment (Res.) Branch, North Block, New Delhi.

F.No.12011/11/94-BCC(C)
Government of India
Ministry of Welfare

.....

Shastri Bhavan, New Delhi-110001
Dated the 6th April, 1994.

Chief Secretaries of all State Governments
and U.T. Administrations.

Subject : Issuing of Other Backward Class Certificates to migrants from other States/UTs.

Sir,

In continuation of the DOPT's letter of 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 15th November, 1993, I am directed to say that it has been represented to this Department that persons belonging to OBCs who have migrated from one State to another for the purpose of employment, education, etc. experience great difficulty in obtaining caste certificates from the State from which they have migrated. In order to remove this difficulty, it has been decided that the prescribed authority of a State/U.T. Administration in terms of the DOPT letter No.36012/22/93-Estt.(SCT) dated 15th November, 1993 may issue the OBC Certificate to a person who has migrated from another State on the production of a genuine certificate issued to his father by the prescribed authority of the State of his father's origin, except where the prescribed authority feels that a detailed enquiry is necessary through the State of origin, before the issue of the certificate.

2. The certificate will be issued irrespective of whether the OBC candidate in question is included in the list of OBC pertaining to the State/U.T. to which the person has migrated. The facility does not alter the OBC status of the person in relation to the one or the other State/U.T. The OBC person on migration from the State/U.T. of his origin to another State/U.T. where his caste is not in the OBC list is entitled to the concessions/benefits admissible to the OBCs from the State of his origin and Union Government but not from the State where he has migrated.

Contd....2/-

3. It is requested that all competent authorities may be advised to issue the OBC certificate after satisfying them selves of the correctness of the certificate. The Lists of the Competent authorities empowered as per DOPT's circular of 15th November, 1993 may be followed strictly. No other authorities may be allowed to issue the OBC certificates.

Yours faithfully,

(M.S. Pandit)
Joint Secretary to the Govt. of India.

Copy to :

1. Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi.(With 15 spare copies)
2. Secretary Staff Selection Commission CGO Complex, Lodhi Road, (With 15 spare copies)
3. All Ministries/Departments of Government of India.
4. Member Secretary, National Commission for Backward Classes, West Block, I, 2nd Floor, Wingh-3, R.K. Puram, New Delhi,
5. Comptroller and Auditor General of India New Delhi.
6. Election Commission of India, New Delhi.
7. Rajya Sabha Secretariat (Administration Branch).
8. Lok Sabha Secretariat (Administration Baranch).
9. Department of Public Enterprises, CGO Complex, New Delhi.
10. Ministry of Home Affairs for taking necessary action so far as Union Territories are concerned.
11. Department of Personnel and Training Estt.(SCT), Branch.
12. All attached and subordinate offices of Ministry of Welfare.

(M.S. Pandit)
Joint Secretary to the Govt. of India.

Department of Personnel and Training O.M. No.36012/22/93-Estt.(SCT), dated the 15th November, 1993, to all Ministries/Departments, *etc.*

Sub: Reservation for Other Backward Classes in Civil Posts and Services under the Government of India regarding.

The undersinged is directed to refer to paragraph 5 of this Department's O.M. of even number dated 22.10.93 wherein the authorities competent to issue certificate for the purpose of verification of the castes/communities have been indicated for the purpose of giving the benefit of reservation to Other Backward Classes in Civil services and posts under the Government of India. It has now been decided that the same authorities which are notified as competent to certify OBCs status should also be authorised to certify that the candidate in question does not belong to the persons/section (creamy layer) mentioned in column 3 of the Schedule to this Department's O.M. of even number dated 8.9.93. A modal form of certificate to be furnished by the candidates from the authorities mentioned at para 5 of O.M. dated 22.10.93 is enclosed at Annexure A. This certificate may be accepted by the Ministries, Departments etc. for the purpose of giving the benefit of reservation to Other Backward Classes.

(Sd/)
(M. Venkataraman)
Under Secretary to the Government of India

To

1. All Ministries/Departments of the Govt. of India.
2. Department of Public Enterprises, New Delhi.
3. Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi.
4. Department of Economic Affairs (Insurance Division), New Delhi.
5. UPSC, New Delhi with reference to their No. F.22/31/92-E(I)B, dated 3.11.93.
6. SSC, New Delhi with reference to their No. 1/77/90-P&P, dated 1.11.93.
7. Ministry of Welfare, New Delhi (Smt. Manjula Krishnan, Director), New Delhi.

Annexure A

Form of Certificate to be produced by Other Backward Classes applying for appointment to posts under the Government of India.

This is to certify that ....
son of .... of village...
District/Division ....
in the..State...
belongs to the ....community
which is recognised as a backward class under the Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/68/93-BCC(C), dated 10th Sept. 1993 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I dated 13th Sept. 1993. Shri ....
and/or his family ordinarily reside(s) in the...
....District/Division of the ....State.
This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the Government of India. Department of personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT), dated 8.9.93.

District Magistrate,
Deputy Commissioner etc.

Dated

Seal

NB

(a) The term 'ordinarily' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950.

(b) Where the certificates are issued by Gazetted Officers of the Union Government or State Governments, they should be in the same form but *countersigned* by the District Magistrate or Deputy Commissioner (Certificates issued by Gazetted Officers and attested by District Magistrate/Deputy Commissioner are not sufficient).

पत्रांक :— 14/स्थानीयता नीति—14—02/2010 का0 6353 (का)

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

दिवाकर प्रसाद सिंह,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी अनुमंडल पदाधिकारी
सभी उपायुक्त
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 16/07/2015

विषय :— स्थानीय निवासी एव जाति प्रमाण—पत्र के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभागीय पत्र सं0—4156 दिनांक—17.07.2002 द्वारा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करने का निदेश निर्गत है, जिसमें प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी अधिकृत पदाधिकारी घोषित है। (प्रति संलग्न)

जाति प्रमाण पत्र के मामले में निर्गत विभागीय पत्र सं0—7072 दिनांक—30.12.2003, 3540 दिनांक—03.07.2004, 3376 दिनांक—05.06.2008 एवं 6689 दिनांक—24.07.2011 से स्पष्ट होगा कि नौकरी एवं प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अनुमंडल पदाधिकारी से न्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। (सभी अनुदेशों की एक—एक प्रति संलग्न है।)

अनुरोध है कि नौकरी एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा (21 कार्य दिवस) के अन्दर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक—यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

(दिवाकर प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक— 14/स्थानीयता नीति—14—02/2010 का0 6353 (का) राँची, दिनांक 16/07/2015

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक की प्रति सहित परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखा टोली, नामकुम— तुपुदाना रोड नामकुम, राँची— 834023 को उनके पत्र सं0—447 दिनाक—10.07.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

पत्रांक–14/स्थानीय नीति–14–02/2010का0 1853

झारखंड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

एस0 के0 शतपथी, भा0प्र0से0
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड ।

रॉची, दिनांक– 26 फरवरी,2015

विषयः– जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संदर्भ में स्थानीय जाँच की प्रक्रिया ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्रांक–3540 दिनांक–03.07.2004 एवं 3376 दिनांक–05.06.2008 का कृपया निदेश किया जाय, जिसके द्वारा जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु अंकित अनुदेश निम्न प्रकार है :–

"सामान्यतः जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु भू–अभिलेख/ पंचायत/ नगर पंचायत/ नगरपालिका/ नगर निगम/ निबंधन कागजातों के आधार पर किसी व्यक्ति की जाति का निर्धारण किया जा सकता है तथापि यदि किसी व्यक्ति द्वारा उल्लिखित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया जा सके, तो ईमानदारीपूर्वक स्थानीय जाँच कर जाति का निर्धारण किया जा सकता है ।

जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने में गृह मंत्रालय, भारत सरकार का प्रत्रांक बी0सी0 12025/02/76–ए0टी0सी0 दिनांक–22.03.1977 भी प्रासंगिक है, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के किसी खास स्थान विशेष का होना विशेष महत्त्व रखता है ।

स्थानीय जाँच के कम में जाँच पदाधिकारी द्वारा जाँच की सही प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए ताकि गलत प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं हो सके । कोई भी जाति प्रमाण–पत्र उपयुक्त सत्यापन के पश्चात् तथा निर्गत करने वाले पदाधिकारी के स्वयं संतुष्ट होने के आधार पर ही निर्गत किया जाय ।"

सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिनके दावे के समर्थन में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सके, उनकी जाति का निर्धारण निम्न रूप में स्थानीय जाँच की प्रक्रिया अपना कर की जाय तथा तदनुसार जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाय :–

(क) जाति प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन अंचल पदाधिकारी को प्रस्तुत किया जायगा । अंचल पदाधिकारी प्राप्त आवेदन के आलोक में आवेदक की जाति के समर्थन में किसी अभिलेख के उपलब्ध नहीं होने के संबंध में पर्याप्त छानबीन करेंगे एवं आश्वस्त होने के उपरान्त अपनी

अनुशंसा के साथ आवेदन पत्र अनुमण्डल पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे । प्रज्ञा केन्द्र के पास भी ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर वहाँ से अंचल पदाधिकारी को ही भेजा जायेगा ।

(ख) अनुमण्डल पदाधिकारी आवेदक के निवास स्थान के अनुसार शहरी निकाय/ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर कमशः कार्यपालक पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी को स्थानीय जाँच हेतु पृष्ठांकित करेंगे ।

(ग) कार्यपालक पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी आवेदन पत्र कमशः शहरी निकाय में वार्ड पार्षद/ ग्राम पंचायत के मुखिया को पृष्ठांकित करेंगे ।

(घ) वार्ड पार्षद/ मुखिया वार्ड समितियों की राय प्राप्त कर सम्बन्धित व्यक्ति की जाति का स्पष्ट उल्लेख कर प्रतिवेदन सम्बन्धित कार्यपालक पदाधिकारी/अंचलाधिकारी को भेज देंगे ।

(ङ) कार्यपालक पदाधिकारी/अंचलाधिकारी सम्यक् जाँचोपरान्त अपनी संतुष्टि के आधार पर मन्तव्य के साथ प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी को भेजेंगे ।

(च) अनुमण्डल पदाधिकारी प्राप्त प्रतिवेदन की भलीभाँति जाँच कर अंपनी संतुष्टि के आधार पर सम्बन्धित व्यक्ति का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करेंगे ।

उपरोक्त प्रकिया आवेदन पत्र समर्पित करने की तिथि से 21 दिन के अन्दर पूरी हो, इसे अनुमण्डल पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे ।

विश्वासभाजन,

26/2/15

(एस0 के0 शतपथी)

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक-14/स्थानीय नीति-14-02/2010का0 1853 / राँची, दिनांक-26फरवरी,15

प्रतिलिपिः- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग तथा परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26/2/15

सरकार के प्रधान सचिव ।

Niranjan-24-02-15

पत्र संख्या–14/नीति(क्रीमिलेयर)–07–02/2012 का0.......7549.......

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

प्रमोद कुमार तिवारी,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी,
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी,
झारखण्ड,राँची।

राँची, दिनांक– 25 जुलाई,2014

विषयक:– केन्द्रीय सेवाओं में नियोजन के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)वर्ग को आरक्षण की सुविधा प्राप्त करने हेतु (OBC) का जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्र संख्या 7906 दिनांक 10.12.2011, 732 दिनांक 25.01.2012 तथा 2632 दिनांक 13.03.2014 के क्रम में कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के पत्र संख्या 36036/2/2013-Estt.(Res) दिनांक 30.05.2014 की अनुलग्नक सहित छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि केन्द्रीय सेवाओं में नियोजन के निमित्त जारी किये जाने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का जाति प्रमाण पत्र अनुलग्न संशोधित विहित प्रपत्र में ही जारी किये जाये।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सरकार के उप सचिव।

No. 36036/2/2013- Estt.(Res.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
****

North Block, New Delhi
Dated: 30th May, 2014

To,

The Chief Secretaries of
all the State Governments/Union Territories

Subject: Revision of format for OBC Caste Certificate

Madam/Sir,

The Government of India had issued instructions on 8th September, 1993 vide DoPT O.M. No. 36012/22/93-Estt.(SCT) providing for reservation to Other Backward Classes in the services and posts under the Government of India. The format of the Caste Certificate was prescribed vide Annexure A of the O.M. No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 15th November 1993. In the said format, the then Ministry of Welfare's Resolution No. 12011/68/93-BCC(C) dated 10th September 1993 was mentioned, which contained the list of castes and communities treated as OBCs till that time. Since then, a large number of castes and communities have been added to the Central List of OBCs through various resolutions of the Ministry of Social Justice and Empowerment. The details of the resolutions subsequent to the Resolution dated 10th September 1993 do not find mention in the existing format. The said format also prescribes that the certificate issuing authority should certify that the candidate does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the aforesaid O.M. dated 8.9.1993.

2. Representations have been received in this Department wherein candidates belonging to OBC Communities have reportedly faced difficulty in getting the benefits of reservation. This is because of the fact that in the caste certificate issued by the concerned district authorities, although the name of the caste/community is mentioned in the certificate, the specific resolution by which the said caste/community has been included in the Central List of OBCs is not indicated.

3. Keeping in view such problems faced by the candidates, this issue was examined in consultation with the National Commission for Backward Classes and it has been decided to revise the existing format of OBC Caste Certificate. A copy of the revised format is enclosed (Annexure). All the certificate issuing authorities are requested to invariably mention the details of the Resolution (Number and Date) by which the caste/community of the candidate has been included in the Central List of OBCs and also to ensure that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the aforesaid O.M. dated 8.9.1993 as amended from time to time.

मुख्य सचिव कार्यालय
राँची
गै.स.प्रे.सं. 2831
13/6/14

4. I am to request that the revised format of the Certificate may please be brought to the notice of authorities under the State Governments/Union Territories who are empowered to issue the Caste Certificate.

Yours faithfully

(Sandeep Mukherjee)
Under Secretary to the Government of India
Phone- 011-23092110

Copy to:

1. All Ministries/ Departments of the Government of India
2. Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001
3. Department of Public Enterprises, Block No.14, CGO Complex, New Delhi-110003
4. Railway Board, Ministry of Railways, *Rail Bhavan*, New Delhi
5. Union Public Service Commission/ Supreme Court of India/Election Commission of India/ Lok Sabha Secretariat/ Rajya Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission/ President's Secretariat/ Prime Minister's Office/ Planning Commission
6. Staff Selection Commission, CGO Complex. Lodhi Road, New Delhi
7. Ministry of Social Justice and Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi
8. National Commission for SCs/National Commission for STs, Lok Nayak Bhawan, New Delhi
9. National Commission for Backward Classes, Trikoot-1, Bhikaji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi(w.r.t. their letter No.NCBC/7/32/2012-RW dated 16.5.2013)
10. Office of the Comptroller and Auditor General of India, 10 Bahadur Shah Jafar Marg, New Delhi – 110 002
11. Information and Facilitation Center, DoPT, North Block, New Delhi.
12. Director, ISTM, Old JNU Campus, Olof Palme Marg, New Delhi 110067
13. The NIC, DoPT with a request to upload it at the website of this Department in OMs & Orders →Estt.(Reservation) → SC/ST/OBC and also under '*What's New*'

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

This is to certify that Shri/Smt./Kumari ______________________________ son/daughter of ______________________________ of village/town ______________________________ in District/Division ______________________________ in the State/Union Territory ______________________________ belongs to the ______________________________ community which is recognised as a backward class under the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No. ______________________________ dated ____________*. Shri/Smt./Kumari ______________________________ and/or his/her family ordinarily reside(s) in the ______________________________ District/Division of the ______________________________ State/Union Territory. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93 – Estt.(SCT) dated 8.9.1993**.

District Magistrate
Deputy Commissioner etc.

Dated:

Seal

*- The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.
**-. As amended from time to time.

Note:- The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

पत्रांक :– 14/मु0 मं0 सचि0–08–03/2014/ 4384

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

एस0 के0 शतपथी,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 22/7/2014

विषय :– राज्य के +2 एवं माध्यमिक विद्यालयों मे पढ़ने वाले कक्षा 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वी एवं 8वीं कक्षा के छात्रों को जाति एवं आवासीय प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य के नागरिकों को जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्र सं0–3540 दिनांक–03.07.2004 तथा परिपत्र सं0–6689 दिनांक–24.07.2013 निर्गत है। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (नियोजन के लिए) के परपित्र सं0–4156 दिनांक–17.07.2002 तथा संकल्प सं0–2691 दिनांक–29.04.2002 के द्वारा राज्य के शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र जारी करने की नीति निर्धारित है।

जाति एवं आवासीय प्रमाण–पत्रों को प्राप्त करने में हो रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के विद्यालयों में 8वीं कक्षा में नामांकन के 60 दिनों के अंदर संबंधित छात्र का जातीय एवं आवासीय प्रमाण पत्र संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक को निश्चित रुप से उपलब्ध करा दिया जाय ताकि विद्यालय परित्याग करते समय छात्रों को उनके लिए निर्गत जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र उन्हें प्रदान किया जा सके।

ऐसे आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्राचार्य/प्रधानाध्यापक के प्रति हस्ताक्षर के बाद छात्रों को हस्तगत करायी जायेगी और इसकी एक प्रति विद्यालय के पास सुरक्षित रुप से रखी जायेगी।

उपरोक्त व्यवस्था के अनुरुप राज्य के +2 एवं माध्यमिक विद्यालयों मे पढ़ने वाले कक्षा 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वी एवं 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए जाति एवं आवासीय प्रमाण–पत्र दिनांक – 15.11.2014 तक आवश्यक रुप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अपने अधीनस्थ सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को उपरोक्त व्यवस्था के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने स्तर से निदेशित किया जाय। शिक्षा विभाग के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्ध में प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग से भी अनुरोध किया जा रहा है।

विश्वासभाजन,

(एस0 के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

कृ0 पृ0 उ0

ज्ञापांक :– 14/मु0 मं0 सचि0–08–03/2014 7384 /राँची, दिनांक 22/7/14

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की इस व्यवस्था को कार्यान्वित हेतु संबंधित शिक्षा पदाधिकारियों को यह निदेश देने की कृपा की जाय कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में 8वीं कक्षा में नामांकन लेने वाले छात्रों के नामांकन की तिथि की समाप्ति के बाद 15 दिनों के अंदर उनसे संबंधित जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचनाऍं सम्बद्ध अनुमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराये ताकि 60 दिनों के अंदर छात्रों का जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र विद्यालय के प्रधान को प्राप्त कराया जा सके।

22/7/14

सरकार के प्रधान सचिव।

पत्रांक :– 14/नीति (क्रिमीलेयर)–07/2002 का0......................../
झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

प्रमोद कुमार तिवारी,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/
सभी उपायुक्त/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/
अध्यक्ष, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/
सचिव, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

राँची, दिनांक................मार्च, 2014

विषय :– अन्य पिछड़े वर्गो को भारत सरकार के सिविल (असैनिक) पदों एवं सेवाओं में आरक्षण के लिए प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्रांक–732 दिनांक–25.01.2012 के क्रम में सूचित करना है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक–17.02.2014 को पिछड़े वर्गो की सूची में अन्य राज्यों की सूची के साथ झारखण्ड राज्य की भी पिछड़े वर्गो की सूची में कतिपय संशोधन/समावेशीकरण किया गया है। उक्त राजपत्र की छायाप्रति नियमानुसार कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः–14/नीति (क्रिमीलेयर)–07/2002 का0..2632../राँची, दिनांक–..13..मार्च, 2014

प्रतिलिपिः– श्री मंजित कुमार सेन, पिता– श्री विजय कुमार सेन, ग्राम–चापाकान्दर, पो0– भरकुंडा, जिला– दुमका, झारखण्ड को उनके प्रासंगिक आवेदन दिनांक– 05.03.2014 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

पत्रांक-14/ वि०वि०प्र०-11-05/2011 का० 10555 /
झारखण्ड सरकार,
कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

प्रेषक,

प्रवीण कुमार तिवारी,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी अंचलाधिकारी,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,

सभी अनुमंडलाधिकारी, झारखण्ड, राँची ।

राँची, दिनांक- 30 अक्टूबर, 2013

विषयः- जाति प्रमाण पत्र/ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि सरकार को इस बात की जानकारी मिली है कि जाति/ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए बहुधा शपथ पत्र की माँग की जाती है, जबकि जाति/ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने सम्बन्धी सरकारी आदेशों में शपथ पत्र की अपेक्षा नहीं की गई है ।

अतः कहना है कि तत्सम्बन्धी प्रक्रिया एवं स्थानीय स्तर पर जाँच कर प्रतिवेदन के आधार पर जाति/ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समयानुसार यथा-निर्धारित अवधि में निर्गत करने का कष्ट किया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/-

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक-14/ वि०वि०प्र०-11-05/2011 का० ____/ राँची, दिनांक- अक्टूबर, 13

प्रतिलिपि- सभी उपायुक्त/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक-14/ वि०वि०प्र०-11-05/2011 का० 10555 / राँची, दिनांक-30 अक्टूबर, 13

प्रतिलिपि- राज्यपाल के प्रधान सचिव को उनके अर्द्ध सरकारी पत्र सं0-2459 दिनांक-22.08.2013 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।

पत्रांक 1/स्था0नीति 14 02/2010 का0 6657/

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

प्रमोद कुमार तिवारी,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/
विभागाध्यक्ष/सभी विभाग
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 24 जुलाई, 2013

विषय :– जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्र संख्या–3540 दिनांक–03.07.2004 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त पत्र में यह अंकित है कि " अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र नौकरी एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने हेतु मान्य नहीं होगा"।

विभागीय पत्र संख्या– 7072 दिनांक– 30.12.2003 में स्पष्ट किया गया है कि आरक्षण का लाभ तभी दिया जाय जब अभ्यर्थी का जाति प्रमाण–पत्र झारखण्ड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, जो कम–से–कम अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून स्तर के पदाधिकारी होगें।

इस प्रकार पत्र संख्या–3540 दिनांक–03.07.2004 द्वारा जारी निदेश त्रुटिपूर्ण पाया गया है । इसे निम्न रूप में संशोधित माना जाय।

"अनुमंडल पदाधिकारी से न्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र नौकरी एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने हेतु मान्य नहीं होगें"।

यह पत्र उसी तिथि से प्रभावी माना जाएगा जिस तिथि से संख्या–3540 दिनांक–03.07.2004 प्रभावी है।

विश्वासभाजन,

24.07.13

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

पत्रांक–7/जाति–19–11/2008 का॰– 732
झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

प्रमोद कुमार तिवारी
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी
सभी अंचल अधिकारी,
झारखण्ड।

रांची, दिनांक 23.01.13

विषय : अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अभ्यर्थियों को निर्गत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र।

प्रसंग : विभागीय परिपत्र संख्या–7/जा0नि0 19–11/2008 –10007 दिनांक 19.08.2012

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अभ्यर्थियों को निर्गत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र के प्रपत्र का निर्धारण प्रासंगिक परिपत्र (प्रपत्र–II) द्वारा किया गया है। उक्त परिपत्र की अनुलग्नक सहित प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एतद् द्वारा पुनः संलग्न की जा रही है।

इसकी प्रति झारखण्ड सरकार के वेबसाईट jharkhand.gov.in पर कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के अन्तर्गत उपलब्ध करा दी गई है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह॰ 22.01.13

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/जाति–19–11/2008 का॰– 732 /रांची, दिनांक 23.01.13

प्रतिलिपि–अनुलग्नक की प्रतिलिपि सहित, सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰ 22.01.13

सरकार के उप सचिव।

letter- Section-7

ज्ञापांक–7/जाति–19–11/2008 का॰–......732......./रांची, दिनांक 23.01.13
प्रतिलिपि–अनुलग्नक की प्रतिलिपि सहित सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/झारखण्ड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/जाति–19–11/2008 का॰–......732......./रांची, दिनांक 23.01.13.
प्रतिलिपि–अनुलग्नक की प्रतिलिपि सहित, विभागीय प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट किया जाय।

सरकार के उप सचिव।

पत्रांक–7 / जाति–19–11 / 2008 का॰–
झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

फिदेलिस टोप्पो
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी
सभी अंचल अधिकारी,
झारखण्ड।

रांची, दिनांक ....

विषय : अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अभ्यर्थियों को निर्गत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र।
प्रसंग : विभागीय परिपत्र संख्या–7 / जा0नि0 19–11 / 2008 – 5682 दिनांक 22.10.2008

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अभ्यर्थियों को निर्गत किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र के प्रपत्र का निर्धारण प्रासंगिक परिपत्र के प्रपत्र–II द्वारा किया गया था। कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक 10.06.2002 के आलोक में 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा का समावेश सम्बन्धित प्रपत्रों में किया जाना आवश्यक था तद्विषयक संशोधित प्रपत्र– II की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति संलग्न है।

विभागीय परिपत्र संख्या–5682 दिनांक 22.10.2008 की कंडिका–2 इस हद तक संशोधित समझी जायेगी।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0 / –
(फिदेलिस टोप्पो)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7 / जाति–19–11 / 2008 का॰–...................... / रांची, दिनांक ....

प्रतिलिपि–अनुलग्नक की प्रतिलिपि सहित, सभी विभाग / विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7 / जाति–19–11 / 2008 का॰–......................./ रांची, दिनांक ....

प्रतिलिपि–अनुलग्नक की प्रतिलिपि सहित सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग / झारखण्ड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7 / जाति–19–11 / 2008 का॰–1607 / रांची, दिनांक 29/08/12

प्रतिलिपि–अनुलग्नक की प्रतिलिपि सहित, विभागीय प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट किया जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।

FORM-II

FORM OF CASTE CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY EXTREMELY BACKWARD CLASSES/BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO THE POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF JHARKHAND

This is to certify that Shri/Smt./Kumari ______________ son/daughter of ______________ resident of Village/Town ______________ P.S. ______________ District ______________ of Jharkhand belongs to the ______________ community which is recognised as an Extremely Backward Class (Annexure-I)/Backward Class (Aannexure-II) of the Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act-2001*,**.

This is to also certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column-3 of the Schedule to the OM No.-36012/22/93-Estt(SCT) dated 08.09.1993 of Department of Personnel & Training, Government of India as adopted by the Department of Personnel, Administrative Reforms and Official Languages vide Resolution No.-3482, dated 10.06.2002.

Place :-

Date :-

Signature of Competent Officer

Name ....

Post ....

(Official Seal)

(Note-Strike which is not applicable)

1. * Caste/Sub Caste enumerated in Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act-2001.

2. ** The castes included in the list of Extremely Backward Classes/Backward Classes under Section-2 of the Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act-2001 vide Resolution No.-3885, dated 05.11.2011, 801 dated 11.02.2003, 3436 dated 28.06.2004, 6337 dated 08.12.2004, 6374 dated 11.12.2004, 368 dated 19.01.2006, 2759 dated 01.06.2006, 3706 dated 15.07.2006, 4447 dated 24.08.2006, 5182 dated 26.09.2006, 1604 dated 28.03.2007, 243 dated 11.01.2008, 5108 dated 23.09.2008, 4450 dated 01.08.2011, 5826 dated 19.09.2011, 697 dated 26.09.2011, 6580 dated 20.10.2011, 8060 dated 17.12.2011, 144 dated 06.01.2012, 2855 dated 27.03.2012 and as revised from time to time.

प्रपत्र–II

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री .... ग्राम/शहर .... थाना .... जिला .... झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001*,** की धारा–2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त .... समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36012/22/93–स्था0(एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :– सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तिथि :– नाम ....

पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
2. ** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या–3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008 4450 दिनांक 01.08.2011, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय–समय पर यथा संशोधित।

पत्रांक — 7/नीति—(क्रिमी लेयर)07/2002 का. 732 /

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

फिदेलिस टोप्पो,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव,
सभी सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त,
सचिव, झारखंड लोक सेवा आयोग,
अध्यक्ष, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग,
सचिव, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद।

राँची, दिनांक 25 जनवरी, 2012

विषय :— अन्य पिछड़े वर्गो को भारत सरकार के सिविल (असैनिक) पदों एवं सेवाओं में आरक्षण के लिए प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्र संख्या 7906 दिनांक 10.12.2011 के क्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के संकल्प संख्या 232 दिनांक 18.08.2010 तथा संकल्प संख्या 257 दिनांक 08.12.2011 की छायाप्रति नियमानुसार कार्रवाई हेतु संलग्न है।

विश्वासभाजन,

25.1.2012

(फिदेलिस टोप्पो)
सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्र संख्या–7/नीति (क्रिमीलेयर)–07/2002 का॰ 7906 3/3
झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

फि देलिस टोप्पो,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/
सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/
सभी उपायुक्त/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/
अध्यक्ष, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/सचिव, संयुक्त
प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ।

राँची, दिनांक 10 दिसम्बर, 2011

विषय:– अन्य पिछड़े वर्गों को भारत सरकार के सिविल (असैनिक) पदों एवं सेवाओं में आरक्षण के लिये प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अन्य पिछड़े वर्गों को भारत सरकार सिविल (असैनिक) पदो एवं सेवाओं में आरक्षण हेतु प्रमाण-पत्र निर्गत करने, क्रिमीलेयर की पहचान आदि के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई हेतु निम्नांकित परिपत्र संलग्न है :–

1. बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का पत्रांक– 17 दिनांक 06.02.1994 के साथ अनुलग्नक की छायाप्रति संलग्न है ।
2. विभागीय संकल्प संख्या 3482 दिनांक 10.06.2002 की छायाप्रति संलग्न है ।
3. विभागीय पत्रांक 7097 दिनांक 30.10.2009 के साथ संलग्न भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) का पत्र संख्या 36033/3/2004–स्था॰ (आरक्षण) दिनांक 14.10.2008 की छाया प्रति संलग्न है ।

विश्वासभाजन,

7-12-2011

सरकार के संयुक्त सचिव ।

कृष्ण/

ग्लंबित डाक से

पत्र सं0-7/भा0स0प0-17-08/2008 का0 7097 3/3/

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

प्रेषक,

विनय प्रकाश वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड ।

राँची, दिनांक- 30 अक्टूबर, 09

विषय:- अन्य पिछड़े वर्गों (ओ0 बी0 सी0) के आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्गों) को बाहर रखने के लिए आय के मानदण्डों में संशोधन ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय से संबंधित कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-7/नीति क्रीमी लेयर-07/2002 का0-3482 दिनांक-10.6.2002 की कंडिका-5 में निहित प्रावधान के आलोक में भारत सरकार के ज्ञापांक-36033/3/2004- स्था0(आरक्षण) दिनांक-14.10.2008, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली के द्वारा क्रीमीलेयर की पहचान संबंधी संशोधित मापदण्ड को अंगीकृत करते हुए उसकी प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है । इस विभाग के पत्रांक-6903 दिनांक-12.12.2008, पत्रांक-701 दिनांक-30.1.2009 एवं पत्रांक-1992 दिनांक-26.3.09 के द्वारा भी उक्त पत्र की प्रति पूर्व में भेजी जा चुकी है ।

भारत सरकार के पत्र की कंडिका-2 में निर्धारित तिथि से यह झारखण्ड राज्य में भी प्रभावी समझा जायेगा ।

विश्वासभाजन,
(ह0)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-7/भा0स0प0-17-08/2008 का0 7097/राँची, दिनांक- 30 अक्टूबर, 09

प्रतिलिपि:- सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को भारत सरकार के ज्ञापन संख्या-36033/3/2004 दिनांक-14.10.2008 की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

(ह0)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

जफर/-

संख्या-36033/3/2004-स्था.(आरक्षण).
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 14 अक्तूबर, 2008.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) के आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्गों) को बाहर रखने के लिए आय के मानदण्डों में संशोधन ।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 08 सितम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्थापना(अनु.जा.) की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान था कि उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियां जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय एक लाख रुपये अथवा उससे अधिक है, सम्पन्न वर्गों में आते हैं और वे, अन्य पिछड़े वर्गों को उपलब्ध आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं । इस विभाग के दिनांक 09.03.2004 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के द्वारा सम्पन्न वर्ग का निर्धारण करने के लिए आय की सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया था । अब यह निर्णय लिया गया है कि अन्य पिछड़े वर्गों में से सम्पन्न वर्गों का निर्धारण करने के लिए आय की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख कर दिया जाए । तद्नुसार, उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची की श्रेणी vi की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर एतद्द्वारा निम्नलिखित पविष्टि पतिस्थापित की जाती है. ।

श्रेणी	श्रेणी का विवरण	वे व्यक्ति जिन पर आरक्षण के क्षेत्र से बाहर रखे जाने का नियम लागू होगा
VI	आय/सम्पत्ति का निर्धारण	(क) उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियां, जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये अथवा उससे अधिक है अथवा सम्पत्ति-कर अधिनियम में यथा-निर्धारित छूट सीमा से अधिक की सम्पत्ति रखते हैं । (ख) श्रेणी-I, II, III और V-क, में आने वाले ऐसे व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ पाने के हकदार हैं, परन्तु जिनकी अन्य स्रोतों से आय अथवा सम्पत्ति जो उन्हें उपर्युक्त (क) में उल्लिखित आय/सम्पत्ति के मानदण्ड के भीतर लाएगी, के पुत्र और पुत्रियाँ. ।

स्पष्टीकरण:

वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को नहीं जोड़ा जाएगा ।

2. इस कार्यालय ज्ञापन के प्रावधान 3 अक्टूबर, 2008 से लागू होंगे ।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की जानकारी में ला दें ।

(के.जी. वर्मा)
निदेशक
दूरभाष: 23092185

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. आर्थिक कार्य-विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली ।
3. आर्थिक कार्य-विभाग (बीमा-प्रभाग), नई दिल्ली ।
4. लोक-उद्यम-विभाग, नई दिल्ली ।
5. रेल-बोर्ड ।
6. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग ।
7. कर्मचारी चयन आयोग, केन्द्रीय सरकार कार्यालय परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
8. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
9. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली ।
10. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकूट-I, भीकाजी कामा प्लेस, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली ।
11. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, 10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
12. सूचना और सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
13. अतिरिक्त प्रतियां-400

प्रतिलिपि:

सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।
सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

राँची, दिनांक- जून, 2002.

विषयः- पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के संबंध में ।

झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा- 4 में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है ।

2. संविधान की धारा-16(4) के प्रावधानों में अंकित आरक्षण के लाभ के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ एवं अन्य में विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि पिछड़े वर्गों में "क्रीमी लेयर" को बाहर रखते हुए ही आरक्षण की सुविधा अनुमान्य की जाय ।

3. भारत सरकार ने उक्त "क्राईटेरिया" संकल्प संख्या-36012/22/93 दिनांक- 08 सितम्बर, 1993 द्वारा परिचारित किया है जो संकल्प की अनुसूची परिशिष्ट "क" के रूप में संलग्न किया गया है ।

4. झारखंड में "क्रीमी लेयर" की पहचान के लिए भारत सरकार के संकल्प संख्या- 36012/22/93 दिनांक-08.09.93 की अनुसूची को यथावत् अंगीकृत किया जाता है एवं तदनुसार उसमें निर्धारित क्राईटेरिया पूर्ण रूपेण लागू होगा ।

5. भारत सरकार द्वारा भविष्य में इस नीति में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो झारखंड में भी वह यथावत् लागू माना जाएगा ।

आदेश :- आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी एक प्रति महालेखाकार, झारखंड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाय ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,
10-6-2002
(सुशील कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-7/नीति क्रीमी लेयर-07/2002का0-3482/ राँची, दिनांक-10 जून, 2002

प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को भेजें ।

10.6.2002

सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-7/नीति क्रीमी लेयर-07/2002का0-3482/ राँची, दिनांक-10 जून, 2002

प्रतिलिपि :- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/ माननीय मुख्य मंत्री के सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, राँची/ महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/ प्रभारी सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय/ सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ मुख्य सचिव के सचिव/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ संयुक्त सचिव, झारखंड लोक सेवा आयोग/ सभी विश्वविद्यालय/ सभी संबंधित संस्थानों के प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10.6.2002

सरकार के सचिव ।

पत्र संख्या- 11/वि 6- भा० स०- 01/94 का०- 17

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री गुलाम ताहिर,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 6 फरवरी, 94

विषय :- अन्य पिछड़े वर्गों को भारत सरकार की सिविल पदों एवं सेवाओं पर आरक्षण के लिये प्रमाण- पत्र निर्गत करने के संबंध में अनुदेश ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या 12011/68/93- बी० सी० सी० (सी०), दिनांक अक्टूबर, 93 के साथ प्रकाशित अन्य पिछड़े वर्गों की सूची, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और (प्रशिक्षण) पेंशन मंत्रालय के पत्र संख्या 36012/22/93- इस्ट- (एस० सी० टी०), दिनांक 8 सितम्बर, 93 एवं दिनांक 15 नवम्बर, 93 की प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ मार्गदर्शन हेतु संलग्न की जा रही है ।

2) कृपया पावती स्वीकार की जाय ।

विश्वासभाजन,

(गुलाम ताहिर)
सरकार के उप सचिव ।

अनुलग्नक : यथोपरि ।

No. 12011/68/93 -BCC(C)
Government of India
Ministry of Welfare

....

Shastri Bhavan, New Delhi- 110001
Dated the October, 1993

To

The Chief Secretary.
Government of Bihar,
PATNA.

Subject : Implementation of reservation of 27 % vacancies in civil posts and services under the Government of India in favour of Other Backward Classes OBCs.- List of Others Backward Classes.

Sir,

I am directed to forward herewith five copies of the resolution dated the 13th September, 1993 (List of OBCs) regarding the above cited subject for onward transmission to your Ministries Departments for official use.

Kindly acknowledge the receipt.

Encl : As above

Yours faithfully,

Sd/- (Mrs.) (Manjula Krishnan)
Director BCc(C)

APPENDIX

List of States of OBCS

STATE : BIHAR : COMMON LIST

Sl. No.	Name of Castes/ Communities (including sub castes/ synonyms) in the common list of S.E.B.Cs.	Entry No. in Mandal list	Remarks
1	2	3	4
1.	Abdal	1	अब्दल
2.	Agariya	2	अगरिया
3.	Aghori	3	अघोरी
4.	Amat	5	अमात
5.	Kasab(Kasai) (Muslim)	80	कस्साब (कसाई)(मु0)
6.	Kewat	115	केवट
	Keot	84	
7.	Kadar	68	कादर
8.	Kaivartta/ Kalbartta	71	कैवर्त / कैबर्त
9.	Kalandar	72	कलन्दर
10.	Kaura	81	कौरा
11.	Kawar	82	कवार
12.	Kochh	93	कोच्छ
13.	Korku	95	कोरकू
14.	Kumarbhag Pahadia	97	कुमार भाग पहाड़िया
15.	Kurmi(Mahto)	101,110	कुर्मी (महतो)
	Kurmi(Mahto) (in Chhotanagpur Division only).		कुर्मी (महतो) (केवल छोटानागपुर प्रमंडल में)
16.	Kagzi	69	कागजी
17.	Kanu	77	कानू
18.	Kamar(Lohar, Karmkar, Visvakarma)	74,75,106 74	कमार (लोहार, कर्मकार, विश्वकर्मा)
19.	Kushwaha (Koeri)	102	कुशवाहा (कोइरी)
20.	Kapadia	78	कपड़िया
21.	Kosta , Koshta	96	कोस्टा, कोष्टा
22.	Khatik	87	खटिक
	Khangar	86	खंगार
	Khatwa	88	खतवा
	Khatve	89	[illegible]
	[illegible] (only in the district of Siwan and Rohtas)	85	[illegible] (केवल [illegible])

	Khatauri Khatwur	91	खैतौरी
	Kholta	90	खेलटा
	Godi(Chhava)	52	गोढी ([illegible]
30.	Gaddi	44	गद्दी
31.	Gandarbh or Gandharb	47	गंधर्ब या [illegible]
32.	Gangai (Nagesh)	48	गंगाई (नागेश)
33.	Gangota, Gangoth	49	गंगोता
34.	Gorh, Gourh (only in the district of Saran & Rohtas)	55	गोड़ या गौड़ (केवल सारण तथा रोहतास जिला में)
35.	Gulgaliya	58	गुलगलिया
36.	Goud	56	गौड़
37.	Ghatwar	50	घटवार
38.	Chik (Muslim)	28	चीक (मुस्लिम)
39.	Chain, Chayeen	24	चांई, चाइन / चांच, चाचीन
40.	Chapota	26	चपोता
41.	Chandrabanshi (Kahar)	23	चन्द्रवंशी (कहार)
42.	Churihar (Muslim)	29	चुड़िहार (मुस्लिम)
43.	Chanou	25	चनउ
44.	Jogi(Jugi)	64	जोगी (जुगी)
45.	Tikulhar	165	टिकुलहार
46.	Dafali (Mulsim)	31	डफाली (मुस्लिम)
47.	Dhekaru	39	ढेकारू
48.	Tanti (Tatwa) Tati, Tatin	159	तांती (तंतवा) [illegible]
49.	Turha	167	तुरहा
50.	Tamariya	156	तमेरिया
51.	Tiyar	166	तियर
52.	Tamoli, Tamboli	158,157	तम्बोली, तमोली
53.	Teli	161	तेली
54.	Tharu	164	थारू
55.	Devhar	33	देवहार
56.	Dhanuk	36	धानुक
57.	Dhobi(Muslim)	धोबी (मुस्लिम)	Covered by general note on p. 171 of Mandal Report (Second part).
	Dhunia(Muslim)	41	धुनिया (मुस्लिम)
	Dhamin	34	धामीन
	Dhanwar	35	धानवार
	Dhimar	40	धीमर
	[illegible]		नाई

Nat(Muslim)		नट (मु)
Nunia, Nonia	127	नोनिया, नुनिया
Namshudra,	129	नामशुद्र
Naiya,	126	नइया
Nalband (Muslim)	59	नालबन्द (मुस्लिम)
Pamaria(Muslim)	125	पमरिया (मुस्लिम)
Prajapati (Kumhar)	132	प्रजापति (कुम्हार)
Pandi	98	पाण्डी
Pinganiya	133	पिनगनिया
Parya	139	परया
Pradhan	134	प्रधान
Pahira	140	पहिरा
Pal (Bherihar- Gaderi),	130	पाल (भेडिहार-गडेरी)
Ganderia	131	
Bekhada		बेलखड़ा
Bagdi	11	बागदी
Bari	6	बारी
Beldar	9	बेलदार
Bind	12	बिन्द
Barhai (Viswakarma)	21	बढ़ई (विश्वकर्मा)
Darai	74	बरई
Sudi,	3	सूढ़ी
Halwai,	4	हलवाई
Roniyar,	4	रौनियार
Pansari		पनसारी
Modi,	4	मोदी
Kasera,	4	कसेरा
Kesarwani,	4	केसरवानी
Thathera,	4	ठठेरा
Kalwar,	164	कलवार
Patwa,	73	पटवा
Sinduriya- Bania,	137	सिन्दुरिया-बनिया
Mahuri- Vaishya,	4	माहुरी वैश्य
Avadh- Bania	4	अवध बनिया
Agrahari- Vaishya	4	अग्रहरी वैश्य
Bhathiara (Muslim)	4	भठियारा
	19	

89.	Mali (Malakar)	114	माली (मालाकार)
90.	Mallah (Surhia)	115	मल्लाह (सुरहिया)
91.	Madari (Muslim)	108	मदारी (मुस्लिम)
92.	Mehtar, Lalbegi, Halalkhor, Bhangi (Muslim) — मेहतर, लालबेगी, हलालखोर, भंगी (मुस्लिम)		Covered by the general note on p. 171 of Mandal Report(Second part). 104 Covered by general note on p. 171 of Mandal Report (Second part). 104
93.	Mirisin (Muslim)	120	मिरियासिन (मुस्लिम)
94.	Majhwar	112	मझवार
95.	Malar (Malhar)	113	मालार (मालहार)
96.	Mangar (Magar)	117	मांगर (मागर)
97.	Markande	118	मारकण्डे
98.	Maulik	123	मउलिक
99.	Mukri (Mukeri) (Muslim)	124	मुकरी (मुकेरी) (मुस्लिम)
100.	Madar	107	मदार
101.	Mauriaro, Mauriara	129	मौरियारी, मुरियारी
102.	Mirshikar (Muslim)	121	मिरशिकार (मुस्लिम)
103.	Momin (Muslim)	122	मोमिन (मुस्लिम)
104.	Yadav (Gwala, Ahir, Ghasi, Gope)	168	यादव (ग्वाला, अहिर, घोसी, गोप)
105.	Rajbhar	141	राजभर
106.	Rajdhobi	143	राजधोबी
107.	Rajbanshi (Risia and Poliya)	142	राजवंशी (रिसया तथा पोलिया)
108.	Rangwa	144	रंगवा
109.	Rangrez (Muslim)	145	रंगरेज (मुस्लिम)
110.	Rautia	146	रउतिया
111.	Rayeen or Kunjra (Muslim)	147, 99	राईन या कुंजरा (मुस्लिम)
112.	Lahari	103	लहेरी
113.	Banpar	7	बनपर
114.	Shivhari	151	शिवहरि
115.	Sekhta (Sota)	149	सेखडा (सोटा)
116.	Saiyee (Muslim)	150	साईं (मुस्लिम)
117.	Sonar, Sunar	154	सोनार, सुनार
118.	Sangtarash (only in the district of Nawadah)	148	संगतराश (केवल नवादा जिला में)
119.	Idrisi or Darzi (Muslim)	61	इदरिसी या दर्जी (मुस्लिम)

120.	Christian Converts from Scheduled Castes	General note in p. 171 of Mandal Report (Second Part).
121.	Christian converts from other-do-Backward classes	
122.	Dhanwar	37 धनवार

(In Bihar there are two lists, List I relates to " Other Backward Classes " (O.C) which list II relates to " Most Backward Classes " among the O.B.C. all areas (except Dhanwar of list II are common to both the lists).

(बिहार में दो सूचियाँ हैं। पहली सूची का संबंध अन्य पिछड़े वर्गों से है। सूची 2 का संबंध अन्य पिछड़े वर्गों में से अत्यन्त पिछड़े वर्गों से है। सूची के सभी नाम (धनवार को छोड़कर दोनों सूचियों में एक से हैं)।

(7)

No. 36012/22/93-Estt. (SCT)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING
NEW DELHI DATED THE 15 Nov. 1993

To

The Chief Secretaries of
all the State Governments/ Union Territories.

Subs. Reservation for Other Backward Classes exclusion of Creamy Layer for the purpose of appointment in services and posts under the Government of India- Certificate to be produced by the candidates.

....

Sir,

I am directed to say that the Government of India has issued instructions on 8.9.93 providing for reservation to Other Backward Classes in the services and posts under the Government of India (A copy of this O.M. is enclosed). The Other Backward Classes for the purpose of the above said reservation would comprise, in the first phase, the castes and communities which are common to both the lists in the report of the Mandal Commission and the State Government's list. A list of such castes and communities was notified in Resolution No. 12011/68/93-BCC(C), dated 10th Sept. 1993 published in the Gazette of India, Extraordinary Part I Section I dated 13.9.93. For the purpose or verification of the castes and communities the Government of India has prescribed a certificate from the following authorities as in the case of SC/ST vide this Department's O.M. No. 36012/22/93- Estt. (SCT), dated 22.10.93 (copy enclosed):

(a) District Magistrate/ Additional District Magistrate/ Collector/ Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commissioner /Deputy Collector / Ist Class Stipendary Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner (not below the rank of Ist Class Stipendary Magistrate).

(b) Chief Presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.

(c) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar; and

(d) Sub- Divisional Officer of the area where the candidate and / or his family normally resides.

(138) 197

2. In the light of the Supreme Court's Judgement in the Indira Sawhney case, this Department has specified the persons/ sections (" Creamy Layer ") to whom the benefit of reservation shall not apply vide column 3 of the Schedule to the Department of Personnel and Training O.M. No. 36012/22/93 -Estt. (SCT), dated 8.9.93. It has been considered that the same autherities who are notified as competent to certify OBCs status should also be authorised to certify that a candidate does not belong to the " Creamy Layer. " It is, therefore, therefore, requested that instructions may be issued to the District Authorites under your control to verify and issue the necessary certificate to the candidates regarding his OBCs status as well as exclusion from the " creamy layer." To enable the District Authorities to examine the claims of the candidates a model format has been devised as in Annexure B. This may be suitably revised if considered necessary. The format of the Certificate that may be given by the concerned district authorities may be as in Annexure A.

3. It is also requested that wide publicity may be given to the Ministry of Welfare Resolution No.12 011/68/93- BCC(C), dated 10-9-93 published in the Gazette of India / Extraordinary Part I Section I, dated 13-9-93 containing the list of Backward Castes as well as to DOPT O.M.No. 36012/22/93-Estt. (SCT), dated 8-9-93 which specifies the criteria which will determine the persons who belong to the creamy layer and to whom the reservation shall not apply. This will facilitate the candidates to ascertain their eligibility for reservation. It would also be advisable to appropriately brief the certifying Authorities and to provide them with suffifient number of copies of the above mentioned Gazatte Notification and the Deptt. O.M. dated 8.9.93 in order to ensure prompt and correct certification.

4. A copy of the orders issued by your Government in this regard may also be endorsed to this Department for information.

(Hindi version will follow.)

Yours faithfully,

Sd/- Smt. Sarita Prasad .

Joint Secretary to the Government of India.

Annexure

FORM OF

Certificate to be produced by Other Backward Classes applying for appointment to posts under the Government of India.

This is to certify that . . .

Son of . . . of village . . .

District/ Division . . . . . .

in the . . . State . . . . .

belongs to the . . . community

which is recognised as a backward class under the Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/68/93- BCC(C), dated 10th Sept. 1993 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I dated 13th Sept. 1993 . Shri and/ or his family ordinarily resides in the . . District/ Division of the . . . State.

This is also to certify that he/ she does not belong to the persons/ sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt.(SCT), dated 8.9.93.

District Magistrate,

Dated

Deputy Commissioner

Seal

NB

(a) The term 'ordinarily 'used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950.

(b) Where the certificates are issued by Gazetted Officers of the Union Government or State Governments, they should be in the same form but countersigned by the District Magistrate or Deputy Commissioner (Certificates issued by Gazetted Officers not countersigned by District Magistrate/ Deputy Commissioner are not sufficient).

ANNEXURE B

APPLICATION FORM FOR A CERTIFICATE FOR ELIGIBILITY FOR RESERVATION OF JOBS FOR OTHER BACKWARD CLASSES IN CIVIL POSTS AND SERVICES UNDER GOVERNMENT OF INDIA.

(This form, however, should be used only as a model. Additional items, if necessary, may be incorporated to suit to the local situation in the form.O).

To

____

____

____

Sir,

I request that a certificate in respect of reservation for other Backward Classes in Civil posts and Services under Government of India be granted to me.

I give below the necessary particulars :-

1. Full name of the applicant : (in block letters).
2. Date of birth.
3. Complete Residential address
   (a) Present
   (b) Permanent
4. Religion
5. Caste :
6. Sub- caste :
7. Occupational Group :
8. Serial Number of the caste in the Central List of OBCs.
9. Name of Father
10. Name of Mother
11. Name of husband :
12. Status of parent (s)/ husband

	Father	Mother	Husband
(a) Constitutional posts.			
(I) Designation			
(3) Government Services.			

(7)

(iii) (a) Irrigated
(Type of irrigated Land).
(i)
(ii)
(iii).
(b) Unirrigated.

To be certified by District Revenue Officer not lower than the rank of Tehsildar.

(iv). Percentage of irrigated land holding to statutory ceiling limit under State land Ceiling Laws.
(v). If land holding is both irrigated/ unirrigated total irrigated land holdings on the basis of conversion formula in State Land Ceiling Law.
(vi). Percentage of total irrigated land holding to statutory ceiling limit as par. (iv).

(F). II. Plantation.
(i) Crops/ Fruit.
(ii) Location
(iii) Area of Plantation.

(F). III. Vacant land and / or buildings in urban areas or urban agglomeration.
(i) Location of Property.
(ii) Details of Property.
(iii) Use to which it is put.

(G). Income/ Wealth.
(i) Annual family income from all sources (excluding salaries & income from agricultural land).
(ii). Whether Tax payer (Yes/ No).
(If yes, a copy of the last three years return be furnished).
(iii). Whether covered in Wealth Tax Act (Yes/No).
(if so, furnish details).
(H). Any other remarks.

(3)

(F). I certify that the above said particulars are true to the best of my knowledge and belief and that I do not belong to the Creamy Layer of OBCs and am eligible to be considered for posts reserved for O.B.C.S. In the event of any information being found false or incorrect, or ineligibility that my candidature/ appointment is liable to be cancelled and I shall be liable to such further action as may be provided under the law and/ or Rules.

Place :
Date :

Yours faithfully,

Signature of the candidate.

(9)

No. 36012/22/93-Estt. (SCT)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
(Department of Personnel & Training)
New Delhi the 8th September 93

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Reservation for Other Backward Classes in Civil Posts and Services under the Government of India-Regarding.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M.No. 36012/31/90-Estt. (SCT), dated the 13th August, 1990 and 25th September, 1991 regarding reservation for Socially and Educationally Backward Classes in Civil Posts and Services under the Government of India and to say that following the Supreme Court Judgement in the Indira Sawhney and others Vs. Union of India and others case (Writ petition (Civil) No. 930 of 1990) the Government of India appointed an Expert Committee to recommend the criteria for exclusion of the socially advanced persons/ sections from the benefits of reservations for Other Backward Classes in civil posts and services under the Government of India.

2. Consequent to the consideration of the Expert Committee's recommendations this Department's Office Memorandum No. 36012/31/90- Estt. (SCT), dated 13.8.90 referred to in para (1) above is here by modified to provide as follows :

(a) 27 %(Twenty seven per cent) of the vacancies in civil posts and services under the Government of India, to be filled through direct recruitment, shall be reserved for the other Backward Classes. Detailed instructions relating to the procedure to be followed for enforcing reservation will be issued separately.

(b) Candidates belonging to OBCs recruited on the basis of merit in an open competition on the same standards prescribed for the general candidates shall not be adjusted against the reservation quota of 27 %.

(c) (i) The aforesaid reservation shall not apply to persons/ sections mentioned in column 3 of the schedule to this office memorandum.

(10)

(2)

(ii) The rule of exclusion will not apply to persons working as artisans or engaged in hereditary occupations, callings. A list of such occupations, callings will be issued separately by the Ministry of Welfare.

(d) The OBCS for the purpose of the aforesaid reservation would comprise, in the first phase, the castes and communities which are common to both the lists in the report of the Mandal Commission and the State Government's Lists. A list of such castes and communities is being issued separately by the Ministry of Welfare.

(e) The aforesaid reservation shall take immediate effect. However, this will not apply to vacancies where the recruitment process has already been initiated prior to the issue of this order.

3. Similar instructions in respect of public sector undertakings and financial institutions including public sector banks will be issued by the Department of Public Enterprises and by the Ministry of Finance respectively effective from the case of this Office Memorandum.

(Hindi version will follow).

Sd/- Smt. Sarita Prasad.
Joint Secretary to the Government of India.

To

all Ministries/ Departments of Government of India.

Copy:

1. Department of Public Enterprises New Delhi.
2. Ministry of Finance (Banking & Insurance Divisions), New Delhi.

It is requested that the said instructions may be issued in respect of PSUs, Public Sector Banks & Insurance Corporations.

(19)

Explanation : Building may be used for residential. industrial or commercial purpose and the like two or more such purposes.

VI INCOME / WEALTH TEST

son(s) and daughter (s) etc.

(a) Persons having gross annual income of Rs. [illegible] or above or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act for a period of three consecutive years.

(b) persons in Categories [illegible] and V ... who are not disentitled to the benefit of reservation but have income from other sources of wealth which will bring them within the income/wealth criteria mentioned above.

Explanation :

(i) Income from salaries or agricultural a land shall not be clubbed ;

(ii) The income criteria in terms of rupee will be modified taking into account the change in its value over three Years. If the situation, however so demands, the interregnum may be less.

Explanation : Wherever the expression "permanent incapacitation" occur in this schedule, it shall mean incapacitation which results in putting an officer out of service.

V. PROPERTY OWNERS

A. Agricultural holdings

son(s) and daughter (s) of persons belonging to a family (father, mother and minor children) which owns

(a) only irrigated land which is equal to or more than 85% of the statutory ceiling area, or

(b) both irrigated and unirrigated land, as follows :

The rule of exclusion will apply where the pre-condition exists that the irrigated area (having been brought to a single type under a common denominator) 40 % or more of the statutory ceiling limit for irrigated land (this being calculated by excluding the unirrigated portion). If this pre-condition of not less than 40 % exists, then only the area of unirrigated land will be taken into account. This will be done by converting the unirrigated land on the basis of the conversion formula existing, into the irrigated type. The irrigated area so computed from unirrigated land shall be added to the actual area of irrigated land and if after such clubbing together the total area in terms of irrigated land is 8 % or more of the statutory ceiling limit for irrigated land, then the rule of exclusion will apply and disentitlement will occur).

(ii) The rule of exlusion will not apply if the land holding of a family is exclusively unirrigate.

B. Plantations

(i) Coffee, tea, rubber, etc.

(ii) Mango, citrus, apple plantations etc.

Criteria of income/ wealth specified in Category below will apply.

C. Vacant land and/ or buildings in urban areas or urban agglomerations

Deemed as agricultural holding and hence criteria at A above under this Category will apply. Criteria spefified in Category VI below will apply.

(7)(15)

IV	PROFESSIONAL CLASS AND THOSE ENGAGED IN TRADE AND INDUSTRY	
	(i) Persons engaged in profession as a doctor, lawyer, chartered Accountant, Income-Tax Consultant, financial or management consultant, doctor, surgeon, engineer, architect, computer specialist, film artists and other film professional, author, playwright, sports persons, sports professional, media professional or any other vocations of like status.	Criteria specified against category VI will apply :-
	(ii) Persons engaged in trade, business and industry	Criteria specified against category VI will apply : Explanation : (i) Where the husband is in some profession and the wife is in a Class II or lower grade employment, the income/ wealth test will apply only on the basis of the husband's income. (ii) If the wife is in any profession and the husband is in employment in a class II or lower rank post, then the income/ wealth criterion will apply only on the basis of the wife's income and the husband's income will not be clubbed with it.

546

(41)

SCHEDULE

Description of category	To whom rule of exclusion will apply
I. CONSTITUTIONAL POSTS	son(s) and daughter(s) of (a) President of India; (b) Vice President of India; (c) Judges of the Supreme Court and of the High Courts ; (d) Chairman & Members of UPSC and of the State Public Service Commission ; Chief Election Commissioner ; Comptroller & Auditor General of India ; (e) persons holding Constitutional positions of like nature.
II. SERVICE CATEGORY A. Group A / Class I officers of the All India Central & State Services (Direct Recruits)	son(s) and daughter (s) of (a) parents, both of whom are Class I Officers ; (b) parents either of whom is a Class I Officer ; (c) parents, both of whom are Class I officers, but one of them dies or suffers permanent incapacitation. (d) parents, either of whom is a Class I officer, and such parent dies or suffers permanent incapacitation and before such death or such incapacitation has had the benefit of

548

(d) (e) (12)

employment in any International Organisation like UN, IMF, World Bank, etc. for a [illegible] of not less than 5 years.

(e) parents, both of whom are Class I officers die or suffer permanent incapacitation and before death or such incapacitation of the both, either of them has had the benefit of employment in any International Organisation like UN, IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years.

Provided that the rule of exclusion shall not apply in the following cases

(a) Sons and daughters of parents either of whom or both of whom are Class [illegible] and such parent(s) dies/ dies [illegible] permanent incapacitation [illegible]

(b) A lady [illegible] married to a Class I officer, and may [illegible] to apply for a job.

B/ Group B/ Class II officers of the Central & State Services (Direct Recruitment)

(a) Son(s) and daughter (s) of parents both of whom are Class II officers.

(b) parents of whom only the husband is a Class II officer and he gets into Class I at the age of 40 or earlier.

(c) parents, both of whom are Class II officers and one of them dies or suffers permanent in-capacitation and either one of them has had the benefit of employment

(5) (15)

in any International Organisation like UN, IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years before such death or permanent incapacitation ;

(d) parents of whom the husband is a Class I officer (direct recruit or pre-forty promoted) and the wife is a Class II officer and the wife dies; or suffers permanent incapacitation and

(e) parents of whom the wife is a Class I officer (Direct Recruit or pre-forty promoted) and the husband is a Class II officer and the husband dies or suffers permanent incapacitation.

Provided that the rule of exclusion shall not apply in the following cases:

Sons and daughters of

(a) Parents both of whom are Class II officers and one of them dies or suffers permanent incapacitation.

Sons and daughters of

(a) Parents, both of whom are Class II officers and both of them die or suffer permanent incapacitation, even though either of them has had the benefit of employment in any International Organisation like UN, IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years before their death or permanent incapacitation.

Sector Undertakings

The criteria enumerated in A & B above in this Category will apply mutatis mutandi to officers holding equivalent or comparable posts in PSUs, banks,

पत्रांक– 7/जा0नि0–19–11/08 का॰– **5682**

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

जे0बी0 तुबिद
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त
सभी अनुमंडल पदाधिकारी
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी
सभी अंचल अधिकारी।

रांची, दिनांक **22** अक्टूबर, 2008

विषय : जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के परिपत्र संख्या 7/मु0मं0 सचि0 12–03/2006 का॰–5615 दिनांक 17.10.2006 का कृपया निदेश किया जाय जिसके द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 173 दिनांक 09.11.1996 के आलोक में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्राप्त अभ्यावेदनों/आवेदन पत्रों के निस्तार हेतु अधिकतम समय–सीमा 30 (तीस) दिन निर्धारित करते हुए समय सीमा के अन्दर कार्रवाई किये जाने का अनुदेश दिया गया था।

राज्य सरकार के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि जाति प्रमाण पत्र, यथा– निर्धारित समय–सीमा के अन्दर उपलब्ध नहीं होने से कठिनाई उत्पन्न हो रही है। जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के विषय पर प्रक्रिया को सुगम एवं प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निम्न निर्णय लिया है:–

1) जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की समय–सीमा :–

(क) प्रखंड/अंचल कार्यालय – 7 कार्य दिवस

(ख) अनुमंडल कार्यालय – 7 कार्य दिवस

(ग) जिला कार्यालय – 7 कार्य दिवस

यदि किसी मामले विशेष में विस्तृत जांच की आवश्यकता हो तो इस स्थिति में अधिकतम 30 दिनों के अंदर जांच की प्रक्रिया पूरी कर नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र से संबंधित मामले का निस्तार सुनिश्चित किया जाय।

2. जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए मानक प्रपत्र निर्धारित किया गया है जो इसके साथ संलग्न है। संलग्न प्रपत्र–I में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा प्रपत्र–II में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित–II) के लिए सभी स्तरों पर सभी कार्य हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जायेंगे।

3. राज्य सरकार के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन संचालित विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में नामंकन के दौरान जाति प्रमाण पत्रों के मूल से सत्यप्रति (True Copy) का मिलान कर मूल जाति प्रमाण पत्र सम्बद्ध व्यक्ति को हस्तगत करा दी जाय तथा सत्यापित प्रति शिक्षण संस्थान द्वारा अभिलेख के रूप में संधारित कर ली जाय।

4. अनुरोध है कि जाति प्रमाण पत्र के मामले के निस्तार में उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(जे0बी0 तुबिद)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–7/जा0नि0–19–11/08 का.–**5682** /रांची, दिनांक **22** अक्टूबर, 2008

प्रतिलिपि–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. राज्य के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन संचालित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रशासी विभाग से विशेष अनुरोध है कि इस परिपत्र की कंडिका–3 में अंकित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने–अपने स्तर से भी कार्रवाई की जाय।

ह0/–
सरकार के सचिव।

झारखण्ड सरकार

प्रपत्र–I

....
(कार्यालय का नाम)

जाति प्रमाण पत्र
(सभी कार्यों के लिए)

संख्या :–.............................   तिथि :–.............

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री ...., निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला ...., डाकघर ...., थाना ...., जिला . ..., राज्य .... अनुसूचित जाति */ अनुसूचित जनजाति * श्रेणी के अन्तर्गत .... जाति/उप जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिए अनुसूचित जाति */अनुसूचित जनजाति * के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .... एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः गांव/कस्बा .... शहर ....जिला .... राज्य .... में निवास करते हैं ।

स्थान :–

तिथि :–   सक्षम पदाधिकारी का
हस्ताक्षर,

नाम ....
पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जन जाति) संशोधन आदेश 1950
2. * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

झारखण्ड सरकार

प्रपत्र–II

....
(कार्यालय का नाम)

जाति प्रमाण पत्र

(सभी कार्यों के लिए)

संख्या :–............................ तिथि :–.............

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री ...., निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला ...., डाकघर ...., थाना ...., जिला . ..., राज्य ....अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)* /पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2)* श्रेणी के अन्तर्गत .... जाति/उप जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) * /पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) * के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .... एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः गांव/कस्बा .... शहर ....जिला .... राज्य .... में निवास करते हैं ।

स्थान :–

तिथि :– सक्षम पदाधिकारी का

हस्ताक्षर,

नाम ....

पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ)
2. * कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008 एवं 5108 दिनांक 23.09.2008

पत्रांक—7 / जा.नि.—19—06 / 2008 का.— 3376

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

आर0एस0 शर्मा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष / सभी विभाग
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

रांची, दिनांक 05 जून, 2008

विषय : जाति प्रमाण—पत्र निर्गत करने के संबंध में दिशा—निर्देश।

महोदय,

निदेशानुसार कहना है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों की जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में विभाग द्वारा निर्गत पत्र संख्या—3540, दिनांक 03.07.2004 में निम्न प्रावधान किया गया है:—

""सरकार की यह स्पष्ट मंशा रही है कि जाति प्रमाण—पत्र पाने की पात्रता रखने वाले लोगों को जाति प्रमाण—पत्र प्राप्त करने में किसी प्रकार की अनावश्यक कठिनाई नहीं हो। साथ ही सरकार की यह भी अपेक्षा है कि जाति प्रमाण—पत्र निर्गत करने में सक्षम पदाधिकारी समुचित विवेक का प्रयोग करते हुए अवांछित व्यक्तियों को जाति प्रमाण—पत्र निर्गत नहीं करें।"

"सामान्यतः जाति प्रमाण—पत्र निर्गत करने हेतु भू—अभिलेख / पंचायत / नगर पंचायत / नगरपालिका / नगर निगम / निबंधन कागजातों के आधार पर किसी व्यक्ति की जाति का निर्धारण किया जा सकता है। तथापि यदि किसी व्यक्ति द्वारा उल्लिखित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया जा सके तो ईमानदारी पूर्वक स्थानीय जांच कर जाति का निर्धारण किया जा सकता है।"

"स्थानीय जांच के क्रम में जांच पदाधिकारी द्वारा जांच की सही प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए ताकि गलत प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं हो सके। कोई भी जाति प्रमाण–पत्र उपयुक्त सत्यापन के पश्चात् तथा निर्गत करने वाले पदाधिकारी के स्वयं संतुष्ट होने के आधार पर ही निर्गत किया जाय।"

उल्लेख करना है कि विभिन्न श्रोतों से सरकार को समय–समय पर सूचना मिलती है कि जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे कभी–कभी लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः अनुरोध है कि विभाग द्वारा इस विषय पर निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। सुलभ प्रसंग हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा इस विषय पर निर्गत परिपत्र को विभाग के वेबसाईट (**jharkhand.gov.in**) पर भी रख दिया गया है।

विश्वासभाजन,

(आर०एस० शर्मा)
सरकार के प्रधान सचिव।

पत्रांक- 7/आ. नि. (जा. नि. (018-02/04का. - 6594

झारखंड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

अनुरंजन कुमार,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखंड ।

रांची, दिनांक 11 दिसम्बर, 06

विषयः- जाति प्रमाण निर्गत करने हेतु मानक प्रपत्र में अंकित धर्म के कॉलम को हटाने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभिन्न परीक्षाओं में परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं द्वारा जाति प्रमाण पत्र की मांग किये जाने के कारण एकरूपता बरतने के उद्देश्य से एक मानक प्रपत्र संलग्न किया गया था, उक्त के क्रम में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विभागीय पत्रांक 2820 दिनांक 28-5-2004 द्वारा दिशा निदेश दिया गया था । सरकार द्वारा समीक्षोपरांत उक्त मानक प्रपत्र की कंडिका 2 में धर्म के कॉलम को विलोपित करने का निर्णय लिया गया है ।

2- अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय पत्रांक 2820 दिनांक 28-5-04 के साथ संलग्न मानक प्र पत्र की कंडिका (2) में धर्म के कॉलम को विलोपित किया जाता है। शेष प्रावधान पूर्ववत रहेंगे ।

3- अतः अनुरोध है कि जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु उपर्युक्त कंडिका-2 के आलोक में कारवाई की जाए ।

विश्वासभाजन,

(अनुरंजन कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 7/आ०नि. (जा. नि)018–02/04का. – 6594 / रांची, दिनांक– 11/12/0

प्रतिलिपि– सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ राज्यपाल के प्रधान सचिव/ मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव के सचिव / सचिव, झारखंड विधान सभा/ परीक्षा नियंत्रक, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद, झारखंड, रांची

9.12

(अनुरंजन कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 7/आ०नि(जा. नि)018–02/04का. – 6594/रांची, दिनांक– 11/12/00

प्रतिलिपि– सचिव, आदिवासी सामाजिक मंच, मनोहरपुर प०सिंहभूम, झारखंड को सूचनार्थ प्रेषित ।

9.12

(अनुरंजन कुमार)
सरकार के उप सचिव

झा/

पत्रांक–7/मु0मं0सचि0–12–03/2006 का.– 5615
झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

मुखत्यार सिंह, भा.प्र.से.,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त।

रांची, दिनांक 17 अक्टूबर, 2006

विषय : जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु दिये गये अभ्यावेदनों को समय–सीमा के अंदर निष्पादित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रायः जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यावेदकों को समय–सीमा के अंदर जाति प्रमाण–पत्र एवं अन्यान्य प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किये जाने की शिकायत प्राप्त हो रही है। जिसके कारण अभ्यावेदकों को समय/पैसे का अपव्यय होता है। ज्ञातव्य है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–173 दिनांक 09.11.96 द्वारा जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु अभ्यावेदकों को 30 (तीस) दिनों की समय–सीमा के अंदर मामलों को निष्पादन करने हेतु सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/उपायुक्तों को विस्तृत दिशा निर्देश दिया गया है। (छाया प्रति संलग्न)

अतः उक्त पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पत्र में उल्लेखित दिशा निर्देश के आलोक में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु समय से आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीकरण आवश्यक है। इस हेतु संबंधित निबंधक समय–सीमा का ध्यान रखें।

अन्य प्रमाण पत्र/आवासीय प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदनों का भी 30 दिनों के अंदर निष्पादन सुनिश्चित करावें।

उक्त संदर्भ में कार्रवाई नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।

कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(मुखत्यार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

पत्रांक–7/जाति 019–08/04 का.........355/

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

श्री मुखत्यार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड, रांची।

रांची, दिनांक 19 जनवरी, 2006

विषय : लोहरा जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि झारखण्ड राज्य अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक 21 पर लोहरा जाति अंकित है। जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में हो रही कठिनाईयों को देखते हुए सभी संबंधित पदाधिकारियों को विभागीय पत्रांक 3540 दिनांक 03.07.2004 द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिया गया है। उक्त निर्देश में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि मात्र 1932 के खतियान कों आधार मानकर ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है।

ऐसे व्यक्ति जो वास्तव में लोहरा जनजाति के हैं, उनके संबंध में पूर्ण तथ्यों की जानकारी के बिना केवल खतियान के आधार पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है।

उक्त संदर्भ में झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, मोरहाबादी, रांची द्वारा लोहरा एवं लोहारा, लोहरा जाति में अन्तर दर्शाते हुए प्रतिवेदन समर्पित किया है, जिस पर कल्याण विभाग, झारखण्ड, रांची ने अपनी सहमति व्यक्त की है। लोहार एवं लोहारा, लोहरा में जो अन्तर दर्शाये गये हैं, वो निम्न प्रकार है :–

	लोहार	लोहारा, लोहरा
1	लोहार जाति भगवान विश्वकर्मा या ऋषि मुनियों का संतान मानते हैं तथा इनका आगमन दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार में हुआ है, जो पिछड़ी जाति एनेक्सर II के सदस्य मानते हैं।	लोहारा, लोहरा की उत्पति असुर जनजाति से हुई है तथा इनका आगमन मध्य प्रदेश के सरगुजा जिला से हुआ है लेकिन इनके 1930–32 के अधिकांश खतियान में जाति/कौम लोहार दर्ज है।
2	लोहार जाति का गोत्र ऋषि मुनियों के नाम पर आधारित है तथा सहगोत्रीय विवाह की प्रथा है लेकिन एक ही मूल/कुरी में विवाह करना वर्जित है।	लोहारा, लोहरा (अनुसूचित जनजाति) का गोत्र पेड़–पौधे, पशु–पक्षी, जीव जन्तु एवं भौतिक पदार्थों के नाम पर आधारित हैं, जिनका मुख्य गोत्र निम्नांकित है :– (1) तिर्की (काग) (2) इन्दवार

		(3) सोन तिर्की, (4) कच्छप (5) केरकेट्टा (6) कैथा (7) कुजूर (8) मिंज (9) खाखा (10) नागवार (11) बाघवार (12) सिकवार (13) टोप्पो (14) एक्का (15) बरवा एवं (16) बिलुंग आदि। इस समाज में सहगोत्रीय विवाह या गोत्र पर आधारित चीजों की हानि करना अपराध माना जाता है।
3	लोहार समाज में छठी, नामकरण, विवाह एवं मरण संस्कार के अवसर पर ब्राह्मण, नाई एवं धोबी का सहयोग प्राप्त है।	लोहारा, लोहार समाज में छठी, नामकरण, कर्ण छेदन, विवाह एवं मरण संस्कार जनजातीय परम्परा के अनुसार पाहन के द्वारा किया जाता है।
4	लोहार समाज में तिलक प्रथा है कन्या मूल्य नहीं है तथा विधवा या देवर भाभी विवाह की प्रथा भी नहीं के बराबर है।	आधुनिक परिवेश में लोहारा, लोहरा समाज में आंशिक रूप में तिलक प्रथा शुरू हो गया है लेकिन कन्या मूल्य के रूप में कपड़ा देने की प्रथा है। इस समाज द्वारा विधवा एवं देवर भाभी विवाह के कई उदाहरण दिये गये हैं।
5	लोहार समाज का वर्तमान समय में पेशा लोहारगिरी, बढ़ईगिरी, मोटर गैरेज, मोटर पार्ट्स की दुकान एवं सरकारी/ अर्द्धसरकारी सेवा भी है।	लोहारा, लोहरा समाज का पेशा मृत मवेशी का चमड़ा निकालना तथा उससे वाद्य यंत्र बनाना, बजाना एवं दैनिक मजदूरी करना है।
6	लोहार समाज में किसी से संपर्क में संकोचन की भावना, छुआछूत और सामाजिक सतर पर दूरी नहीं है।	लोहारा, लोहरा समाज में गैर जनजातीय सदस्यों से सम्पर्क में संकोचन की भावना है तथा जनजातीय समुदाय द्वारा भी छुआछूत की भावना रखा जाता है अर्थात जनजातीय समुदाय द्वारा भी सामाजिक स्तर पर दूरी रहता है।

अतः अनुरोध है कि लोहार एवं लोहरा जाति में उक्त पाये जाने वाले अंतरों को भी ध्यान में रखा जाय, तत्पश्चात उक्त बिन्दुओं की जांच कर जांचोपरान्त अपने स्तर से संतुष्ट होकर लोहरा जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु यथोचित कार्रवाई करने का कष्ट किया जाय।

विश्वासभाजन,

(मुखत्यार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

पत्रांक--7/भा.वि.स. 016–16/04 का..3557 3/3.45

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

मुख्त्यार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त।

रांची, दिनांक 18 अक्टूबर, 2005

विषय : जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में दिशा निर्देश।

प्रसंग : विभागीय पत्रांक 2216 दिनांक 12.07.2005

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 2216 दिनांक 12.07.2005 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जो इस राज्य में वासित हैं, उन्हें भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या–बी.सी.–16014/1/82 एस. सी. और बी.सी.डी.–I दिनांक 18.11.1982 में दिये गये दिशा निर्देश के आलोक में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु निदेश दिया गया है। भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा उक्त पत्र का प्रतिस्थापन बी.सी.–16014/1/82 एस.सी. एवं बी.सी.डी.–I दिनांक 22.02.1985 द्वारा किया गया है, जिसके कारण भारत सरकार के पत्र संख्या– 16014/1/82 एस.सी. और बी.सी.डी.–I दिनांक 18.11.1982 का अवक्रमण हो चुका है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या –16014/1/82 एस.सी. और बी.सी.डी.–I दिनांक 22.02.1985 (छाया प्रति संलग्न) में दिये गये दिशा निर्देश के आलोक में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

तदनुसार विभागीय पत्रांक 2216 दिनांक 12.07.2005 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

विश्वासभाजन,

(मुख्त्यार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

No. B.C.-16014/1/82—S.C. and B.C.D.-I

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR

MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA

New Delhi, dated the 22nd February 1985

To

The Chief Secretaries to all State Governments/Union Territory Administrations

SUBJECT—Issue of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificate to migrants from other States/Union Territories.

Sir,

I am directed to say that it has been represented to this Ministry that persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, who have migrated from one State to another for the purpose of employment, education, etc. experience great difficulty in obtaining caste/tribe certificate from the State from which they have migrated. In order to remove this difficulty, it has been decided to modify the instructions issued in Letter No. B.C. 12025/2/76-S.C.T.-I, dated the 22nd March 1977 and Letter No. B.C. 12025/11/79-S.C. and B. C. D.-I.IV dated the 29th March 1982 that the prescribed authority of a State Government/Union Territory Administration may issue the Scheduled Caste/Tribe certificate to a person who has migrated from another State, on the production of the genuine certificate issued to his father by the prescribed authority of the State of the father's origin except where the prescribed authority feels that detailed enquiry is necessary through the State of origin before issue of the certificate. The certificate will be issued irrespective of whether the caste/tribe in question is scheduled or not in relation to the State/Union Territory to which the person has migrated. This facility does not alter the Scheduled Caste/Tribe status of the person in relation to the one or the other State. The revised form of the Scheduled Caste/Tribe certificate has already been circulated with this Ministry's letter of even number, dated the 6th August 1984.

2. It is also clarified that a Scheduled Caste/Tribe person who has migrated from the State of orign to other State for the purpose of seeking education, employment, etc. will be deemed to be a Scheduled Caste/Tribe of the State of his origin and will be entitled to derive benefits from the State of origin and not from the State to which he has migrated.

3. This letter substitutes this Ministry's earlier letter of even number, dated the 18th November 1982.

Yours faithfully

B. K. SARKAR

Joint Secretary

पत्रांक–7/झा.वि.स.–016–016/04 का० – 2216/अनु.स.

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

मुखत्यार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त।

रांची, दिनांक 12 जुलाई, 2005

विषय : जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में दिशा निर्देश।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्र संख्या 3540 दिनांक 03.07.2004 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के बिन्दु पर हो रहे कठिनाईयों को दूर करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गये हैं। उक्त पत्र में यह भी उल्लेखित है कि जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में गृह मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक वी.सी. 12025/02/76–एस.सी.टी. दिनांक 22.03.1977 भी प्रासंगिक है, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के किसी खास स्थान विशेष का होना विशेष महत्व रखता है।

उक्त पत्र के निर्गत किए जाने के पश्चात् अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों जो दूसरे राज्य से इस राज्य में बासित हैं, के जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में कठिनाई महसूस किये जाने के कारण सरकार द्वारा इस पर भली भांति विचार कर निर्णय लिया गया कि ऐसे उम्मीदवारों के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय के ज्ञाप संख्या वी.सी.–16014/1/82–एस. सी. और बी.सी.डी.–1 दिनांक 18.11.1982 में दिये गये दिशानिर्देश के अनुसार जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। (पत्र की छाया प्रति संलग्न)।

प्रवासी व्यक्तियों को निर्गत किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा भी संलग्न किया जा रहा है।

विश्वासभाजन,

(मुखत्यार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

No. BC-16014/1/82-SC & BCD-I
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

New Delhi, dated the 18th November, 1982.

To

The Chief Secretaries to all State Governments/Union Territory Administrations.

Subject:-- Issue of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificate to migrants from other States/Union Territories.

Sir,

I am directed to say that it has been represented to this Ministry that persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, who have migrated from one State to another for the purpose of employment, education, etc. experience great difficulty in obtaining caste/tribe certificate from the State from which they have migrated. In order to remove this difficulty, it has been decided in modification of the instructions issued in letter No. BC-12025/2/76-SCT I, dated 22.03.1977 and letter No. BC-12025/11/79-SC & BCD I/IV, dated 29.03.1982 that the prescribed authority of a State Government/Union Territory Administration may issue the Scheduled Caste/Tribe certificate to a person who has migrated from another State, on the production of the genuine certificate issued to his father/mother by the prescribed authority of the State of the father's/mother's origin except where the prescribed authority feels that detailed enquiry is necessary through the State of origin before issue of the certificate. The certificate will be issued irrespective of whether the Caste/Tribe in question is scheduled or not in relation to the State/Union Territory to which the person has migrated. This facility does not alter the Scheduled Caste/Scheduled Tribes status of the person in relation to the one or the other State. The revised form of the Scheduled Caste/Tribe certificate is enclosed.

Yours faithfully,

Sd/-
(B.K. Sarkar)
Joint Secretary to the Govt.of India

No. BC-16014/1/82-SC & BCD-I, *Dated the 18th November, 1982.*

Copy to:-

1. Department of Personnel & A. R. (Est) (SCT Section) with the request that necessary amendment to the brochure of the reservation in services for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, by incorporating, where necessary, the position started in the foregoing paragraphs may please be made.
2. Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi.
3. Secretary, Staff Selection Commission, CGO Complex, Block No.12, Lodi Road, New Delhi.
4. All the Ministries/Departments, Government of India.
5. Secretary, Commission for SC/ST, Lok Nayak Bhawan, New Delhi.
6. Commissioner for Scheduled Castes & Scheduled Tribes, R.K. Puram, New Delhi.
7. All the Sections in SC&BCD Division/T.D. Division, Ministry of Home Affairs.

Yours faithfully,
Sd/-
(B.K. Sarkar)
Joint Secretary to the Govt.of India

Form of certificate to be produced by a candidate belonging to a Scheduled Castes or Scheduled Tribes in support of his claim.

Form of Caste certificate

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari……………………….…….son/Daughter of………………….ofvillage/town…………………….indistrict/Division/Division……… …………………………………………….of the State/Union Territory…………………………………………… belongs to the ……………………… Caste/Tribe which is recognised as Scheduled Caste under:
Scheduled Tribe

The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.
The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.
The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951:
The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951:*
(as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976).
The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956.*
The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959.*
The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962*
The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962.*
The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.*
The Constitution (Scheduled Tribes)(Uttar Pradesh) Order, 1967.*
The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Caste Order, 1968.*
The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.*
The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.*
The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978.*
The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.*

2. This certificate is issued on the basis of the Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificate issued to Shri/Shrimati………………………………… father/mother of Shri/Shrimati/Kumari……………………………… Of village/town……………. ……….in District/Division…………………………..of the State/ Union Territory……………who belongs to the ……………………… caste/tribe which is recognised as a Scheduled Caste

Scheduled Tribe

in the State/Union Territory………………………………………… issued by the ………………………………………….. (name of prescribed authority) *vide* their No…………………………………… dated……………………………….

Signature…………………………………
Designation…………………………….
(with seal of Office)

Place……………………………. State
Union Territory
Date…………………………

**Please delete the words which are not applicable*

पत्र संख्या–7 / जा.नि.– 019–08 / 04 का. 125 /
झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

श्री मुख्त्यार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
रांची / लोहरदग्गा / सिमडेगा / गुमला।

रांची, दिनांक 15 जनवरी, 2005

विषय : लोहरा जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जन जाति का प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आदिवासी लोहरा समाज केन्द्रीय समिति, रांची द्वारा एक पत्र लोहरा जाति का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किये जाने के संबंध में विभाग को प्राप्त हुआ है। (छाया प्रति संलग्न)। लोहरा जाति अनुसूचित जन जाति की श्रेणी में शामिल है।

जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 3450 दिनांक 03.07.2004 द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है। जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में अन्य साक्ष्यों के अतिरिक्त स्थानीय जांच कर जाति निर्धारण किये जाने का उल्लेख है। स्थानीय जांच के क्रम में जांच पदाधिकारी द्वारा जांच की सही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, ताकि गलत प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा सके। जाति प्रमाण पत्र उपर्युक्त सत्यापन के पश्चात् तथा निर्गत करने वाले पदाधिकारी के स्वयं संतुष्ट होने के आधार पर ही निर्गत किया जाना है।

सदृश्य मामले में वि. पत्रांक 6327 दिनांक 20.11.2002 के द्वारा विधान सभा के आश्वासन के उत्तर में यह उल्लेख किया गया था कि यदि किसी व्यक्ति के खतियान में केवल चीक दर्ज है, एवं स्थानीय मामले में यह पाया जाता है कि वे चीक बड़ाईक की श्रेणी में आते हैं, तो तदनुसार जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। उल्लेखित पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि जांचोपरान्त जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी स्वयं संतुष्ट होकर लोहरा जाति के सदस्यों को अनुसूचित जन जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने की कार्रवाई करें, परन्तु यह ध्यान रखा जाए कि लोहार जो पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल है, उन्हें किसी भी स्थिति में लोहरा जाति का प्रमाण पत्र नहीं निर्गत किया जाए।

विश्वासभाजन,
(गुख्त्यार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक 7 / जा.नि.– 019–08 / 04 का. 125 / रांची, दिनांक 15 जनवरी, 2005

प्रतिलिपि – प्रमण्डलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, रांची / अध्यक्ष, आदिवासी लोहरा समाज केन्द्रीय समिति, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक–कार्यार्थ प्रेषित।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक 8 जुलाई, 2004

अधिसूचना संख्या– 7/झा.स.प.–17–014/2003 का 3639 अपात्र व्यक्तियों को अनुसूचित जाति/जन जाति का प्रमाण–पत्र निर्गत करने पर रोक लगाने के माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा कुमारी माधुरी पाटिल एवं अन्य बनाम अतिरिक्त आयुक्त, जन जातीय विकास परिषद एस.एल.पी. (सिविल) सं.–1476703/93 के मामले में पारित निर्णयादेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निम्नरूपेण छान–बीन समिति (Scrutiny Committee) का गठन किया जाता है :–

1.	आयुक्त एवं सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग या कल्याण विभाग, जो वरीय हो।	अध्यक्ष
2.	आदिवासी कल्याण आयुक्त जो सम्प्रति अनुसूचित जाति का भी कार्य देखते हैं।	सदस्य सचिव
3.	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जन जाति में विशेषज्ञता रखने वाले श्री करमा उरांव प्रमुख मानव विज्ञान शास्त्र, रांची विश्वविद्यालय, रांची।	सदस्य
4.	प्रबन्ध निदेशक, अनुसूचित जन जाति सहकारिता विकास निगम।	सदस्य

समिति का कार्यक्षेत्र

1. ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें प्राधिकृत अधिकारियों को अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग के प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत आवेदन में वर्णित जाति और उस जाति के लिये अधिसूचित स्थान के बारे में ऐसा प्रश्न निहित है, जिसका विनिश्चय उच्च स्तर पर किया जाना हो और जो उनके द्वारा उच्च स्तरीय समिति को निर्देशित किये गये हों।

2. ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति/जन जाति प्रमाण–पत्र आवेदन निरस्त करने के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई हो।

3. ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें प्राधिकृत अधिकारी ने यह पाया हो कि आवेदक के द्वारा असत्य एवं गलत तथ्यों के आधार अथवा फर्जी तरीके से अनुसूचित जाति/जन जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया है, एवं

4. ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें यह शिकायत की गई हो कि असत्य या गलत तथ्यों के आधार पर अथवा फर्जी तरीके से अनुसूचित जाति/जन जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर आरक्षण की सुविधा प्राप्त कर ली गई है जिसके लिये वास्तव में पात्रता न थी।

5. ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें 15 वर्ष या उससे अधिक आयु (पहुंचने) के बाद दत्तक पुत्र/पुत्री बनाने की कार्यवाही के आधार पर प्रमाण पत्र चाह रहा /रही हो।

6. यदि किसी ऐसे प्रकरण में जिनमें विशिष्ट अनुसूचित जाति/जन जाति के लिये चाहे गये प्रमाण–पत्र के संबंध में यह विनिश्चय किया जाना हो कि कोई जाति/उप जाति संविधान आदेश, 1950 के अधीन अनुसूचित जाति/जन जाति मानी जाय अथवा नहीं, ऐसी जाति अनुसूचित क्षेत्र के विनिर्दिष्ट है।

7. **समिति की बैठक :**

क). समिति प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

ख) बैठक की तिथि एवं स्थान/समय का निर्धारण अध्यक्ष की अनुमति से की जाएगी, जिससे सदस्य सचिव सभी सदस्यों को सूचित करेंगे।

6/7/07

(स्वर्णादित्य सहाय)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 7/झा.स.प.–17–014/2003 का. 3630/ रांची, दिनांक 8 जुलाई, 2004
प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, रांची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कराया जाय।

6/7/07
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 7/झा.स.प.–17–014/2003 का. 3630/ रांची, दिनांक 8 जुलाई, 2004
प्रतिलिपि :– सभी विभाग के आयुक्त एवं सचिव/सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, रांची/झारखण्ड विधान सभा सचिवालय/उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/7/07
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 7/झा.स.प.–17–014/2003 का. 3630/ रांची, दिनांक 8 जुलाई, 2004
प्रतिलिपि :– सदस्य अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जन जाति आयोग, लोदी रोड, नई दिल्ली को उनके अर्धसरकारी पत्रांक – **SAST/SKK/JHARKHAND** दिनांक 11.11.2003 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

6/7/07
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 7/झा.स.प.–17–014/2003 का. 3630/ रांची, दिनांक 8 जुलाई, 2004
प्रतिलिपि :– सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसकी सूचना सभी बैंक शाखाओं को दी जाय।

6/7/07
सरकार के उप सचिव।

परिशिष्ट – एक

छानबीन समिति द्वारा अपनाई जाने वाली जांच प्रक्रिया

छानबीन समिति, जांच का कार्य पुलिस अधिकारी के माध्यम से करायेगी। जांच अधिकारी मौके पर जाकर विस्तृत जांच प्रतिवेदन छानबीन समिति को निर्धारित अवधि के अंदर प्रस्तुत करेगा।

2. छानबीन समिति, यदि सतर्कता अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर यह पाती है, कि आवेदक का सामाजिक स्तर का दावा सही नहीं है या संदेहास्पद है या गलत रूप से दावा प्रस्तुत कर रहा है, तब समिति ऐसे आवेदक को सतर्कता अधिकारी को रिपोर्ट की प्रति के साथ पंजीकृत डाक से रसीद सहित, कारण बताओ सूचना/पत्र शैक्षणिक संस्था या कार्यालय प्रमुख के माध्यम से भेजेंगे। कारण बताओ सूचना पत्र में इस बात का उल्लेख होगा कि आवेदक अपना अभ्यावेदन या उत्तर कारण बताओ सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर संचालक को प्रस्तुत करें और किसी भी परिस्थिति में अभ्यावेदन अथवा उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 30 दिन से अधिक का समय नहीं दिया जायेगा। यदि आवेदक उसे सुनने का और बचाव पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर चाहता है तो ऐसा आवेदन या उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् समिति की बैठक संचालक बुलायेंगे और आयुक्त सह सचिव, ऐसी समिति के अध्यक्ष के रूप में आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देंगे। समिति प्रकरण में निर्णय के लिये आम सूचना जारी करेगी, जिसका प्रचार–प्रसार गांव में या मोहल्ले में डौडी या अन्य सुविधाजनक साधनों से किया जायेगा। ताकि यदि कोई व्यक्ति या संघ आवेदक के दावे का विरोध करना चाहे तो वे कर सकें। आवेदक को ऐसा अवसर देने के बाद भी आवेदक को उसके अभिभावक के माध्यम से या अन्य अवसर देने के बाद समिति ऐसी जांच कर सकेगी, जिससे आवेदक के दावे और अन्य आपत्तियों पर विचार करने पर शीघ्र निर्णय लेने के लिये आवश्यक हो। अभय पक्षों को सुनकर समिति एक उचित आदेश पारित करेगी जिसमें निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये संक्षिप्त तर्कों अथवा तथ्यों का विवरण दिया जायेगा।

3. ऐसे प्रकरणों जहां सतर्कता अधिकारी की रिपोर्ट आवेदक के पक्ष में हो, समिति को किसी कार्यवाही की आवश्यकंता नहीं होगी।

4. यदि उम्मीदवार अव्यस्क हो तो उसके माता–पिता/अभिभावकों को भी सूचना पत्र जारी किया जायेगा ताकि उसके माता–पिता/अभिभावक अपने दावे के पक्ष में साक्ष्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर सकें।

5. समिति द्वारा जांच दिन प्रतिदिन के आधार पर की जायेगी और किसी भी स्थिति में इसे पूर्ण करने के लिये 2 माह से ज्यादा समय नहीं लेगी। यदि जांच समिति यह पाती है कि आवेदक का दावा झूठा या असत्य है तो समिति ऐसी जाति प्रमाण–पत्र को निरस्त करने या राजसात करने के लिये आदेश पारित करेगी। इस जांच के निष्कर्षों से उम्मीदवार या उसके माता–पिता/अभिभावकों को एक माह के भीतर अवगत कराया जायेगा।

6. छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।

(स्वर्णादित्य सहाय)
सरकार के उप सचिव।

पत्रांक-7/आ०नि०-018/-02/2004
झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

मुखत्यार सिंह,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त।

3540

रांची, दिनांक 3 जुलाई, 2004

विषय : जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में दिशा–निर्देश।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के आधार बिन्दुओं पर विभिन्न जिलों के उपायुक्तों द्वारा सरकार के मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है।

सरकार की यह स्पष्ट मंशा रही है कि जाति प्रमाण–पत्र पाने की पात्रता रखने वाले लोगों को जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में किसी प्रकार की अनावश्यक कठिनाई नहीं हो। साथ ही सरकार की यह भी अपेक्षा है कि जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने में सक्षम पदाधिकारी समुचित विवेक का प्रयोग करते हुए अवांछित व्यक्तियों को जाति प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं करे।

सामान्यतः जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु भू–अभिलेख/पंचायत/नगर पंचायत/नगरपालिका/नगर निगम/निबंधन कागजातों के आधार पर किसी व्यक्ति की जाति का निर्धारण किया जा सकता है। तथापि यदि किसी व्यक्ति द्वारा उल्लिखित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया जा सके तो ईमानदारीपूर्वक स्थानीय जांच कर जाति का निर्धारण किया जा सकता है।

जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने में गृह मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक–बी.सी. 12025/02/76–ए.सी.टी. दिनांक 22.3.1977 भी प्रासंगिक है, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के किसी खास स्थान विशेष का होना विशेष महत्व रखता है।

स्थानीय जांच के क्रम में जांच पदाधिकारी द्वारा जांच की सही प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए ताकि गलत प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं हो सके। कोई भी जाति प्रमाण–पत्र उपयुक्त सत्यापन के पश्चात् तथा निर्गत करने वाले पदाधिकारी के स्वयं संतुष्ट होने के आधार पर ही निर्गत किया जाय।

अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र नौकरी एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने हेतु मान्य नहीं होगा । अन्य प्रयोजनों के लिए

प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र भी मान्य होगा ।

जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विहित प्रपत्र विभागीय पत्रांक 2820 दिनांक 28.5. 04 पूर्व में ही आपको भेजा जा चुका है।

विश्वासभाजन,

(मुखत्यार सिंह)
सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

पत्र संख्या-7/आ0नि018-10/03-................/

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

....

प्रेषक,

श्री स्वर्णादित्य सहाय,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखंड ।

राँची, दिनांक-28 मई, 2004 ।

विषय:- जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु मानक प्रपत्र का प्रेषण ।

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि विभिन्न परीक्षाओं में परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थायें द्वारा तथा अन्य प्रयोजनों के लिए भी जाति प्रमाण पत्र की मांग की जाती है । एकरूपता बरतने के उद्देश्य से एक मानक प्रपत्र आपको भेजा जा रहा है । कृपया यह सुनिश्चित करें कि इसी मानक प्रपत्र में आवेदक को जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(स्वर्णादित्य सहाय),
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-7/आ0नि018-10/03-................/ राँची, दिनांक-28.05.2004 ।

प्रतिलिपि- अध्यक्ष, झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता पर्षद, राँची को विहित प्रपत्र संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक-7/आ0नि018-10/03-...2820.../ राँची, दिनांक-28.05.2004 ।

प्रतिलिपि-सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28/5/04

सरकार के उप सचिव ।

फार्म : जाति प्रमाण-पत्र

1. मै प्रमाणित करता हूँ कि .... पुत्र/पुत्री श्री .... जो ग्राम .... डाकघर .... थाना .... जिला .... के वासी है, झारखंड के जन्मवासी है और अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग में आते है ।

2. इनकी उप-जाति .... और धर्म .... है ।

हस्ताक्षर....................................

(जिला/अनुमंडल पदाधिकारी)

नाम-..

पद-..

पूरा पता-..

....

कार्यालय मुहर

पत्र संख्या-7/आ0नि0-018-10/2003का0 7072

झारखंड सरकार,

कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

श्री मुख्त्यार सिंह,
सरकार के आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

परीक्षा नियंत्रक,
झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद,
झारखंड,राँची ।

राँची,दिनांक 30 दिसम्बर,2003.

विषय:- झारखंड के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र धारक आवेदकों द्वारा दूसरे राज्य से लेकर जाति प्रमाण-पत्र के मान्यता के संबंध में ।

महोदया,

प्रासंगिक पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि प्रासंगिक विषय पर विधि विभाग से मंतव्य प्राप्त किया गया ।

झारखंड पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में आरक्षण(अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम,2001 के नियम-14 के आलोक में निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :-

झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् द्वारा आयोजित परीक्षाओं में आरक्षण का लाभ केवल वैसे अभ्यर्थियों को दिया जाय जो झारखण्ड राज्य के लिए भारतीय संविधान की अनुसूची (V) एवं (VI) में झारखंड राज्य के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति घोषित किये गये हैं और पिछड़े वर्गों की वैसे जातियों जिनका उल्लेख प्रासंगिक अधिनियम में है । आरक्षण का लाभ तभी दिया जाय जब अभ्यर्थी का जाति-प्रमाण-पत्र झारखंड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, जो कम-से-कम अनुमण्डल पदाधिकारी से अन्यून स्तर के पदाधिकारी होंगें । ऐसा प्रमाण-पत्र झारखंड राज्य बनने के पूर्व अगर झारखंड क्षेत्र के सक्षम पदाधिकारी द्वारा जो उस समय झारखंड क्षेत्र में पदस्थापित थे, जाति का प्रमाण-पत्र दिया गया हो तो उसकी भी मान्यता दी जाय ।

विश्वासभाजन,

(मुख्त्यार सिंह)
सरकार के आयुक्त एवं सचिव

-2-

ज्ञापांक-7/आ0नि0-018-10/2003का0 7072/रांची, दिनांक 30 दिसम्बर, 03.

प्रतिलिपि:- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/अध्यक्ष, झारखंड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ प्रेषित।

(मुखत्यार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य एवं सचिव।

ज्ञापांक-7/आ0नि0-018-10/2003का0 7072 /रांची, दिनांक 30 दिसम्बर, 03.

प्रतिलिपि:- सचिव, उद्योग से अनुरोध है कि राज्य के अधीन सभी लोक उपक्रमों को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।

(मुखत्यार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य एवं सचिव।

पत्रांक-7/06-विविध-18/2001-4177/

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

प्रेषक,

स्वर्णादित्य सहाय,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव
सभी सचिव
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त ।

रांची, दिनांक- 22 जुलाई, 2003 ।

विषयः- भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या-12016/62/2000(टी०ए० आर०आई०), दिनांक-18.06.2003 के द्वारा प्राप्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 को परिचारित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा भारत के राजपत्र में झारखंड राज्य हेतु अनुसूचित जनजाति की सूची में कतिपय जातियों की प्रविष्टि की गई है । राजपत्र की प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है ।

2. झारखंड आरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा- 2 -स्पष्टीकरण-यदि अधिनियम से उपाबद्ध अनूसूची 1 और अनुसूची 2 में प्रमाणित वर्गों में से किसी वर्ग का राष्ट्रपति के किसी आदेश के अन्तर्गत अनुसूचित जाति या अनुसूचति जनजाति के रूप में अधिसूचित किया जाता है तो ऐसे वर्ग को उक्त अनुसूची से विलोपित हुआ समझा जायेगा । अतः अनुसूची 1 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) के कमांक-3 पर कँवर, कमांक-9 पर कोड़ा, कमांक-12 पर कुमारभाग पहाड़िया एवं कमांक-77 पर अगड़िया को अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की सूची से विलोपित समझा जाय ।

अतः अनुरोध है कि अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र देते समय इस संबंध में विशेष ध्यान रखा जाय ।

विश्वासभाजन,

22/7/07

(स्वर्णादित्य सहाय),
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक-7/06-विविध-18/2001-4177...../रांची, दिनांक- 22 जुलाई, 2003 ।

प्रतिलिपि-राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची/मुख्य मंत्री सचिवालय, झारखंड, रांची/ सरकार के सभी विभाग/ मुख्य सचिव के सचिव, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/ सभी राज्य पब्लिक अन्डरटेकिंग/परिषदों/निगमों/निकायों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयोंको इस निर्णय से अवगत करावें ।

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक-7/06-विविध-18/2001-4177...../राँची, दिनांक- 22 जुलाई, 2003 ।

प्रतिलिपि-महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची /झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।

No.12016/6/2000 [illegible]
Govt. of India
Ministry of Tribal Affairs
Shastri Bhawan, New Delhi-110001
Dated 18.6.2003

To
The Chief Secretaries of all the
State Governments and UT Administrations. Jharkhand Ranchi

26 JUN 2003

Subject: The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002- furnishing a copy of the notification.

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act 2002, which received the ascent of the President on 7th January 2003, and to say that this may be brought to the notice of all competent authorities who have been empowered to issue and verify the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Certificates. It should also be circulated among all the Departments of the State Government and subordinate/attached offices thereof so as to ensure that the member of the communities which have been added to the list of Scheduled tribes may not face any difficulty in enjoying the ST facilities. Similarly, the members of the communities, which have been excluded from the ST list should not be permitted to enjoy ST status any more with effect from 8th January 2003.

Yours faithfully,

(P.L. Yadav)
Deputy Director

Copy along with a copy of the above referred act is forwarded to:

1. Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110001
2. Secretary, Staff Selection Commission, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi
3. Secretary, National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, 5th Floor, Lok Nayak Bhawan, New Delhi-110003.
4. Secretaries [illegible] the Departments/Ministries of the Government of India
5. Comptroller and Auditor General of India
6. Election Commission of India, Nirvachan Sadan of India.
7. All the Field Offices of the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(P.L. Yadav)
Deputy Director

2498
27-6-03

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/2003 REGISTERED NO. DL-33004/2003

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 8, 2003/पौष 18, 1924
No. 10] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 8, 2003/PAUSA 18, 1924

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 8th January, 2003/Pausa 8, 1924 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 7th January, 2003 and is hereby published for general information:—

THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) ACT, 2002

No. 10 OF 2003

[*7th January*, 2003]

An Act to provide for the inclusion in the lists of Scheduled Tribes, of certain tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities, equivalent names or synonyms of such tribes or communities, removal of area restrictions and bifurcation and clubbing of entries; imposition of area restriction in respect of certain castes in the lists of Scheduled Castes, and the exclusion of certain castes and tribes from the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, in relation to the States of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Goa, Gujarat, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Mizoram, Orissa, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal:

BE it enacted by Parliament in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002. Short title.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "Scheduled Castes Order" means the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, made by the President under article 341 of the Constitution;

(*b*) "Scheduled Tribes Orders" means the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, the Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967 and the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978, made by the President under article 342 of the Constitution.

Amendment of Scheduled Castes Order.

3. The Scheduled Castes Order is hereby amended in the manner and to the extent specified in the First Schedule.

Amendment of Scheduled Tribes Orders.

4. The Scheduled Tribes Orders are hereby amended in the manner and to the extent specified in the Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

(*See* section 3)

In the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950,—

(*a*) in PART VIII.—*Kerala*, omit entries 29 and 38;

(*b*) in PART XVIII.—*Uttar Pradesh*,—

(*i*) in entry 1, at the end, insert "(excluding Sonbhadra district)";

(*ii*) in entry 5, at the end, insert "(excluding Sonbhadra district)";

(*iii*) in entry 21, at the end, insert "(excluding Sonbhadra district)";

(*iv*) in entry 25, at the end, insert "(excluding Sonbhadra and Varanasi districts)";

(*v*) in entry 36, at the end, insert "(excluding Mehrajganj, Sidharth Nagar, Basti, Gorakhpur, Deoria, Mau, Azamgarh, Jonpur, Balia, Gazipur, Varanasi, Mirzapur and Sonbhadra districts)";

(*vi*) for entry 46, substitute "46. Kharwar [(excluding Benbansi) (excluding Deoria, Balia, Gazipur, Varanasi and Sonbhadra districts)]";

(*vii*) in entry 57, at the end, insert "(excluding Sonbhadra and Mirzapur districts)";

(*viii*) in entry 58, at the end, insert "(excluding Sonbhadra district)";

(*ix*) in entry 60, at the end, insert "(excluding Sonbhadra district)";

(*x*) in entry 62, at the end, insert "(excluding Lalitpur district)".

THE SECOND SCHEDULE

(*See* section 4)

(*I*) In the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950,—

(*a*) in PART I.—*Andhra Pradesh*,—

(*i*) in entry 1, after "Andh", insert ", Sadhu Andh";

(*ii*) in entry 4, omit "Chenchwar";

(*iii*) in entry 5, at the end, insert ", Bodo Gadaba, Gutob Gadaba, Kallayi Gadaba, Parangi Gadaba, Kathera Gadaba, Kapu Gadaba";

(*iv*) in entry 6, at the end, insert ", Koitur";

(*v*) in entry 12, for "Mannervarlu", substitute "Kolawar";

(*vi*) in entry 13, at the end, insert "Kubi";

(*vii*) in entry 16, at the end, insert ", Kuvinga";

(*viii*) in entry 17, omit "Dhulia, Paiko, Putiya";

(*ix*) in entry 18, for "Goud", substitute "Doli Koya, Gutta Koya, Kammara Koya, Musara Koya, Oddi Koya, Pattidi Koya";

(*x*) in entry 29, at the end, insert ", Banjara";

(*xi*) in entry 31, for "Agency tracts", substitute "Scheduled Areas of Vishakhapatnam, Srikakulam, Vijayanagaram, East Godavari and West Godavari districts";

(*xii*) in entry 32, at the end, insert ", Chella Yenadi, Kappala Yenadi, Manchi Yenadi, Reddi Yenadi";

(*xiii*) in entry 33, at the end, insert ", Koracha, Dabba Yerukula, Kunchapuri Yerukula, Uppu Yerukula";

(*xiv*) after entry 33, insert—

"34. Nakkala, Kurvikaran

35. Dhulia, Paiko, Putiya (in the districts of Vishakhapatnam and Vijayanagaram).";

(*b*) in PART II.—*Assam*,—

(*i*) under the item "In the autonomous districts:—", for entry 11, substitute "11. Karbi", and after entry 14, insert "15. Lalung";

(*ii*) under the item "In the State of Assam excluding the autonomous districts:—", after entry 9, insert—

"10. Dimasa

11. Hajong

12. Singhpho

13. Khampti

14. Garo.";

(*c*) in PART III.—*Bihar*,—

(*i*) in entry 1, at the end, insert ", Agaria";

(*ii*) in entry 16, at the end, insert ", Dhelki Kharia, Dudh Kharia, Hill Kharia";

(*iii*) in entry 19, at the end, insert ", Nagesia";

(*iv*) in entry 20, at the end, insert ", Mudi-kora";

(*v*) in entry 24, at the end, insert ", Kumarbhag Paharia";

(*vi*) in entry 25, at the end, insert ", Patar";

(*vii*) in entry 26, at the end, insert ", Dhangar (Oraon)";

(*viii*) after entry 30, insert—

"31. Kawar

32. Kol

33. Tharu.";

(*d*) in PART IV.—*Gujarat*,—

(*i*) in entry 9, at the end, insert ", Dhodi";

(*ii*) omit entries 15 and 20;

(*iii*) in entry 26, after "Siddi" and before the brackets, insert ", Siddi-Badshah";

(*iv*) omit entry 27;

(*e*) in PART V.—*Himachal Pradesh*,—

(*i*) in entry 2, omit "[excluding the territories specified in sub-section (*1*) of section 5 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), other than the Lahul and Spiti district]";

(*ii*) in entry 3, omit "[excluding the territories specified in sub-section (*1*) of section 5 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966)]";

(*iii*) after entry 8, insert—

"9. Beta, Beda

10. Domba, Gara, Zoba.";

(*f*) in PART VI.—*Karnataka*,—

(*i*) in entry 37, at the end, insert " Medari, Gauriga, Burud";

(*ii*) in entry 41, at the end, insert ", Haranshikari";

(*iii*) after entry 49, insert "50. Siddi (in Uttar Kannada district)";

(*g*) in PART VII.—*Kerala*,—

(*i*) in entry 2, at the end, insert ", Aranadan";

(*ii*) in entry 4, at the end, insert ", Mala Pulayan, Kurumba Pulayan, Karavazhi Pulayan, Pamba Pulayan";

(*iii*) in entry 6, at the end, insert ", Wayanad Kadar";

(*iv*) omit entry 7;

(*v*) for entry 10, substitute "10. Kochuvelan";

(*vi*) omit entries 11, 12 and 14;

(*vii*) in entry 16, at the end, insert ", Kurichiyan";

(*viii*) in entry 17, at the end, insert ", Mullu Kuruman, Mulla Kuruman, Mala Kuruman";

(*ix*) in entry 18, at the end, insert ", Kurumbar, Kurumban";

(*x*) in entry 20, at the end, insert ", Mala Arayan";

(*xi*) in entry 22, at the end, insert ", Malavedan";

(*xii*) for entry 25, substitute "25. Malayan, Nattu Malayan, Konga Malayan (excluding the areas comprising the Kasargode, Connanore, Wayanad and Kozhikode districts)";

(*xiii*) in entry 27, at the end, insert "(to be spelt in Malayalam script in parenthesis)";

(*xiv*) omit entry 28;

(*xv*) for entries 30, 31 and 32, substitute "30. Palleyan, Palliyan, Palliyar, Paliyan";

(*xvi*) in entry 34, at the end, insert ", Ullatan";

(*xvii*) after entry 35, insert—

"36. Mala Vettuvan (in Kasargode and Kannur districts)

37. Ten Kurumban, Jenu Kurumban

38. Thachanadan, Thachanadan Moopan

39. Cholanaickan

40. Mavilan

41. Karimpalan

42. Vetta Kuruman

43. Mala Panickar.";

(*h*) in PART VIII.—*Madhya Pradesh*, omit "entries 21, 32 and 39";

(*i*) in PART IX.—*Maharashtra*,—

(*i*) omit entry 12;

(*ii*) in entry 18, for "Gond Rajgond" substitute "Gond, Rajgond";

(*iii*) omit entry 45";

(*j*) in PART X.—*Manipur*,—

(*i*) for entry 28, substitute "28. Vaiphei";

(*ii*) after entry 29, insert—

"30. Poumai Naga

31. Tarao

32. Kharam

33. Any Kuki tribes.";

(*k*) in PART XII.—*Orissa*,—

(*i*) in entry 1, at the end, insert ", Bhakta";

(*ii*) in entry 4, at the end, insert ", Bathuri";

(*iii*) in entry 5, at the end, insert "Bhotra, Bhatra, Bhattara, Bhotora, Bhatara";

(*iv*) in entry 8, at the end, insert ", Teli Bhumij, Haladipokhria Bhumij, Haladi Pokharia Bhumija, Desi Bhumij, Desia Bhumij, Tamaria Bhumij";

(*v*) in entry 10, at the end, insert ", Binjhwar";

(*vi*) in entry 13, at the end, insert ", Bonda Paroja, Banda Paroja";

(*vii*) in entry 17, at the end, insert ", Dhuruba, Dhuruva";

(*viii*) in entry 18, at the end, insert ", Didai Paroja, Didai";

(*ix*) in entry 19, at the end, insert ", Bodo Gadaba, Gutob Gadaba, Kapu Gadaba, Ollara Gadaba, Parenga Gadaba, Sano Gadaba";

(*x*) in entry 22, at the end, insert "Rajgond, Maria Gond, Dhur Gond";

(*xi*) in entry 28, at the end, insert "Kanwar";

(*xii*) in entry 29, at the end, insert "Berga Kharia, Dhelki Kharia, Dudh Kharia, Erenga Kharia, Munda Kharia, Oraon Kharia, Khadia, Pahari Kharia";

(*xiii*) in entry 31, at the end, insert "Kondh, Kui, Buda Kondh, Bura Kandha, Desia Kandha, Dungaria Kondh, Kutia Kandha, Kandha Gauda, Muli Kondh, Malua Kondh, Pengo Kandha, Raja Kondh, Raj Khond";

(*xiv*) in entry 32, at the end, insert ", Nagesar, Nagesia";

(*xv*) in entry 38, at the end, insert ", Khaira, Khayara";

(*xvi*) in entry 41, at the end, insert ", Gumba Koya, Koitur Koya, Kamar Koya, Musara Koya";

(*xvii*) in entry 43, at the end, insert ", Nodh, Nodha, Lodh";

(*xviii*) in entry 47, at the end, insert ", Mankria, Mankidi";

(*xix*) in entry 48, at the end, insert ", Matia";

(*xx*) in entry 49, at the end, insert ", Kuda, Koda";

(*xxi*) in entry 50, at the end, insert ", Nagabanshi Munda, Oriya Munda";

(*xxii*) in entry 52, at the end, insert ", Omanatyo, Amanatya";

(*xxiii*) in entry 53, at the end, insert ", Dhangar, Uran";

(*xxiv*) in entry 55, at the end, insert ", Parja, Bodo Paroja, Barong Jhodia Paroja, Chhelia Paroja, Jhodia Paroja, Konda Paroja, Paraja, Ponga Paroja, Sodia Paroja, Sano Paroja, Solia Paroja";

(*xxv*) in entry 59, at the end, insert "Arsi Saora, Based Saora, Bhima Saora, Bhimma Saora, Chumura Saora, Jara Savar, Jadu Saora, Jati Saora, Juari Saora, Kampu Saora, Kampa Soura, Kapo Saora, Kindal Saora, Kumbi Kancher Saora, Kalapithia Saora, Kirat Saora, Lanjia Saora, Lamba Lanjia Saora, Luara Saora, Luar Saora, Laria Savar, Malia Saora, Malla Saora, Uriya Saora, Raika Saora, Sudda Saora, Sarda Saora, Tankala Saora, Patro Saora, Vesu Saora";

(*xxvi*) in entry 62, at the end, insert ", Tharua Bindhani";

(*l*) in PART XIV.—*Tamil Nadu*, in entry 7, for "taluk," substitute "and Ambasamudram taluks";

(*m*) in PART XV.—*Tripura*,—

(*i*) in entry 6, at the end, insert ", Bengshel, Dub, Kaipeng, Kalai, Karbong, Lengui, Mussum, Rupini, Sukuchep, Thangchep";

(*ii*) in entry 14, at the end, insert ", Murasing";

(*n*) in PART XVI.—*West Bengal*, after entry 38, insert—

"39. Limbu (Subba)

40. Tamang.";

(*o*) in PART XVII.—*Mizoram*, after entry 14, insert "15. Paite";

(*p*) in PART XVIII.—*Arunachal Pradesh*,—

(*i*) in entry 8, at the end, insert ", Idu, Taroan";

(*ii*) after entry 12, insert—

"13. Hrusso

14. Tagin

15. Khamba

16. Adi.";

(*q*) in PART XIX.—*Goa*, after entry 5, insert—

"6. Kunbi

7. Gawda

8. Velip.";

(*r*) in PART XXII.—*Jharkhand*,—

(*i*) in entry 1, at the end, insert ", Agaria";

(*ii*) in entry 15, at the end, insert ", Dhelki Kharia, Dudh Kharia, Hill Kharia";

(*iii*) in entry 18, at the end, insert "; Nagesia";

(*iv*) in entry 19, at the end, insert ", Mudi-Kora";

(*v*) in entry 23, at the end, insert ", Kumarbhag Paharia";

(*vi*) in entry 24, at the end, insert ", Patar";

(*vii*) in entry 25, at the end, insert ", Dhangar (Oraon)";

(*viii*) after entry 30, insert—

"31. Kawar

32. Kol.".

(2) In the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, after entry 5, insert—

"6. Gond, Dhuria, Nayak, Ojha, Pathari, Raj Gond (in the districts of Mehrajganj, Sidharth Nagar, Basti, Gorakhpur, Deoria, Mau, Azamgarh, Jonpur, Balia, Gazipur, Varanasi, Mirzapur and Sonbhadra)

7. Kharwar, Khairwar (in the districts of Deoria, Balia, Ghazipur, Varanasi and Sonbhadra)

8. Saharya (in the district of Lalitpur)

9. Parahiya (in the district of Sonbhadra)

10. Baiga (in the district of Sonbhadra)

11. Pankha, Panika (in the districts of Sonbhadra and Mirzapur)

12. Agariya (in the district of Sonbhadra)

13. Patari (in the district of Sonbhadra)

14. Chero (in the districts of Sonbhadra and Varanasi)

15. Bhuiya, Bhuinya (in the district of Sonbhadra).".

(3) In the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978, after entry 2, insert—

"3. Limboo

4. Tamang.".

K. N. CHATURVEDI,
Additional Secy. to the Govt. of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2003.

MGIPMRND—704GI—08.01.2003.

पत्रांक-7/वि०वि०आ०-019-03/2002-...4156....../

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

प्रेषक,

श्री सुशील कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त, झारखंड

राँची दिनांक- 17/7/2002

विषय:- "स्थानीय निवासी" प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्रों के माध्यम से तथा कतिपय विभागों से सरकार को ऐसी सूचना मिल रही है कि विभिन्न जिलों में भिन्न-भिन्न तरीकों से भिन्न-भिन्न प्रपत्रों में आवासीय प्रमाण पत्र/स्थायी निवासी प्रमाण पत्र/मूल निवासी प्रमाण पत्र/ अधिवासी प्रमाण पत्र/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र इत्यादि निर्गत किये जा रहे है ।

2. इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना ज्ञापांक-3389, दिनांक-22.9.2001, की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

3. अधिसूचना संख्या-3389, दिनांक-22.9.2001, के द्वारा बिहार सरकार, श्रम एवं नियोजन विभाग के पत्रांक-806, दिनांक-3.3.1982, को अंगीकृत किया गया है । सुलभ संदर्भ हेतु उल्लिखित अधिसूचना एवं पत्र की प्रति पुनः संलग्न की जाती है । पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि नियोजन के मामले में "स्थानीय व्यक्ति" की परिभाषा का आधार जिला को माना गया है । जिला में पिछले सर्वे के रिकॉर्डस ऑफ राईट्स में जिन लोगों को अपने या अपने पूर्वजों के नाम में जमीन, बासगीत आदि का उल्लेख हो, उन्हें ही जिला के दायरे में स्थानीय व्यक्ति माना जायेगा । अतएव उपरोक्त अधिसूचना एवं पत्र में मात्र नियोजन हेतु "स्थानीय निवासी" सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी किये जाने का उल्लेख है । इससे हटकर, किसी अन्य प्रकार का प्रमाण-पत्र, यथा स्थायी निवासी

प्रमाण-पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र, अधिवासी प्रंमाण-पत्र इत्यादि जारी नहीं किया जाना है और न ही उसकी मान्यता नियोजन के लिए दी जा सकती है ।

4. अतएव नियोजन के लिए यदि "स्थानीय निवासी" प्रमाण-पत्र निर्गत करने का कोई आवेदन प्राप्त होता है तो प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले प्राधिकृत पदाधिकारी कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि वस्तुतः आवेदन नियोजन के संबंध में ही है और आवेदक उसी जिले का निवासी है जहाँ से प्रमाण-पत्र निर्गत होना है । तदुपरान्त्, पिछले सर्वे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स इत्यादि में आवेदक या उसके पूर्वजों के नाम से जमीन, बासगीत आदि के उल्लेख के जाँचोपरान्त "स्थानीय निवासी" प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाय ।

"स्थानीय निवासी" प्रमाण-पत्रों की एकरूपता हेतु निम्नांकित प्रपत्र निर्धारित किया जाता है :-

<u>*प्रपत्र*</u>

कार्यालय का नाम-

<u>स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (नियोजन के लिए)</u>

प्रमाण पत्र संख्या- दिनांक-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री-............................. पिता/पति श्री-..................................., पता-ग्राम/वार्ड/शहर-...................... पो0-......................, थाना-...................., जिला-................................ के स्थानीय निवासी है और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार, की अधिसूचना संख्या-3389, दिनांक-22 सितम्बर, 2001, के साथ संलग्न बिहार सरकार के श्रम एवं नियोजन विभाग के पत्र संख्या-3/स्था0 नि0-5014/81-806, दिनांक-3 मार्च, 1982, में उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है । यह प्रमाण पत्र मात्र नियोजन के सदर्भ में मान्य होगा ।

स्थान-

दिनांक- कार्यालय का मुहर प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले पदा0 का पदनाम

प्रत्येक कार्यालय, प्रमाण पत्र निर्गत करते समय एक पंजी संधारित करेगा जो कार्यालय प्रधान द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित होनी चाहिए । प्रमाण पत्र निर्गत करने के समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाय कि आवेदक के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी अंकित रहे तथा आवेदन के जांचकर्त्ता का भी विवरणी अंकित रहे ।

उपरोक्त अनुदेश से अपने अधीनस्थ पदाधिकारी यथा अनुमंडल पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी या तत्संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अधिकृत पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया जाय । साथ ही ऐसे पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर उन्हें स्पष्ट निदेश भी दिया जाय ताकि सभी प्रकार की भ्रांतियाँ दूर हो जायँ ।

विश्वासभाजन,

ह०

(सुशील कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-7/वि0वि0आ0-019-03/2002-.4156......./रांची, दिनांक-17/7/2002

प्रतिलिपि-महामहिम राज्यपाल के सचिव/मुख्य मंत्री के सचिव /सचिव, झारखंड विधान सभा/सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव /सभी विभागाध्यक्ष/झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति/निदेशक, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय/ महाधिवक्ता, झारखंड उच्च न्यायालय/क्षेत्रीय भर्त्ती पदाधिकारी, राँची/निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

17.7.2002

सरकार के सचिव ।

झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

रांची, दिनांक-22, सितम्बर, 2001 ई०

संख्या-5/विविध-09/2001-3388./ बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-85 के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-3/एम०-5069/87का०-2989, दिनांक-21, मार्च,1990 को इस संशोधन के साथ झारखंड राज्य के लिए अंगीकृत करते हैं कि उक्त संकल्प में जहॉं कहीं भी "बिहार" शब्द का प्रयोग किया गया है, उसे "झारखंड" शब्द से प्रतिस्थापित समझा जाए । परिणामस्वरूप सेना में भर्ती के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही झारखंड राज्य में भी अधिवास प्रमाण-पत्र निर्गत किए जायेंगे ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

22. 9.2001

(एम० पी० मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-5/विविध-09/2001-3388./रांची, दिनांक-22, सितम्बर, 2001 ई०

प्रतिलिपि- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2989 दिनांक-21, मार्च,1990 की प्रति के साथ महामहिम राज्यपाल के सचिव/मुख्यमंत्री के सचिव/सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय/ सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति/निदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, कांके रोड, रांची/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय/महाधिवक्ता, झारखंड, उच्च

न्यायालय/क्षेत्रीय भर्ती पदाधिकारी, रांची कैंट/निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

22.9.2001

(एम० पी० मिश्र)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-5/विविध-09/2001-3388./रांची, दिनांक-22, सितम्बर, 2001 ई०

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को अनुलग्नक की प्रति के साथ झारखंड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । कृपया मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची को उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

22.9.2001

(एम० पी० मिश्र)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।
संकल्प

पटना- 15 दिनांक मार्च 1990 ई0 फाल्गुन,1911 (श0)

विषय : सेना में भर्त्ती हेतु अधिवास प्रमाण-पत्र निर्गत करने की प्रकिया एवं शर्त ।

सेना में भर्ती के लिए प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग कोटा निर्धारित है और इस कोटा के अधीन मात्र उस राज्य के अधिवासी की ही नियुक्ति की जानी है । अतएव बिहार राज्य के लिए सेना में निर्धारित कोटा के विरूद्ध, बिहार के निवासी को ही भर्त्ती किया जा सके , इसे सुनिश्चित करने के लिए "दि पब्लिक एम्पलॉयमेंट" (रिक्वायरमेंट ऐज टु रेजिडेंस) ऐक्ट, 1957 में निहित प्रावधनों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले अधिवास प्रमाण-पत्र (रेजिडेंस सर्टिफिकेट) निर्गत करने का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

राज्य सरकार ने भली भांति विचार कर सेना में भर्त्ती हेतु निम्नांकित आधार पर अधिवास प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया है :-

अधिवास प्रमाण-पत्र संबंधित जिला के जिला दण्डाधिकारी द्वारा उनके हस्ताक्षर से निर्गत किया जाएगा । यह प्रमाण-पत्र निम्नांकित तीन शर्त्तों में से किन्ही दो शर्त्तों को पूरा करने पर ही निर्गत किया जायगा । यह प्रमाण-पत्र केवल सेना में भर्त्ती के लिए आवश्यक होगा, अन्य किसी सेवा के लिए नही ।

(I) प्रत्याशी के माता - पिता बिहार राज्य में कम से कम दस वर्ष निवास किये हुए हों ।

(II) प्रत्याशी को हिन्दी बोलना आता हो, तथा वे अगर साक्षर हों तो हिन्दी पढ़ने-लिखने की योग्यता हो,

(III) बिहार में अचल सम्पति धारण करते हों ।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राज्यपत्र में जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित किया जाए ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/
(गोविन्द रा0 पटवर्धन)
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-3/एम-5069/87 का0 2989 पटना-15 दिनांक 21 मार्च 1990 फाल्गुन,1911(श0)

प्रतिलिपि- सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष /सभी जिला पदाधिकारी / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग /क्षेत्रीय भर्त्ती पदाधिकारी, मुख्यालय, दानापुर केंट / क्षैत्रीय भर्त्ती पदाधिकारी, वायुसेना, कदमकुंआ, पटना / निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/
(हर्ष वर्धन)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

संकल्प

पटना-15, दिनांक मार्च, 1990 ई.
फाल्गुन, 1911 (श0)

विषय:- सेना में भर्त्ती हेतु अधिवास प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया एवं शर्त्तें ।

सेना में भर्त्ती के लिए प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग कोटा निर्धारित है और इस कोटा के अधीन मात्र उस राज्य के अधिवासी की ही नियुक्ति की जानी है। अतएव बिहार राज्य के लिए सेना में निर्धारित कोटा के विरुद्ध, बिहार के निवासी को ही भर्त्ती किया जा सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए "दि पब्लिक एम्पलायमेंट (रिक्वायरमेंट ऐज टु रेजिडेन्स) ऐक्ट, 1957 में निहित प्रावधानों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले अधिवास प्रमाण-पत्र (रेजिडेन्स सर्टीफिकेट) निर्गत करने का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

राज्य सरकार ने भली भांति विचार कर सेना में भर्त्ती हेतु निम्नांकित आधार पर अधिवास प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया है:-

अधिवास प्रमाण पत्र संबंधित जिला के जिला दंडाधिकारी द्वारा उनके हस्ताक्षर से निर्गत किया जाएगा । यह प्रमाण-पत्र निम्नांकित तीन शर्त्तों में से किन्हीं दो शर्त्तों को पूरा करने पर ही निर्गत किया जायगा । यह प्रमाण पत्र केवल सेना में भर्त्ती के लिए आवश्यक होगा, अन्य किसी सेवा के लिए नहीं ।

(i) प्रत्याशी के माता-पिता बिहार राज्य में कम से कम दस वर्ष [illegible] हुए हों.

(ii) प्रत्याशी को हिन्दी बोलना आता हो, तथा वे अगर साक्षर हों तो हिन्दी पढ़ने-लिखने की योग्यता हो,

(iii) बिहार में अचल सम्पत्ति धारण करते हों।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राज्यपत्र में जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय ।

2: यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित किया जाए ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
[illegible]
(गोविन्द राव पटवर्धन) [illegible]
सरकार के सचिव ।

: 2 :

ज्ञापसंख्या-3/एम1-5069/87 का0 2989 / पटना-15, दिनांक 21 मार्च 1990
फाल्गुन, 1911 ॥श0॥

प्रतिलिपि- सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी जिला पदाधिकारी/ सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/ क्षेत्रीय भर्ती पदाधिकारी मुख्यालय, दानापुर कैंट/क्षेत्रीय भर्ती पदाधिकारी, वायुसेना, कदमकुंआ, पटना/ निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21-3-90

॥ हर्ष वर्धन ॥
सरकार के संयुक्त सचिव ।

नोखेलाल: 14/3

खण्ड–2
(भाग–'ख')

अध्याय–5
(क्रीमी लेयर)

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक 10 नवम्बर, 2017

संख्या–14/भा0स0प0–17–08/08 का0–11305/चूंकि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक–10.06.2002 द्वारा झारखण्ड राज्य में क्रीमीलेयर की पहचान के लिए भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36012/22/93 दिनांक–08.09.1993 की अनुसूची को यथावत अंगीकृत करते हुए क्रीमीलेयर के निर्धारण की क्राईटेरिया को पूर्णरूपेण लागू करने का निर्णय लिया गया है तथा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36033/1/2013–स्था0 (आरक्षण) दिनांक–13.09.2017 द्वारा कार्यालय ज्ञापन दिनांक–08.09.1993 की अनुसूची की कंडिका–VI में आय के मानदंड को संशोधित करते हुए अन्य पिछड़े वर्ग (ओ0बी0सी0) के सदस्यों को सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/सम्पन्न वर्गों के रूप में आरक्षण के दायरे से बाहर रखने के लिए आय के मानदंड को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है।

एतदर्थ संकल्प संख्या–3482 दिनांक–10.06.2002 द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के सदस्यों में से क्रीमीलेयर के निर्धारण हेतु आय का मानदंड अब 6 लाख रुपए से बढ़कर 8 लाख रुपए प्रति वर्ष हो जाएगा।

उक्त निर्णय सर्व साधारण की जानकारी के लिए झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित की जा रही है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

8/11/17

(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/भा0स0प0–17–08/08 का0–11305/राँची, दिनांक 10 नवम्बर, 2017

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/भा0स0प0–17–08/08 का0–11305/राँची, दिनांक 10 नवम्बर, 2017

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री संचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/सचिव, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/भा0स0प0–17–08/08 का0–11305/राँची, दिनांक 10 नवम्बर, 2017

प्रतिलिपिः– महानिबंधक, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय/सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

सं. 36033/1/2013-स्था.(आरक्षण)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग

*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 13 सितम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) के लिए आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) को बाहर रखने के लिए आय मापदंड में संशोधन करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था.(एससीटी) की ओर ध्यान आमंत्रित करवाने का निदेश हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान किया गया है कि लगातार तीन वर्षों तक 1 लाख रु. या इससे अधिक की सकल वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के पुत्र एवं पुत्रियां क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे और वे अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। क्रीमी लेयर की स्थिति का निर्धारण करने की उपरोक्त आय सीमा इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/3/2004-स्था.(आर.) दिनांक 09.03.2004, कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/3/2004-स्था.(आर.) दिनांक 14.10.2008 एवं कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/1/2013-स्था.(आर.) दिनांक 27.05.2013 द्वारा क्रमशः 2.5 लाख रु., 4.5 लाख रु. एवं 6 लाख रु. तक बढ़ाई गई थी।

2. अब अन्य पिछड़े वर्गों में से क्रीमी लेयर का निर्धारण करने के लिए वार्षिक आय को 6 लाख रु. से बढ़ाकर 8 लाख रु. तक करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, इस विभाग के दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची में श्रेणी VI के अधीन शब्दांश "6 लाख रु." के स्थान पर "8 लाख रु." प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. इस कार्यालय ज्ञापन के प्रावधान 1 सितम्बर, 2017 से लागू होंगे।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को सभी संबंधितों के ध्यान में लाएँ।

देबब्रत दास

(देबब्रत दास)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23040279

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली ।
3. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली ।
4. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
5. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/भारत का निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केंद्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री सचिवालय/नीति आयोग ।
6. कर्मचारी चयन आयोग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिलली।
7. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय/ शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
8. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली।
9. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकूट-1, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली।
10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिलली-110002
11. महानिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय, राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, 7ई रायसीना रोड़, नई दिल्ली से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन का व्यापक प्रचार करें।
12. एनआईसी, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से अनुरोध है कि इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन एंव आदेश→स्थापना(आरक्षण)> अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के 'नया क्या' पर अद्यतन करें।

प्रति निम्नलिखित को अग्रेषित :

सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए

(देबब्रत दास)
अवर सचिव, भारत सरकार

पत्रांक : 14/भा0स0प0–17–08/2008 का0....8192 अ30

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

दिवाकर प्रसाद सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक....18.7.17

विषय :– केन्द्रीय सेवाओं तथा केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का जाति प्रमाण पत्र तथा राज्य की सेवाओं एवं राज्य अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के निमित्त क्रीमीलेयर के निर्धारण हेतु मार्गदर्शन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं0–36012/22/93 इस्ट (एस0सी0टी0), दिनांक–08.09.1993 द्वारा सामाजिक रूप से समुन्नत की पहचान की क्राईटेरिया निर्धारित की गई थी, जिसे तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा पत्र सं0–17, दिनांक–06.02.1994 द्वारा सभी सम्बन्धित प्राधिकारियों को परिचारित किया गया था। उक्त पत्र एवं उसके अनुलग्नक की प्रति इस विभाग के पत्र सं0–7906, दिनांक–10.12.2011 द्वारा पुनः परिचारित किया गया था।

क्रीमीलेयर के निर्धारण की क्राईटेरिया इस विभाग के पत्र सं0–6903, दिनांक–13.12.2009 तथा पत्र सं0–2576, दिनांक–20.03.2013 द्वारा क्रीमीलेयर स्टेट्स के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण भी जारी किया गया था। वर्तमान में सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्ति/वर्गों (सम्पन्न वर्गों) को बाहर रखने के लिए आय का मानदंड 6.00 (छः लाख) प्रतिवर्ष निर्धारित है तथा इससे सम्बन्धित अनुदेश विभगीय पत्र सं0–5102, दिनांक–13.06.2013 द्वारा निर्गत है।

यह उल्लेखनीय है कि झारखण्ड राज्य सरकार के संकल्प सं0–3482, दिनांक–10.06.2002 के अनुसार भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं0–36012/22/93 ईस्ट (एस0सी0टी0), दिनांक–08.09.1993 की अनुसूची को पिछड़े वर्गों में क्रीमीलेयर की पहचान हेतु अंगीकृत करते हुए पूर्ण रूपेण लागू किया गया है।

एतदर्थ, केन्द्रीय ओ.बी.सी. तथा झाखण्ड के अ0पि0व0/पि0व0 में क्रीमीलेयर के निर्धारण के निमित्त कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन–36012/22/93 ईस्ट (एस0सी0टी0), दिनांक–08.09.1993 तथा इस विभाग के पत्र सं0–6903, दिनांक–13.12.2009, 2576, दिनांक–20.03.2013 तथा 5102, दिनांक–13.06.2013 की अनुलग्नक सहित छायाप्रति सुलभ मार्गदर्शन हेतु संलग्न है।

P.T.O.

अनुरोध है कि उक्त मार्गदर्शन के आलोक में क्रीमीलेयर स्टेट्स का निर्धारण करते हुए ओ.बी.सी. तथा राज्य के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अनु0—यथोक्त।

विश्वासभाजन

(दिवाकर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक— 14 / भा0स0प0—17—08 / 2008 का0 8192 3130 / राँची, दिनांक 18.7.17

प्रतिलिपिः— अनुलग्नक की प्रति सहित अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग / सचिव, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0—यथोक्त।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक— 14 / भा0स0प0—17—08 / 2008 का0 8192 3130 / राँची, दिनांक 18.7.17

प्रतिलिपिः— अनुलग्नक की प्रति सहित श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, उप सचिव—सह—नोडल पदाधिकारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड को उक्त परिपत्र को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

अनु0—यथोक्त।

सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्र संख्या– 7 / भा0स0प0– 17– 03 / 08 का0 5102 (अनु0)
झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

प्रमोद कुमार तिवारी,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

सभी विभागीय, प्रधान सचिव / विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 13 मई, 2013

विषयः अन्य पिछड़े वर्ग (ओ0बी0सी0) के आरक्षण दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों / वर्गों (सम्पन्न वर्गों) को बाहर रखने के लिए आय के मानदंडों में संशोधन।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प संख्या–7 / नीति क्रीमीलेयर–07 / 2002 का0–3482 / राँची, दिनांक– 10.06.2002 के निर्णय के अनुसार भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–3612 / 22 / 93 दिनांक–08.09.1993 में क्रीमीलेयर के पहचान की निर्धारित क्राईटेरिया इस राज्य में पूर्णरूपेण लागू है।

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36033 / 1 / 2013–Estt.(Res.) दिनांक– 27.05.2013 के द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग (ओ0बी0सी0) के आरक्षण दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों / वर्गों (सम्पन्न वर्गों) को बाहर रखने के लिए आय के मानदंडों में संशोधन करते हुए अब वार्षिक आय 4.50 लाँख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। यह व्यवस्था तात्कलिक प्रभाव से इस राज्य में लागू मानी जायेगी ।

एतदर्थ, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36033 / 1 / 2013–Estt.(Res.) दिनांक– 27.05.2013 की प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

एतद विषयक पूर्व निर्गत पत्र संख्या–7097 दिनांक–30.10.2009, 1992 दिनांक–26.03.2009, 701 दिनांक–30.01.2009 तथा पत्र संख्या– 6903 दिनांक–12.12.2008 तदनुसार संशोधित समझे जाएगें।

विश्वासभाजन

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक संख्या–7 / भा0स0प0–17–03 / 08 का0 5102 / राँची, दिनांक– 13/06/13

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग / झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग / झारखण्ड संयुक्त प्रेवश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद राँची को अनुलग्नक की प्रति सहित सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

सं. 36033/1/2013-स्था.(आरक्षण)

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

*****

नई दिल्ली, 27,मई, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषयः सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (नवोन्नत वर्ग) को अन्य पिछड़े वर्गों (अपिव) के आरक्षण के दायरे से बाहर रखने के लिए आय के मानदंड में संशोधन ।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था. (एससीटी) की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि लगातार तीन वर्षों तक एक लाख या उससे अधिक सकल वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियाँ नवोन्नत वर्ग के दायरे में आएंगे और वे अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे । नवोन्नत वर्ग के निर्धारण हेतु उपर्युक्त आय सीमा को बाद में 2.5 लाख रुपए और 4.5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया और तदनुसार दिनांक 8 सितम्बर 1993 के कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची की श्रेणी-ए के अंतर्गत "एक लाख रुपए" की अभिव्यक्ति को इस विभाग के दिनांक 9.3.2004 और 14.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था (आरक्षण) द्वारा संशोधित कर क्रमशः "रुपए 2.5 लाख" और "रुपए 4.5 लाख" कर दिया गया था ।

2. अब, अन्य पिछड़े वर्गों में नवोन्नत वर्ग के निर्धारण हेतु वार्षिक आय सीमा 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार, इस विभाग के दिनांक 8 सितम्बर 1993 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची की श्रेणी-VI के अंतर्गत "4.5 लाख रुपए" की अभिव्यक्ति को "छह लाख रुपए" से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

3. इस कार्यालय ज्ञापन के प्रावधान 16 मई 2013 से प्रभावी हैं ।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु को सभी संबंधितों के ध्यान में लाए जाए ।

(शरद कुमार श्रीवास्तव)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

2.. वित्त सेवा विभाग, नई दिल्ली

3. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली

4. रेलवे बोर्ड , नई दिल्ली

5. संघ लोक सेवा आयोग/उच्चतम न्यायालय/चुनाव आयोग/लोकसभा सचिवालय/राज्यसभा सचिवालय/मंत्रिमंडलीय सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजाना आयोग

6. कर्मचारी चयन आयोग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली

7. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

8. अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग/अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली

9. पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, त्रिकुट -1, भीकाजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली

10. महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

11. सूचना एवं सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (100 प्रतियां)

12. एनआईसी. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इस अनुरोध के साथ कि वे इस विभाग की वेबसाइट पर OMs & orders > Estt.(Res.) > SC/ST/OBC तथा 'What's New' पर इसे अपलोड कर दें।

प्रतियां पेषित :

सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

पत्रांक–7 / भा0स0प0–17–08 / 2008 का0– 2576 (अनु0)
झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,
प्रमोद कुमार तिवारी,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,
सभी प्रधान सचिव / सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक– 20/3/13

विषय : समूह (ग) के सरकारी कर्मी के नन– क्रिमीलेयर स्टेटस के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक– NCBC / 7 / 24 / 2012– RW दिनांक 04.03.2013 की प्रति अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न किया जाता है।

विश्वासभाजन,

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव

Tele. : [illegible] 9212, 2618 9213
Fax : 2618 3227

त्रिकूट-१, भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली - ११० ०६६
Trikoot-1, Bhikaji Cama Place,
New Delhi - 110 066

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

Government of India
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES

No. NCBC/7/24/2012-RW 4.3.13

To,

Sub Divisional Officer
Godda,
JHARKHAND- 814133.

Subject: Clarification regarding Non Creamy Layer Status of Group 'C' Government Employees

Sir,

I am directed to refer to a representation received in this Commission from Ms. Mamta Kumari D/o Shri Amar Kant Yadav, Vil. Madkhar, P.O- Pasayi, Dist. – Godda, Jharkhand and to say that as per the Clarifications regarding creamy layer amongst OBCs issued vide DOPT O.M. No.36033/5/2004- Estt.(SCT), dated 14th October, 2004 in Para 7 it is mentioned that if the father is directly recruited Class III/ Group C employee, his sons and daughters shall not be treated to be falling in creamy layer (copy enclosed).

Yours faithfully,
5/3/13
(Babu Santosh Kumar)
Research Officer
Tel: 011-26189210

293
14/3/13

Copy to:

Principal Secretary, Department of Personnel, Administrative Reforms & Raj Bhasa, Jharkhand Secretariat, Dhurwa, Ranchi- 834 004.

Copy for information to:

Ms. Mamta Kumari, D/o Shri Amar Kant Yadav, Vil. Madkhar, P.O- Pasayi, Dist. – Godda, Jharkhand.

Department of Personnel and Training O.M. No.36033/5/2004-Estt.(SCT), dated the 14th October, 2004, to all Ministries/Departments, *etc.*

To

The Chief Secretaries of all the States/Union Territories.

Subject: Clarifications regarding creamy layer amongst OBCs.

Sir,

I am directed to invite your attention to the Schedule to this Department's OM No.36012/22/93-(SCT) dated 8th September, 1993 which contains the criteria to determine the creamy layer amongst the OBCs. In regard to the children of the persons in civil services of the Central and the State Governments, it provides that son(s) and daughter(s) of:

(a) parents, both of whom are directly recruited Class I/Group A officers;

(b) parents, either of whom is a directly recruited Class I/Group A officer;

(c) parents, both of whom are directly recruited Class I/Group A officers, but one of them dies or suffers permanent incapacitation;

(d) parents, either of whom is a directly recruited Class I/ Group A officer and such parent dies or suffers permanent in - capacitation and before such death or such incapacitation has had the benefit of employment in any International Organisation like UN, IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years;

(e) parents, both of whom are directly recruited Class I/Group A officers and both of them die or suffer permanent incapacitation and before such death or such incapacitation of the both, either of them has had the benefit of employment International Organisation like UN, IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years;

(f) parents both of whom are directly recruited Class II/Group B officer;

(g) parents of whom only the husband is a directly recruited Class II/Group B officer and he gets into Class I/Group A at the age of 40 or earlier;

(h) parents, both of whom are directly recruited Class II/ Group B officers and one of them dies or suffers permanent incapacitation and either of them has had the benefit of employment is any International Organisation like UN, IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 year;

(i) parents of whom the husband is a Class I/Group A officer (direct recruit or pre-forty promoted) and the wife is a directly recruited Class II/Group B officer and the wife dies; or suffers permanent incapacitation; and

(j) parents, of whom wife is a Class I/Group A officer (Direct Recruit or pre-forty promoted) and the husband is a directly recruited Class II/Group B officer and the husband dies or suffers permanent incapacitation shall be treated as falling in creamy layer.

2. The Schedule further provides that sons and daughters of:

(i) parents either of whom or both of whom are directly recruited Class I/Group A officer(s) and such parents(s) dies/die or suffers/suffer permanent incapacitation;

(ii) parents both of whom are directly recruited Class II/Group B officers and one of them dies or suffers permanent incapacitation;

(iii) parents both of whom are directly recruited Class II/Group B officers and both of them die or suffer permanent incapacitation, even though either of them has had the benefit of employment in any International Organisation like UN, IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years before their death or permanent incapacitation shall not be treated to be falling in creamy layer.

3. The criteria prescribed for determining creamy layer status of sons and daughters of persons in Government service mutatis mutandis applies to the sons and daughters of persons holding equivalent or comparable posts in PSUs, Banks, Insurance Organisations, Universities, etc. and also holding equivalent or comparable posts and positions under private employment. The creamy layer status of the sons and daughters of employees of organizations where evaluation of the posts on equivalent or comparable basis has not been made is determined on the basis of 'Income/Wealth Test' given in the Schedule. The Income/Wealth Test prescribes that the sons and daughters of persons having gross annual income of Rs.2.5 lakh or above or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act for a period of three consecutive years would be treated to fall in creamy layer. An explanation is given below the Income/Wealth Test which provides that 'income from salaries or agricultural land shall not be clubbed.

4. Following questions have been raised from time to time about the application of the above provisions to determine creamy layer:

(i) Will the sons and daughters of parents either of whom or both of whom are directly recruited Class I/Group A officer(s) and such parent(s) dies/die or suffers/suffer permanent incapacitation after retirement be treated to be excluded from the creamy layer?

(ii) Will the sons and daughters of parents both of whom are directly recruited Class II/Group B officers and one of them dies or suffer permanent incapacitation after retirement be treated to be excluded from the creamy layer?

(iii) Will the sons and daughters of parents both of whom are directly recruited Class II/Group B officers and both of them die or suffer permanent incapacitation after retirement even though either of them has had got the benefit of employment in any International Organisation like UN,

IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years before their death or permanent incapacitation be treated to be excluded from the purview of creamy layer?

(iv) Will the sons and daughters of parent(s) who retire from the service on the basis of which their sons and daughters fall in creamy layer, continue to fall in creamy layer after retirement of the parent(s)?

(v) Will the sons and daughters of parents of whom husband is directly recruited Class III/Group C or Class IV/ Group D employee and he gets into Class I/Group A at the age of 40 or earlier be treated to be falling in creamy layer?

(vi) Will a candidate who himself is a directly recruited Class I/Group A officer or a directly recruited Class II/Group B officer who got into Class I/Group A at the age of 40 or earlier be treated to be falling in creamy layer on the basis of his service status?

(vii) Will a candidate who has gross annual income of Rs.2.5 lakh or above or possesses wealth above the Exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act for a period of three consecutive years be treated to fall in creamy layer?

(viii) The instructions provide that a lady belonging to OBC category who has got married to a directly recruited Class I/Group A officer shall not be treated as falling in creamy layer on the basis of her marriage. Will a man belonging to OBC category who is married to a directly recruited Class I/Group 'A' officer be treated as falling in creamy layer on the basis of his marriage?

(ix) How will be the Income/Wealth Test apply in case of Sons and daughters of parent(s) employed in PSUs etc. in which equivalence or comparability of posts has not been established vis-à-vis posts in the Government?

(x) What is the scope of the explanation, 'Income salaries or agricultural land shall not be clubbed', given below the Income/ Wealth Test?

5. It is clarified in regard to clauses (i), (ii) and (iii) of para 4 that the sons and daughters of

(a) parents either of whom or both of whom are directly recruited Class I/Group A officers and such parent(s) dies/die or suffers/suffer permanent incapacitation while in service;

(b) parents both of whom are directly recruited Class II/Group B officers and one of them dies or suffers permanent incapacitation while in service; and

(c) parents both of whom are directly recruited Class II/Group B officers and both of them die or suffer permanent incapacitation while in service, even though either of them has benefit of employment in any International Organization like UN,IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years before their death or permanent incapacitation are not treated to be falling in creamy layer. But if the parent(s) dies/die or suffers/suffer permanent incapacitation in such

cases after retirement from service, his/their sons and daughters would be treated to be falling in creamy layer and would not get the benefit of reservation.

6. In regard to clause (iv) of para 4, it is clarified that sons and daughters of parents who are included in the creamy layer on the basis of service status of their parents shall continue to be treated in creamy layer even if their parents have retired or have died after retirement.

7. In regard to clause (v) of para 4, it is clarified that the sons and daughters of parents of whom only the husband is a directly recruited Class II/Group B officer who gets into Class I/Group A at the age of 40 or earlier are treated to be in creamy layer. If the father is directly recruited Class III/Group C or Class IV/Group D employee and he gets into Class I/Group A at the age of 40 or earlier, his sons and daughters shall not be treated to be falling in creamy layer.

8. In regard to clauses (vi), (vii) and (viii) of para 4, it is clarified that the creamy layer status of a candidate is determined on the basis of the status of his parents and not on the basis of his own status or income or on the basis of status or income or on the basis or status or income of his/her spouse. Therefore, while determining the creamy layer status of a person the status or the income of the candidate himself or of his/her spouse shall not be taken into account.

9. In regard to clause (ix) of para 4, it is clarified that the creamy layer status of sons and daughters of persons employed in organizations where equivalence or comparability of posts vis-à-vis posts in Government has not been evaluated is determined as follows:

Income of the parents from the salaries and from the other Sources [other than salaries and agricultural land] is determined separately. If either the income of the parents from the salaries or the income of the parents from other sources [other than salaries and agricultural land] exceeds the limit of Rs.2.5 lakh per annum for a period of three consecutive years, the sons and daughters of such persons shall be treated to fall in creamy layer. But the sons and daughters of parents whose income from other sources is also less than Rs.2.5 lakh per annum and income from other sources is also less than Rs.2.5 lakh per annum will not be treated as falling in creamy layer even if sum of the income from salaries and the income from the other sources is more than Rs.2.5 lakh per annum for period of three consecutive years. It may be noted that income from agricultural land is not taken into account while applying the Test.

10. In regard to clause (x) of para 4, it is clarified that while applying the Income/Wealth Test to determine creamy layer status of any candidate as given in Category-VI of the Schedule to the OM, income from the salaries and income from the agricultural land shall not be taken into account. It means that if income from salaries of the parents of any candidate is more than Rs.2.5 lakh per annum, income from agricultural land is more than Rs.2.5 lakh per annum, but income from other sources is less than Rs.2.5 lakh per annum, the candidate shall not be treated to be falling in creamy layer on the basis of Income/Wealth Test provided his parent(s) do not possess wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act for a period of three consecutive years.

11. You are requested to bring the contents of this letter to all concerned in the State.

पत्र सं0-7/भा0स0प0-17-08/2008 का0 7097

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

प्रेषक,

विनय प्रकाश वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड ।

रॉंची, दिनांक- 30 अक्टूबर, 09

विषय:- अन्य पिछड़े वर्गों (ओ0 बी0 सी0) के आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्गों) को बाहर रखने के लिए आय के मानदण्डों में संशोधन ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय से संबंधित कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रॉंची द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-7/नीति क्रीमी लेयर-07/2002 का0-3482 दिनांक-10.6.2002 की कंडिका-5 में निहित प्रावधान के आलोक में भारत सरकार के ज्ञापांक-36033/3/2004- स्था0(आरक्षण) दिनांक-14.10.2008, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली के द्वारा क्रीमीलेयर की पहचान संबंधी संशोधित मापदण्ड को अंगीकृत करते हुए उसकी प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है । इस विभाग के पत्रांक-6903 दिनांक-12.12.2008, पत्रांक-701 दिनांक-30.1.2009 एवं पत्रांक-1992 दिनांक-26.3.09 के द्वारा भी उक्त पत्र की प्रति पूर्व में भेजी जा चुकी है ।

भारत सरकार के पत्र की कंडिका-2 में निर्धारित तिथि से यह झारखण्ड राज्य में भी प्रभावी समझा जायेगा ।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-7/भा0स0प0-17-08/2008 का0 7097/रॉंची, दिनांक- 30 अक्टूबर, 09

प्रतिलिपि:- सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को भारत सरकार के ज्ञापन संख्या-36033/3/2004 दिनांक-14.10.2008 की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

(हस्ताक्षर)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जफर/-

संख्या 36033/3/2004 स्था (आरक्षण)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 14 अक्टूबर, 2008.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) के आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्गों) को बाहर रखने के लिए आय के मानदण्डों में संशोधन ।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 08 सितम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्थापना(अनु.जा.) की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान था कि उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियां जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय एक लाख रुपये अथवा उससे अधिक है, सम्पन्न वर्गों में आते हैं और वे, अन्य पिछड़े वर्गों को उपलब्ध आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं । इस विभाग के दिनांक 09.03.2004 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के द्वारा सम्पन्न वर्ग का निर्धारण करने के लिए आय की सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया था । अब यह निर्णय लिया गया है कि अन्य पिछड़े वर्गों में से सम्पन्न वर्गों का निर्धारण करने के लिए आय की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख कर दिया जाए । तद्नुसार, उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची की श्रेणी vi की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर एतद्द्वारा निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाती है ।

श्रेणी	श्रेणी का विवरण	वे व्यक्ति जिन पर आरक्षण के क्षेत्र से बाहर रखे जाने का नियम लागू होगा
VI	आय/सम्पत्ति का निर्धारण	(क) उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियां, जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये अथवा उससे अधिक है अथवा सम्पत्ति-कर अधिनियम में यथा-निर्धारित छूट सीमा से अधिक की सम्पत्ति रखते हैं ।
		(ख) श्रेणी-I, II, III और V-क, में आने वाले ऐसे व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ पाने के हकदार हैं, परन्तु जिनकी अन्य स्रोतों से आय अथवा सम्पत्ति जो उन्हें उपर्युक्त (क) में उल्लिखित आय/सम्पत्ति के मानदण्ड के भीतर लाएगी के पुत्र और पुत्रियों ।

स्पष्टीकरण:

वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को नहीं जोड़ा जाएगा ।

2. इस कार्यालय ज्ञापन के प्रावधान 3 अक्टूबर, 2008 से लागू होंगे ।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की जानकारी में ला दें ।

(के.जी. वर्मा)
निदेशक
दूरभाष: 23092185

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. आर्थिक कार्य-विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली ।
3 आर्थिक कार्य-विभाग (बीमा-प्रभाग), नई दिल्ली ।
4. लोक-उद्यम-विभाग, नई दिल्ली ।
5. रेल-बोर्ड ।
6. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग ।
7. कर्मचारी चयन आयोग, केन्द्रीय सरकार कार्यालय परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
8. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
9. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली ।
10. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकूट-I, भीकाजी कामा प्लेस, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली ।
11. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, 10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
12. सूचना और सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
13 अतिरिक्त प्रतियां-400.

प्रतिलिपि:

सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।
सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

[illegible] 701

झारखंड सरकार,
कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

विमल चौधरी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी उपायुक्त,
झारखंड ।

राँची,दिनांक- 30-01-09

विषय:- अन्य पिछड़े (ओ.बी.सी.) के आरक्षण दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों / वर्गों (सम्पन्न वर्गों) को बाहर रखने के लिए आय के मानदण्डों में संशोधन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक- D. O No. C/25/ NCBC/ 2008- R % दिनांक 04. 12. 2008 एवं कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-36033/3/2004- स्था0 आरक्षण) दिनांक 14. 10. 2008 की प्रति अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न किया जाता है ।

विश्वासभाजन,
29.1.09
सरकार के संयुक्त सचिव ।

O/C

उदय/

Pr. Secy Welfare / fe 2801

616

सत्यमेव जयते

चित्रा चोपड़ा
सदस्य सचिव
CHITRA CHOPRA
Member Secretary

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार
त्रिकूट–1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110 066
NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA
Trikoot-1, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
Tel.: 26183190 Fax: 011-26182388, 26183227

मुख्य सचिव के गोपनीय कोषांग
11 DEC 2008
मुख्य
राँची

DO No: 6/25/NCBC/2008-RW

4th December, 2008

Dear Shri Basu,

As you are aware, the Govt. of India, accepting the recommendation of the NCBC, has raised the income limit from Rs. 2.5 lakhs to Rs. 4.5 lakhs per annum for determining the Creamy Layer amongst the Other Backward Classes. Vide notification No. 36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 14th October, 2008.

2. The Commission has been receiving lot of complaints of non-issue of OBC certificates for the reason that the above notification has not been received by the certificate issuing authorities. Further it has also brought to the notice of the Commission that some of the caste certificate issuing authorities are also not fully aware of the instructions issued and are interpreting the instructions in their own way, causing inconvenience and difficulties to OBCs.

3. I shall be grateful, if you could kindly ensure the circulation of the enclosed Office Memorandum dated 14th October, 2008 to the certificate issuing authorities of your State/UTs with the direction to follow the latest instructions while issuing the OBCs caste certificates for reservation in Central Govt. Jobs/Higher Educational Institutions.

मुख्य सचिव कार्यालय
राँची
6225
12/12/08

With regards,

Yours sincerely,

Chitra Chopra

Shri A. K. Basu
Chief Secretary
Govt. of Jharkhand
Ranchi

2104
15/12/08

No.36033/3/2004-Estt. (Res.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

New Delhi, dated the 14th October, 2008

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Revision of income criteria to exclude socially advanced persons/sections (Creamy Layer) from the purview of reservation for Other Backward Classes (OBCs).

The undersigned is directed to invite attention to this Department's O.M No.36012/22/93-Estt.(SCT) dated 8th September,1993 which inter alia provided that sons and daughters of persons having gross annual income of Rs.1 lakh or above for a period of three consecutive years would fall within the creamy layer and would not be entitled to get the benefit of reservation available to the Other Backward Classes. The limit of income for determining the creamy layer status was raised to Rs. 2.5 lakh vide this Department's OM of even number dated 9.3.2004. It has now been decided to raise the income limit from Rs. 2.5 lakh to Rs. 4.5 lakh per annum for determining the creamy layer amongst the OBCs. Accordingly the following entry is hereby substituted for the existing entry against Category VI in the Schedule to the above referred O.M.

Category	Description of Category	To whom the rule of exclusion will apply
VI	Income/Wealth Test	Son(s) and daughter(s) of (a)Persons having gross annual income of Rs. 4.5 lakh or above or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act for period of three consecutive years. (b)Persons in Categories I, II, III and V A who are not disentitled to the benefit of reservation but have income from other sources of wealth which will bring them within the income/wealth criteria mentioned in (a) above. Explanation: Income from salaries or agricultural land shall not be clubbed.

पत्र संख्या-7/नीति(क्रीमी लेयर)-07/02का0 2818 /

झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

श्री मुखत्यार सिंह,
सरकार के आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी उपायुक्त
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
झारखंड

रांची, दिनांक 28 मई, 2004.

विषय:- पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय से संबंधित कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-7/नीति क्रीमी लेयर-07/2002 का0-3482/ दिनांक 10.6.02 के कंडिका-5 में निहित प्रावधान के आलोक में भारत सरकार के ज्ञापन सं0-36033/3/2004 दिनांक 15.3.04 स्थापना(आरक्षण) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय(कार्मिक और प्रशिक्षण) विभाग के द्वारा क्रीमी लेयर की पहचान सम्बन्धी संशोधित मापदण्ड को अंगीकृत करते हुए उसकी पत्र की प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है ।

भारत सरकार के पत्र की कंडिका-2 में निर्धारित तिथि से यह झारखंड राज्य में भी प्रभावी समझा जायेगा ।

विश्वासभाजन,

(मुखत्यार सिंह)
सरकार के आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक-7/नीति (क्रीमी लेयर)-07/02का0 2818 /रांची, दिनांक 28 मई, 04.

प्रतिलिपि:- सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को भारत सरकार के ज्ञापन सं0-36033/3/2004 दिनांक 15.3.04 की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

(मुखत्यार सिंह)
सरकार के आयुक्त एवं सचिव ।

नरेश/

No. 36033/3/2004–Estt. (Res.)

Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions

Department of Personnel & Training

New Delhi, the 15th March, 2004

To,

The Chief Secretary,

Government of Bihar,

Patna.

Subject— Revision of Income criteria to exclude socially advanced persons/sections (Creamy layer) from the purview of reservation for Other Backward Classes (OBCs).

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of this Department's OM No. 36033/3/2004-Estt. (Res) dated the 9th March, 2004 on the above noted subject for information and necessary action.

Yours faithfully,

K.G. Verma

Deputy Secretary to the Government of India

No. 36033/3/2004-Estt.(Res)

Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions

Department of Personnel and Training

North Block, New Delhi

Dated 9th March, 2004

OFFICE MEMORANDUM

Subject— Revision of Income criteria to excude socially advanced persons/sections (Creamy Layer) from the purview of reservation for Other Backward Classes (OBCs).

The undersigned is directed to invite attention to this Department's O.M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 8th September, 1993 which inter alia provides that sons and daughters of persons having gross annual income of Rs. 1 lakh or above for a period of three consecutive years fall within the creamy layer and are not entitled to get the benefit of reservation available to the Other Backward Classes. It has been decided to raise the income limit from Rs. 1 lakh to Rs. 2.5 lakh for determining the creamy layer amongst the OBCs. Accordingly the following entry is hereby substituted for the existing entry against Category VI in the Schedule to the above referred O.M :

Category	Description of Category	To whom the rule of exclusion will apply
VI	INCOME/WEALTH TEST	Son(s) and daughter(s) of (a) Persons having gross annual income of Rs. 2.5 lakh or above or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act for a period of three consecutive years. (b) Persons in Categories I, II, III and V A who are not disentitled to the benefit of reservation but have income from other sources or wealth which will bring them within the

Income/wealth criteria mentioned in (a) above.

Explanation :

Income from salaries or agricultural lead shall not be clubbed.

2. The provisions of this Office Memorandum take effect from the 4th February, 2004

3. All the Ministries/Depeartments are requested to bring the contents of this Office Memorandum to the notice of all concerned.

(K.G. Verma)

Deputy Secretary to the Government of India

Tele : 23092797

To

1. All the Ministries/Departments of the Government of India.
2. Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi.
3. Department of Economic Affairs (Insurance Division), New Delhi.
4. Department of Public Enterprises, New Delhi.
5. Railway Board.
6. Union Public Service Commission/Supreme Court of India/Election Commission/Lok Sabha Secretariat/ Rajya Sabha Secretariat/Cabinet Secretariat/Central Vigilance Commission/President's Secretariat/ Prime Minister's Office/Planning Commission.
7. Staff Selection Commission, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi.
8. Ministry of Social Justice and Empowerment, Shastri Bhavan, New Delhi.
9. National Commission for SCs and STs, Lok Nayak Bhavan, New Delhi.
10. National Commission for Backward Classes, Trikoot-I, Bhikaji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi.
11. Office of the Comptroller and Auditor Ceneral of India, 10, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110002.
12. Information and Facilitation Centre, DOPT, North Block, New Delhi (100 copies)
13. Spare Copies–400

संख्या–36033/3/2004–स्थापना (आरक्षण)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक–शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च, 2004

कार्यालय–ज्ञापन

विषय– अन्य पिछड़े वर्गों (ओ०बी०सी०) के आरक्षण के दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्गों) को बाहर रखने के लिए आय के मानदण्डों में संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 08 सितम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93–स्थापना (अनु०जा०) की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान है कि उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियाँ जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय एक लाख रुपए अथवा उससे अधिक है, सम्पन्न वर्गों में आते हैं और वे, अन्य पिछड़े वर्गों को उपलब्ध आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।

अन्य पिछड़े वर्गों में से सम्पन्न वर्गों का निर्धारण करने के लिए आय की सीमा को एक लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची की श्रेणी VI की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर एतद् द्वारा निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाती है।

श्रेणी	श्रेणी का विवरण	वे व्यक्ति जिन पर आरक्षण के क्षेत्र से बाहर रखे जाने का नियम लागू होगा
vi	आय/सम्पत्ति का निर्धारण	(क) उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियाँ, जिनकी लगातार तीन वर्षों तक की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए अथवा उससे अधिक है अथवा सम्पत्ति कर अधिनियम में यथा–निर्धारित छूट सीमा से अधिक की सम्पत्ति रखते हैं। (ख) श्रेणी I, II, III और V'क' में आने वाले ऐसे व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ पाने के हकदार हैं, परन्तु जिनकी अन्य स्रोतों से आय अथवा सम्पत्ति जो उन्हें उपर्युक्त (क) में उल्लिखित आय/सम्पत्ति के मानदण्ड के भीतर लाएगी, के पुत्र और पुत्रियाँ। **स्पष्टीकरण:** वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को नहीं जोड़ा जाएगा।

2. इस कार्यालय ज्ञापन के प्रावधान 04 फरवरी, 2004 से लागू होंगे।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी में ला दें।

के. जी. वर्मा
भारत सरकार के उप सचिव
दूरभाष : 23092797

सेवा में,

1. भारत–सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. आर्थिक कार्य–विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली।
3. आर्थिक कार्य–विभाग (बीमा प्रभाग), नई दिल्ली।
4. लोक–उद्यम–विभाग, नई दिल्ली।
5. रेल–बोर्ड।
6. संघ–लोक–सेवा–आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन–आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल–सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता–आयोग/राष्ट्रपति–सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग।
7. कर्मचारी चयन–आयोग, केन्द्रीय सरकार कार्यालय–परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली।
8. सामाजिक न्याय और अधिकारिता–मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
9. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति–आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली।
10. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकुट–I, भीकाजी कामा प्लेस, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली।
11. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, 10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002
12. सूचना और सुविधा–केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
13. अतिरिक्त प्रतियाँ–400

झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

राँची, दिनांक- जून, 2002.

विषय:- पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के संबंध में ।

झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा- 4 में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है ।

2. संविधान की धारा-16(4) के प्रावधानों में अंकित आरक्षण के लाभ के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ एवं अन्य में विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि पिछड़े वर्गों में "क्रीमी लेयर" को बाहर रखते हुए ही आरक्षण की सुविधा अनुमान्य की जाय ।

3. भारत सरकार ने उक्त "क्राईटेरिया" संकल्प संख्या-36012/22/93 दिनांक- 08 सितम्बर, 1993 द्वारा परिचारित किया है जो संकल्प की अनुसूची परिशिष्ट "क" के रूप में संलग्न किया गया है ।

4. झारखंड में "क्रीमी लेयर" की पहचान के लिए भारत सरकार के संकल्प संख्या- 36012/22/93 दिनांक-08.09.93 की अनुसूची को यथावत् अंगीकृत किया जाता है एवं तदनुसार उसमें निर्धारित क्राईटेरिया पूर्ण रूपेण लागू होगा ।

5. भारत सरकार द्वारा भविष्य में इस नीति में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो झारखंड में भी वह यथावत् लागू माना जाएगा ।

आदेश :- आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी एक प्रति महालेखाकार, झारखंड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाय ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,
Sd/- 10.6.2002
(सुशील कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-7/नीति कीमी लेयर-07/2002का0-3482/ राँची, दिनांक-10 जून, 2002

प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को भेजें ।

10.6.2002

सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-7/नीति कीमी लेयर-07/2002का0-3482/ राँची, दिनांक-10 जून, 2002

प्रतिलिपि :- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/ माननीय मुख्य मंत्री के सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, राँची/ महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/ प्रभारी सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय/ सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ मुख्य सचिव के सचिव/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ संयुक्त सचिव, झारखंड लोक सेवा आयोग/ सभी विश्वविद्यालय/ सभी संबंधित संस्थानों के प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10.6.2002

सरकार के सचिव ।

No. 36012/22/93-Estt. (SCT)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 8th September, 1993
OFFICE MEMORANDUM

Subject:-Reservation for Other Backward Classes in Civil Posts and Services under the Government of India—Regarding.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No. 36012/31/90-Estt. (SCT), dated the 13th August, 1990 and 25th September, 1991 regarding reservation for Socially and Educationally Backward Classes in Civil Posts and Services under the Government of India and to say that following the Supreme Court judgement in the Indira Sawhney and others Vs. Union of India and others case [Writ Petition (Civil) No. 930 of 1990] the Government of India appointed an Expert Committee to recommend the criteria for exclusion of the socially advanced persons/sections from the benefits of reservations for Other Backward Classes in civil posts and services under the Government of India.

2. Consequent to the consideration of the Expert Committee's recommendations this Department's Office Memorandum No. 36012/31/90-Estt. (SCT), dated 13.8.90 referred to in para (1) above is hereby modified to provide as follows:

(a) 27% (twentyseven percent) of the vacancies in civil posts and services under the Government of India, to be filled through direct recruitment, shall be reserved for the Other Backward Classes. Detailed instructions relating to the procedure to be followed for enforcing reservation will be issued separately.

(b) Candidates belonging to OBCs recruited on the basis of merit in an open competition on the same standards prescribed for the general candidates shall not be adjusted against the reservation quota of 27%.

(c) (i) The aforesaid reservation shall not apply to persons/sections mentioned in column 3 of the Schedule to this office memorandum.

(ii) The rule of exclusion will not apply to persons working as artisans or engaged in hereditary occupations, callings. A list of such occupations, callings will be issued separately by the Ministry of Welfare.

(d) The OBCs for the purpose of the aforesaid reservation would comprise, in the first phase, the castes and communities which are common to both the lists in the report of the Mandal Commission and the State Governments' Lists. A list of such castes and communities is being issued separately by the Ministry of Welfare.

(e) The aforesaid reservation shall take immediate effect. However, this will not apply to vacancies where the recruitment process has already been initiated prior to the issue of this order.

3. Similar instructions in respect of public sector undertakings and financial institutions including public sector banks will be issued by the Department of Public Enterprises and by the Ministry of Finance respectively effective from the date of this Office Memorandum.

Sd/-
(Smt. Sarita Prasad)
Joint Secretary to the Government of India.

To

All Ministries/Departments of Government of India.

Copy:

1. Department of Public Enterprises, New Delhi. : It is requested that the said instructions may be issued in respect of PSUs, Public Sector Banks & Insurance Corporation.
2. Ministry of Finance (Banking & Insurance Divisions), New Delhi. :

SCHEDULE

	Description of category	To whom rule of exclusion will apply
1	2	3
I.	*CONSTITUTIONAL POSTS*	Son(s) and daughter(s) of (a) President of India; (b) Vice President of India; (c) Judges of the Supreme court and of the High Courts; (d) Chairman & Members of UPSC and of the State Public Service Commission; Chief Election Commissioner; Comptroller & Auditor General of India; (e) persons holding Constitutional positions of like nature.
II.	*SERVICE CATEGORY* A. *Group A/Class 1 officers of the All India Central and State Services (Direct Recruits).*	Son(s) and daugther(s) of (a) parents, both of whom are Class I officers; (b) parents, either of whom is a Class I officer; (c) parents, both of whom are Class I officers, but one of them dies or suffers permanent incapacitation. (d) parents, either of whom is a Class I officer and such parent dies or suffers permanent incapacitation and before such death or such incapacitation has had the benefit of employment in any International Organisation like UN, IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years. (e) parents, both of whom are class I officers die or suffer permanent incapacitation and before such death or such incapacitation of the both, either of them has had the benefit of employment in any International Organisation like UN, IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years. Provided that the rule of exclusion shall not apply in the following cases: (a) Sons and daughters of parents either of whom or both of whom are Class-I officers and such parent(s) dies/die or suffer permanent incapacitation. (b) A lady belonging to OBC category has got married to a Class-I officer, and may herself like to apply for a job.

1	2	3
B.	*Group B/Class II officers of the Central & State Services (Direct Recuritment)*	Son(s) and daugther(s) of (a) parents both of whom are Class II officers. (b) parents of whom only the husband is a Class II officer and he gets into Class I at the age of 40 or earlier. (c) parents, both of whom are Class II officers and one of them dies or suffers permanent incapacitation and either one of them has had the benefit of employment in any International Organisiation like UN, IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years before such death or permanent incapacitation; (d) parents of whom the husband is a Class I officer (direct recruit or pre-forty promoted) and the wife is a Class II officer and the wife dies; or suffers permanent incapacitation; and (e) parents, of whom the wife is a Class I officer (Direct Recruit or pre-forty promoted) and the husband is a Class II officer and the husband dies or suffers permanent incapacitation Provided that the rule of exclusion shall not apply in the following cases : Sons and daughters of (a) Parents both of whom are Class II officers and one of them dies or suffers permanent incapacitation. (b) Parents, both of whom are Class II officers and both of them die or suffer permanent incapacitation, even though either of them has had the benefit of employment in any International Organisation like UN, IMF, World Bank, etc. for a period of not less than 5 years before their death or permanent incapacitation
C.	*Employees in Public Sector Undertakings etc.*	The criteria enumerated in A & B above in this Category will apply mutatis mutandi to officers holding equivalent or comparable posts in PSUs, Banks, Insurance Organisations, Universities, etc. and also to equivalent or comparable posts and positions under private employment, Pending the evaluation of the posts on equivalent or comparable basis in these institutions, the criteria specified in Category VI below will apply to the officers in these Institutions.

1	2	3
III.	*ARMED FORCES INCLUDING PARAMILITARY FORCES* (Persons holding civil posts are not included)	Son(s) and daughter(s) of parents either or both of whom is or are in the rank of Colonel and above in the Army and to equivalent posts in the Navy and the Air Force and the Para Military Forces; Provided that :— (i) if the wife of an Armed Forces Officer is herself in the Armed Forces (i.e., the category under consideration) the rule of exclusion will apply only when she herself has reached the rank of Colonel; (ii) the service ranks below Colonel of husband and wife shall not be clubbed together; (iii) If the wife of an officer in the Armed Forces is in civil employment, this will not be taken into account for applying the rule of exclusion unless she falls in the service category under item No. II in which case the criteria and conditions enumerated therein will apply to her independently.
IV.	*PROFESSIONAL CLASS AND THOSE ENGAGED IN TRADE AND INDUSTRY*	
	(I) *Persons engaged in profession as a doctor, lawyer, chartered accountant, Income-Tax consultant, financial or management consultant, dental surgeon, engineer, architect, computer specialist, film artists and other film professional, author, playwright, sports person, sports professional, media professional or any other vocations of like status.*	Criteria specified against Category VI will apply :—
	(II) *Persons engaged in trade, business and industry.*	Criteria specified against Category VI will apply: *Explanation :* (i) Where the husband is in some profession and the wife is in a Class II or lower grade employment, the income/wealth test will apply only on the basis of the husband's income. (ii) If the wife is in any profession and the husband is in employment in a Class II or lower rank post, then the income/wealth criterion will apply only on the basis of the wife's income and the husband's income will not be clubbed with it.

1	2	3
V.	*PROPERTY OWNERS* A. *Agricultural holdings*	Son(s) and daughter(s) of persons belonging to a family (father, mother and minor children) which owns (a) only irrigated land which is equal to or more than 85% of the statutory area, or (b) both irrigated and unirrigated land, as follows : (i) The rule of exclusion will apply where the pre-condition exists that the irrigated area (having been brought to a single type under a common denominator) 40% or more of the statutory ceiling limit for irrigated land (this being calculated by excluding the unirrigated portion). If this pre-condition of not less than 40% exists, then only the area of unirrigated land will be taken into account. This will be done by converting the unirrigated land on the basis of the conversion formula existing, into the irrigated type. The irrigated area so computed from unirrigated land shall be added to the actual area of irrigated land and if after such clubbing together the total area in terms of irrigated land is 80% or more of the statutory ceiling limit for irrigated land, then the rule of exclusion will apply and disentitlement will occur. (ii) The rule of exclusion will not apply if the land holding of a family is exclusively unirrigated.
	B. *Plantations* (i) Coffee, tea, rubber, etc.	Criteria of income/wealth specified in Category VI below will apply.
	(ii) Mango, citrus, apply plantations etc.	Deemed as agricultural holding and hence criteria at A above under this Category will apply.
	C. *Vacant land and/or buildings in urban areas or urban agglomorations*	Criteria specified in Category VI below will apply. *Explanation :* Building may be used for residential, industrial or commercial purpose and the like two or more such purposes.
VI.	*INCOME/WEALTH TEST*	Son(s) and daughter(s) of (a) Persons having gross annual income of Rs. 1 lakh or above or possessing wealth above the exemption limit as prescribed in the Wealth Tax Act for a period of three consecutive years.

1	2	3
		(b) Persons in Categories I, II, III and V A who are not disentitled to the benefit of reservation but have income from other sources of wealth which will bring them within the income/wealth criteria mentioned in (a) above.
		Explanation:
		(i) Income from salaries or agricultural land shall not be clubbed;
		(ii) The income criteria in terms of rupee will be modified taking into account the change in its value every three years. If the situation, however, so demands, the interrugnum may be less.

Explanation: Wherever the expression "permanent incapacitation" occur in this schedule. it shall mean incapacitation which results in putting an officer out of service.

खण्ड–2
(भाग–'ख')

अध्याय–6
(बैकलॉग रिक्ति)

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 एवं अन्य संगत संकल्पों के द्वारा झारखण्ड राज्य से भारत के संविधान की धारा 16(4) के अन्तर्गत अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए नियुक्ति में तथा 16(4ए) के अन्तर्गत अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था निम्नरूप में की गई है :–

	नियुक्ति में		प्रोन्नति में	
(1)	अनुसूचित जनजाति –	26 प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति–	26 प्रतिशत
(2)	अनुसूचित जाति	10 प्रतिशत	अनुसूचित जाति –	10 प्रतिशत
(3)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– I) –	08 प्रतिशत		36 प्रतिशत
(4)	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) –	06 प्रतिशत		
		50 प्रतिशत		

संविधान की धारा 16(4बी) के अनुसार किसी वर्ष विशेष में की जाने वाली नियुक्ति/प्रोन्नति में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षित पद को एक अलग वर्ष की रिक्ति मानकर उसे विशेष भर्त्ती प्रक्रिया द्वारा भरा जाना है। इससे बैकलॉग रिक्ति की अवधारणा स्पष्ट होती है।

राज्य सरकार के अधीन बैकलॉग रिक्ति को परिगणित कर उसे भरने के संबंध में एक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने का मामला विचाराधीन था।

सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि किसी वर्ष विशेष में भरे जाने वाले रिक्त पद में से अनारक्षित कोटि को अनुमान्य पद के बराबर आरक्षित पद उक्त भर्त्ती वर्ष के नियमित रिक्ति के रूप में भरी जायेगी तथा आरक्षित कोटि के अवशिष्ट पद बैकलॉग रिक्ति के रूप में विशेष भर्त्ती प्रक्रिया द्वारा भरे जायेंगे।

दृष्टांत के रूप में अनुसूची–1 संलग्न है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह० 1-2-2012

(फिदेलिस टोप्पो)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7/वि0स0–07–10/2010 का.– 918 /राँची, दिनांक 01/02/2012

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को राजपत्र के असाधारण अंक में सूचनार्थ एवं इसकी 500 प्रतियां इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

ह० 1-2-2012

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7/वि0स0–07–10/2010 का.– 918 /राँची, दिनांक 01/02/2012

प्रतिलिपि–सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल के सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सदस्य, राजस्व पर्षद्, झारखण्ड, रांची/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/सचिव, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली/सभी राज्यों के मुख्य सचिव/सभी केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव/मुख्य आयकर आयुक्त/केन्द्रीय उत्पाद, झारखण्ड, रांची/सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के रांची स्थित कार्यालय के महाप्रबंधक/उप प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची/आकाशवाणी/दूरदर्शन, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 1-2-2012

सरकार के संयुक्त सचिव।

अनुसूची 1

दृष्टांत

मान लिया जाय कि किसी कोटि में स्वीकृत पद 100 है और 64 पद पूर्व से भरे हुए हैं, तो नियमित एवं बैकलॉग रिक्ति का परिकलन (Calculation) निम्न प्रकार होगा :—

	अनारक्षित	अ0ज0जा0	अ0जा0	अ0पि0वर्ग	पिछड़ा वर्ग	कुल पद
आरक्षण कोटिवार अनुमान्यता	50	26	10	8	6	100
यदि भरे हुए पद 64 हो और उनकी आरक्षण कोटिवार वर्गीकरण हो	40	12	6	5	1	64
रिक्त पदों का वर्गीकरण	10	14	4	3	5	36

इन्द्रा साहनी के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में कुल रिक्त पद में से अनारक्षित 10 पद के बराबर आरक्षित वर्ग से 10 पदों पर नियमित नियुक्ति हो सकती है। तब रिक्त पद में 36 – 20 = 16 पद बैकलॉग रिक्त पद कहलाएंगे। नियमित नियुक्ति के लिए रोस्टर में कर्णांकित पद के अनुसार आरक्षण देय होगा।

बैकलॉग के रिक्त पद 16 में विभिन्न कोटि के लिए पद की उपलब्धता की गणना :—

	आरक्षण कोटिवार रिक्त पद	रोस्टर के अनुसार नियमित पद	बैकलॉग
अ0ज0जा0	14	5	14–5 = 9
अ0जा0	4	2	4–2 = 2
अ0पि0वर्ग	3	2	3–2 = 1
पिछड़ा वर्ग	5	1	5–1 = 4
	26	10	26–10 = 16 पद

इसप्रकार रिक्त 36 पद में से 20 (अनारक्षित से 10 तथा आरक्षित से 10) पद नियमित नियुक्ति से तथा 16 पद बैकलॉग रिक्ति के रूप में पहचाने जायेंगे। इन 16 पदों में से बैकलॉग के रूप में अ0ज0जा0 के 09, अ0जा0 के 02, अ0पि0व0 के 01 तथा पिछड़ा वर्ग के 04 पद अनुमान्य होंगे।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ।

संकल्प

विषय : झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े कोटि के लिए) अधिनियम 2001 की धारा–4 की उपधारा–6(घ) में निहित प्रावधानों के तहत मुफसिल स्थापना में जिला/ प्रमण्डल स्तरीय वर्ग–3 एवं वर्ग–4 के बैकलौग के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया ।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण(अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 की धारा–4 की उपधारा–6(घ) में निहित प्रावधानों के अनुसार जिला स्तरीय वर्ग–3 एवं वर्ग–4 के बैकलौग के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकालकर पद भरने का प्रावधान है ।

2. आरक्षण अधिनियम की उपर उल्लिखित धारा के अनुसार झारखण्ड राज्य के गठन 15.11.2000 तक के बैकलौग के पदों की गणना उक्त त्रिथि को निर्धारित आरक्षण नीति के अनुसार होगी ।

3. सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित जिला रोस्टर संबंधित जिला पर लागू होगा । यदि पद प्रमण्डल स्तरीय हो तो जिस प्रमण्डल के अन्दर संबंधित कार्यालय का मुख्यालय अवस्थित होगा, उस प्रमण्डल के मुख्यालय के जिला का रोस्टर लागू होगा ।

4. गत भर्त्ती वर्ष के पश्चात यदि नये जिलों का गठन हुआ हो और नियुक्ति हुई हो तो रिक्त आरक्षित पदों के आधार पर बैकलौग की गणना होगी परन्तु अगर नई नियुक्ति नहीं हुई हो तो जिला स्तर पर गणना पूराने जिले को आधार मानकर दोनों जिलों(नया एवं पुराना) को एक मानकर अनुपातिक आधार पर बॉट कर बैकलौग के पदों को भरा जायेगा ।

5. जिला एवं प्रमण्डल स्तर पर वर्ग–3 के बैकलौग की रिक्तियों के भरने के वैसे मामलों को छोड़कर जिनमें नियमावली के अनुसार झारखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति की जानी है, शेष नियुक्तियों की पूर्ण प्रक्रिया जिला/ प्रमण्डलीय स्तर पर पूरी की जायेगी ।

6. रिक्त पदों पर नियुक्ति के निमित्त विभाग से समय-समय पर निर्गत परिपत्रों को ध्यान में रख कर नियुक्ति की कार्रवाई करना अपेक्षित होगा ।

7. वर्ग 4 के पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई जिला स्तर पर की जायेगी ।

8. बैकलौग से संबंधित नियुक्ति हेतु कार्रवाई हेतु विभिन्न चरणों के लिए तिथियों का निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा किया जायेगा ।

9. <u>कठिनाईयों का निराकरण:</u> यदि इस संकल्प के किसी प्रावधान के क्रियान्वयन में कठिनाई उत्पन्न होगी तो उसका निराकरण करने हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग सक्षम होगा ।

10. वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित नियमों को संकल्प के परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' के रूप में संलग्न किया गया है ।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन राजकीय गजट के असाधारण अंक में किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(मुखत्यार सिंह),
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक–7/आ0नि0(बैकलौग)018–04/2003का0–5680/राँची,दिनांक– 08 अक्टूबर, 2003ई0

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के आसाधारण अंक में प्रकाशन के लिए अग्रसारित ।

अनुरोध है कि इसकी 500 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध करायी जाए ।

ह0/–

(मुखत्यार सिंह),
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक–7/आ0नि0(बैकलौग)018-04/2003-110–5680/राँची,दिनांक– 08 अक्टूबर, 2003ई0

प्रतिलिपि– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/ माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव का गोपनीय शाखा/महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड/ महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/ बिहार, पटना/ सचिव, झारखंड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ प्रेषित ।

8/10/03

(स्वर्णादित्य सहाय),
सरकार के उपसचिव ।

ज्ञापांक–7/आ0नि0(बैकलौग)018–04/2003-110–5680/राँची,दिनांक– 08 अक्टूबर, 2003ई0

प्रतिलिपि– सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

8/10/03

(स्वर्णादित्य सहाय),
सरकार के उपसचिव ।

परिशिष्ट-'क'

जिला स्तरीय रिक्त वर्ग ३ के बैकलॉग पदों को भरने की प्रक्रिया

१. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं पाठ्यक्रम :- वर्ग ३ के मुफस्सिल स्थापना के वैसे सभी पद जिनका अधिकतम वेतनमान ४०००-६०००/- तक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक होगी।

२. उम्र सीमा :- सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु उम्र सीमा न्यूनतम १८ वर्ष एवं अधिकतम झारखंड सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-३१२२ दिनांक-०५.०९.२००१ के अनुसार होगी।

३. परीक्षा के विषय :- लिखित परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे :-

			पूर्णांक
(क)	हिन्दी	-	१००
(ख)	सामान्य ज्ञान	-	१००
(ग)	गणित	-	१००

प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे एवं वैकल्पिक उत्तरों के मान्य होंगें।

४. मेधा सूची :- परिणाम के आधार पर अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रिक्तियों को ध्यान में रखकर जितने भी उम्मीदवार चयनित होंगें उनको जिला स्तर/ प्रमण्डलीय स्तर पर गठित नियुक्ति समिति की अनुशंसा के आलोक में नियुक्त किया जायेगा। नियुक्ति हेतु कोई न्यूनतम प्राप्तांक नहीं रहेगा।

५. परीक्षाफल :- झारखंड लोक सेवा आयोग/ जिला स्तर पर गठित नियुक्ति समिति कोटिवार (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) जिलावार, रोस्टरवार रिक्ति के अनुरूप मेधा सूची के अनुसार परीक्षाफल बनायेंगे।

६. नियुक्ति पदाधिकारी :- जिलास्तर तथा प्रमंडल स्तर पर श्रेणी-३ के सभी पदों के लिए उपायुक्त नियुक्ति पदाधिकारी होंगे। विभागाध्यक्ष, जहाँ आवश्यक है, उसकी घटनोत्तर स्वीकृति देंगे।

७. अधियाचना:- जिलावार रिक्त पदों की अधियाचना करने के लिए उपायुक्त अधियाची पदाधिकारी होंगे।

उपायुक्त की अध्यक्षता में निम्नांकित पदाधिकारियों की समिति होगी :-

१.	उपायुक्त	अध्यक्ष
२.	उप विकास आयुक्त	सदस्य
३.	जिला कल्याण पदाधिकारी	सदस्य
४.	जिला नियोजन पदाधिकारी	सदस्य
५.	संबंधित विभाग के जिलास्तरीय पदाधिकारी	सदस्य
६.	जिला स्थापना के प्रभारी उप समाहर्त्ता	सदस्य सचिव

८. <u>रोस्टर क्लियरेंस :-</u> रोस्टर के आधार पर बैकलॉग के पदों का क्लियरेंस प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

<u>वर्ग ३ के पदों पर नियुक्ति हेतु निम्नांकित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा :-</u>

१. झारखंड के संबंधित जिला के नियोजनालय या यदि जिला में नियोजनालय नहीं हो तो उस जिला से संबद्ध पूर्ववर्त्ती जिला नियोजनालय निबंधित होने से संबंधित प्रमाण पत्र जो कालबाधित नहीं होना चाहिए।
२. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।
३. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र।
४. उम्र के संबंध में मैट्रिक का प्रवेशिकोत्तीर्ण प्रमाण पत्र।
५. क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम पदाधिकारी यथा- विकलांगता के संबंध में सिविल सर्जन का तथा मेधावी खिलाड़ी जिन्होंने राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो, जिला खेलकूद पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य होगा।

परिशिष्ट-'ख'

जिला स्तरीय रिक्त वर्ग ४ के बैकलॉग पदों को भरने की प्रक्रिया

१. विज्ञापन :- वर्ग ४ के पदों पर नियुक्ति विशेष विज्ञापन के द्वारा किया जाएगा।

२. पात्रता :- वर्ग ४ के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा।

३. उम्र सीमा :- सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु उम्र सीमा न्यूनतम १८ वर्ष एवं अधिकतम झारखंड सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-३१२२ दिनांक-०५.०९.२००१ के अनुसार होगी।

४. शैक्षणिक योग्यता :- अष्टम वर्ग।

४. परीक्षा का विषय :-

लिखित प्रतियोगिता परीक्षा जो अष्टम वर्ग के स्तर का होगा कि परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे :-

(क)	हिन्दी	–	१००
(ख)	सामान्य ज्ञान	–	१००
(ग)	गणित	–	१००

प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे एवं वैकल्पिक उत्तरों के मान्य होंगें।

५. मेधा सूची/परीक्षाफल/ अधियाचना/नियुक्ति पदाधिकारी :- वर्ग ४ के पदों पर नियुक्ति की परीक्षा सभी संबंधित उपायुक्तों के द्वारा आयोजित की जाएगी एवं परीक्षाफल मेधा सूची के आधार पर आरक्षण कोटिवार की जाएगी।

६. रोस्टर क्लियरेंस :- रोस्टर के आधार पर बैकलॉग के पदों का क्लियरेंस प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

वर्ग ४ के पदों पर नियुक्ति हेतु निम्नांकित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा :-

१. झारखंड के संबंधित जिला के नियोजनालय या यदि जिला में नियोजनालय नहीं हो तो उस जिला से संबद्ध पूर्ववर्ती जिला नियोजनालय निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र जो कालबाधित नहीं होना चाहिए।

२. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।

3. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र।

४. उम्र के संबंध में पंचायत/नगरपालिका का जन्म निबंधन प्रमाण पत्र/विद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।

५. क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम पदाधिकारी यथा- विकलांगता के संबंध में सिविल सर्जन का तथा मेधावी खिलाड़ी जिन्होंने राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो, जिला खेलकूद पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य होगा।

खण्ड–2
(भाग–'ख')

अध्याय–7
(स्थानीयता)

229 |
19|01|2022

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

<u>संकल्प</u>

विषय : **राज्य के अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के समूह 'ख' के अराजपत्रित तथा समूह 'ग' एवं समूह 'घ' पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी अधिसूचना संख्या–5938, दिनांक–14.07.2016 (संकल्प सं0–8468, दिनांक–20.11.2018 द्वारा यथासंशोधित) एवं आदेश सं0–5939, दिनांक–14.07.2016 के आहरण के संबंध में।**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना सं0–5938, दिनांक–14.07.2016 एवं आदेश सं0–5939, दिनांक–14.07.2016 द्वारा निम्नवत् प्रावधान किया गयाः–

"इन नियमों में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम, आदेश, निर्देश, नियम अथवा विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य के 13 जिलों यथा–साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, राँची, खूँटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावाँ के मात्र स्थानीय निवासी ही, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 10 वर्षों की कालावधि के लिए संबंधी जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्‌भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु पात्र होंगे।"

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग संकल्प सं0–8468, दिनांक–20.11.2018 द्वारा विभागीय अधिसूचना सं0–5938, दिनांक–14.07.2016 एवं संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 में संशोधन करते हुए निम्नवत् प्रावधान किया गयाः–

"राज्यहित में रिक्त सरकारी पदों पर नियुक्ति सुगमता पूर्वक सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि विभागीय अधिसूचना सं0–5938, दिनांक–14.07.2016 एवं संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 में जहाँ कहीं भी "वर्ग 3 एवं वर्ग 4" अथवा "तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी" शब्द समूह का प्रयोग किया गया है उसे " 'समूह ख के अराजपत्रित तथा समूह ग' एवं 'समूह घ' " से प्रतिस्थापित किया जाय।"

3. WP(C) No.-1387/2017 सोनी कुमारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा संलग्न सगरूप वादों में झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जिलों में संबंधित जिलों के स्थानीय निवासी के नियोजन से संबंधित कार्मिक विभागीय अधिसूचना सं0–5938, दिनांक–14.07.2016 एवं आदेश सं0–5939, दिनांक–14.07.2016 को निरस्त करने का अनुरोध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड से किया गया। उक्त मामलों में दिनांक–21.09.2020 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के वृहद् पीठ के द्वारा निम्नवत् न्यायादेश पारित किया गया :–

"57. For the reasons detailed above, both these Notification No. 5938 and Order No. 5939 dated 14.7.2016, as contained in Annexures-6 and 6/1 of the lead writ application are accordingly, quashed."

4. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के उक्त न्यायादेश के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि:–

(क) राज्य के अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के समूह 'ख' अराजपत्रित, समूह 'ग' एवं समूह 'घ' पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या–5938, दिनांक–14.07.2016 (संकल्प सं0–8468, दिनांक–20.11.2018 द्वारा यथासंशोधित) एवं आदेश सं0–5939, दिनांक–14.07.2016 को तत्काल प्रभाव से आहरित किया जाता है।

(ख) इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से पूर्व समूह 'ख' अराजपत्रित, समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों पर नियुक्ति हेतु वैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित सभी विज्ञापन, जो कार्मिक विभागीय अधिसूचना संख्या–5938, दिनांक–14.07.2016 (संकल्प सं0–8468, दिनांक–20.11 2018 द्वारा यथासंशोधित) एवं आदेश सं0–5939, दिनांक–14.07.2016 से आच्छादित हैं तथा जिनमें अबतक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किए गए हैं, उनमें नियुक्ति की प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए उन सभी विज्ञापनों को निरस्त किया जाता है। इन मामलों में अब नए सिरे से (ab-initio) विज्ञापन प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाएगी।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प/अधिसूचना की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

19.1.22

(वंदना दादेल)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/स्थानीयता नीति–14–01/2015 का॰– 229 /रांची, दिनांक 19/01/2022

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निःशक्तता आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/राज्य के सभी लोक उपक्रमों/ निगमों/ निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

19.1.22

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/स्थानीयता नीति–14–01/2015 का०– 229 /रांची, दिनांक 19/01/2022

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.1.22

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/स्थानीयता नीति–14–01/2015 का०– 229 /रांची, दिनांक 19/01/2022

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

19.1.22

सरकार के प्रधान सचिव।

821
05/02/2021

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : **राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के समूह 'ख' के अराजपत्रित तथा समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को एवं राज्यस्तरीय समूह 'ख' के अराजपत्रित तथा समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों पर नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 (संकल्प सं0–8468, दिनांक–20.11.2018 द्वारा यथासंशोधित) के आहरण के संबंध में।**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 द्वारा निम्नवत् प्रावधान किया गया है :–

"राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों यथा पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर एवं गोड्डा में जिला स्तर के वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर नियुक्ति हेतु, अगले 10 (दस) वर्षों तक, मात्र संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को ही पात्र माना जायेगा। साथ ही झारखण्ड राज्य में वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के सभी राज्यस्तरीय पदों पर भविष्य में होने वाले नियुक्तियों हेतु मात्र झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को ही पात्र माना जायेगा।"

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग संकल्प सं0–8468, दिनांक–20.11.2018 द्वारा विभागीय अधिसूचना सं0–5938, दिनांक–14.07.2016 एवं संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 में संशोधन करते हुए निम्नवत् प्रावधान किया गया:–

"राज्यहित में रिक्त सरकारी पदों पर नियुक्ति सुगमता पूर्वक सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि विभागीय अधिसूचना सं0–5938, दिनांक–14.07.2016 एवं संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 में जहाँ कहीं भी "वर्ग 3 एवं वर्ग 4" अथवा "तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी" शब्द समूह का प्रयोग किया गया है उसे " 'समूह ख के अराजपत्रित तथा समूह ग' एवं 'समूह घ' " से प्रतिस्थापित किया जाय।"

3. WP(C) No.-1387/2017 सोनी कुमारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा संलग्न समरूप वादों में झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जिलों में संबंधित जिलों के स्थानीय निवासी के नियोजन से संबंधित कार्मिक विभागीय अधिसूचना सं0–5938, दिनांक–14.07.2016 एवं आदेश सं0–5939, दिनांक–14.07.2016 को निरस्त करने का अनुरोध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड से किया गया। उक्त मामलों में दिनांक–21.09.2020 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के वृहद् पीठ के द्वारा निम्नवत् न्यायादेश पारित किया:–

"57. For the reasons detailed above, both these Notification No. 5938 and Order No. 5939 dated 14.7.2016, as contained in Annexures-6 and 6/1 of the lead writ application are accordingly, quashed."

उल्लेखनीय है कि उक्त वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा किसी जिला के शत–प्रतिशत पदों को उसी जिला के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित करने के

मामले में अभिव्यक्त विचार (Observation) विभागीय संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 पर भी सैद्धान्तिक तौर पर समान रूप से लागू होंगे।

4. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के उक्त न्यायादेश के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि:–

(क) राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के समूह 'ख' अराजपत्रित, समूह 'ग' एवं समूह 'घ' पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को एवं राज्यस्तरीय समूह 'ख' अराजपत्रित, समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों पर नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 (संकल्प सं0–8468, दिनांक–20.11.2018 द्वारा यथासंशोधित) को तत्काल प्रभाव से आहरित किया जाता है।

(ख) इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से पूर्व समूह 'ख' अराजपत्रित, समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों पर नियुक्ति हेतु वैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित सभी विज्ञापन, जो कार्मिक विभागीय संकल्प संख्या–3854, दिनांक–01.06.2018 (संकल्प सं0–8468, दिनांक–20.11.2018 द्वारा यथासंशोधित) से आच्छादित हैं तथा जिनमें अबतक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किए गए हैं, उनमें नियुक्ति की प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए उन सभी विज्ञापनों को निरस्त किया जाता है। इन मामलों में अब नए सिरे से (ab-initio) विज्ञापन प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाएगी।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/स्थानीयता नीति–14–04/2018 का.– 821 /रांची, दिनांक 05/02/2021

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निःशक्तता आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/राज्य के सभी लोक उपक्रमों/ निगमों/ निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/स्थानीयता नीति–14–04/2018 का॰– 821 /रांची, दिनांक 05/02/2021

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/स्थानीयता नीति–14–04/2018 का॰– 821 /रांची, दिनांक 05/02/2021

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

पत्रांक : 14/विविध–15–22/2019 का0 5752

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

के0 के0 खण्डेलवाल,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 19/07/2019

विषय :– झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प सं0–3198, दिनांक–18.04.2016 के द्वारा झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान निर्धारित की गयी है। साथ ही विभागीय परिपत्र सं0–4650, दिनांक–02.06.2016 द्वारा झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में अनुदेश भी जारी किये गए हैं।

2. स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के निर्गमन में कठिनाई को देखते हुए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अंचलाधिकारियों को भी प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सभी कार्यों/प्रयोजनों के लिए मान्य होंगे। अतएव विभागीय परिपत्र सं0–4650, दिनांक–02.06.2016 की कंडिका (iii) को संशोधित करते हुए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी के स्तर से भी जारी होगा, जो प्रमाण पत्र धारक के जीवन काल तक सभी कार्यों के लिए मान्य होगा। पूर्व से अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा ऑनलाईन निर्गत किये जा रहे स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। विभागीय परिपत्र सं0–4650, दिनांक–02.06.2016 की अन्य कंडिकाएं एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

विश्वासभाजन,
19/7/19
(के0 के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक:–14/विविध–15–22/2019 का0 5752/ राँची, दिनांक–19/07/2019

प्रतिलिपि:–सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/19
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक:–14/विविध–15–22/2019 का0 5752/ राँची, दिनांक–19/07/2019

प्रतिलिपि:– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7/19
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

E:\chandan\letter 2019.docx

8468
20.11.18

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय :– राज्य के अनुसूचित/गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को एवं राज्यस्तरीय वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी अधिसूचना संख्या–5938, दिनांक–14.07.2016 एवं संकल्प सं0–3854, दिनांक– 01.06.2018 में संशोधन।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0–5938, दिनांक–14.07.2016 द्वारा राज्य के 13 अनुसूचित जिलों तथा संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 द्वारा राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों में जिला स्तर के वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर नियुक्ति हेतु, अगले 10 वर्षों तक, मात्र संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को ही पात्र माना गया है। साथ ही संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 द्वारा झारखण्ड राज्य में वर्ग 3 एवं वर्ग 4 में सभी राज्य स्तरीय पदों पर भविष्य में होने वाली नियुक्तियों हेतु झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को ही पात्र माने जाने का प्रावधान किया गया है।

2. कार्मिक विभागीय संकल्प सं0–5216, दिनांक–30.08.2010 द्वारा राज्य के सरकारी सेवाओं/पदों को समूह "क, ख, ग एवं घ" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

3. उपर्युक्त कंडिका 1 एवं 2 में वर्णित स्थितियों में समूह 'ख', समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों की वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों से समकक्षता निर्धारित नहीं होने के कारण नियुक्ति संबंधी कार्रवाई में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। तदनुसार यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था।

अतः राज्यहित में रिक्त सरकारी पदों पर नियुक्ति सुगमता पूर्वक सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि विभागीय अधिसूचना सं0–5938, दिनांक–14.07.2016 एवं संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 में जहाँ कहीं भी "वर्ग 3 एवं वर्ग 4" अथवा "तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी" शब्द समूह का प्रयोग किया गया है उसे " 'समूह ख के अराजपत्रित तथा समूह ग' एवं 'समूह घ' " से प्रतिस्थापित किया जाय।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0–5938, दिनांक–14.07.2016 एवं संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 के सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(के0 के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक–14/स्थानीयता नीति–14–04/2018 का॰– 8468 /रांची, दिनांक 20.11.18

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14/स्थानीयता नीति–14–04/2018 का॰– 8468 /रांची, दिनांक 20.11.18

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निःशक्तता आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/राज्य के सभी लोक उपक्रमों/ निगमों/ निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14/स्थानीयता नीति–14–04/2018 का॰– 8468 /रांची, दिनांक 20.11.18

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

3857
1.6.18

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
संकल्प

विषयः राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को एवं राज्यस्तरीय वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने के संबंध में।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना सं0–5938, दिनांक–14.07.2016 के द्वारा झारखण्ड राज्य अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र के 13 जिलों यथा–साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, राँची, खूँटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावाँ में जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्‌भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु उक्त अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 10 वर्षों की अवधि तक के लिए मात्र संबंधित जिलों के स्थानीय निवासियों को ही पात्र माने जाने का प्रावधान किया गया है।

2. राज्य के गैर अनुसूचित 11 जिलों यथा–पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर एवं गोड्डा के जिला स्तरीय वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जिलों हेतु प्रवृत्त उपरोक्त प्रावधान के सदृश्य व्यवस्था करने की मांग सरकार के समक्ष विचाराधीन थी।

3. सन्निहित मामले में गैर अनुसूचित जिलों के सदृश्य प्रावधानों पर अध्ययन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी। उक्त उच्च स्तरीय समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं अनुशंसाओं पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिये गये हैं :–

(क) राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों यथा पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर एवं गोड्डा में जिला स्तर के वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर नियुक्ति हेतु, अगले 10 (दस) वर्षों तक, मात्र संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को ही पात्र माना जायेगा। साथ ही झारखण्ड राज्य में वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के सभी राज्यस्तरीय पदों पर भविष्य में होने वाले नियुक्तियों हेतु मात्र झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को ही पात्र माना जायेगा।

(ख) राज्य के वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली वैसी सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनके लिए मात्र विज्ञापन ही प्रकाशित हुए हैं, किन्तु अभी तक परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी है, से संबंधित विज्ञापन तत्काल निरस्त किये जायेंगे तथा

उपर्युक्त कंडिका 'क' में अंकित प्रावधानों के अनुरूप झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित कर उक्त परीक्षाएं आयोजित की जाएगी।

उपर्युक्त प्रावधान इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

1/6/18

(के0 के0 खण्डेलवाल)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14/स्थानीयता नीति–14–04/2018 का॰– 3854/रांची, दिनांक 1.6.18

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

1/6/18

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14/स्थानीयता नीति–14–04/2018 का॰– 3854/रांची, दिनांक 1.6.18

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/राज्य के सभी लोक उपक्रमों/निगमों/निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

1/6/18

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14/स्थानीयता नीति–14–04/2018 का॰– 3854/रांची, दिनांक 1.6.18

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/6/18

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

9561
11.11.16

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषयः— झारखण्ड के स्थानीय निवासियों को नियोजन में प्राथमिकता।

कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग अधिसूचना सं0 3389 दिनांक— 22.09.2001 के क्रम में निर्गत संकल्प संख्या— 4536 दिनांक—08.08.2002 द्वारा राज्य सरकार की ओर से यह निर्णय लिया गया था कि जिला स्तरीय वर्ग—3 एवं वर्ग—4 (समूह 'ग' एवं 'घ') के पदों पर जिला के स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके नियोक्ता जिला स्तरीय पदाधिकारी होंगे। उन पदों के लिए जिलावार रिक्तियां विज्ञापित होगी। यह व्यवस्था प्रमण्डल स्तरीय वर्ग—3 एवं वर्ग—4 के पदों के लिए भी थी अर्थात् प्रमण्डल स्तरीय उक्त पदों पर भी स्थानीय को प्राथमिकता दी जानी थी जिसके नियोक्ता राज्य स्तरीय पदाधिकारी यथा विभागीय सचिव/ विभागाध्यक्ष हों। झारखण्ड राज्य के सभी जिलों के 'स्थानीय व्यक्तियों' को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जानी थी, परन्तु यह व्यवस्था वर्ग—3 के वैसे पदों की नियुक्तियों में थी जिसका चयन लोक सेवा आयोग के माध्यम से नहीं किया जाना हो।

इसके साथ ही, उक्त संकल्प में प्राथमिकता का तात्पर्य यह था, कि "अन्य सभी मामलों में समानता (All Things being equal)" होने पर 'स्थानीय व्यक्तियों' को ही नियुक्त किया जायेगा।

2. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या WP(PIL) 4050/2002 के साथ—साथ WP(PIL) 3912/2002 प्रशांत विद्यार्थी एवं सुमन कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के मामलों में दिनांक—27.11.2002 को पारित आदेश के बाद राज्य सरकार द्वारा नये सिरे से विचार कर संकल्प संख्या—3198 दिनांक—18.04.2016 द्वारा "झारखण्ड के स्थानीय निवासी" की परिभाषा एवं पहचान की नीति घोषित की गयी है।

जिला/प्रमण्डल राज्य स्तरीय समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों पर नियुक्ति में क्रमशः जिला, प्रमण्डल एवं राज्य के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दिये जाने का मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या WP(PIL) 4050/2002 के साथ—साथ WP(PIL) 3912/2002 प्रशांत विद्यार्थी एवं सुमन कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के मामलों में दिनांक—27.11.2002 को आदेश पारित करते समय की गयी समीक्षा निम्नवत है :—

"We are saying so, because the impugned Notifications clearly mention that if "<u>all other things are equal</u>", preference will be given to local residents. In other words, if

such 'local residents' and non-local residents compete for a job, be it against a Class III post or a Class IV post and if the non-local resident secures a better merit than the local resident, undoubtedly the non-local would be appointed, but if by fixing objective and fair criteria in the selection process, the local resident and the non-local resident are both found equally placed, having equal merit, then naturally the local resident would be given preference. We find nothing illegal, unconstitutional or wrong in such approach of the State."

3. उल्लेख करना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या–5938, दिनांक– 14.07.2016 के अनुसार अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले दस वर्षों के लिए राज्य के 24 जिलों में से 13 अनुसूचित जिलों में जिला स्तरीय वर्ग–3 एवं वर्ग–4 के रिक्त पदों पर सम्बद्ध जिले के मात्र स्थानीय निवासी ही नियोजन के पात्र माने गये हैं। इन जिलों में दूसरे जिले/अन्य राज्य से व्यक्तियों की नियुक्ति संभव नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि परिपत्र सं0–5448 दिनांक–12.09.2011 के अनुसार किसी व्यक्ति को इस राज्य में आरक्षण की सुविधा तभी प्राप्त होगी, जब वह व्यक्ति इस राज्य का अधिवासी (Domiciled) हो और उसकी जाति झारखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (I) एवं पिछड़ा वर्ग–(II) के रूप में वर्गीकृत हो।

4. गैर अनुसूचित जिलों, प्रमण्डल स्तरीय पदों एवं राज्य स्तरीय पदों की रिक्तियों को भरने के लिए, जहां भर्ती के लिए आवेदन के निमित्त निवास स्थान विषयक कोई बन्धेज नहीं है, के मामले में यह निर्णय अपेक्षित था कि "अन्य सभी मामलों में समानता (All Things being equal)" होने पर झारखण्ड के स्थानीय निवासियों को नियोजन में प्राथमिकता होगी।

5. उपर्युक्त स्थिति में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि "अन्य सभी मामलों में समानता (All Things being equal)" होने पर निम्न स्थितियों में झारखण्ड के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी :–

(i) जिला स्तरीय समूह 'ग' एवं 'घ' के पद, जिनके नियोक्ता जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं, के पदों पर भर्ती के निमित्त "सम्बद्ध जिला के स्थानीय निवासी" चयन के पात्र होंगे।

(ii) प्रमण्डल स्तरीय समूह 'ग' एवं 'घ' के पद जिनके नियोक्ता प्रमण्डल स्तरीय पदाधिकारी हैं, के पदों पर भर्ती के निमित्त "सम्बद्ध प्रमण्डल के स्थानीय निवासी" चयन के पात्र होंगे।

(iii) राज्य स्तरीय समूह 'ग' के वैसे पद जिनके लिए झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं हो और समूह 'घ' के पद जिनके नियोक्ता राज्य स्तरीय पदाधिकारी यथा विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष इत्यादि हों, के पदों पर नियुक्ति के लिए "झारखण्ड के स्थानीग नियासी" चयन के पात्र होंगे।

6. इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से पूर्व की अधिसूचना संख्या–3389 दिनांक– 22.09.2001, संकल्प संख्या– 4536 दिनांक– 08.08.2002 एवं 4737 दिनांक– 19.08.2002 अवक्रमित समझे जाएँगे ।

आदेश :– आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और उसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, झारखण्ड/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची /सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची /सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(निधि खरे) 11/XI/16

9567

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञाप संख्या–14/स्थानीयता नीति–14–04/2016 का0–............/ राँची, दिनांक 11.11.16

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित ।

11/XI/16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञाप संख्या–14/स्थानीयता नीति–14–04/2016 का0–9567/ राँची, दिनांक 11/11/16

प्रतिलिपि– राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय /सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/XI/16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञाप संख्या–14/स्थानीयता नीति–14–04/2016 का0–9567/ राँची, दिनांक 11/11/16

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/XI/16

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

रॉंची दिनांक 14/07/2016

सं0 14/स्थानीयता नीति–14–01/2015/ 5939 चूंकि, भारत संविधान की 5वीं अनुसूची की कंडिका– 5 की उप कंडिका– 1 के अधीन राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकता है कि संसद का या उस राज्य के विधानमंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू नहीं होगा अथवा उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपान्तरणों के अधीन लागू रहते हुए लागू होगा जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करें;

और चूंकि, विषम भूपृष्ठीय बनावट, जल संसाधन की कमी, वनोच्छादन का ह्रास और अनियंत्रित त्वरित औद्योगिकीकरण के कारण राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों का सामाजिक संकेतांक औसत से कम है और राज्य में अनुसूचित क्षेत्र की पहचान न्यून मानव विकास सूचकांक, पिछड़ापन, पृथकता एवं गरीबी द्वारा होती है;

और चूंकि, उपर्युक्त चिह्नित कारकों की पहचान करते हुए झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद् द्वारा जिला स्तर के वर्ग– 3 एवं वर्ग– 4 के पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य के 13 जिलों– साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, रॉंची, खूँटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला–खरसावाँ में जिला स्तर के वर्ग– 3 एवं वर्ग– 4 के शत प्रतिशत पदों पर संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों की नियुक्ति हेतु 10 वर्षों की अवधि के लिए विभिन्न नियुक्ति नियमावलियों में वर्णित अहर्त्ता की शर्तों के स्थगन के लिए अधिसूचना जारी करने की अनुशंसा की गयी है;

और चूंकि, झारखण्ड राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के पक्ष में नियोजन का अतिरिक्त अवसर प्रदान कर वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना चाहते हैं;

निम्नलिखित अधिसूचना राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी :–

झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

सं0 14/स्थानीयता नीति–14–01/2015/5938 भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के पैरा–5 के उप–पैरा–(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड के राज्यपाल, एतद् द्वारा निदेर्शित करते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा बनाये गये जिला स्तर के भर्ती नियमावलियों, (संलग्न सूची के अनुसार), जिसे समय–समय पर राज्य सरकार पुनरीक्षित कर सकेगी, में नियुक्ति के लिए पात्रता संबंधी प्रावधान, इस हद तक इसके पश्चात्, यथाविनिर्दिष्ट सीमा तक उपान्तरित तथा लागू समझे जायेंगे, अर्थात :–

"इन नियमों में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम, आदेश, निर्देश, नियम अथवा विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य के 13 जिलों– साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, राँची, खूँटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला–खरसावाँ के मात्र स्थानीय निवासी ही, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 10 वर्षों की कालावधि के लिए संबंधी जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्‌भुत रिक्तियों पर भर्ती हेतु पात्र होंगे।

झारखण्ड के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

14/7/16
(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

राँची, दिनांक 14 जुलाई, 2016

सं0 14/स्थानीयता नीति–14–01/2015 भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना सं0 5938 दिनांक 14.07.2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(दिवाकर प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

Government of Jharkhand
Deptt. of Personnel, Administrative Reforms & Rajbhasha

Order

No. ......5939.. Ranchi, Dated......14/07/2016.../ Whereas, under sub-paragraph (1) of paragraph 5 of the Fifth Schedule to the Constitution of India, the Governor may, be public notification direct that any particular Act of Parliament or of the Legislature of the State shall not apply to a Schedule Area or any part thereof in the State subject to such exceptions and modifications as specified in the notification.

And whereas, the Scheduled Area in the State are characterized by low Human Development Indices, backwardness, remoteness poverty and whereas the social indicators of the Scheduled Areas are on an average, inferior to the average of social indicators in the State due to uneven topography, lack of water resources, loss in canopy coverage of forest and uncontrolled rapid industrialization;

And whereas, recognizing the factors identified above, the Tribal Advisory Council of Jharkhand has recommended issuing of a notification by the Governor for suspension of eligibility conditions as enshrined in various appointment rules for the appointment of class 3 and class 4 posts at district level for a period of 10 years in the 13 districts namely - Sahebganj, Pakur, Dumka, Jamtara, Latehar, Ranchi, Khunti, Gumla, Lohardagga, Simdega, East Singhbhum, West Singhbhum and Sraikela-Kharsawan for appointment of cent-percent District level class-3 and class-4 posts by the local residents of the district concerned;

And whereas, the Governor of Jharkhand in order to improve the quality of people in the Scheduled Areas, by providing additional opportunities of employment, in favour of the local residents of Scheduled Areas;

The following notification shall come into effect from the date of its publications in the official Gazette:-

Government of Jharkhand
Department of Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha

Notification

Ranchi, Dated 14.07.2016

सं0 14/स्थानीयता नीति–14–01/2015/5938 In exercise of powers conferred by the provisions by sub-paragraph (1) of paragraph 5 of the Fifth Schedule to the Constitution of India, the Governor of Jharkhand, hereby, directs that the provisions regarding "eligibility of the appointment" mentioned in the various appointment rules as per list enclosed, Government may ammend from time to time, framed by the State Government under article 309 of the Constitution for the appointment to the district cadre posts, shall be deemed to the modified and enforced up to the extent as specified, hereinafter, namely :-

"Notwithstanding anything contained in these rules or any other Act, Order, Direction, Rules or Law for the time being in force, only local residents of the districts namely - Sahebganj, Pakur, Dumka, Jamtara, Latehar, Ranchi, Khunti, Gumla, Lohardagga, Simdega, East Singhbhum, West Singhbhum and Sraikela-Kharsawan, shall be eligible for recruitment to the vacancies arising in class-3 and class-4 posts of the district cadre in various department of the concern districts, for a period of 10 years from the date of issue of this notification"

By order and in the name of the
Governor of Jharkhand

14/7/16
(Nidhi Khare)
Principal Secretary to the
Government

जिला स्तरीय पदों पर भर्ती हेतु नियुमावलियों की सूची

क्रमांक	विभाग का नाम	पदनाम	अधिसूचना सं0/तिथि
1.	कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग	वाहन चालक	742/15.02.2007
2.	कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग	लिपिक(क्षेत्रिय कार्यालय)	1749/27.03.2010
3.	पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी (विशेष प्रमंडल) विभाग	पंचायत सचिव	1963/02.07.2015
4.	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	जन सेवक	1411/25.05.2011
5.	वन एवं पर्यावरण विभाग	राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी	4068/04.09.2014
6.	मानव संसाधन विकास विभाग	+2 विधालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी	2425/04.09.2012
7.	मानव संसाधन विकास विभाग	प्रारंभिक विधालय शिक्षक/अनुदेशक	1632/05.09.2012
8.	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	माध्यमिक शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी	434/01.03.2016
9.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	अमीन	3683/25.11.2013
10.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	कनीय राजस्व सेवा संवर्ग	549/24.02.2012
11.	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	नर्सिंग संवर्ग	109/20.07.2012
12.	गृह विभाग	आरक्षी	6992/20.10.2014

पत्र संख्या–14/स्थानीयता नीति–14–03/2016 का0.....4650...../
झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

निधि खरे,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक– 02-जून, 2016

विषयः– झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प संख्या–3198, दिनांक–18.04.2016 के द्वारा झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान निर्धारित की जा चुकी है। झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में अनुदेश निम्नवत् हैः–

(i) झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संलग्न विहित अनुलग्नक–1 प्रपत्र में केवल उसी व्यक्ति को जारी किया जायेगा जो उक्त संकल्प की कंडिका–2 की छः विभिन्न उप कंडिकाओं में से किसी एक कंडिका में उल्लिखित शर्त पूरी करता हो।

(ii) जहाँ झारखण्ड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करना आवश्यक हो वहाँ प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा झारखण्ड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान उपलब्ध कराया गया हो। अनुलग्नक–2 (प्रतिज्ञान का प्रपत्र संलग्न है)

(iii) यह प्रमाण पत्र अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से जारी होगा जो किसी व्यक्ति के लिए जीवनकाल तक सभी कार्यों के लिए मान्य होगा।

(iv) यह प्रमाण पत्र पूर्व की भांति प्रज्ञा केन्द्रों द्वारा भी निर्गत किया जा सकता है। डिजिटल रूप में निर्गत प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के साथ–साथ उसकी हार्ड कापी प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय में संरक्षित की जायेगी।

(v) प्रमाण पत्र अनुदेश के जारी होने की तिथि से यथा विहित प्रपत्र में जारी की जायेगी।

कृ0पृ0उ0–

–2–

(vi) झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करने सम्बन्धी अनुदेश प्रभावी होने की तिथि से कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का संकल्प संख्या–2691, दिनांक–29.04.2002 एवं पत्र संख्या–4156, दिनांक–17.07.2002 पत्र निर्गत होने की तिथि से अवक्रमित समझे जायेंगे।

झारखण्ड की स्थानीय नीति हेतु संकल्प संख्या–3198, दिनांक–18.04. 2016 झारखण्ड के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र, दावे के समर्थन में घोषणा में प्रतिज्ञान का प्रपत्र, आवेदक की दावे की जाँच प्रतिवेदन हेतु चेक लिस्ट एवं झारखण्ड के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का मानक प्रपत्र की प्रति नियमानुसार कार्रवाई हेतु संलग्न है।

विश्वासभाजन,
2/6/16
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/स्थानीयता नीति–14–03/2016 का0 4650/राँची, दिनांक–02 जून, 2016

प्रतिलिपिः– सभी विभागाध्यक्ष/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/6/16
सरकार के प्रधान सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–3198 दिनांक 18.04.2016 के अन्तर्गत "झारखण्ड को स्थानीय निवासी" प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र

(यह दो प्रतियों में आवेदक स्वहस्तलिपि में प्रस्तुत करेंगे)

1. आवेदक का नाम तथा आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) :
2. आवेदक के पिता/पति/माता का नाम :
3. आवेदक का स्थायी पता (स्थायी पता के प्रमाण में बिजली का बिल/टेलीफोन का बिल/एल.आई.सी./मतदाता पहचान पत्र, इनमें से कोई एक ही स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें) :
4. झारखण्ड राज्य के स्थानीय नागरिक होने का आधार (संकल्प की कंडिका–2 की जिस उप कंडिका के आधार पर आवेदक दावा प्रस्तुत कर रहा है, उस कंडिका का उल्लेख करें) :
5. उपर्युक्त कंडिका–4 के दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेख का विवरण :
6. आवेदक का दूरभाष संख्या/मोबाईल संख्या/ई– मेल पता (यदि उपलब्ध हो, अन्यथा लागू नहीं अंकित करें) :

(आवेदक का हस्ताक्षर)

(नाम ....)

तिथि ....

पूर्व पृष्ठ पर अपने दावे के समर्थन में आवेदक की घोषणा

जो सही हो उसे सही (√) अंकित करें :–

1.	क्या आपके माता/पिता को झारखण्ड के स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र प्राप्त है?	:	हाँ/नहीं
2.	क्या आपके माता/पिता/पूर्वजों का नाम खतियान में दर्ज है?	:	हाँ/नहीं
3.	क्या आपके माता/पिता भूमिहीन हैं?	:	हाँ/नहीं
4.	क्या आप झारखण्ड में प्रचलित भाषा, संस्कृति, परम्परा से अवगत हैं?	:	हाँ/नहीं
5.	क्या आप स्वयं अथवा आपके माता/पिता राज्य सरकार के कर्मी हैं?	:	हाँ/नहीं
6.	क्या आप स्वयं अथवा आपके माता/पिता भारत सरकार के कर्मी हैं तथा वे झारखण्ड राज्य में पदस्थापित हैं?	:	हाँ/नहीं
7.	क्या आप स्वयं अथवा आपके माता/पिता झारखण्ड राज्य में किसी संवैधानिक/विधिक (Statutory) पद पर आसीन हैं?	:	हाँ/नहीं
8.	क्या आपका जन्म झारखण्ड राज्य क्षेत्र में हुआ है?	:	हाँ/नहीं
9.	क्या आपने अपनी मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर की पूरी शिक्षा झारखण्ड स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त की है?	:	हाँ/नहीं
10	क्या आप स्वयं अथवा आपके माता/पिता विगत 30 वर्षों से झारखण्ड राज्य में निवास करते हैं और अचल सम्पत्ति अर्जित की है?	:	हाँ/नहीं

मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी में सत्य है। सूचनाओं के असत्य पाये जाने पर मेरे विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

स्थल :
दिनांक :

घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर :
आधार संख्या (वैकल्पिक) :

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हेतु प्रतिज्ञान का प्रपत्र

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता/पति श्री .... पता–ग्राम/वार्ड/शहर .... पो0 .... थाना .... जिला .... का निवासी हूँ और में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–3198, दिनांक 18.04.2016 की कंडिका–2 की उप कंडिका .... में उल्लिखित शर्तों के आधार पर झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी की शर्त पूरी करता हूँ। (समर्थन में दस्तावेज की स्व सत्यापित हस्ताक्षरयुक्त की छाया प्रति संलग्न)

2. मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र का स्थानीय निवासी नहीं हूँ और झारखण्ड राज्य में रहने के लिए प्रतिबद्ध होने का प्रतिज्ञान करता हूँ।

3. मैं यह भी प्रतिज्ञान घोषित करता/करती हूँ कि राज्य सरकार (सक्षम प्राधिकार) प्रतिज्ञान में अंकित तथ्य की जाँच में असत्य पाये जाने पर मेरे विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए सक्षम होगी।

प्रतिज्ञान घोषित करने वाले का हस्ताक्षर एवं नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
आधार संख्या (स्वैच्छिक)

आवेदक के दावों की जाँच प्रतिवेदन (कार्यालय प्रयोग हेतु)

चेक लिस्ट

(जो लागू नहीं है उसे काट दें)

1.	आवेदक या उनके माता/पिता/पूर्वज राज्य के खतियानी रैयत है।	:	हाँ/नहीं
2.	आवेदक या उनके माता/पिता/ पूर्वज भूमिहीन है।	:	हाँ/नहीं
3	आवेदक झारखण्ड के भाषा–संस्कृति परम्परा से अवगत है।	:	हाँ/नहीं
4	आवेदक स्वयं अथवा उसके माता/पिता राज्य के सरकारी सेवक हैं।	:	हाँ/नहीं
5.	आवेदक स्वयं अथवा उसके माता/पिता भारत सरकार के सेवक हैं और वे झारखण्ड राज्य में पदस्थापित हैं।	:	हाँ/नहीं
6.	आवेदक स्वयं अथवा उसके माता/पिता राज्य में किसी संवैधानिक पद पर आसीन हैं।	:	हाँ/नहीं
7.	आवेदक का जन्म झारखण्ड राज्य में हुआ है और उसने अपनी मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर की पूरी शिक्षा झारखण्ड स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त की है।	:	हाँ/नहीं
8.	आवेदक के स्वयं अथवा उसके माता/पिता झारखण्ड राज्य में विगत 30 वर्षों से रह रहे हैं और अचल सम्पत्ति अर्जित की है।	:	हाँ/नहीं
9.	समर्थन में आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जाँच पड़ताल कर ली गई है और उसे सही पाया है	:	हाँ/नहीं
10.	आवेदन स्वीकृत किया जा सकता है।	:	हाँ/नहीं

जाँचकर्ता का हस्ताक्षर
नाम ....
पदनाम ....

प्रतिहस्ताक्षरित
अंचलाधिकारी

स्वीकृत/अस्वीकृत

अनुमण्डल पदाधिकारी

मानक प्रपत्र का प्रारूप

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या :–

दिनांक :–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता/पति श्री .... पता–ग्राम/वार्ड/शहर .... पो0.. थाना .... जिला .... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–3198 दिनांक 18.04.201 की कंडिका –.............................. में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :–

दिनांक :–

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

3198
18-04-2016

संकल्प

विषय : **"झारखंड के स्थानीय निवासी" की परिभाषा एवं पहचान।**

स्थानीय व्यक्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर दो जनहित याचिकाओं डब्लू0पी0(पी0आई0एल0) 4056/2002 एवं 3912/2002 में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय खंड पीठ द्वारा सुनवाई के बाद दिनांक 27.11.2002 को निरस्त कर दिया गया और "स्थानीय व्यक्ति" को पुनः परिभाषित करने तथा स्थानीय व्यक्ति की पहचान के लिए दिशा निदेश गठित करने के मामले में सरकार से निर्णय लेने की अपेक्षा की गई।

2. राज्य सरकार द्वारा स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा एवं पहचान के मामले में विभिन्न राजनीतिक दलों, बुद्धिजीवियों, सामजिक संगठनों से गहन विचार विमर्श के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि झारखंड का स्थानीय निवासी वैसे भारतीय नागरिक को माना जाएगा जो निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लिखित शर्त पूरी करता हो, :-

(i) झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास करता हो एवं स्वयं अथवा पूर्वज के नाम गत सर्वे खतियान में दर्ज हो। भूमिहीन के मामले में उसकी पहचान संबंधित ग्राम सभा द्वारा की जाएगी, जो झारखंड में प्रचलित भाषा, संस्कृति एवं परम्परा पर आधारित होगी।

(ii) किसी व्यापार, नियोजन एवं अन्य कारणों से झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में विगत 30 वर्ष या अधिक अवधि से निवास करता हो एवं अचल सम्पत्ति अर्जित की हो या ऐसे व्यक्ति की पत्नी/पति/संतान हो एवं झारखंड में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।

(iii) झारखंड राज्य सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित/ मान्यता प्राप्त संस्थानों, निगम आदि में नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी/ कर्मचारी या उनकी पत्नी/ पति/ संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।

(iv) भारत सरकार का पदाधिकारी/ कर्मचारी जो झारखंड राज्य में कार्यरत हो या उनकी पत्नी/ पति/ संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।

(v) झारखंड राज्य में किसी संवैधानिक या विधिक (statutory) पदों पर नियुक्त व्यक्ति या उनकी पत्नी/ पति/ संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।

(vi) ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म झारखंड राज्य में हुआ हो तथा जिसने अपनी मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर तक की पूरी शिक्षा झारखंड स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो एवं झारखण्ड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।

आदेश : आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

18.4.16.

(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का॰– 3198 /राँची, दिनांक 18-04-2016

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को भेजे।

18.4.16.

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का॰– 3198 /राँची, दिनांक 18-04-2016

प्रतिलिपि–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रांची/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.4.16.

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का॰– 3198 /राँची, दिनांक 18-04-2016

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.4.16.

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प 622 21/1/2014

विषय : 'स्थानीय व्यक्ति' को परिभाषित करने के सम्बन्ध में।

झारखण्ड राज्य में स्थानीय व्यक्ति को परिभाषित करने के लिये श्रम नियोजन विभाग, तत्कालीन बिहार सरकार के परिपत्र संख्या–806, दिनांक 03.03.1982 को अधिसूचना संख्या–3389, दिनांक 22.09.2001 द्वारा संशोधन के साथ अंगीकृत किया गया जिसके अनुसार जिला विशेष के संदर्भ में वैसे व्यक्ति स्थानीय व्यक्ति माने जायेंगे जिनका स्वयं का अथवा जिनके पूर्वजों के नाम जमीन, वासगीत आदि पिछले सर्वे रिकार्ड ऑफ राईट्स में दर्ज हों।

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–4536, दिनांक 08.08.2002 तथा 4737, दिनांक 19.08.2002 के द्वारा स्थानीय व्यक्ति को परिभाषित किया गया, किन्तु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर दो जनहित याचिकाएँ डब्लू0पी0(पी0आई0एल0) 4056/2002 एवं 3912/2002 की सुनवाई के बाद दिनांक 27.11.2002 को माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय खंड पीठ द्वारा संकल्प संख्या–4737, दिनांक 19.08.2002 को निरस्त कर दिया गया, साथ ही "स्थानीय व्यक्ति" को पुनः परिभाषित करने तथा स्थानीय व्यक्ति की पहचान के लिए दिशा निदेश निर्धारित करने को राज्य सरकार को स्वतंत्र किया गया।

3. उक्त न्याय निर्णय की कंडिका–57 निम्नरूप से उद्धृत है :–

"However, it is open to the State of Jharkhand to redefine the 'local persons' and to re-prescribe the guidelines for determination of 'local persons' taking into account the relevant history of the State, such as, reorganization as taken from time to time; emigration of persons; as taken place during the last fifty years, settlement of refugees etc., as discussed above."

4. इस संदर्भ में विभागीय संकल्प संख्या–7132, दिनांक 30.12.2002 द्वारा एक समिति गठित की गई थी और उसे संकल्प संख्या–3928, दिनांक 27.06.2008 द्वारा पुर्नगठित किया गया। पुनः "स्थानीय व्यक्ति" को परिभाषित करने हेतु संकल्प संख्या–1885 दिनांक 09.04.2011 द्वारा गठित उप समिति से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो सका।

5. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के उपर्युक्त सुझाव के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा 'स्थानीय व्यक्ति' को परिभाषित करने तथा स्थानीय व्यक्ति के पहचान के मानदण्ड सम्बन्धी दिशा–निदेश गठित करने के सम्बन्ध में एक समिति गठित की जाती है।

इस समिति में निम्नलिखित महानुभाव सदस्य होंगे :–

(i) श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, वित्त मंत्री (संयोजक)
(ii) श्री चम्पई सोरेन, परिवहन मंत्री
(iii) श्रीमती गीताश्री उराँव, मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग
(iv) श्री सुरेश पासवान, मंत्री, नगर विकास विभाग
(v) श्री बंधु तिर्की, स0वि0स0
(vi) श्री लोबिन हेम्ब्रम, स0वि0स0
(vii) मो0 सरफराज अहमद, स0वि0स0
(viii) श्री विद्युत वरण महतो, स0वि0स0
(ix) श्री संजय सिंह यादव, स0वि0स0

यह समिति विचार कर अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को समर्पित करेगी।

6. उक्त समिति को सचिवालीय सहायता, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

7. यह संकल्प, संकल्प संख्या–11975 दिनांक 12.12.2013 का स्थान लेगी और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश : आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(एस0के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का.– 622 /राँची, दिनांक 21/1/2014

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को भेजे।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का.– 622 /राँची, दिनांक 21/1/2014

प्रतिलिपि–सभी माननीय सदस्यगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का0– 621 /राँची, दिनांक 21/1/2014

प्रतिलिपि–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रांची/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 21/1/14

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का0– 622 /राँची, दिनांक 21/1/2014

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 21/1/14

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय : 'स्थानीय व्यक्ति' को परिभाषित करने के संबंध में।

झारखण्ड राज्य में स्थानीय व्यक्ति को परिभाषित करने के लिये श्रम नियोजन विभाग, तत्कालीन बिहार सरकार के परिपत्र संख्या–806, दिनांक 03.03.1982 को अधिसूचना संख्या–3389, दिनांक 22.09.2001 द्वारा संशोधन के साथ अंगीकृत किया गया जिसके अनुसार जिला विशेष के संदर्भ में वैसे व्यक्ति स्थानीय व्यक्ति माने जायेंगे जिनका स्वयं का अथवा जिनके पूर्वजों के नाम जमीन, वासगीत आदि पिछले सर्वे रिकार्ड ऑफ राईट्स में दर्ज हो।

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–4536, दिनांक 08.08.2002 तथा 4737, दिनांक 19.08.2002 के द्वारा स्थानीय व्यक्ति को परिभाषित किया गया, किन्तु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर दो जनहित याचिकाएँ डब्लू0पी0(पी0आई0एल0) 4056/2002 एवं 3912/2002 की सुनवाई के बाद दिनांक 27.11.2002 को माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय खंड पीठ द्वारा संकल्प संख्या–4737, दिनांक 19.08.2002 को निरस्त कर दिया गया, साथ ही "स्थानीय व्यक्ति" को पुनः परिभाषित करने तथा स्थानीय व्यक्ति की पहचान के लिए दिशा निदेश निर्धारित करने को राज्य सरकार को स्वतंत्र किया गया।

3. उक्त न्याय निर्णय की कंडिका–57 निम्नरूप से उद्धृत है :–

"However, it is open to the State of Jharkhand to redefine the 'local persons' and to re-prescribe the guidelines for determination of 'local persons' taking into account the relevant history of the State, such as, reorganization as taken from time to time; emigration of persons; as taken place during the last fifty years, settlement of refugees etc., as discussed above."

4. इस संदर्भ में विभागीय संकल्प संख्या–7132, दिनांक 30.12.2002 द्वारा एक समिति गठित की गई थी और उसे संकल्प संख्या–3928, दिनांक 27.06.2008 द्वारा पुर्नगठित भी किया गया, किन्तु मतैक्य नहीं हो पाने के कारण "स्थानीय व्यक्ति" की परिभाषा अबतक स्पष्ट नहीं हो पायी।

5. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के उपर्युक्त सुझाव के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 'स्थानीय व्यक्ति' को परिभाषित करने के संबंध में, मंत्रिमंडलीय सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प

Goditys

संख्या 1560, दिनांक 23.12.2010 द्वारा गठित मंत्रिमंडलीय निम्न उप समिति विचार कर अपना प्रतिवेदन समर्पित करेगी :--

(i) श्री सुदेश कुमार महतो, उप मुख्यमंत्री

(ii) श्री हेमन्त सोरेन, उप मुख्यमंत्री

(iii) श्री बैद्यनाथ राम, मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग

6. मंत्रिमंडलीय उप समिति को सचिवालीय सहायता कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

7. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश : आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

aditya 7/4/2011

(आदित्य स्वरूप)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 का॰–1885/राँची, दिनांक 9/4/11

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को भेजें।

aditya 7/4/2011

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 का॰–1885/राँची, दिनांक 9/4/11

प्रतिलिपि–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रांची/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

aditya 7/4/2011

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 का॰–1885/राँची, दिनांक 9/4/11

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

aditya 7/4/2011

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखंड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

:: संकल्प ::

विषयः— झारखंड सरकार के अधीन जिलास्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदो के विरूद्ध नियोजन के संबंध में नीति निर्धारण करने हेतु एक समिति गठित करने के संबंध में।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं0—7/आ0नि0 (सर्वदलीय बैठक) 27/2002—7132 दिनांक—30.12.02 द्वारा गठित समिति को निम्नरूपेण पुर्नगठित किया जाता है:—

1. माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड : अध्यक्ष
2. प्रो0 स्टीफन मरांडी, माननीय उप मुख्यमंत्री, वित्त, वाणिज्य—कर एवं संसदीय कार्य : सदस्य
3. श्री सुधीर महतो, माननीय उप मुख्यमंत्री, उद्योग, वन एवं पर्यावरण : सदस्य
4. श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय मंत्री, जल संसाधन खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध : सदस्य
5. श्री एनोस एक्का, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, परिवहन एवं भवन निर्माण : सदस्य
6. श्री हरिनारायण राय, माननीय मंत्री, नगर विकास, एन0आर0ई0पी0—1 एवं पर्यटन : सदस्य

7. श्रीमती जोबा मांझी, : सदस्य
माननीय मंत्री, कल्याण, समाज
कल्याण तथा आवास

8. श्री नलिन सोरेन, : सदस्य
माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन

9. श्री बंधु तिर्की, : सदस्य
माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास,
कला संस्कृति एवं खेल–कूद

10. श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, : सदस्य
माननीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी,
तथा पेयजल एवं स्वच्छता

11. श्री दुलाल भूईया, : सदस्य
माननीय मंत्री, राजस्व एवं भू0 सु0
तथा सहकारिता

12. श्री भानु प्रताप शाही, : सदस्य
माननीय मंत्री, स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण तथा श्रम नियोजन

13. श्री अर्जुन मुण्डा : सदस्य
माननीय नेता, प्रतिपक्ष

14. श्री रमेश सिंह मुंडा, : सदस्य
माननीय स0 वि0 स0

15. श्री सुदेश महतो, : सदस्य
माननीय स0वि0स0

16. श्री प्रदीप बलमुचू, : सदस्य
माननीय स0वि0स0

17. श्री गिरिनाथ सिंह, : सदस्य
माननीय स0वि0स0

18. श्रीमती अपर्पासेन गुप्ता, : सदस्य
माननीय स0वि0स0

19. श्री ईजराईल अंसारी, : सदस्य
माननीय स0वि0स0

20. श्री रामचन्द्र राम, : सदस्य
माननीय स0वि0स0

21. श्री राधा कृष्ण किशोर, : सदस्य
माननीय स0वि0स0

22. श्री प्रदीप यादव, : सदस्य
माननीय स0वि0स0

2. उपर्युक्त समिति राज्य सरकार के अधीन जिलास्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर नियोजन के संबंध में नीति निर्धारित करने हेतु सम्यक् रूप से विचार करेगी जिसके आधार पर राज्य सरकार समुचित निर्णय ले सकेगी । उक्त समिति को निम्नांकित आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे :–

1. मुख्य सचिव
2. महाधिवक्ता
3. प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
4. विधि सचिव

3. प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग उक्त समिति के अध्यक्ष (माननीय मुख्य मंत्री) की अनुमति प्राप्त कर तदनुसार समय–समय पर उक्त समिति की बैठक आहुत करेंगे और कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग समिति को आवश्यक सचिवालीय सहयोग प्रदान करेगा ।

आदेश :– आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी एक प्रति महालेखाकार, झारखंड, राँची/ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष /सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाय ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

23/6

(आर0 एस0 शर्मा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/आ0नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002का0 3928/ राँची, दिनांक–27/6/08

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को भेजें ।

27/6

सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

विषय:- झारखंड सरकार के अधीन जिलास्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों के विरूद्ध नियोजन के संबंध में नीति निर्धारित करने हेतु एक समिति गठित करने के संबंध में ।

दिनांक 26.12.2002 की सर्वदलीय बैठक में उपस्थित विभिन्न प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नांकित सदस्यों की एक समिति गठित करने का निर्णय लेती है:-

1. माननीय मुख्य मंत्री, झारखंड : अध्यक्ष
2. श्री स्टीफन मरांडी, माननीय स0वि0स0, नेता विरोधी दल : सदस्य
3. श्री फुरकान अंसारी, माननीय स0वि0स0 : सदस्य
4. श्री गिरिनाथ सिंह, माननीय स0वि0स0 : सदस्य
5. श्री महेन्द्र सिंह, माननीय स0वि0स0 : सदस्य
6. श्री रमेश सिंह मुंडा माननीय स0वि0स0 : सदस्य
7. श्री गौतम सागर राणा, माननीय स0वि0स0 : सदस्य

2- उपर्युक्त समिति राज्य सरकार के अधीन जिलास्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर नियोजन के संबंध में नीति निर्धारित करने हेतु सम्यक् रूप से विचार करेगी जिसके आधार पर राज्य सरकार समुचित निर्णय ले सकेगी । उक्त समिति को निम्नांकित आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे:-

1. मुख्य सचिव
2. महाधिवक्ता
3. सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
4. विधि सचिव

3- सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग उक्त समिति के अध्यक्ष (माननीय मुख्य मंत्री) की अनुमति प्राप्त कर तदनुसार समय-समय पर उक्त समिति की बैठक आहुत करेंगें और कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग समिति को आवश्यक सचिवालीय सहयोग प्रदान करेगा ।

आदेश :- आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी एक प्रति महालेखाकार, झारखंड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाय ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,
30.12.2002
(सुशील कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-7/अ॰ नि॰ (वर्गीय) 27/2002/732 राँची, दिनांक- 30 दिसम्बर, 2002 ।

प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि

गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को भेजें ।

सरकार के सचिव,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,
झारखंड रांची ।

ज्ञाप संख्या-7/आ०नि०(सीधी नियुक्ति)/पे०क०-12/02 7132/ राँची, दिनांक-30 दिसम्बर, 2002 ।

प्रतिलिपि :- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/ माननीय मुख्य मंत्री के सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, राँची/ महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/ प्रभारी सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय/ सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ मुख्य सचिव के सचिव/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ संयुक्त सचिव, झारखंड लोक सेवा आयोग/ सभी विश्वविद्यालय/ सभी संबंधित संस्थानों के प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,
झारखंड रांची ।

झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

....

संकल्प

विषयः- शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु "स्थानीय निवासी" प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में नीति निर्धारण ।

राज्य के व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षण संस्थानों में नामांकन में स्थानीय निवासियों को ही नामांकन की सुविधा प्राप्त होती है, जो संविधान एवं विधि सम्मत है, परन्तु नवगठित झारखंड राज्य में "स्थानीय निवासी" पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं होने के कारण कठिनाइयाँ आ रही है ।

2- उपरोक्त संदर्भ में "स्थानीय निवासी" को परिभाषित करने संबंधी प्रश्न माननीय रांची उच्च न्यायालय में डब्लू0पी0(पी0आई0एल0) संख्या-586/2002 में उठाया गया है, जिसमें अंतरिम आदेश पारित है कि राज्य सरकार इस संबंध में शीघ्र नीति निर्धारित करे ।

3- "स्थानीय निवासी" से संबंधित राज्य की स्पष्ट नीति निर्धारित करने के पूर्व कुछ राज्यों - यथा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश एवं आन्ध्र प्रदेश - से उन राज्यों में लागू नीति से संबंधित सूचनाएँ एकत्रित की गई एवं उनका तुलनात्मक विवेचन किया गया । इसी संदर्भ में झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा "स्थानीय निवासी" की परिभाषा, जो बिहार में प्रचलित परिभाषा पर आधारित है, की भी समीक्षा की गई ।

4- राज्य सरकार द्वारा सभी पहलुओं की सम्यक् समीक्षा एवं समुचित विचारोपरान्त, झारखंड राज्य में "स्थानीय निवासी" की परिभाषा निम्न रूप से निरूपित करने का निर्णय लिया गया है जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में लागू नीति पर आधारित है । इसके तहत उसी व्यक्ति को स्थानीय निवासी माना जायेगा, जोः-

(i) झारखंड में पैदा हुआ हो, अथवा

(ii) (क) वह, अथवा

(ख) उसके पालकों (parents) में से कोई, अथवा

(ग) उसके पालकों (parents) में से कोई जीवित न हो तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन) झारखंड में निरंतर कम-से-कम 15 वर्ष से रह रहा हो, अथवा

(iii) उसके पालकों (parents) में से कोई भी:-

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत कर्मचारी हों, अथवा

(ख) जिनके पालकों (parents) में से कोई भी भारत सरकार का कर्मचारी हो, और प्रतिनियुक्ति पर झारखंड राज्य में या झारखंड में स्थित भारत सरकार द्वारा संचालित उपकर्मो/संस्थानों का कर्मचारी हो, अथवा

(iv) (क) वह स्वयं, अथवा

(ख) उसके पालकों (parents) में से कोई भी झारखंड में पिछले 5 वर्षो से कोई अचल सम्पत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखता हो,

(v) परन्तु, उपरोक्त के अतिरिक्त:-

(अ) उसने अपनी शिक्षा झारखंड के किसी भी शिक्षण संस्थान में कम-से-कम 7 वर्षो तक प्राप्त की हो, अथवा

(ब) उसने झारखंड में स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान में निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों, अर्थात् :-

(i) यदि संस्थान में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित की गयी हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा,

(ii) यदि किसी संस्थान में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटरमीडिएट, हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गयी हो, तो आठवी कक्षा की परीक्षा,

(iii) अन्य मामलों में चौथी कक्षा की परीक्षा,

(vi) इसके अतिरिक्त झारखंड को आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की संतान एवं उनकी पत्नी प्रदेश की स्थानीय निवासी माने जायेंगे ।

(vii) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित झारखंड के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की पत्नी को भी प्रदेश का स्थानीय निवासी माना जायेगा ।

(viii) छात्र का पिता यदि मूल निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आता है और यदि वह सैनिक सेवा के कारण झारखंड में पदस्थापित नहीं हो सका है तो उसके पुत्र/पुत्री को झारखंड का मूल निवासी माना जायेगा, भले ही उसने राज्य के किसी भी शिक्षण संस्थान में शिक्षा प्राप्त नहीं की हो । यह सुविधा केवल सैनिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध होगी ।

(ix) भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए व्यवसायिक कॉलेजों/ संस्थानों में प्रवेश हेतु मूल निवासी प्रमाण-पत्र में छूट अनुमान्य होगा ।

(x) कश्मीर से आये हुए विस्थापित परिवारों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उन प्रयोजनों के लिये जिनके संबंध में झारखंड के मूल निवासी होने की शर्त्त की पुष्टि होनी चाहिए, उससे इन परिवारों को मुक्त रखा जायेगा ।

(xi) जिसके पालकों (parents) में से कोई झारखंड में शरणार्थी के रूप में पंजीकृत हों,

(xii) झारखंड के माननीय सांसदों/पूर्व सांसदों/विधायकों/पूर्व विधायक/पूर्व पार्षद एवं बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के आलोक में झारखंड राज्य के पार्षदों के पुत्र/पुत्रियाँ हों,

5- शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु ''स्थानीय निवासी'' प्रमाण-पत्र उन्हीं आवेदकों को जारी किया जायेगा जो किसी अन्य राज्य के ''स्थानीय निवासी'' प्रमाण-पत्र से आच्छादित न हों ।

6- झारखंड स्थित तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षण संस्थनों में दाखिला के लिए पूर्व में जो भी निर्णय अथवा नीति लागू है वह आलोच्य संकल्प के निर्गत होने की तिथि से स्वत: निरस्त समझा जायेगा । यह संकल्प विशेष रूप से झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा घोषित आवासीय श्रेणी संबंधी न्यूनतम योग्यता के परिप्रेक्ष्य में संगत होगा, परन्तु यदि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा पूर्व में Brochure निर्गत कर दिया गया हो और आवेदन पत्र प्राप्त कर परीक्षा की कार्रवाई शुरू कर दी गयी हो तो वह इस नई नीति से प्रभावित नहीं होगा ।

आदेश:- आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और उसकी प्रति महालेखाकार, झारखंड, रांची/महानिबंधक, उच्च न्यायालय,झारखंड/सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष, झारखंड/अध्यक्ष, झारखंड लोक सेवा आयोग, रांची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाए ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

29.4.2002

(एस० के० चौधरी)

सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या- 5/विविध-09/2001(डोमिसाईल)का0-2691/रांची, दिनांक 29/4/02ई0।

प्रतिलिपि- अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय,डोरंडा, रांची को गजट के असाधरण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि गजट की 500 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची को भेजें ।

29.4.2002

(एस0 के0 चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या- 5/विविध-09/2001(डोमिसाईल)का0-2691/रांची, दिनांक 29/4/02 ई0।

प्रतिलिपि- राज्यपाल सचिवालय/मुख्य मंत्री सचिवालय/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /सभी उपायुक्त/सभी विश्वद्यालय/सभी संबंधित संस्थानों के प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

29.4.2002

(एस0 के0 चौधरी)
सरकार के सचिव ।

झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

रांची, दिनांक-22, सितम्बर, 2001 ई०

संख्या-5/विविध-09/2001-3389./ बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-85 के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल, श्रम एवं नियोजन विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन) बिहार, पटना के पत्र संख्या- 3/स्था०नि०-5014/81-806, दिनांक- 03,मार्च,1982 को झारखंड राज्य के लिए इस संशोधन के साथ अंगीकृत करते हैं कि उक्त संकल्प में जहाँ कहीं भी "बिहार" शब्द का प्रयोग किया गया है, उसे "झारखंड" शब्द से प्रतिस्थापित समझा जाये ।

झारखंड राज्य में उक्त पत्र के प्रावधानों के अनुसार "स्थानीय व्यक्ति" की परिभाषा निर्धारित की जायेगी ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

22.9.2001

(एम० पी० मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-5/विविध-09/2001-3389/रांची, दिनांक-22, सितम्बर, 2001 ई०

प्रतिलिपि- श्रम एवं नियोजन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-806 दिनांक-03, मार्च,1982 की प्रति के साथ महामहिम राज्यपाल के सचिव/मुख्यमंत्री के सचिव/सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय/ सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति/निदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, कांके रोड, रांची/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय/महाधिवक्ता, झारखंड, उच्च न्यायालय/क्षेत्रीय भर्ती पदाधिकारी, रांची

कैंट/निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

22.9.2001

(एम० पी० मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-5/विविध-09/2001-3389./रांची, दिनांक-22, सितम्बर, 2001 ई०

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को अनुलग्नक की प्रति के साथ झारखंड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । कृपया मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची को उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

22.9.2001

(एम० पी० मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

(परिशिष्ट-1)

बिहार सरकार
श्रम एवं नियोजन-विभाग
(निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन) बिहार,
नया सचिवालय, पटना-15

पत्र संख्या 3/स्था0नि0-50 14/81-806 पटना, 15 दिनांक मार्च, 1982

प्रेषक,

श्री मुख्त्यार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव,

सेवा में,

मुख्य मंत्री के सचिव/मुख्य सचिव के सचिव।
श्री कर्पूरी ठाकुर, नेता विरोधी दल (विधान सभा)
श्रम मंत्री के आप्त सचिव/आयुक्त एवं सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग।
सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/उपायुक्त/सभी अनुमंडलाधिकारी/सभी सहायक निदेशक (नियोजन) सभी अवर प्रादेशिक नियोजन पदाधिकारी/सभी जिला नियोजन पदाधिकारी/सभी उप मुख्य, सभी सहायक नियोजन पदाधिकारी/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधक/सभी निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के प्रबंधक/सभी प्राप्त श्रमिक संगठन के अध्यक्ष/सचिव, सभी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष/सचिव।

विषय :- स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा निर्धारित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में दिनांक 28/4/81 को मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा निर्धारित करने के संबंध में एक बैठक बुलायी गई थी। उक्त बैठक में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि तथा मान्यता प्राप्त विभिन्न श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ काफी विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि नियोजन के मामले में स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा का आधार जिला को ही माना जाए। जिला में पिछले सर्वे के रेकार्ड आफ राइटसों में जिन लोगों को अपने या अपने पूर्वजों के नाम के जमीन वासगित आदि का उल्लेख हो, उन्हें ही उस जिला के बारे में "स्थानीय" माना जाना चाहिए।

अतः आपसे अनुरोध है कि सरकार के इस निर्णय के आलोक में स्थानीय व्यक्तियों को नियोजन के मामले में प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन,
ह0/-
(मुख्त्यार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

परिशिष्ट-1

बिहार सरकार,
श्रम एवं नियोजन विभाग,
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन) बिहार,
नया सचिवालय, पटना-15

पत्र संख्या-3/स्था0नि0-5014/81-806 पटना, 15 दिनांक 3 मार्च, 1982

प्रेषक,

श्री मुखत्यार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

मुख्य मंत्री के सचिव/मुख्य सचिव के सचिव ।
श्री कर्पूरी ठाकुर, नेता विरोधी दल (विधान सभा)
श्रम मंत्री के आप्त सचिव/आयुक्त एवं सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग ।
सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/उपायुक्त/सभी अनुमंडलाधिकारी/सभी सहायक निदेशक (नियोजन)/सभी अवर प्रादेशिक नियोजन पदाधिकारी/सभी जिला नियोजन पदाधिकारी/सभी उप मुख्य, सभी सहायक नियोजन पदाधिकारी/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/सभी सार्वजनिक प्रतिस्ठानों के प्रबंधक/सभी निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के प्रबंधक/सभी प्राप्त श्रमिक संगठन के अध्यक्ष/सचिव, सभी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष/सचिव ।

विषयः- स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा निर्धारित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में दिनांक 28/4/81 को मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा निर्धारित करने के संबंध में एक बैठक बुलाई गई थी । उक्त बैठक में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि तथा मान्यता प्राप्त विभिन्न श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ काफी विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि नियोजन

के मामले में स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा का आधार जिला को ही माना जाय । जिला में पिछले सर्वे रिकार्ड आफ राइटरों में जिन लोगों को अपने या अपने पूर्वजों के नाम के जमीन बासगीत आदि का उल्लेख हो, उन्हें ही जिला के दायरे में "स्थानीय" माना जाना चाहिए ।

अत: आपने अनुरोध है कि सरकार के इस निर्णय के आलोक में स्थानीय व्यक्तियों को नियोजन के मामले में प्राथमिकता दें ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(मुखत्यार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना ।

खण्ड–2
(भाग–'ख')

अध्याय–8
(अन्यान्य)

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या 14/भा0स0प0–17–14/2003 का 9100 / राँची, दिनांक 9/9/2014

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा कुमारी माधुरी पाटिल एवं अन्य बनाम अतिरिक्त आयुक्त, जनजातीय विकास परिषद, एस0 एल0 पी0 (सिविल) सं0–1476703/93 के मामलें में पारित निर्णयादेश के आलोक में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना सं0–7/भा0स0प0–17–014/2003 का0 3630 दिनांक 08.07.2004 द्वारा गठित छानबीन समिति को पुर्नगठित करते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में विशेषज्ञता रखने वाले श्री प्रेमचंद मुर्मू, पिता–स्व0 सुखदेव मांझी (मुर्मू), E-I, तारिणी अर्पाटमेन्ट, किलबर्न कॉलोनी, हिनू–834002 को सदस्य के रुप में एतद् द्वारा मनोनीत किया जाता है।

अधिसूचना संख्या 3630 दिनांक 08.07.2004 को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा तथा अधिसूचना की अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 14/भा0स0प0–17–14/2003 का0 9100 /रांची, दिनांक 9/9/2014

प्रतिलिपि :–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कराया जाय।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 14/भा0स0प0–17–14/2003 का0 9100 /रांची, दिनांक 9/9/2014

प्रतिलिपि :–सभी विभाग के आयुक्त एवं सचिव/सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, रांची/झारखण्ड विधान सभा सचिवालय/उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।.

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापाक 14/भा0स0प0–17–14/2003 का0 9100 /रांची, दिनांक 9/9/2014

प्रतिलिपि :–सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग, भारत सरकार, लोदी रोड, नई दिल्ली को विभागीय अधिसूचना सं0–3630 दिनांक 08.07.2004 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 14/भा0स0प0–17–14/2003 का0 9100 /रांची, दिनांक 9/9/2014

प्रतिलिपि :–क्षेत्रीय प्रबंधक, झारखण्ड में अवस्थित सभी राष्ट्रीयकृत बैंक को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसकी सूचना सभी बैंक शाखाओं को दी जाय।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 14/भा0स0प0–17–14/2003 का0 9100 /रांची, दिनांक 9/9/2014

प्रतिलिपि :–आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड रॉची को उनके पत्र सं0–1283 दिनांक –03.07.2014 तथा उप सचिव, कल्याण विभाग को उनके पत्र सं0–1800 दिनांक–06.08.2014 के प्रसग में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

पत्रांक–7 / क0प्र0अ0–16–03 / 2012 का.–

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

फिदेलिस टोप्पो, भा.प्र.से.
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव
सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त, झारखण्ड।

रांची, दिनांक ....

विषय : सीधी भर्त्ती के दौरान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अभ्यर्थियों को प्राप्त छूट एवं रियायत के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार के अधीन लिखित परीक्षा या लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार या मात्र साक्षात्कार के माध्यम से की जाने वाली सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्ति के मामले में आरक्षित वर्ग यथा– अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के वैसे अभ्यर्थियों जिनका चयन अपनी मेधा के आधार पर होता है उन्हें अनारक्षित रिक्तियों के विरूद्ध सामंजित माना जाय या नहीं यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36012 / 22 / 93–ईस्ट(एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.1993 तथा 36011 / 1 / 98 ईस्ट (रेज) दिनांक 01.07.1998 से राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जिनका चयन उन मानकों के आधार पर होता है जो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए विहित हो उन्हें आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरूद्ध सामंजित नहीं किया जायेगा। दूसरे शब्दों में जब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तुलना में उपरी उम्र सीमा, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा में बैठने के अवसरों की संख्या में छूट / रियायत प्रदान कर की जाती है एवं विस्तारित विचारण

क्षेत्र, के आधार पर होता है तो वे सम्बन्धित आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरूद्ध ही सामंजित होंगे। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुपलब्ध समझे जायेंगे।

भारत सरकार के उपर्युक्त दोनों कार्यालय ज्ञापनों की छाया प्रति भी संलग्न है।

यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(फिदेलिस टोप्पो)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7/क0च0आ0–16–03/2012 का0–12165 (अनु)/राँची, दिनांक 31.10.12

प्रतिलिपि–अनुलग्नक की प्रति सहित सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

31.10.12

सरकार के संयुक्त सचिव।

Department of Personnel and Training O.M. No.36012/22/93-Estt.(SCT), dated the 8th September, 1993, to all Ministries/Departments, *etc.*

OFFICE MEMORANDUM

Subject:-Reservation for Other Backward Classes in Civil Posts and Services under the Government of India—Regarding.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No. 36012/31/90-Estt. (SCT), dated the 13th August, 1990 and 25th September, 1991 regarding reservation for Socially and Educationally Backward Classes in Civil Posts and Services under the Government of India and to say that following the Supreme Court judgement in the Indira Sawhney and others Vs. Union of India and others case [Writ Petition (Civil) No. 930 of 1990] the Government of India appointed an Expert Committee to recommend the criteria for exclusion of the socially advanced persons/sections from the benefits of reservations for Other Backward Classes in civil posts and services under the Government of India.

2. Consequent to the consideration of the Expert Committee's recommendations this Department's Office Memorandum No. 36012/31/90-Estt. (SCT), dated 13.8.90 referred to in para (1) above is hereby modified to provide as follows:

(a) 27% (twentyseven percent) of the vacancies in civil posts and services under the Government of India, to be filled through direct recruitment, shall be reserved for the Other Backward Classes. Detailed instructions relating to the procedure to be followed for enforcing reservation will be issued separately.

(b) Candidates belonging to OBCs recruited on the basis of merit in an open competition on the same standards prescribed for the general candidates shall not be adjusted against the reservation quota of 27%.

(c) (i) The aforesaid reservation shall not apply to persons/sections mentioned in column 3 of the Schedule to this office memorandum.

(ii) The rule of exclusion will not apply to persons working as artisans or engaged in hereditary occupations, callings. A list of such occupations, callings will be issued separately by the Ministry of Welfare.

(d) The OBCs for the purpose of the aforesaid reservation would comprise, in the first phase, the castes and communities which are common to both the lists in the report of the Mandal Commission and the State Governments' Lists. A list of such castes and communities is being issued separately by the Ministry of Welfare.

(e) The aforesaid reservation shall take immediate effect. However, this will not apply to vacancies where the recruitment process has already been initiated prior to the issue of this order.

3. Similar instructions in respect of public sector undertakings and financial institutions including public sector banks will be issued by the Department of Public Enterprises and by the Ministry of Finance respectively effective from the date of this Office Memorandum.

Sd/-
(Smt. Sarita Prasad)
Joint Secretary to the Government of India.

To

All Ministries/Departments of Government of India.

Copy:

1. Department of Public Enterprises, New Delhi. : It is requested that the said instructions may be issued in respect of PSUs, Public Sector Banks & Insurance Corporation.
2. Ministry of Finance (Banking & Insurance Divisions), New Delhi. :

No. 36011/1/98-Estt.(Res)
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
Department of Personnel & Training

New Delhi, dated 1-7-1998

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Relaxations and concessions for SCs and STs - clarification regarding.

.....

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M.No.36012/13/88-Estt.(SCT) dated May 22, 1989 and to clarify that the instructions contained in the O.M. apply in all types of direct recruitment whether by written test alone or written test followed by interview or by interview alone.

2. O.M. dated May 22, 1989 referred to above and the O.M.No.36012/2/96-ESTT(RES) dated July 2, 1997 provide that in cases of direct recruitment, the SC/ST/OBC candidates who are selected on their own merit will not be adjusted against reserved vacancies.

3. In this connection, it is clarified that only such SC/ST/OBC candidates who are selected on the same standard as applied to general candidates shall not be adjusted against reserved vacancies. In other words, when a relaxed standard is applied in selecting an SC/ST/OBC candidates, for example in the age limit, experience qualification, permitted number of chances in written examination, extended zone of consideration larger than what is provided for general category candidates etc., the SC/ST/OBC candidates are to be counted against reserved vacancies. Such candidates would be deemed as unavailable for consideration against unreserved vacancies.

(J. Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India

Copy to:-

1. All Ministries/Departments of the Govt. of India
2. Department of Economic Affairs (Banking Division), ~~New Delhi.~~

पत्रांक-7/मु०म०न्या० 012-08/2004 का० 40

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

[illegible] सिंह
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी विभागाध्यक्ष
सभी उपायुक्त।

राँची, दिनांक 03/01/2007

विषय: सवर्ण हिन्दू पिता और अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति की माता से उत्पन्न संतान को अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति का निर्धारण करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सवर्ण हिन्दू पिता और [illegible] जनजाति की माता से उत्पन्न संतान को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने हेतु [illegible] कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-106 दिनांक 13.03.1974 द्वारा निदेश दिया गया है। [illegible] निदेश में यह उल्लेख है कि [illegible] आदिवासी [illegible] आदिवासी समुदाय [illegible] आदिवासी [illegible] जा सकती है।

[illegible] कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र [illegible] दिनांक 03.03.1978 [illegible] दिनांक 11.12.1985 द्वारा सवर्ण हिन्दू पिता और [illegible] अनुसूचित जाति [illegible] सवर्ण हिन्दू पिता और अनुसूचित जाति की माता [illegible]

[illegible]

उत्पन्न संतान न तो अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के दर्जे का दावा कर सकते है और ना ही सरकारी नौकरियों में आरक्षित श्रेणी के तहत रोजगार पा सकते हैं।

अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय पर झारखण्ड सरकार द्वारा समीक्षोपरान्त निर्णय लिया है कि सवर्ण पिता और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की माता से उत्पन्न संतान को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि की मान्यता नही दी जाए।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन,

(मुख्त्यार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ।

संकल्प

विषय :— राज्य के नियंत्रणाधीन सेवाओं में पिछड़े वर्ग के रूप में किसी जाति को शामिल करने के लिए राज्य सरकार को परामर्श प्रदान करने हेतु रांची स्थित झारखंड जनजाति कल्याण शोध संस्थान, रांची को आबद्ध करने के संबंध में ।

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 की धारा 2 (ञ) के अनुसार अत्यन्त पिछड़े तथा पिछड़े वर्गों से अभिप्रेत है, वे सभी वर्ग जो इस अधिनियम की अनुसूची I और II में विनिर्दिष्ट है ।

2. उपरोक्त अधिनियम की धारा 14-अ के अनुसार राज्य सरकार पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग की अनुशंसा पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिनियम से संलग्न अनुसूची-I अथवा अनुसूची II में किसी प्रविष्टि को यथास्थिति जोड़ या घटा कर उसे क्रमशः अत्यन्त पिछड़े या पिछड़े वर्ग में शामिल कर सकती है या उससे हटा सकती है ।

3. अविभाजित बिहार में बिहार सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 1993 के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग गठित है, इस अधिनियम की धारा-9 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन आयोग नागरिकों के किसी वर्ग को पिछड़े वर्ग के रूप में शामिल करने के लिए उसके द्वारा किये गये अनुरोध की जाँच करना है और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन या अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई कर राज्य सरकार को इस संबंध में सलाह देना है ।

4- बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के पश्चात् से लागू इस राज्य सरकार द्वारा गठित पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के प्रतिवेदन को सरकार द्वारा अंगीकृत नहीं किये जाने के कारण आयोग द्वारा दी गयी अनुशंसा के आधार पर नागरिकों के किसी वर्ग को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने में कठिनाई है ।

5- झारखंड राज्य में सम्प्रति पिछड़े वर्गों के लिए स्थायी राज्य आयोग का गठन नहीं हुआ है । इस राज्य के क्षेत्रफल और यहाँ की जनसंख्या को देखते हुए इस राज्य में अभी इतने बड़े आयोग की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, परन्तु वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पिछड़े वर्गों की सूची में नागरिकों के किसी वर्ग के अति समावेशन या अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों पर सुनवाई कर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए रांची स्थित झारखंड जनजाति कल्याण शोध संस्थान भी अपने कार्यों के अतिरिक्त यह कार्य करेगा ।

6- कंडिका-5 में वर्णित कल्याण शोध संस्थान को आवश्यक संसाधन प्रशासी विभाग (कल्याण विभाग) मुहैया करायेगा ।

आदेश :-- आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में इस संकल्प की प्रति झारखंड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाए तथा इसकी प्रति महालेखाकार, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाए ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(एस० के० चौधरी)

सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-5/आ०(जाति)-03/2001का०......../दिनांक..... नवम्बर,2001ई०

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची को भेजें ।

(एस० के० चौधरी)

सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-5/आ०(जाति)-03/2001का०......../दिनांक..... नवम्बर,2001ई०

प्रतिलिपि-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री सचिवालय/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि अपने अधिनस्थ अधिकारियों/सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस संकल्प से अवगत करायें ।

(एस० के० चौधरी)

सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-5/आ०(जाति)-03/2001का०......../दिनांक..... नवम्बर,2001ई०

प्रतिलिपि-निदेशक, जनजातिय कल्याण शोध संस्थान, झारखंड, राँची को सूचनार्थ हेतु प्रेषित ।

(एस० के० चौधरी)

सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-5/आ०(जाति)-03/2001का०......../दिनांक..... नवम्बर,2001ई०

प्रतिलिपि-महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, झारखंड, राँची/सचिव, विधानसभा सचिवालय/झारखंड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(एस० के० चौधरी)

सरकार के सचिव ।

[illegible] TO BE SUBSTITUTED FOR [illegible] NO. [illegible]

[illegible] of Bihar,
[illegible] Department.

[illegible]

From

K. P. [illegible], [illegible], M. A., B.L.,
Under Secretary to Government.

To

The Accountant General, Bihar,
P.O. Hinoo, Ranchi.
(Through the Finance Department).

[illegible] [illegible]

, Patna, the [illegible] March, 195[illegible].

Subject:- Establishment of a Tribal Research Institute in Bihar.

******

Sir,

I am directed to convey the sanction of the State Government to the establishment of a Tribal Research Institute in Bihar with [illegible] at Ranchi for conducting researches on [illegible] lines into the [illegible], [illegible] [illegible], culture etc. of the Tribes inhabiting different parts of the State and to the creation of necessary staff [illegible] for [illegible] and other miscellaneous items for the Institute for the [illegible] 195[illegible] to the 28th February 19[illegible] as shown in the enclosed [illegible].

2. The Institute will function as [illegible] Government [illegible] under the [illegible] charge of a Director and will [illegible] [illegible] in a [illegible] house on a monthly rent not exceeding Rs. [illegible]/- [illegible] at the [illegible] of sanction [illegible] [illegible] a [illegible] with an [illegible] tion for a Museum will be [illegible] [illegible] [illegible] exhibits collected from [illegible] [illegible] [illegible] laboratory with [illegible] [illegible], Blood Testing [illegible] together with necessary [illegible] and photographic materials [illegible] of the Institute.

3. There will be [illegible] [illegible] the [illegible] of the Institute. The Board [illegible] the Director of the Institute will be [illegible] [illegible]

(1) Minister, Welfare [illegible] .... Chairman.
(2) Shri [illegible] B. [illegible], [illegible] Revenue.
(3) [illegible] Secretary to Government [illegible] .... [illegible]
(4) Commissioner, [illegible] Division.
(5) [illegible] representative, [illegible], Bihar [illegible] University.
(6) [illegible] representative, [illegible] Deptt., Patna University.

4. The staff of the Institute will consist of [illegible] Director, [illegible] Assistant Directors, Five Research Assistants besides Laboratory [illegible], clerks and [illegible]. The Director and the Assistant Directors will [illegible] gazetted rank [illegible] [illegible] [illegible] or a Sociologist who has [illegible] of [illegible] the Tribes. The day to day affairs of the Institute [illegible] responsibility. He will collect the [illegible] from the Assistant Directors and the Research Assistants under [illegible] and projects. He will [illegible] for the Institute journal, [illegible] He will be responsible to the State Government for the [illegible] of the Institute [illegible] Director will be in charge of [illegible].

5. The Assistant Director [illegible] [illegible] necessary [illegible] museum exhibits and other [illegible]. For [illegible] at an estimated cost of Rs. 1[illegible],[illegible]/- [illegible] for the same Institute. With a view to [illegible] a provision has also been made for award of at least two scholarships to meritorious

meritorious University students of the Department of Sociology [illegible] Patna University. The value of the two scholarships will be Rs. [illegible] month and will be awarded by the Welfare Department on the recom[illegible] the Head of the Department of Sociology, Patna University. These st[illegible] purpose of research work will be attached to the Institute.

6. The total charge amounting to Rs. 46,493/- (Rupees forty six [illegible] four hundred ninty three) which is debitable to the appropriate unit [illegible] head "25-General Administration-Development Schemes-Five Year Plan- [illegible]tion- 175- Establishment charges for the staff employed for the Sched[illegible] Tribes welfare work" for the year 1953-54.

7. The Director of the Institute is hereby declared to be drawin[illegible] disbursing officer in respect of the bills and other expenditure of th[illegible] Institute. He will also be the controlling officer in respect of trav[illegible] allowance bills of Assistant Directors and other staff of the Institu[illegible] own travelling allowance bills will be countersigned by Secretary to Welfare Department. The Assistant Director in charge of the Institut[illegible] the drawing and disbursing officer for a period of six months or upt[illegible] appointment of the Director of the Institute whichever be earlier in [illegible] of bills and other expenditure of the Institute and his travelling [illegible] bills will be countersigned by the Secretary to Government, Welfare during that period.

8. An acknowledgment is requested.

Yours faithf[illegible]

Sd. K. P.
(K. P.
UNDER SECRETARY TO GOV[illegible]

Memo No.W. [illegible] 5265 Patna, the 30/9/42 [illegible] Marc[illegible]

Copy forwarded to the Finance Department, Budget Branch[illegible] Divisional Commissioners/All District Officers including Additio[illegible] Magistrate, Saharsa the Additional Deputy Commissioner, Dhanbad/ Aboriginal Welfare Officers/Secretary, Adimjati Seva Mandal, Nivar[illegible] P.O. Bihar, Ranchi/Secretary, Santal Paharia Seva Mandal, Deoghar, S[illegible] Education Department/[illegible] Department/Registrar, Bihar/Patna [illegible] Private Secretary [illegible] Minister/Welfare Minister/Director [illegible] Relations, Bihar/ Finance Deptt. (Section IV F, for information of giving [illegible] publicity).

(0 to Director of Public Relations, Bihar [illegible].

UNDER SECR[illegible]

G.Pd. [illegible]

Copy of Corresp...

I. Appointment of Staff of Welfare Department and their duties and functions.

Copy of letter no. A-E1—20,116/54—W. 9733 dated the 31st October 1953 from the Under-Secretary to Government of Bihar, Welfare Department to the Accountant-General, Bihar (through Finance Department), and copy forwarded to the Finance Department, Budget Branch and others for information (and for favour of giving due publicity).

(—) to D. P. R. only.

SUBJECT.—Establishment of a Tribal Research Institute in Bihar.

I am directed to convey the sanction of the State Government to the establishment of a Tribal Research Institute in Bihar with headquarters at Ranchi for conducting researches on right lines into the customs, manners, languages, culture, etc. of the Tribes inhabiting different parts of the State and to the creation of necessary staff and provision for equipments and other miscellaneous items for the Institute for the period from the 21st November, 1953 to the 28th February 1954 as shown in the [illegible] statement.

2. The institute will function as a purely Government institution under the immediate charge of Director and will be started immediately in rented house on a monthly rent not exceeding Rs. 150 as provided in the statement [illegible] appended hereto. [illegible] a suitable building with [illegible] accommodation for a Museum will be [illegible]. The Museum will consist of material exhibits collected from [illegible] of State. There shall be small laboratory with 3 or 4 anthropo[illegible] and sets of Craniometers, [illegible] Board, Blood Testing apparatus [illegible] necessary chemicals, camera and photographic materials at the [illegible] of the Institute.

3. There will be a Board [illegible] to look after the working of the Institute. The Board will consist of [illegible] members of whom the Director of the Institute will be an ex-officio member. The other members of the Board would be—

(1) Minister, Welfare Department—Chairman

(2) Shri K. B. Sahay, Minister, Revenue

(3) Secretary to Government, Welfare Department—Secretary

(4) Commissioner, Chotanagpur Division.

(5) One representative, Anthropology Department, Bihar University.

(6) One representative, Sociology Department, Patna University.

GUIDE LINES

The criteria laid down for inclusion of a community in the list of Scheduled Castes/Scheduled Tribes is given in Annexure-V which may please be kept in view while [illegible] forwarding the proposals.

[illegible]

Scheduled Castes : Extreme social, educational [illegible] -mic backwardness arising [illegible] traditional practice of untouchability [illegible]

Scheduled Tribes : Indication of Primitive traits, distinctive culture, geographical [illegible] shyness of contact with the [illegible] at large and backwardness.

******

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची
द्वारा मुद्रित ।

Printed By
Jharkhand Government Press, Ranchi.

© Copyright 2022 Finance Department, Government of Jharkhand.